

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2023-24



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2023-2024

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2023-2024



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

ई-500, टॉवर ई, पांचवां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029
E-500, Tower E, 5th Floor, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-110029

यह रिपोर्ट पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और विवरणी) नियम, 2015 में निर्धारित वार्षिक रिपोर्ट के प्रारूप के अनुरूप है।

नोट – हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों में संदेह, विसंगति या विवाद की स्थिति होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
 Note: - In case of any conflict between the Hindi version and the English version, the English version will prevail.



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

Dr. Deepak Mohanty
Chairperson

प्रेषण पत्र

पाठक सं. पीएफआरडीए - 09/02/0001/2024-वार्षिक रिपोर्ट विभाग

दिनांक - 15 अक्टूबर, 2024

साथित

वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्त मंत्रालय

भारत-सरकार

संसद मार्ग, जीवनदीप भवन

नई दिल्ली - 110001

विषय : वित्त वर्ष 2023-24 हेतु पीएफआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट।

महोदय,

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 46(2) के प्रावधानों के अनुसार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण में हुए कामकाज पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियों को प्रेषित करते हुए मुझे अवगत प्रसन्नता हो रही है।

भवदीय,

दीपक मोहन्ती
(डॉ. दीपक महान्ती)

विषय सूची

विषयवस्तु तालिका

लक्ष्य और उद्देश्यों का यत्न	11
उद्देश्य	11
परिफलना	11
अध्यक्ष महोदय का संदेश	13
बोर्ड के सदस्य	15
अध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्य और कार्यकारी निदेशक	16
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण	17
संक्षिप्तियाँ	18
भाग - I	21
नीतियाँ एवं कार्यक्रम	
1.1 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य	22
1.1.1 वैश्विक मुद्रास्फीति	23
1.1.2 वैश्विक वस्तु मूल्य	23
1.1.3 वैश्विक आर्थिक परिवेश	24
1.1.4 वैश्विक बॉन्ड और शेयर (इक्विटी) बाजार	24
1.2 घरेलू अर्थव्यवस्था	25
1.2.1 भारत में वृहद आर्थिक विकास	25
1.2.2 घरेलू मुद्रास्फीति	27
1.2.3 मौद्रिक प्रबंधन	27
1.3 भारतीय वित्तीय बाजार	28
1.3.1 जी-सेक बाजार	29
1.3.2 कॉर्पोरेट बांड बाजार	29
1.3.3 इक्विटी बाजार	30
1.4 वैश्विक पेंशन बाजारों की समीक्षा	31
1.4.1 ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि परिसंपत्तियाँ	34
1.4.2 निवेश रुझान	35
1.5 भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा	36
1.6 भारतीय पेंशन परिदृश्य	37
1.7 वर्ष के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की संक्षेप में समीक्षा का विवरण	40
1.8 एनपीएस के तहत मध्यवर्ती इकाइयाँ	41
1.8.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं से संबंधित मध्यवर्ती और अन्य इकाइयाँ	41
1.8.2 खातों के प्रकार	43
1.8.3 लोकसंपर्क	43

भाग — II	44
एनपीएस के तहत निधियों का निवेश	
2.1	पेंशन निधियाँ
2.1.1	पेंशन निधियों के कार्य
2.1.2	सरकारी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं (अर्थात् केंद्र सरकार और राज्य सरकार), एनपीएस-स्वावलंबन तथा एपीवाई हेतु पेंशन निधियों की सूची
2.1.3	निजी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निधियों की सूची
2.2	योजनाये
2.3	पेंशन निधियों से जुड़ी विनियम, अधिसूचनाएं, जारी किए गए प्रमुख परिपत्र / दिशानिर्देश
2.4	निरीक्षण
भाग — III	56
प्राधिकरण के कार्य	
3.1	मध्यवर्ती इकाइयों का पंजीकरण और ऐसे पंजीकरणों का निरीक्षण, निरीक्षण तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा अन्य पेंशन योजनाओं से जुड़े मध्यवर्तियों की गतिविधियों का विनियमन
3.2	योजनाओं, उनके नियमों और शर्तों का अनुमोदन
3.3	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का विकास
3.3.1	पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत विकास और प्रत्याहरण) विनियम 2016 तथा उसमें हुए संशोधन
3.3.2	एनपीएस के तहत आंशिक निकासी
3.4	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाओं के तहत अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए की गयी गतिविधियाँ
3.5	अभिदाताओं हेतु शिकायत निवारण तंत्र तथा उनकी शिकायतों के निवारण हेतु संचालित गतिविधियाँ
3.5.1	वित्त वर्ष 2023-24 हेतु लोकपाल कार्यालय में प्राप्त, निपटाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या
3.5.2	वित्त वर्ष 2023-24 हेतु लोकपाल कार्यालय में राज्यवार प्राप्त शिकायतें
3.5.3	लोक शिकायत निस्तारण
3.6	सेवानिवृत्ति सलाहकारों के लिए प्रमाणन प्रोग्राम
3.7	प्राधिकरण तथा मध्यवर्तियों द्वारा ऑकड़ों का संकलन, जिनमें अध्ययन, अनुसंधान और परियोजनाओं को शुरू करना शामिल है
3.8	पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों पर अभिदाताओं और आम जनता को शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम और मध्यवर्ती इकाइयों के प्रशिक्षण का विवरण
3.8.1	पेंशन संबंधी वित्तीय साक्षरता
3.8.2	सेवानिवृत्ति नियोजक योजना
3.8.3	वित्तीय तथा अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय हेतु कार्यक्रम
3.8.4	मीडिया, संचार तथा एनपीएस/एपीवाई जागरूकता पर पीएफआरडीए के प्रयास

3.8.5	सोशल मीडिया पर पीएफआरडीए	89
3.8.6	जनसंपर्क और संचार	89
3.8.7	प्रशिक्षण	90
3.8.8	एनपीएस तथा एपीवाई सूचना सहायता पटल (हेल्प डेस्क)	90
3.9	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित सम्मेलन/ बैठकें और अन्य पहल	90
3.9.1	केंद्र और राज्य सरकार क्षेत्र के तहत सम्मेलन	90
3.9.2	सरकारी क्षेत्र/ गैर सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम	108
3.9.3	गैर-सरकारी क्षेत्र में एनपीएस	114
3.9.4	कॉर्पोरेट क्षेत्र के तहत सम्मेलन/संगोष्ठियां	115
3.9.5	अटल पेंशन योजना	116
3.10	पेंशन निधियों का प्रदर्शन	124
3.11	विनियमित आस्तियां	137
3.12	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा प्रभारित या संग्रहित शुल्क और अन्य प्रभार	137
3.13	पेंशन निधि से जुड़े मध्यवर्ती और अन्य संस्थाओं या संगठनों की लेखापरीक्षा सहित मांगी गई सूचना, निरीक्षण, पूछताछ और जांच	140
3.13.1	जांच और अन्वेषण	140
3.13.2	निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा	140
3.13.3	अधिनिर्णयन	141
3.13.4	आंतरिक लेखापरीक्षा	141
3.14	अन्य	142
3.14.1	अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के अंतर्गत शामिल अभिदाता (श्रेणीवार)	142
3.14.2	संप्रस्थिति अस्तित्व	145
3.14.3	प्रबंधन के अंतर्गत योजनावार परिसंपत्तियां	147
3.14.4	केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण	149
3.14.5	पेंशन निधि	152
3.14.6	न्यासी बैंक	155
3.14.7	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिरक्षक	159
3.14.8	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास	161
3.14.9	सेवानिवृत्ति सलाहकार	163
3.14.10	प्राधिकरण द्वारा किए गए अन्य कार्य	163
भाग - IV		165
4.1	पेंशन सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली	165
4.2	बनाए गए या संशोधित किए गए विनियम	166
4.3	अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि के उपयोग के लिए समिति का गठन	168

भाग - V	169
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक मुद्दे	
5.1 पीएफआरडीए बोर्ड का गठन	169
5.2 प्राधिकरण की बैठकें	169
5.3 पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या	170
5.4 पीएफआरडीए में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ और ओबीसी प्रकोष्ठ का कामकाज	170
5.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु समिति	171
5.6 कर्मचारी कल्याण समिति	171
5.7 कर्मचारियों के कल्याण के लिए की गई पहल	171
5.8 पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण	176
5.9 राजभाषा का प्रसार	176
5.10 सूचना का अधिकार	178
5.11 संसदीय प्रश्न	180
5.12 पीएफआरडीए के खाते	180
भाग - VI	181
अभिदाताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र	
6.1 सक्रिय विनियम का अभाव, सरकारी नोडल अधिकारियों हेतु बाधा	181
6.2 सांविधिक दायित्व जिनका प्राधिकरण ने अनुपालन नहीं किया है— न्यूनतम आशवासित रिटर्न योजना (मार्स)	181
6.3 कर्मचारी के वेतन के 10% से ऊपर नियोक्ता के अंशदान पर कराधान	181
6.4 नई कर व्यवस्था के तहत एनपीएस में कर्मचारियों के अंशदान की कर देयता	182
6.5 साइबर खतरे	182
भाग - VII	183
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा किये गए अन्य उपाय	
7.1 अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा की गयी अन्य पहल	183
अनुलग्नक की सूची	
अनुलग्नक I पेंशन सलाहकार समिति का गठन	186
अनुलग्नक II सक्रिय पीओपी-एसपी की राज्यवार कुल संख्या	187
अनुलग्नक III वार्षिक लेखा और अनुसूचियाँ	189

लक्ष्य और उद्देश्यों का वक्तव्य

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 46 के साथ पठित पीएफआरडीए (रिपोर्ट्स, रिटर्न और विवरणी) नियम, 2016 के नियम 7 और 9 के अंतर्गत।

उद्देश्य

पीएफआरडीए के व्यापक उद्देश्य पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना में निम्नानुसार दिए गए हैं :-

“पेंशन निधियों की स्थापना, विकास और विनियमन द्वारा वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान करना, पेंशन निधियों की योजनाओं और उनसे संबंधित तथा प्रासंगिक मामलों में अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना।”

परिकल्पना

संगठित पेंशन प्रणाली के संवर्धन और विकास के लिए मॉडल विनियामक बनना ताकि लोगों की वृद्धावस्था आय संबंधी जरूरतों को स्थायी आधार पर पूरा किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय का संदेश

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान निरंतर प्रगति की है। यह निवेश विकल्पों में अभिदाताओं को लचीलापन (तन्व्यता) प्रदान करती है तथा इसके खाते की निरंतरता अभिदाता रोजगार की स्थिति पर निर्भर नहीं होती।

एनपीएस की स्थापना वर्ष 2004 में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए की गई थी, जिसका विस्तार वर्ष 2009 में निजी क्षेत्र के लिए भी किया गया। यह उत्साहजनक बात है कि निजी क्षेत्र के लिए एनपीएस में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। मार्च 2024 के अंत तक, निजी क्षेत्र के अभिदाताओं की संख्या 55 लाख को पार कर गई है। एनपीएस सहित अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत सक्रिय अभिदाताओं की संख्या 7.4 करोड़ थी तथा कुल राशि 11.73 लाख करोड़ रुपये थी जो मार्च 2024 के अंत में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी का लगभग 4 प्रतिशत है।

एनपीएस के तहत निवेश योजनाओं ने प्रतिस्पर्धी रिटर्न प्रदान की है। इक्विटी योजना ने स्थापना के बाद से 13.5 प्रतिशत की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) प्रदान किया है और इसका पिछले वर्ष 35 प्रतिशत का रिटर्न था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ऋण और इक्विटी मिश्रीत योजनाओं ने स्थापना के बाद से प्रति वर्ष 9.5 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इसी प्रकार राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए समग्र योजना ने स्थापना के बाद से प्रति वर्ष 9.4 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं एपीवाई योजना, स्थापना के बाद से प्रति वर्ष 9.11 प्रतिशत का रिटर्न दे रही है।

विश्व भर में, पेंशन आस्तियाँ वित्तीय बाजारों की स्थिरता और आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। भारत में बढ़ती पेंशन आस्तियाँ न केवल वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करती हैं, बल्कि आधारभूत संरचना के लिए दीर्घकालिक पूंजी भी प्रदान करती हैं।

प्राधिकरण ने एनपीएस संचालन के विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं— जैसे विनियमों की व्यापक समीक्षा जिसमें डिजिटल मोड पर अधिक ध्यान देते हुए मध्यवर्तियों की अनुपालन आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाया गया है, साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों को जोस बनाया गया है, बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए नोडल कार्यालयों के लिए 'आधार'-आधारित प्रक्रिया शुरू की गई है, व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (एसएलडब्ल्यू) तंत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत अभिदाता उच्च रिटर्न का लाभ उठाने के लिए एनपीएस में निवेश कर संचित कोष के 60 प्रतिशत से मासिक राशि प्राप्त कर सकता है। हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए मंच प्रदान करने हेतु 'चिंतन शिविर' का भी आयोजन किया गया था।

पीएफआरडीए न केवल इस क्षेत्र को विनियमित करके बल्कि इसे प्रोन्नत करके भी वितरण चैनलों के सशक्तीकरण और पेंशन कवरेज का विस्तार करने एवं उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजिटल पहलों के माध्यम से पेंशन पारिस्थिति की तंत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हितधारकों से बेहतर संपर्क बनाने और उपयोगकर्ताओं को सहज एवं सुलभ सेवा का अनुभव प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी स्थापत्य (टार्च) परियोजना लागू कर संगठन की तकनीकी आधारभूत संरचना का भी विस्तार किया जा रहा है। पेंशनयुक्त समाज के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एनपीएस में विस्तार की काफी संभावना है क्योंकि भारत सदी के मध्य तक उन्नत अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा सहित एक उच्च मध्यम आय वाले देश में परिवर्तित हो रहा है।

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

बोर्ड के सदस्य



डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष



डॉ. मनोज आनंद
पूर्णकालिक सदस्य (वित्त)



श्रीमती ममता शंकर
पूर्णकालिक सदस्य- अर्थशास्त्र



श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू (आईए और एएस 1988)
विशेष सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग
12.12.2014 से 31.10.2023 तक



श्रीमती परमा सेन
(आईए और एएसए 1994),
अपर सचिव, व्यय विभाग
11.12.2023 से अब तक



श्री राहुल सिंह (आईएस 1996)
अपर सचिव (एस एंड डी)
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(डीओपीटी) 15.07.2022 से
26.03.2024 तक



श्री पंकज शर्मा (आईसीएस 2000),
संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग,
वित्त मंत्रालय 27.05.2022 से अब तक

अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और कार्यकारी निदेशक



(बाएं से दाएं)

श्री अनंत गोपाल दास, कार्यकारी निदेशक

श्री वेंकटेश्वरलु पेरी, कार्यकारी निदेशक

श्री अशोक कुमार सोनी, कार्यकारी निदेशक

श्रीमती ममता शंकर, पूर्णकालिक सदस्य— अर्थशास्त्र

डॉ. दीपक महान्ती, माननीय अध्यक्ष

डॉ. मनोज आनंद, पूर्णकालिक सदस्य (वित्त)

श्रीमती ममता रोहित, कार्यकारी निदेशक

श्रीमती सुमीत कौर कपूर, कार्यकारी निदेशक

श्री राहुल रविन्द्रन, कार्यकारी निदेशक

प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारीगण
(मार्च 31, 2024 तक)

कार्यकारी निदेशक

श्री अनंत गोपाल दास
श्रीमती ममता रोहित
श्री अशोक कुमार सोनी
श्री वेंकटेश्वरलु पेरी
श्रीमती सुमीत कौर कपूर
श्री राहुल रविन्द्रन

मुख्य महाप्रबंधक

श्री आशीष कुमार
श्री के. मोहन गांधी
श्री मोनो मोहोन गोगोई फुकन
श्री अखिलेश कुमार
श्री प्रवेश कुमार
श्री विकास कुमार सिंह
श्री सुमित कुमार
श्री पी. अरुमुगारंगाराजन

महाप्रबंधक

श्री सचिन जोनेजा
श्री आशीष कुमार भारती
श्रीमती गुरमिंदर कौर
डॉ. पूर्णिमा शर्मा
श्रीमती मंजू भल्ला
डॉ. अल्पना वत्स
श्री के.आर. दौलत अली खान

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री सुशील कुमार

लोकपाल

श्री नरेन्द्र कुमार भोला

वार्षिक रिपोर्ट दल

श्री वेंकटेश्वरलु पेरी (कार्यकारी निदेशक)
श्री सचिन जोनेजा (महाप्रबंधक)
श्री सिद्धांत मोहापात्रा (सहायक प्रबंधक)

संक्षिप्तियां

एई	विकसित अर्थव्यवस्थाएं
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधि
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एपीवाई-एसपी	एपीवाई-सेवाप्रदाता
एसोचीम	एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
एएसपी	वार्षिकी सेवा प्रदाता
एयूएम	प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति
बीएसई	बम्बई शेयर बाजार
सीएबी	केंद्रीय स्वायत्त निकाय
सीबीओ	कॉर्पोरेट शाखा ऑफिस
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजी	केंद्र सरकार
सीजीएमएस	केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली
सीएचओ	कॉर्पोरेट मुख्य कार्यालय
सीआईआई	भारतीय उद्योग परिसंघ
सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीआरए	केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण
सीएसजीएल	ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही
डीबी	परिमाणित लाभ
डीडीओ	आहरण और संवितरण कार्यालय
डीएफएस	वित्तीय सेवाएं विभाग
डीटीए	खजाना और लेखा निदेशालय
डीटीओ	जिला कोष कार्यालय
ईएमडीई	उमरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएस	कर्मचारी पेंशन योजना
ईआरएम	त्रुटि संशोधन मोड्यूल

एफएक्यू	अधिकांशतः पूछे जाने वाले प्रश्न
फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ
फिन-टेक	वित्तीय तकनीक
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद्
एफवाई	वित्त वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जी सेक	सरकारी प्रतिभूति
एच वन	वर्ष की पहली छमाही
एच टू	वर्ष की दूसरी छमाही
आईएमएफ	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईओएस	आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम
आईपिन	इन्टरनेट पर्सनल आईडेंटिफिकेशन संख्या
टीपिन	टेलीफोनिक पर्सनल आईडेंटिफिकेशन नंबर
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
केवाईसी	अपने ग्राहक को जाने
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमआईएस	प्रबन्धन सूचना प्रणाली
मोबाइल एप	मोबाइल एप्लिकेशन
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति
एनएवी	कुल आरित मूल्य
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनसीएफई	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र
एनआईएसएम	राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान
एनएलएओ	एनपीएस लाइट खाता कार्यालय
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनपीएससीएन	एनपीएस कॉन्ट्रिब्यूशन एकाउंटिंग नेटवर्क
एनपीएसटी	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास
एनएसडीएल	नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओपीजीएम	ऑनलाइन प्रान जेनरेशन माड्यूल
ओटीपी	वन टाइम पासवर्ड

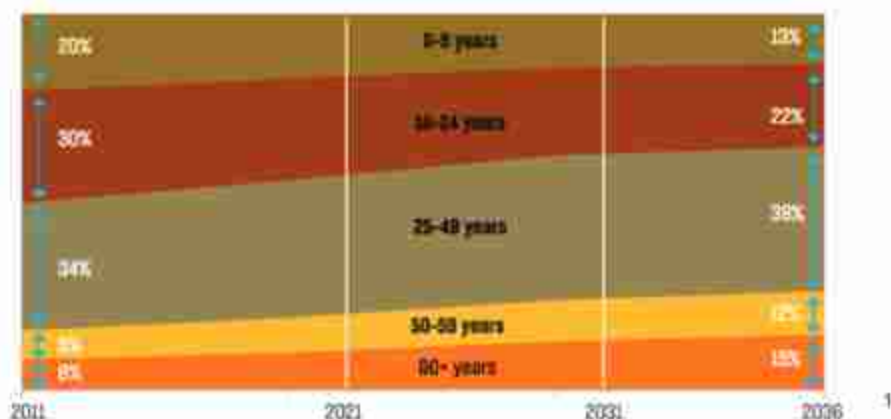
पीएसी	पेंशन सलाहकार समिति
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीएओ	वेतन और लेखा कार्यालय
पीआरएओ	प्रधान लेखा कार्यालय
पीएफ	पेंशन निधि
पीएफएम	पेंशन निधि प्रबंधक
पीएचडीसीसीआई	वाणिज्य और उद्योग का पीएचडी चौम्बर
पीएमआई	क्रय प्रबंधक सूचकांक
पीओपी	उपस्थिति अस्तित्व
पीओपी-एसई	उपस्थिति अस्तित्व उप इकाई
पीओपी-एसपी	उपस्थिति अस्तित्व सेवा प्रदाता
प्रान	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या
क्यूआर कोड	त्वरित प्रतिक्रिया कोड (क्विक रेस्पोंस कोड)
आरए	सेवानिवृत्त सलाहकार
आरई	विनियमित संस्थाएं
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एससीएफ	अभिदाता अंशदान फाइल
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
एसजी	राज्य सरकार
एसएचसीआईएल	स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एसओटी	संव्यवहार प्रकथन
एसटीएस	सर्वर से सर्वर
टीबी	न्यासी बैंक
टीजीएफआईएफएल	वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह
यूओएस	असंगठित क्षेत्र
डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक परिदृश्य
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डबल्यूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य

भाग I नीतियाँ और कार्यक्रम

भारत जनसांख्यिकीय परिवर्तन के तीसरे चरण में है और घटती जन्म दर के बावजूद, जनसंख्या की गति के कारण इसकी जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी। 24 वर्ष और उससे कम आयु के लोगों की हिस्सेदारी वर्ष 2011 में कुल आबादी (50 प्रतिशत) के आधे से घटकर 2036 में लगभग एक तिहाई (35 प्रतिशत) होने की आशा है। परिणामस्वरूप, भारत की जनसंख्या के बढ़ने की उम्मीद है जब तक कि यह 2036 के मध्य तक 1.67 अरब तक अधिकतम नहीं पहुंच

जाती। हालांकि, प्रजनन दर में कमी सहित युवाओं की हिस्सेदारी उत्तरोत्तर कम होगी, और अंततः संक्रमण की प्राकृतिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में जनसंख्या में गिरावट आएगी। इसलिए जनसांख्यिकी में बदलाव और घटते जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण वृद्धावस्था आय के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है और इसीलिए पेंशन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

Population age structure transition



भारत में एनपीएस की शुरुआत ने परिभाषित लाभ से परिभाषित अंशदान प्रणाली में परिवर्तन के माध्यम से एक आदर्श बदलाव को दर्शाया है। एनपीएस भारत के नागरिकों के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है, जिसे वृद्धावस्था में पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय के लिए स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना अन्य बातों के साथ-साथ भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित करती है, क्योंकि देश की जनसांख्यिकी में बदलाव की आशा है। यह एक डीसी अर्थात् परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है जो लचीले निवेश विकल्प प्रदान कर अभिदाता के कार्यकाल के दौरान पेंशन कोष के संचय की सुविधा प्रदान करती है। आरंभ में यह योजना 2004 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। बाद में इसे अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए अपनाया गया। तदुपरांत, एनपीएस को 2009 में भारत के सभी नागरिकों के लिए और 2011 में कॉर्पोरेट क्षेत्र में विस्तारित किया गया था। एनपीएस में 18-70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय

नागरिक शामिल हो सकता है और किसी भी नियोक्ता द्वारा स्वैच्छिक आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योजना के रूप में अपनाया जा सकता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीएस अभिदाताओं की संख्या 12.1 प्रतिशत की सीएजीआर की दर से बढ़कर 1.31 करोड़ से 1.47 करोड़ हो गई है। एनपीएस और एपीवाई के तहत एयूएम के जीडीपी का अनुपात (वर्तमान कीमतों पर) मार्च 2023 के अंत में 3.29 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 4.0 प्रतिशत हो गया है। निजी क्षेत्र के अभिदाताओं की वृद्धि दर 18.8 प्रतिशत रही है। एनपीएस का एयूएम 30.5 प्रतिशत की सीएजीआर पर 8.66 लाख करोड़ रु. से बढ़कर 11.31 लाख करोड़ रु. हो गया है। निजी क्षेत्र के एयूएम की वृद्धि दर 43 प्रतिशत थी। एपीवाई भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित आय प्रदान करना है, जिसमें उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो असंगठित क्षेत्र में हैं और गरीब हैं। इस योजना के तहत गारंटीकृत पेंशन का लाभ उठाने के लिए उन्हें 60 वर्ष की आयु तक नियमित रूप से बचत करनी है। एपीवाई के तहत 31 मार्च, 2024 तक

स्रोत:- भारत की जनसंख्या वृद्धि और नीति कार्यक्रम, यूएनएफपीए, दिसंबर 2023

नामांकन की संख्या 6.43 करोड़ से अधिक हो गई है, जिनमें वित्त वर्ष 2023-24 में 1.22 करोड़ से अधिक नए अभिदाता पंजीकृत किए गए थे। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यह एक वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक नामांकन है और इस योजना ने सकल नामांकन में 24 प्रतिशत की उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। सुसंगत और वित्तीय रूप से टिकाऊ पेंशन प्रणाली तैयार कर इसे लागू करने के लिए एनपीएस को प्रणालीगत दृष्टिकोण के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पीएफआरडीए ने अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने, इसके उपयोग की सहजता में सुधार करने के साथ-साथ आर ई के लिए अनुपालन को तर्कसंगत और सरल बनाने हेतु विभिन्न पहल और सुधार किए हैं। कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:- पैरा 99 और 100 में निहित माननीय वित्त मंत्री की बजट घोषणा के संबंध में विनियमों की समीक्षा, एकमुश्त और वार्षिकी के समानांतर प्रसंस्करण के माध्यम से एनपीएस से निकासी की शर्तों को आसान बनाना ताकि निर्बाध निकास सुनिश्चित किया जा सके जिससे अभिदाता का संघर्ष चरण से वार्षिकी चरण में स्थानांतरण संभव, आरई के लिए व्यावसायिक कार्यनीति, जोखिम मूल्यांकन और विनियामक अनुपालन के आधार पर क्लाउड सेवा अपनाने का आकलन करने हेतु दिशानिर्देश जारी करना, सीडीएसएल और एनएसडीएल द्वारा जारी सीएसएस के साथ एनपीएस एसओटी का एकीकरण, वृद्धावस्था आय लाभों को अनुकूलित करने के लिए प्रणालीगत एकमुश्त निकासी की शुरुआत, संगठन के साथ मानव संसाधन, प्रशासन, आईटी, वित्त और लेखा एवं कानूनों का डिजिटलीकरण तथा उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिए आगामी पीएफआरडीए इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से आंतरिक डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करना आदि।

पेंशन क्षेत्र, वैश्विक और घरेलू विकास द्वारा प्रभावित होता है। साथ ही, पेंशन आस्तियां पूंजी बाजार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती हैं। वैश्विक और घरेलू विकास आर्थिक संवृद्धि, मुद्रास्फीति, वस्तुओं की कीमतों के साथ-साथ मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत प्रतिक्रियाओं में परिलक्षित होते हैं और यह वित्तीय बाजार के सभी क्षेत्रों, फिर चाहे वह इक्विटी बाजार हों, सरकारी प्रतिभूति बाजार हों, या कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार हों, को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट के इस भाग में, वैश्विक और घरेलू पेंशन बाजारों के घटनाक्रमों पर ध्यान देने से पहले वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था की संक्षिप्त समीक्षा की गई है।

1.1 वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक विकास जो कि 2023 में 3.2 प्रतिशत था को 2024

और 2025 में समान गति बनाए रखने की आशा की गई है। यह प्रक्षेपवक्र उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विकास में मामूली वृद्धि की ओर इंगित करता है जो वर्ष 2023 में 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 1.7 प्रतिशत हो गया है और 2025 में इसके 1.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। यद्यपि, इस वृद्धि को ईएमडीई में मामूली गिरावट से संतुलित कर 2023 में विकास 4.3 प्रतिशत से 2024 और 2025, दोनों में 4.2 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है। विशेष रूप से, पांच वर्षों में वैश्विक विकास का पूर्वानुमान 3.1 प्रतिशत है जो पिछले दशकों में सबसे कम स्तर पर है।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में धीरे-धीरे सुधार होता दिख रहा है, क्योंकि मंदी की चिंताएं कम हो रही हैं। जबकि कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं लचीलापन (तन्यता) दिखा रही हैं और मजबूत विकास का अनुभव कर रही हैं, कई अन्य पिछड़ रहे हैं, जिससे दुनिया भर में अलग-अलग विकास के पथ बन रहे हैं। विशेष रूप से, जापान एक महत्वपूर्ण पलटाव के दौर से गुजर रहा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में मजबूत विकास गति जारी है। हालांकि, यूरोजोन और चीन में आर्थिक गतिविधि मंद बनी हुई है, फिर भी सुधार के संकेत स्पष्ट हैं। अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने विकास पूर्वानुमानों को संशोधित कर बढ़ाया है।

प्रमुख संकेतक, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में पुनरुत्थान का भी संकेत देते हैं। वैश्विक समग्र पीएमआई ने मार्च 2024 में वृद्धि दर्शाई है, जो विनिर्माण और सेवा, दोनों क्षेत्रों में तेजी से विस्तार का संकेत देती है। मार्च 2024 में वैश्विक विनिर्माण पीएमआई 21 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सुधार को दर्शाता है और सरकारों और व्यवसायों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है।

मूल्य स्थिरता को बहाल करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में पर्याप्त बढ़ोतरी के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने आश्चर्यजनक लचीलापन (तन्यता) प्रदर्शित किया है, जो विकास प्रक्षेप पथ को बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्थाओं की ऐसे उपायों का सामना करने की क्षमता को दर्शाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, चालू वर्ष 23 की अंतिम तिमाही में जीडीपी 3.4 प्रतिशत की वार्षिक दर पर विस्तारित हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान जापान की वृद्धि में 1.2 प्रतिशत तक सुधार हुआ। ब्रिटेन की मासिक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में फरवरी 2024 में 0.1

*स्रोत:- World Economic Outlook, अप्रैल 2024

*स्रोत:- DEA Monthly Economic Review, मार्च 2024

*स्रोत:- World Economic Outlook, अप्रैल 2024

प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि जनवरी 2024 में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो मुख्य रूप से विनिर्माण विस्तार से प्रेरित होगी। इसके अतिरिक्त, वैश्विक विनिर्माण पीएमआई बढ़कर 50.6 प्रतिशत हो गया, जो जून 2022 के बाद से अपनी सबसे तेज गति तक पहुंच गया है, जिसे नए ऑर्डर प्रवाह में मजबूती से बढ़ावा मिला है। इंडोनेशिया, रूस और ब्राजील सहित विभिन्न ई एम डी ई में मजबूत वृद्धि देखी गई, तथा विनिर्माण पीएमआई संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में क्रमशः बाईस और दस महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। वैश्विक सेवा पीएमआई में भी पिछले वर्ष जुलाई से वृद्धि हुई है, विशेष रूप से वित्तीय सेवा प्रदाताओं के भीतर, मार्च 2024 में नौ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा, समग्र आर्थिक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्विक समग्र पी एम आई 52.3 पर रहा, जो जून 2023 के बाद से सबसे अधिक है। कुल नये ऑर्डर और नये निर्यात ऑर्डर दोनों में वृद्धि हुई है, जबकि व्यापारिक आशावाद नौ महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए संघर्ष के बावजूद, भू-राजनीतिक तनाव से उत्पन्न अस्थिरता और अनिश्चितता कम होती दिख रही है। भू-राजनीतिक जोखिम संकेतक, जो मार्च 2023 से बढ़ रहा था, फरवरी 2024 में गिर गया, जो जोखिम धारणाओं में कमी का संकेत देता है और विकास के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव कम हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप तार्किक चुनौतियों में भी कमी आई है। मविष्योन्मुखी संकेतक आशावाद और भावनाओं में सुधार की तस्वीर पेश करते हैं, जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए अनुकूल दृष्टिकोण का संकेत देते हैं।

1.1.1 वैश्विक मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति के संदर्भ में स्थिर गिरावट का अनुमान है, वैश्विक मुद्रास्फीति के 2023 में 6.8 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5.9 प्रतिशत और 2025 में 4.5 प्रतिशत होने की संभावना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के ईएमडीई की तुलना में शीघ्र ही मुद्रास्फीति लक्ष्यों पर लौटने का अनुमान है। मुख्य मुद्रास्फीति में आम तौर पर तीव्र क्रमिक गति से कमी होने का अनुमान है।

मार्च 2024 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सीपीआई मुद्रास्फीति एक वर्ष पहले इसी महीने की तुलना में बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गई, जो 0.4 प्रतिशत की लगातार तीसरी मासिक वृद्धि को दर्शाती है। यह उछाल मुख्य रूप से आश्रय और ऊर्जा घटकों के कारण हुआ, जिनका सामूहिक योगदान माह-दर-माह मुख्य लान में आधे से अधिक रहा। इसी

तरह, यूनाइटेड किंगडम में सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी 2024 में साल-दर-साल बढ़कर 3.4 प्रतिशत हो गई, जिसमें महीने-दर-महीने 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो आवास और घरेलू सेवाओं के ऊपर दबाव से प्रेरित थी।

मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने के बावजूद, बाजार में इस बात की प्रबल संभावना बनी हुई है कि वर्ष के अंत में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती का निर्णय लिया जाएगा। यह मनोभाव अप्रैल 2024 में आयोजित फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक से प्राप्त संकेतों और एफओएमसी प्रतिभागियों द्वारा उचित मौद्रिक नीति के आकलन के अनुरूप है, जो 2024 में कुल 75 आधार अंकों की ब्याज दर में कटौती का अनुमान लगाने वाले डॉट प्लॉट में परिलक्षित होती है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष के अंत में श्रम बाजार में पुनः संतुलन, मजदूरी में कमी तथा मुद्रास्फीति में कमी की उम्मीदें मजबूत बनी हुई हैं। अप्रैल 2024 में अपनी नवीनतम बैठक में, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने भी दर में कटौती का संकेत दिया क्योंकि यूरोजोन मुद्रास्फीति में गिरावट जारी है, जो कि उदार मौद्रिक नीति उपायों के प्रति व्यापक वैश्विक रुझान को रेखांकित करता है।

1.1.2 वैश्विक वस्तु मूल्य

मार्च 2024 में, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखी गई, जो ऊर्जा और गैर-ऊर्जा दोनों वस्तुओं के कारण हुई। दिसंबर 2023 से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का श्रेय आंशिक रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ओपेक देशों द्वारा 2024 के मध्य तक आपूर्ति बाधाओं को बनाए रखने के निर्णय को दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका में सुदृढ़ विकास संभावनाओं और चीन में सुधार के संकेतों से कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही, सात महीने की गिरावट के बाद मार्च में खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी तेजी देखी गई, जिसका मुख्य कारण वनस्पति तेलों की बढ़ती कीमतें थीं। खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि का कारण, प्रमुख उत्पादक देशों में उत्पादन में भीसमी गिरावट है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में मजबूत मांग के साथ मेल खाती है।

वैश्विक वस्तु मूल्य सूचकांक में माह-दर-माह 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो ऊर्जा में 2 प्रतिशत तथा गैर-ऊर्जा वस्तुओं में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि से प्रेरित है। कच्चे तेल की कीमतें 83.5 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई, जो पिछले महीने की तुलना में 3.7 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के खाद्य मूल्य सूचकांक में लगातार गिरावट के बाद, मार्च 2024 में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण वनस्पति तेल की कीमतों में 8 प्रतिशत की वृद्धि थी। ये रुझान

¹स्रोत - World Economic Outlook, अप्रैल 2024

²स्रोत - DEA Monthly Economic Review, मार्च 2024

भू-राजनीतिक गतिशीलता, आपूर्ति बाधाओं और वैश्विक वस्तु बाजारों को आकार देने वाले मांग-पक्ष कारकों के जटिल आपसी प्रभाव को दर्शाते हैं।¹

1.1.3 वैश्विक आर्थिक परिवेश

वर्तमान आर्थिक परिवेश में वैश्विक आर्थिक नरमी की उम्मीदें तथा मुद्रास्फीति में निरन्तर कमी की संभावना है, जिससे परिवारों और व्यवसायों को उच्च व्याज दरों के बावजूद कम लागत पर वित्तपोषण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष की बैंकिंग उथल-पुथल को नियंत्रित करने से भी आश्वासन मिला है। ऐतिहासिक मानकों के अनुसार, यह स्थिति असामान्य है, तथा यह उन पिछले उदाहरणों के विपरीत है, जहां मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए मौद्रिक नीति को काफी कठोर करने से मंदी और सख्त वित्तीय स्थिति पैदा हुई थी। यद्यपि, मुद्रास्फीति के लक्ष्य स्तर पर लौटने के साथ ही बाजार में लचीली और मामूली वृद्धि की उम्मीद है।

इस आशावाद के बावजूद, तेजी से आस्तियों के पुनर्मूल्यन निर्धारण की संभावना बनी हुई है, जिसमें नीतिगत बदलाव, भू-राजनीतिक तनाव और वस्तुओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान शामिल हैं, जो मुद्रास्फीति की गति और मौद्रिक नीति के संबंध में अपेक्षाओं में बदलाव लाने में सक्षम हैं। नतीजतन, वित्तीय स्थिति अचानक कड़ी हो सकती है, जिससे निवेशकों की धारणा में कटुता आ सकती है और आस्तियों मूल्य सहसंबंधों में गिरावट आ सकती है। कम अनुकूल वित्तीय वातावरण, चुनौतीपूर्ण पुनर्वित्त स्थितियों का सामना कर रहे वाणिज्यिक रियल एस्टेट के कुछ क्षेत्रों में मौजूदा दुर्बलताओं को विशेष रूप से बढ़ा सकता है।

वैश्विक वित्तीय परिस्थितियों के सख्त होने से उभरते बाजारों पर पूंजी बहिर्वाह का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मुद्रा और अन्य आस्तियों का मूल्यहास हो सकता है। यद्यपि प्रमुख उभरते बाजारों ने हाल के वर्षों में व्याज दरों में वृद्धि के प्रति लचीलापन (तन्यता) प्रदर्शित किया है, फिर भी कमजोर संप्रभु देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण स्रोतों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मध्यम अवधि में, आसान वित्तीय स्थितियां वित्तीय दुर्बलताओं के संचय में योगदान दे सकती हैं, जिसमें सरकारों और निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं द्वारा अत्यधिक ऋण उपयोग भी शामिल है। निजी ऋण बाजारों की अपारदर्शिता, विशेष रूप से हाल के वर्षों में, निजी ऋण में वृद्धि के संबंध में अतिरिक्त चिंताएं प्रस्तुत करती है।

नीतिगत उपायों से इन जोखिमों और दुर्बलताओं को कम किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत मुद्रास्फीति की उम्मीदों और मौद्रिक नीति में ढील के प्रति सतर्क दृष्टिकोण

से की जा सकती है। वित्तीय विनियामक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्थाएं तनाव परीक्षण, शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाई और उन्नत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के माध्यम से, विशेष रूप से निजी ऋण बाजार जैसे क्षेत्रों में, चूक और अन्य जोखिमों का सामना कर सकें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत विवेकपूर्ण मानकों का कार्यान्वयन, जैसे कि बेसल-III और वसूली और समाधान ढांचे पर प्रगति कमजोर संस्थानों से गिरावट को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

राजकोषीय समेकन सहित ऋण दुर्बलताओं को नियंत्रित करने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से उभरते बाजारों के लिए तथा पूंजी बहिर्वाह और वित्त पोषण की कमी को न्यून करने के लिए सीमांत अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। जबकि वैश्विक वृद्धि वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण में वैश्विक मुद्रास्फीति में गिरावट के साथ सुधार हुआ है, अतः नीति निर्माताओं को सतर्क रहना चाहिए और प्रतिकूल परिदृश्यों के लिए तैयार रहना चाहिए। 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से अनुभव किए गए प्रतिकूलताओं की श्रृंखला को देखते हुए संभावित भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विवेकपूर्ण नीतिगत उपाय और तत्परता आवश्यक है।²

1.1.4 वैश्विक बॉन्ड और इक्विटी बाजार

वैश्विक वित्तीय स्थितियों के सहज होने से अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं और निम्न आय वाले देशों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे अत्यधिक फल-प्रदायी संप्रभुता प्रसार ने 2023 में ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद हाल ही में निवेश-ग्रेड प्रसार से बेहतर प्रदर्शन किया है। यह प्रवृत्ति कई देशों में अगले दो वर्षों में परिपक्व होने वाली हार्ड करेंसी बॉन्ड की बड़ी संख्या के बीच हो रही है। स्थानीय बैंकिंग संस्थानों ने संप्रभु ऋण की अपनी हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि कर दी है, जिससे बाह्य बाजारों तक पहले से सीमित पहुंच के कारण संप्रभु बैंक गठजोड़ से संभावित-जोखिम पैदा हुए हैं।

केंद्रीय बैंकों जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर मात्रात्मक रूप से सख्त प्रयासों ने सरकारी बांड के लिए खरीदार आधार को स्थानांतरित कर दिया है। बचाव निधि सहित नए सीमांत खरीदारों के उदभव से मूल्य संवेदनशीलता बढ़ी है और ऋण स्थिरता पर ध्यान दिया गया है, जो बॉन्ड बाजारों में मध्यम अवधि के उतार-चढ़ाव में संभावित रूप से योगदान कर सकता है। कुछ देशों को बकाया सॉवरेन ऋण की पूर्ति करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मौजूदा ऋण संबंधी मुद्दे बढ़ सकते हैं।

¹स्रोत - DEA Monthly Economic Review, मार्च 2024

²स्रोत - Global Financial Stability Report (GFSR), अप्रैल 2024

अधिकांश बैंकों ने मार्च 2023 की उथल-पुथल के दौरान लचीलापन (तन्मयता) प्रदर्शित किया है, फिर भी प्रमुख जोखिम संकेतक बताते हैं कि बैंकों का एक उपसमूह असुरक्षित बना हुआ है, जिसमें विशेष रूप से चीनी और अमेरिकी बैंक शामिल हैं। हाल के वर्षों में गैर-बैंकों, विशेष रूप से असीमित अवधि वाली निधियों में महत्वपूर्ण निवेश हुआ है, जिससे वैश्विक वित्तीय संकट से पहले देखी गई तरलता परिवर्तनों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।

बढ़ते डिजिटलीकरण और मू-राजनीतिक तनाव के साथ, दुर्भावनापूर्ण इरादे से की जाने वाली साइबर घटनाएं वृहद-वित्तीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। केंद्रीय बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे समय से पहले मौद्रिक नीति में ढील देने से बचें तथा नीतिगत दरों में कटौती के लिए बाजार की अति आशावादी अपेक्षाओं के विपरीत कदम उठाएं, तथा इसके बजाय अधिक तटस्थ नीतिगत रुख की ओर क्रमिक बदलाव पर ध्यान केंद्रित करें। बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों में लचीलापन (तन्मयता) सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी और विनियामक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ उभरते बाजारों में ऋण संबंधी दुर्बलताओं को रोकने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

वैश्विक इक्विटी बाजारों ने जापान और अमेरिका में सबसे बड़े लाम के साथ व्यापक स्तर पर परिवर्तन का अनुभव किया है। बाजार में नरमी के प्रति आशावाद ने आर्स्टि की कीमतों को समर्थन दिया है, विशेष रूप से कॉर्पोरेट क्षेत्र में, जो सकारात्मक आय संभावनाओं और निवेशक आशावाद से प्रेरित है। वित्तीय स्थितियाँ बेहतर हुई हैं, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, जबकि उभरते बाजारों में विनिमय दरों में मामूली उतार-चढ़ाव के कारण विदेशी वित्तपोषण जोखिम कम हुआ है। कुछ राहत के बावजूद, चीन में वित्तीय स्थिति विकास और संपत्ति क्षेत्र की समस्याओं के कारण कुछ हद तक कठिन बनी हुई है।

1.2 घरेलू अर्थव्यवस्था

वैश्विक परिदृश्य के सतर्क मूल्यांकन के विपरीत, भारतीय अर्थव्यवस्था ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विकास सहित सशक्त आर्थिक प्रदर्शन जारी रखा है। ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो आगामी कुछ वर्षों में एशिया के विकास पथ को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। आरबीआई ने अपनी नवीनतम एमपीसी बैठक (अप्रैल 2024) में अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास की गति को स्वीकार करते हुए वर्ष 2024-25 के लिए 7 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है जिसे

सशक्त निवेश गतिविधि द्वारा रेखांकित किया गया है। इस वृद्धि से ग्रामीण माँग में वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर गति के प्रेरित होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूईओ ने वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत और 2025-26 में 6.5 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, जो घरेलू माँग में निरंतर वृद्धि और कामकाजी उम्र की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। मई 2022 से फरवरी 2023 के दौरान 250 आधार अंकों (बीपीएस) की संचयी दर वृद्धि सहित एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है, ताकि मुद्रास्फीति विकास का समर्थन करते हुए लक्ष्य के साथ क्रमिक रूप से संरेखन सुनिश्चित किया जा सके।

उपभोक्ता और निवेशक धारणा में भी विकास की संभावनाओं के प्रति आशावाद स्पष्ट है। नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार संभावनाओं के बारे में परिवारिक भावनाओं में वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 दोनों के लिए काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र अपनी गति बनाए रखने के लिए तैयार है, जिसे सतत लाभप्रदता और ग्रामीण माँग में वृद्धि का समर्थन प्राप्त है।

पिछले दशक के दौरान, भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन का अनुभव किया है और विश्व में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2014 से 2024 तक के संरचनात्मक सुधारों के परिणामस्वरूप मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ, जिससे भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली जी-20 अर्थव्यवस्था बन गया। अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत (वित्त वर्ष 22) और 7.2 प्रतिशत (वित्त वर्ष 23) महामारी के बाद मजबूत सुधार को दर्शाती है।

प्रमुख उपलब्धियों में शहरी बेरोजगारी में कमी, रिकार्ड स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि (विशेष रूप से लड़कियों के लिए), तथा कच्चे तेल की कीमतों का सफल प्रबंधन शामिल हैं। यूक्रेन में संघर्ष और मध्य पूर्व में तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया और आर्थिक सुधारों ने भारत की उन्नति में सहायता की है। राजकोषीय, मौद्रिक और स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने से राज्यों द्वारा सतत आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और पूंजीगत व्यय में योगदान मिला है।

1.2.1 भारत में वृहद-आर्थिक विकास

पिछले दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि व्यापक सुधारों और

¹स्रोत: Global Financial Stability Report (GFSR), अप्रैल 2024

²स्रोत: RBI MPC Report, जून 2024

³स्रोत: RBI Monthly Bulletin, मई 2024

⁴स्रोत: The Indian Economy - A Review (DEA)

⁵स्रोत: RBI Monthly Bulletin, मार्च 2024

नीतियों से प्रेरित रही है। सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के पुनरुत्थान, व्यापार के अनुकूल परिस्थितियों और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से विकास क्षमता को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार, जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत, तथा दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) का कार्यान्वयन, ने तुलन-पत्र को पारदर्शी करने तथा नागरिकों पर अप्रत्यक्ष कर का बोझ कम करने में मदद की है।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 और जीएसटी जैसे कर नीति सुधारों सहित विनियामक ढांचे के सरलीकरण से पारदर्शिता लाने, काला धन परिसंचरण कम करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में और अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद मिली है। सरकार ने विकास में सहभागी के रूप में निजी क्षेत्र को भी सफलतापूर्वक शामिल किया है तथा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों जैसी पहल शुरू की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लघु आर्थिक अपराधों के गैर-अपराधीकरण से कारोबार करने में आसानी हुई और एम एस एम ई पर लक्षित सुधारों से छोटे व्यवसायों को समर्थन मिला है। सड़कों, बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्ग, रेलवे और हवाई अड्डों के विद्युतीकरण सहित बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि ने लंबे समय से चली आ रही अड़चनों को दूर किया है।

प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफार्मों ने भारत के विकास, औपचारिकीकरण, वित्तीय समावेशन और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं, ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव तथा कुशल कार्यबल की आवश्यकता शामिल हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में किए जा रहे प्रयास जैसे सरकारी पहल से चुनौतियों से निपटने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।

भारत का विकास परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है, जिसे व्यापक आर्थिक स्थिरता, उद्यमशीलता अनुकूल नीतियों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रयासों से समर्थन मिल रहा है। वैश्विक मंचों, अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी अपनाने में देश की उपलब्धियां विश्व मंच पर इसके बढ़ते महत्त्व को दर्शाते हैं।

भारत की आर्थिक तन्म्यता (लचीलापन), जिसे रिकवर करने और बढ़ने की अपनी क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 21 में महामारी के कारण संकुचन के बाद स्पष्ट हुआ है। भारतीय

अर्थव्यवस्था ने लगातार दो वर्षों तक 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है तथा वित्त वर्ष 2024 में तीसरे वर्ष भी इसे दोहराने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही की तुलना में वास्तविक रूप से 7.6% की वृद्धि हुई है। यह लचीलापन (तन्म्यता) आर्थिक विकास से भी आगे तक फैला हुआ है, जैसा कि बेरोजगारी दरों में गिरावट और उच्च आवृत्ति संकेतकों में परिलक्षित बढ़ती आर्थिक गतिविधियों में देखा गया है।

लचीला खपत आधार पीएफसीई (निजी अंतिम उपभोग व्यय) में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ, जो टिकाऊ वस्तुओं, अर्ध-टिकाऊ वस्तुओं और सेवाओं में संतुलित है। संरचनात्मक सुधारों, डिजिटलीकरण और समावेशी नीतियों ने आर्थिक विकास में और अधिक योगदान दिया है। सरकार के कल्याणकारी दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी पहलों ने ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम कर दिया है, जिससे ग्रामीण आबादी की आकांक्षाओं और व्यय शक्ति में वृद्धि हुई है। इससे समग्र आर्थिक लचीलापन (तन्म्यता) जारी रहने की उम्मीद है, तथा इससे जिसे सकारात्मक विकास परिदृश्य, बुनियादी ढांचा निवेश और मौजूदा नीतिगत सुधारों से समर्थन मिलेगा।

भारत में निवेश का माहौल हाल के वर्षों में बदल गया है और निवेश आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण वाहक बन गया है। निवेश दर, जिसे सहस्राब्दि के दूसरे दशक में अनिश्चित ऋण प्रथाओं के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, फिर से इसमें पिछले तीन वर्षों में उछाल आया है। सुधारों और तुलन-पत्र को सुदृढीकरण करने सहित सरकार के प्रयासों ने सकारात्मक आर्थिक परिणामों में योगदान दिया है।

पिछले तीन वर्षों में निवेश दर में उछाल आया है, जो सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वित्त वर्ष 2016 के स्तर से अधिक है। गैर-खाद्य बैंक ऋण वृद्धि में उछाल आया है, जो वित्त वर्ष 23 में 13 प्रतिशत तक पहुंच गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2015 में 5.6 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 18.6 लाख करोड़ हो गया। सकल नियत पूंजी निर्माण में सबसे बड़ा हिस्सा घरेलू क्षेत्र के निवेश का है, जिसने निवेश दर की वृद्धि में योगदान दिया है।

बैंकिंग क्षेत्र ने ऋण वृद्धि के साथ लचीलापन (तन्म्यता) दिखाया है, जिससे जमा वृद्धि में तेजी आई है। बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति में सुधार का श्रेय आरित गुणवत्ता समीक्षा (एव्यूआर) और आईबीसी जैसे सुधारों को दिया गया है। पुनर्पूँजीकरण, विनियामक उपायों और ईसीएलजीएस जैसी पहलों ने ऋण सृजन का समर्थन किया है। एनपीए में गिरावट आई है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आरितियों

और इक्विटी पर निवल ब्याज मार्जिन और प्रतिलाम (रिटर्न) में सुधार देखा है।

बॉन्ड के क्षेत्र में, 10 साल के अमेरिकी राजकोषीय प्रतिलाम और भारत के 10 साल के सार्वभौमिक बॉन्ड प्रतिलाम के बीच प्रसार की स्थिरता, सरकार के राजकोषीय अनुशासन और आरबीआई के प्रभावी मुद्रास्फीति प्रबंधन के कारण, भारत के मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी ढांचे में योगदान दिया है। कॉरपोरेट बांड बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, क्योंकि वित्त वर्ष 2023 में जारी बांड वित्त वर्ष 2014 की तुलना में 2.9 गुना अधिक थे। वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 23 के बीच बकाया कॉरपोरेट बॉन्ड में 12.8 प्रतिशत की सीएजीआर से वृद्धि हुई, और बाजार के वित्त वर्ष 24 में 43 लाख करोड़ से दोगुना होकर वित्त वर्ष 30 में 100-120 लाख करोड़ हो जाने की उम्मीद है।

आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, इनविट, रीट्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए सेबी के नियम और बड़ी कंपनियों के लिए अनिवार्य ऋण प्रतिभूतियों जारी करने जैसी पहलों ने बॉन्ड बाजार के विस्तार और गहनता में योगदान दिया है। इस बात से निवेशकों का हित स्पष्ट है, कि भारत के सॉवरेन बांड को जे. पी. मॉर्गन ने अपने व्यापक रूप से ट्रैक किए जा रहे उभरते बाजार सरकारी बांड सूचकांक में शामिल किया है, जिससे अधिक निवेश आकर्षित होने और सरकारी ऋण लागत में कमी आने की उम्मीद है।

भारत के वित्तीय बाजारों में देश की पूंजी निवेश जरूरतों के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। इन बाजारों तक पहुंच बढ़ाने से निवेश में विविधता लाने और बचत में अधिक सुरक्षित वृद्धि करने में व्यापक निवेशक आधार संक्षम होगा। हालांकि, वित्तीय अस्थिरता में निवेश के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता पर जोर देना आवश्यक है।

सामाजिक सक्षमकर्ताओं के संदर्भ में, बाल टीकाकरण और स्वच्छता में निवेश ने समाज के सबसे कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को लाभान्वित करते हुए सकारात्मक बाह्यता प्राप्त की है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है, जिसमें दिसंबर 2023 में अटल पेंशन योजना का अभिदाता आधार 6.1 करोड़ तक पहुंच गया है।¹

1.2.2 घरेलू मुद्रास्फीति

मार्च 2024 में, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर फरवरी 2024 में 5.1 प्रतिशत से घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई। यह गिरावट मुख्य रूप से ईंधन की कीमतों में महीने-दर-महीने

2.6 प्रतिशत की कमी के कारण हुई थी, जो खाद्य और मुख्य क्षेत्र (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) दोनों समूहों में मामूली वृद्धि की भरपाई करती थी। खाद्य मुद्रास्फीति भी फरवरी में 7.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 में 7.7 प्रतिशत हो गई, जिसमें फलों, सब्जियों, दालों और मसालों की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। इसके विपरीत, अनाज, मांस और मछली की कीमतों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, जबकि तेल और वसा में अपस्फीति संकुचित हो गई। ईंधन और प्रकाश समूह की कीमतों में अपस्फीति फरवरी के -0.8 प्रतिशत से बढ़कर मार्च में -3.2 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण एल.पी.जी. की कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट थी। मार्च में मूल मुद्रास्फीति और घटकर 3.3 प्रतिशत हो गई, जो वर्तमान सीपीआई श्रृंखला में सबसे कम है, तथा व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव, तथा मनोरंजन और आमोद-प्रमोद को छोड़कर विभिन्न उप-समूहों में मुद्रास्फीति में नरमी आई है। क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण सीपीआई मुद्रास्फीति मामूली रूप से बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरी सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर 4.1 प्रतिशत हो गई। उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य आंकड़ों ने अनाज की कीमतों में मामूली गिरावट का संकेत दिया है, जबकि दालों की कीमतों में वृद्धि जारी रही। खाद्य तेल की कीमतें, जो लगातार घट रही थीं, स्थिर हो गईं। मार्च 2024 के पीएमआई ने विनिर्माण और सेवा फर्मों में इनपुट लागत में वृद्धि दिखाई, जिसमें सेवा फर्मों ने साढ़े छह वर्षों में सबसे तेज मूल्य वृद्धि का अनुभव किया। इसके अतिरिक्त, आरबीआई के नवीनतम मुद्रास्फीति सर्वेक्षण से पता चला है कि तीन महीने और एक वर्ष की अवधि के लिए परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं में 20 आधार अंकों की कमी आई है।²

1.2.3 मौद्रिक प्रबंधन

एमपीसी की अक्टूबर 2023 की बैठक के दौरान, वैश्विक विकास और व्यापार में गति कम होती देखी गई, जबकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही, हालांकि इसमें धीरे-धीरे कमी आ रही है। लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों और वित्तीय स्थितियों पर उनके प्रभाव के बारे में चिंताओं के बावजूद, जुलाई 2023 में सब्जियों की कीमतों में उछाल के कारण घरेलू हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ गई, हालांकि मूल मुद्रास्फीति में नरमी आई। एमपीसी ने सब्जियों की कीमतों में वृद्धि की क्षणिक प्रकृति की आशंका को देखते हुए 2023-24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। बाह्य चुनौतियों के बावजूद, घरेलू आर्थिक गतिविधि ने लचीलापन (तन्यता) प्रदर्शित किया, जिसके परिणामस्वरूप 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बना रहा। एमपीसी ने खाद्य कीमतों में वृद्धि से

¹स्रोत—The Indian Economy - A Review (DEA)

²स्रोत—RBI State of the Economy, मार्च 2024

मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की तथा सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया, जिसमें 5-1 के बहुमत से विकास को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप लाने के लिए समायोजन वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया गया।

दिसंबर 2023 की बैठक तक, घटती वैश्विक मुद्रास्फीति ने उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मौद्रिक नीति चक्र में उलटफेर की उम्मीदों को बढ़ावा दिया है। सॉवरेन बांड प्रतिफल में गिरावट, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी तथा वैश्विक इक्विटी बाजारों में मजबूती के साथ-साथ बाजार की धारणा में सुधार देखा गया। भारत में, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्टूबर 2023 में घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई, जो पिछली तिमाही में औसतन 6.4 प्रतिशत थी। एमपीसी ने 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 7.0 प्रतिशत कर दिया, जबकि मुद्रास्फीति अनुमान को 5.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा। खाद्य कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बावजूद, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया, ताकि समायोजन वापस लेने का रुख जारी रखा जा सके।

फरवरी 2024 की बैठक में, सब्जियों की कीमतों में उछाल के कारण दिसंबर 2023 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गई, जबकि मूल मुद्रास्फीति चार साल के निचले स्तर 3.8 प्रतिशत पर आ गई। एमपीसी ने सामान्य मानसून मानते हुए 2024-25 में सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। एनएसओ द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमान (एफएई) के अनुसार 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.3 प्रतिशत रखी गई, जबकि 2024-25 के लिए 7.0 प्रतिशत का अनुमान है। एमपीसी ने 5-1 के बहुमत से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा, जबकि समायोजन वापस लेने का रुख बरकरार रखा। वैश्विक विकास में लचीलापन (तन्यता), भूराजनीतिक तनाव और मौद्रिक नीति के बारे में अनिश्चितताओं के बावजूद वैश्विक वित्तीय बाजारों पर प्रभाव जारी है। ईएमडीई में वृद्धि की संभावनाएं आशाजनक बनी हुई हैं, हालांकि कमजोर वैश्विक मांग, व्यापार बाधाओं, अस्थिर पूंजी प्रवाह और कठिन वित्तीय स्थितियों के कारण इसमें गिरावट का जोखिम बना हुआ है। केंद्रीय बैंकों से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी मौद्रिक नीतियों में सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करें, ताकि मुद्रास्फीति को लक्ष्य स्तर तक लाने में सहायता मिले तथा विकास में सुधार को बढ़ावा दिया जा सके।¹⁰

चरम मौसम की घटनाएं बढ़ने के कारण वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के ठोस आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को दृष्टिगोचर करता है। यह मौद्रिक नीति को भी प्रभावित करता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन विभिन्न माध्यमों से प्रकट होता है। सबसे पहले, यह प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर मुद्रास्फीति को सीधे प्रभावित करता है। दूसरे, बढ़ते तापमान और चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि से उत्पन्न विकसित जलवायु गतिशीलता ब्याज की प्राकृतिक दर और उत्पादकता के साथ-साथ संभावित उत्पादन को भी कम कर सकती है। तीसरे, जलवायु परिवर्तन के बाद परिवारों और फर्मों के लिए वित्तपोषण परिदृश्य को आकार देने में मौद्रिक नीति कार्यों की प्रभावकारिता में कमी आ सकती है। इसलिए, केंद्रीय बैंक जलवायु जोखिमों के स्पष्ट विचारों को अपने विश्लेषणात्मक ढांचे में तेजी से एकीकृत कर रहे हैं।

सक्रिय जलवायु शमन उपायों की अनुपस्थिति में, दीर्घकालिक उत्पादन के प्रक्षेपक्रम में जलवायु परिवर्तन से बंचित परिदृश्य की तुलना में 2050 तक लगभग 9 प्रतिशत की कमी होने की संभावना है जिसमें अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के भीतिक जोखिमों का पूर्ण हस्तांतरण है। साथ ही, मुद्रास्फीति और इसकी अस्थिरता दोनों में समय के साथ वृद्धि हो सकती है। उत्पादकता में गिरावट से ब्याज की प्राकृतिक दर में कमी आ सकती है। इसके अतिरिक्त, बार-बार होने वाले मुद्रास्फीति संबंधी झटकों के कारण ब्याज की घटती प्राकृतिक दर के लिए भी अधिक सख्त मौद्रिक नीति रवैया अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, यदि मुद्रास्फीति का उन्माद बढ़ जाता है, तो मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं में कमी आ सकती है।¹¹

1.3 भारतीय वित्तीय बाजार

वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच भारत में घरेलू वित्तीय बाजार अपेक्षाकृत स्थिर रहे। मुद्रा बाजार की दरों को तरलता में परिवर्तन के अनुसार समायोजित किया गया, जबकि घरेलू घटनाक्रमों के अनुरूप दीर्घकालिक सरकारी बांडों पर प्रतिफल में कमी की गई। वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में निवेशकों ने मौद्रिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया अतः वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता प्रदर्शित हुई। अक्टूबर 2023 से सॉवरेन बांड प्रतिफल में शुरुआत में कमी आई, लेकिन जनवरी 2024 से इसमें पुनः बढ़त होने लगी।

इसके बावजूद, कई उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक इक्विटी बाजारों में उछाल बरकरार रहा। मुद्रा बाजारों में, वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में कड़ी श्रम बाजार स्थितियों, मुद्रास्फीति में कमी,

¹⁰स्रोत— RBI MPC Report, अप्रैल 2024

¹¹स्रोत— RBI MPC Report, अप्रैल 2024

मजबूत आर्थिक विकास तथा फेडरल रिजर्व की नीतिगत रुख के संबंध में तीखी टिप्पणियों के कारण अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ। नतीजतन, पूंजी प्रवाह में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव के बीच उभरते बाजार की मुद्राओं में अस्थिरता देखी गई। इसके विपरीत, इस अवधि के दौरान घरेलू वित्तीय बाजार अपेक्षाकृत स्थिर रहे। मुद्रा बाजार की दरों को चलनिधि में परिवर्तन के अनुरूप समायोजित किया गया, जबकि घरेलू कारकों के कारण दीर्घकालिक सरकारी बांडों पर प्रतिफल में कमी आई। इक्विटी बाजारों में कमी-कमार सुधार के साथ लचीलापन (तन्म्यता) दिखा और प्रमुख उभरते बाजारों की मुद्राओं के बीच भारतीय रुपये में सबसे कम अस्थिरता देखी गई। इसके अतिरिक्त, बैंक ऋण में वृद्धि ऋण बाजार में जमा विस्तार से आगे निकल गई, जो उधार गतिविधियों में मजबूती का संकेत है।¹

1.3.1 जी-सेक बाजार

वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के प्रतिफल में नरमी का रुख देखने को मिला, जो घरेलू और वैश्विक कारकों के संयोजन से प्रभावित था। प्रारंभ में, वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में, प्रतिफल में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन बाद में इसमें नरमी आई, जिसके पीछे अक्टूबर और नवंबर के लिए अपेक्षा से कम घरेलू सीपीआई प्रिट, कच्चे तेल की कीमतों में कमी, प्रमुख वैश्विक उभरते बाजार सूचकांक में भारतीय सरकार के बांडों को प्रस्तावित रूप से शामिल किए जाने तथा अमेरिकी प्रतिफल में गिरावट जैसे कारक जिम्मेदार थे। विशेष रूप से 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल तीसरी तिमाही में 2 आधार अंक (बीपीएस) की गिरावट के साथ 7.20 प्रतिशत पर बंद हुआ। अंतरिम बजट 2024-25 में सकल बाजार उधारी में कमी की घोषणा के बाद फरवरी 2024 के प्रतिफल और डील के साथ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की अनुमानित आपूर्ति में कमी के कारण यह कमी जनवरी 2024 तक जारी रही। कुल मिलाकर, 10-वर्षीय जी-सेक का प्रतिफल चौथी तिमाही में 13 आधार अंक घटकर 7.07 प्रतिशत रह गया, जो वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 15 आधार अंक की संचयी गिरावट को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, चलनिधि की लंगी की स्थिति के बीच राजकोष बिल (टी-बिल) की प्राप्ति के सभी परिपक्वता काल में मजबूती का रुख देखा गया। इसके बावजूद, वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार की मात्रा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बढ़ गई, जो कि प्रतिफल में नरमी को दर्शाती है। जी-सेक के लिए कारोबारी परिपक्वता पर भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) में 11 बीपीएस की गिरावट आई, जबकि

टी-बिल पर वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में 31 बीपीएस की वृद्धि हुई। प्रतिफल में यह नरमी सम्पूर्ण परिपक्वता काल में परिलक्षित हुई, जैसा कि वक्र के नीचे की ओर खिसकने से संकेत मिलता है, जिसमें प्रतिफल के औसत स्तर में 22 बीपीएस की नरमी तथा ढलान में 37 बीपीएस की समतलता देखी गई।²

1.3.2 कॉर्पोरेट बांड बाजार

वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान, कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल में सामान्य कसावट देखी गई, जबकि स्प्रेड में वृद्धि हुई, जो कि तरलता संबंधी बाधाओं और उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण को प्रभावित करने वाले विनियामक उपायों से प्रभावित था। उल्लेखनीय रूप से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा जारी एएए-रेटेड 3-वर्षीय बांडों पर औसत प्रतिफल में 2 आधार अंकों की कमी (7.63 प्रतिशत) आई, जो सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में कमी को दर्शाता है। इसके विपरीत, एनबीएफसी और कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी बॉन्ड पर प्रतिफल सितंबर 2023 की तुलना में मार्च 2024 में क्रमशः 14 आधार अंक (7.98 प्रतिशत) और 12 आधार अंक (7.95 प्रतिशत) बढ़ गया, जो एनबीएफसी पर सख्त नियमों का संकेत है। जोखिम प्रीमियम, जिसे 3-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल पर प्रसार के रूप में मापा जाता है, सभी क्षेत्रों में बढ़ गया, जिसमें पीएसयू, एफआई और बैंकों में वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान क्रमशः 33 आधार अंकों से 44 आधार अंकों की वृद्धि देखी गई, एनबीएफसी में 51 आधार अंकों से 80 आधार अंकों की वृद्धि हुई, और कॉर्पोरेट में 51 आधार अंकों से 77 आधार अंकों की वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही (फरवरी 2024 तक) के दौरान सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बांडों का प्राथमिक निर्गम पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹ 3.9 लाख करोड़ से घटकर ₹ 3.6 लाख करोड़ हो गया। हालाँकि, विदेशी निर्गमों में वृद्धि देखी गई। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में लगभग सभी संसाधन जुटाना (97.9 प्रतिशत) निजी प्लेसमेंट मार्ग (फरवरी 2024 तक) के माध्यम से हुआ। एफ पी आई ने कॉर्पोरेट बॉन्ड में अपने निवेश को मामूली रूप से बढ़ाकर मार्च 2024 के अंत तक ₹ 1.08 लाख करोड़ कर दिया, जो सितंबर 2023 के अंत तक ₹ 1.03 लाख करोड़ था, साथ ही स्वीकृत सीमा का उपयोग 15.4 प्रतिशत से बढ़कर 16.2 प्रतिशत हो गया। वैश्विक बांड सूचकांकों में भारत के शामिल होने से पहले सॉवरेन ऋण खंड में एफपीआई प्रवाह बढ़ने के बावजूद, इस रुझान का कॉर्पोरेट ऋण बाजार पर कोई खास असर नहीं पड़ा। द्वितीयक बाजार गतिविधि में मामूली वृद्धि देखी गई, वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही (फरवरी 2024 के अंत तक) के दौरान दैनिक औसत व्यापार मात्रा 5,500 करोड़ तक पहुंच गई, जो

¹ स्रोत—RBI Monthly Bulletin, मार्च 2024

² स्रोत—RBI MPC Report, अप्रैल 2024

³ स्रोत—RBI MPC Report, अप्रैल 2024

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि है।¹

1.3.3 इक्विटी बाजार

इक्विटी बाजारों में किंचित सुधार के साथ उछाल देखा गया और भारतीय रुपये (आईएनआर) ने प्रमुख उभरती बाजार मुद्राओं के बीच सबसे कम अस्थिरता का प्रदर्शन किया। बैंक ऋण वृद्धि ने ऋण बाजार में जमा विस्तार को गति दी है। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी का पी/ई अनुपात पिछले महीने की तुलना में मार्च 2024 में क्रमशः 25.0 और 22.9 हो गया।² 2023-24 की दूसरी छमाही में, ओवरनाइट मुद्रा बाजार दरों ने शुरुआत में सीमांत स्थायी सुविधा दर को प्रतिबिंबित किया, जो उच्च सरकारी नकदी शेष और बढ़ी हुई मुद्रा मांग के कारण कठिन चलनिधि की स्थिति को दर्शाती है। नू-राजनीतिक तनावों के कारण शुरुआती गिरावट के बावजूद, सकारात्मक कॉर्पोरेट आय और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण घरेलू इक्विटी बाजारों में उछाल आया। यद्यपि वैश्विक शिपिंग चैनलों में व्यवधान और केंद्रीय बैंकों की

सतर्क टिप्पणियों ने बाजार की धारणा को थोड़े समय के लिए प्रभावित किया, लेकिन घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति में नरमी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों ने फरवरी और मार्च 2024 की शुरुआत में घरेलू इक्विटी बाजारों में तेजी बनाए रखी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नरम टिप्पणियों के बाद विनियामकीय चिंताओं के बीच मार्च में भारतीय शेयर बाजारों में रुक-रुक कर सुधार हुआ। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान 11.9 प्रतिशत बढ़कर 73,651 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक क्रमशः 21.6 प्रतिशत और 14.9 प्रतिशत बढ़ गए। एफपीआई के उतार-चढ़ाव के बावजूद इस अवधि के दौरान विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशक शेयरों में शुद्ध खरीदार बने रहे। म्यूचुअल फंड के माध्यम से एसआईपी योगदान प्रत्येक माह नई ऊंचाई पर पहुंचता रहा। 2023 की दूसरी छमाही के दौरान इक्विटी बाजारों में प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में एसएमई आईपीओ/एफपीओ के माध्यम से जुटाई गई निधि में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।³

चार्ट 1.1 इक्विटी सूचकांकों में उतार-चढ़ाव
एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 का उतार चढ़ाव



स्रोत: बीएसई और एनएसई

नोट: दोनों सूचकांकों को 31 मार्च 2023 तक 100 पर अनुक्रमित किया गया है।

¹स्रोत: SEBI Monthly Bulletin, मार्च 2024

²स्रोत: RBI MPC Report, अप्रैल 2024

1.4 वैश्विक पेंशन बाजारों की समीक्षा

ओईसीडी देशों में, 18 प्रतिशत जनसंख्या 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की थी, जिसके वर्ष 2050 तक 27 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। ऐतिहासिक रूप से, नीति निर्माताओं ने वृद्धावस्था और वृद्धावस्था सुरक्षा के वित्तपोषण के वित्तीय प्रभावों पर ध्यान केंद्रित कर वित्तीय एवं सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पेंशन सुधार लागू किए हैं। कई ओईसीडी देशों ने पूरक निजी वित्त पोषित पेंशन की शुरुआत कर इसे बढ़ावा देकर प्रणालीगत अंशदान बढ़ाने और भुगतान को कम करने के लिए सेवाकाल का विस्तार करने के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया है।

पिछले एक दशक में वृद्ध श्रमिकों के रोजगार और रोजगारदेयता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और यह प्राथमिकता व्यापक श्रम की कमी के कारण कोविड के बाद तेज हो गई है। आर्थिक मंदी के बावजूद, वर्ष 2023 में

नौकरियां बढ़ गई हैं। प्रत्युत्तर में कई ओईसीडी देशों ने वैधानिक सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि कर शीघ्र सेवानिवृत्ति पर अंकुश लगाया है और लंबे सेवाकाल के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की है। इन उपायों का समर्थन जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से किया जाता है जो 1970 के बाद से काफी बढ़ गई है।

चुनौतीपूर्ण वर्ष 2022 के बाद, 2023 में पेंशन आस्तियों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि ओईसीडी देशों में पेंशन आस्तियों में 8.6 प्रतिशत (नाममात्र वृद्धि) गैर-ओईसीडी क्षेत्राधिकार में 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। वह वृद्धि मुख्य रूप से बांड और इक्विटी बाजारों से सकारात्मक निवेश प्रतिफल के साथ-साथ कुछ देशों में मुद्रास्फीति और मजदूरी वृद्धि के कारण हुई। इस वसूली के बावजूद, ओईसीडी में कुल पेंशन आस्तियां 2022 में हुए भारी नुकसान के कारण उनके 2021 के स्तर से 7 प्रतिशत कम हैं।¹

चार्ट 1.2 2023 के अंत में अस्तित्व आधारित पेंशन व्यवस्थाओं में अस्तित्व

OECD countries	% change since end-2021	% change since end-2022	in USD million	% of GDP	data coverage	Selected other jurisdictions	% change since end-2021	% change since end-2022	in USD million	% of GDP	data coverage
Australia	6.1	8.9	2,166,862	127.8	all available plans	Albania	46.9	18.2	72	0.3	all system
Austria	-5.2	6.9	36,542	6.9	all available plans	Angola	51.6	27.5	1,132	1.5	all available plans
Belgium	-	13.4	49,302	7.6	24% of available plans	Armenia	65.5	42.2	1,975	8.4	all available plans
Canada	-4.8	0.6	1,601,107	75.7	51% of available plans	Botswana	15.7	17.9	10,360	50.0	all system
Chile	14.9	10.1	191,109	19.2	all available plans	Brazil	29.2	14.6	301,459	13.4	54% of system
Colombia	11.8	15.8	104,600	25.4	all system	Bulgaria	17.4	19.4	13,010	12.5	all system
Costa Rica	14.5	14.7	35,000	36.9	all system	Croatia	15.3	15.6	24,263	28.9	all system
Czechia	7.5	3.0	27,621	8.4	all system	Dominican Republic	26.0	13.9	17,361	15.1	all system
Denmark	-4.6	4.2	825,825	200.0	all system	Egypt	22.7	10.0	4,506	1.4	all system
Estonia	13.1	23.5	6,436	15.5	all system	Georgia	122.2	47.6	1,636	5.5	all system
Finland	-1.5	5.3	168,466	54.9	91% of available plans	Ghana	81.0	43.5	4,268	8.0	all system
France	-12.1	7.4	269,576	8.7	82% of system	Guyana	21.7	-2.2	518	3.0	all system
Germany	-8.4	4.7	290,859	8.4	all available plans	Hong Kong (China)	-7.4	2.2	183,202	46.5	all system
Greece	21.3	22.4	2,485	1.0	all available plans	India	50.2	27.9	131,365	3.7	26% of available plans
Hungary	16.5	19.7	9,690	4.5	all available plans	Indonesia	4.5	6.1	4,834	25.5	all system
Iceland	9.2	9.6	56,673	180.4	all system	Kazakhstan	32.3	21.8	39,317	15.0	all system
Ireland (1)	-	-	129,467	23.2	all available plans	Kenya	11.5	9.5	11,026	11.4	all system
Israel	6.8	10.7	330,231	64.1	all available plans	Kosovo*	14.8	12.1	2,997	28.0	all system
Italy	4.7	9.0	260,041	11.3	all system	Lesotho	-	21.0	869	37.8	all available plans
Japan	1.5	2.6	1,206,513	26.9	all available plans	Macau (China)	7.5	9.4	5,272	11.2	all system
Korea	13.8	8.7	577,063	33.3	all system	Malawi	32.2	48.1	1,445	16.0	all available plans
Latvia	16.9	23.8	8,711	19.5	all system	Maldives	24.7	12.1	1,424	21.3	all system
Lithuania	21.0	27.0	8,199	10.3	all system	Morocco	15.8	10.3	8,197	5.8	all system
Luxembourg	-30.1	-15.7	1,491	1.7	all available plans	Namibia	11.4	15.3	12,704	103.6	all system
Mexico	13.6	13.8	361,375	18.7	89% of available plans	Nigeria	36.7	22.4	20,398	7.8	all system
Netherlands	-14.2	8.9	1,741,575	152.4	all available plans	North Macedonia	27.8	18.7	2,495	16.5	all system
New Zealand	3.6	10.4	66,851	33.1	all system	Papua New Guinea	-	11.7	4,828	16.4	all system
Norway	4.1	9.4	48,750	9.3	all available plans	Peru	-7.9	16.0	33,110	12.3	all system
Poland	9.4	32.6	53,083	6.1	76% of system	Romania	42.1	31.4	29,246	8.3	all system
Portugal	-22.2	-9.3	36,173	12.3	91% of available plans	Serbia	9.5	11.5	508	0.7	all system
Slovak Republic	14.7	17.3	19,545	14.4	all system	Suriname	65.7	-15.7	308	8.2	all available plans
Slovenia	8.8	11.9	4,908	7.0	all system	Uruguay	14.0	12.9	22,655	29.5	all system
Spain	-6.5	4.7	179,355	11.1	all system	Zambia	33.1	25.3	643	2.9	all available plans
Sweden	25.8	17.1	27,236	4.3	4% of available plans	Total (3)	18.3	14.3	897,406	10.2	62% of available plans
Switzerland	-2.1	5.4	1,329,005	140.5	88% of system						
Turkey	210.5	73.3	25,729	2.8	all available plans						
United Kingdom (2)	-29.1	-3.0	2,428,318	74.5	all available plans						
United States	-4.4	9.5	38,380,279	140.3	all system						
Total (3)	-6.9	8.6	53,074,322	82.4	95% of available plans						

Note: * means not available. See the end of this factbook for methodological notes and details for some jurisdictions.

Source: OECD Global Pension Statistics; National Bank of Belgium; Bank of Japan; EIOPA (for Sweden); Swiss Occupational Pension Supervisory Commission.

¹ स्रोत: Pension Markets in Focus - Preliminary 2023 Data, जून 2024

लगभग सभी पेंशन योजनाओं ने 2023 में सकारात्मक निवेश रिटर्न सूचित किया है। इक्विटी मूल्यांकन में वृद्धि, ब्याज दरों में कटौती और बैंक जमा पर अधिकाधिक आय ने इस सकारात्मक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उच्च मजदूरी और मुद्रास्फीति दरों ने विभिन्न देशों में वेतन आधारित अंशदान में वृद्धि की। कुछ देशों ने अपनी पेंशन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए पेंशन योजनाओं और स्वचालित नामांकन कार्यक्रमों में अनिवार्य भागीदारी जैसी कुछ नीतियों को लागू किया है।

(सार्वजनिक वित्त के लिए महंगा होने के बावजूद) वेतन सूचकांक की तुलना में पेंशनभोगियों के लिए मूल्य सूचकांक अब अधिक अनुकूल होने के साथ-साथ 2023 में मुद्रास्फीति में हालिया तेजी ने पेंशन सूचकांक को जटिल बना दिया है। आधे से अधिक ओईसीडी देश पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति से संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं और क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए अक्सर पेंशन को अनुक्रमित करते हैं। हालांकि, इन समायोजनों से वित्तीय तनाव बढ़ गए हैं जिनके कारण इस संबंध में वाद-विवाद भी बढ़ गया है कि क्या उच्च आय वाले पेंशनभोगियों को बोझ साझा करना चाहिए अथवा नहीं। जनवरी 2022 की तुलना में जनवरी 2023 में पेंशन के वास्तविक मूल्य में कमी आई क्योंकि मुद्रास्फीति वेतन वृद्धि को पार कर गई जिससे पेंशन घाटा और व्यापक स्तर पर सार्वजनिक वित्त मुद्दे बढ़ गए। इस प्रकार, राजकोषीय स्थिरता के साथ पेंशन पर्याप्तता को संतुलित करना महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

अधिकांश ओईसीडी देशों में सार्वजनिक पेंशन खर्च में वृद्धि

हुई है और सकल घरेलू उत्पाद में इसके 2020-23 में 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 2050 तक 10.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। जबकि व्यावसायिक और व्यक्तिगत पेंशन योजनाएं सह-अस्तित्व में हैं और प्रायः परिभाषित लाभ योजनाओं की तुलना में परिभाषित अंशदान योजनाओं का महत्व बढ़ गया है।¹⁴

वर्ष 2022 में उच्च ब्याज दरों और गिरते इक्विटी मूल्यांकन के कारण व्यापक निवेश घाटा देखा गया। बांड और इक्विटी कीमतों में एक साथ गिरावट, सेवानिवृत्ति पोर्टफोलियो के महत्वपूर्ण घटकों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मामूली निवेश घाटा हुआ। उच्च मुद्रास्फीति दरों के कारण स्थिति और भी खराब हो गई, जिसके कारण कई देशों में वास्तविक प्रतिफल दर नकारात्मक हो गई। इन चुनौतियों के बावजूद, पिछले वर्षों के सकारात्मक मूल्यांकन लाभ ने आंशिक समर्थित पेंशन प्रणाली के दीर्घकालिक प्रदर्शन पर नकारात्मक रिटर्न के प्रभाव को कम करने में मदद की। उच्च रोजगार दर और नाममात्र मजदूरी ने पेंशन योजनाओं और अंशदान में भागीदारी बढ़ाने में भूमिका निभाई। बेहतर रोजगार दरों के कारण पेंशन योजनाओं द्वारा कवर की गई कामकाजी उम्र की आबादी का अधिक अनुपात होता है, विशेष रूप से उन लोगों को जो अनिवार्य श्रमिक भागीदारी वाले होते हैं। वेतन में वृद्धि के साथ, इसने अधिकांश क्षेत्रों में पेंशन योजनाओं की समग्र वृद्धि में योगदान दिया है। हालांकि, स्वैच्छिक प्रणालियों में, उच्च मुद्रास्फीति के प्रभाव से कुछ व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

चार्ट 1.3 आंशिक आधारित पेंशन व्यवस्थाओं के रिटर्न की निवेश दरें।

Selected OECD countries	2022	2023	Selected other jurisdictions	2022	2023
Australia	-1.8	7.8	Albania	3.8	3.8
Austria	-10.2	6.4	Angola	8.0	10.2
Belgium	-14.8	8.8	Armenia	-7.9	18.3
Chile	3.0	7.5	Brazil	0.4	0.7
Colombia	-4.2	13.6	Bulgaria	-10.3	8.8
Costa Rica	-3.4	10.0	Croatia	-5.2	9.6
Czechia	0.4	-4.7	Dominican Republic	5.4	8.4
Denmark	-14.2	7.0	Egypt	11.3	10.9
Estonia	-9.2	10.6	Georgia	7.4	11.7
Finland	-5.1	5.8	Ghana	17.7	26.2
Greece	-8.8	8.8	Guyana	19.3	3.1
Hungary	-7.1	18.2	Hong Kong (China)	-15.4	3.4
Iceland	-3.3	8.2	India	3.8	8.3
Israel	-3.8	9.7	Kazakhstan	0.3	8.6
Italy	-7.3	6.7	Kenya	2.8	4.8
Korea	0.2	5.3	Kosovo*	-8.4	3.1
Latvia	-15.0	11.3	Lesotho	11.8	3.2
Lithuania	-14.7	12.6	Macao (China)	-8.2	4.2
Mexico	-4.1	8.3	Malawi	18.0	38.8
Netherlands	-21.1	8.8	Maldives	4.3	3.8
Norway	-8.7	7.9	Morocco	1.5	5.0
Poland	-16.1	30.2	Namibia	-0.9	16.0
Portugal	-10.5	7.8	Nigeria	8.2	10.0
Slovak Republic	-10.6	8.1	North Macedonia	-2.4	7.3
Slovenia	-7.3	5.5	Papua New Guinea	2.7	3.8
Spain	-9.0	9.0	Peru	-8.2	9.3
Turkey	49.6	46.0	Romania	-3.1	16.8
United States	-12.8	10.0	Serbia	-1.2	7.7
			Suriname	18.7	13.6
			Zambia	12.7	21.4

स्रोत - Pension Markets in Focus, 2023

* डेटा - Pensions at a Glance अप्रैल 2023

वर्ष 2022 में, आस्ति-समर्थित पेंशन प्रणालियों को बढ़ती ब्याज दरों के कारण बांड और इक्विटी की कीमतों में एक साथ गिरावट का सामना करना पड़ा। ब्याज दरों में गिरावट के कारण पेंशन पोर्टफोलियो में बांड का अवमूल्यन हुआ, जबकि वैश्विक इक्विटी बाजारों में भी गिरावट देखी गई। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में पेंशन योजनाओं के लिए नाममात्र की शर्तों में रिटर्न की कुल नकारात्मक दरें हुईं। घाटा केवल इक्विटी और बांड तक ही सीमित नहीं था। ब्याज दर व्युत्पन्न और रियल एस्टेट निवेश सहित अन्य वित्तीय साधनों ने भी नकारात्मक रिटर्न में योगदान दिया।

हालांकि, विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव से कुछ देशों में पेंशन योजनाओं को लाभ हुआ। अमेरिका में ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि ने अमेरिकी डॉलर को आकर्षक बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप अन्य मुद्राओं की बिक्री करने वाले निवेशकों के लिए विदेशी मुद्रा लाभ हुआ। इससे कुछ निवेश घाटे की भरपाई हो गई तथा कुछ देशों में सकारात्मक रिटर्न भी प्राप्त हुआ। आस्तियों के मूल्यांकन की विधि ने निवेश निष्पादन परिणामों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, प्रभावी ब्याज दरों के आधार पर परिशोधित लागत पद्धति का उपयोग करने वाले पेंशन निधियों की ब्याज दरों में वृद्धि के बाद बांड धारिता के मूल्य पर बहुत कम प्रभाव डाला। बढ़ी हुई मुद्रास्फीति ने नाममात्र लाभ को वास्तविक घाटे में बदल

दिया, जिससे अधिकांश ओईसीडी और गैर-ओईसीडी देशों में पेंशन योजनाओं के लिए प्रतिफल की वास्तविक दरें नकारात्मक हो गईं।

वर्ष 2022 में चुनौतियों के बावजूद, पिछले वर्षों में मजबूत निवेश लाभ ने कई क्षेत्रों में नुकसान की भरपाई में मदद की। हालांकि, कुछ देश रुढ़िवादी निवेश रणनीतियों के कारण पिछले 20 वर्षों में मुद्रास्फीति से ऊपर सकारात्मक संचयी रिटर्न उत्पन्न करने में विफल रहे। अनिश्चितताओं के चलते, कई देशों ने 2022 में इक्विटी में निवेश की जाने वाली पेंशन आस्तियों के अनुपात को कम कर दिया है। यह बदलाव उन देशों में भी हुआ जिन्होंने अपने निवेश चूक रणनीतियों में जोखिम लेने को प्रोत्साहित किया। पेंशन योजनाओं द्वारा संचित आस्तियों की मात्रा निवेश आय, योगदान और भुगतान पर निर्भर करती है।

चार्ट 1.4 पिछले 5, 10, 15 और 20 वर्षों में वार्षिक वास्तविक निवेश दरों का ज्यामितीय औसत

In per cent
Pension plans

Selected OECD countries	5-yr average	10-yr average	15-yr average	20-yr average
Australia	3.3	5.4	2.8	4.0
Austria	-2.9	0.2	-0.3	0.8
Canada	1.7	3.9	3.6	4.1
Chile	0.1	2.0	1.4	3.1
Colombia	0.2	1.4	3.8	4.8
Costa Rica	3.8	5.1	3.7	
Czechia	-4.7	-2.4	-1.7	-1.0
Denmark	-0.8	1.9	2.6	3.3
Estonia	-4.1	-1.0	-2.2	-1.1
Finland	1.6	3.6		
Germany	-0.6	1.2	1.6	1.9
Greece	-0.7			
Hungary	-6.3	-0.3		
Iceland	3.0	4.2	1.7	3.3
Ireland	1.1			
Israel	3.5	4.7	3.8	
Italy	-2.5	0.2	0.3	0.9
Latvia	-6.3	-2.2	-1.8	-1.9
Lithuania	-4.6	-0.5		
Luxembourg	-3.2	-0.2	-0.2	
Mexico	0.3	0.5	1.4	
Netherlands	-3.2	1.3	1.8	3.1
Norway	0.2	2.4	2.2	3.5
Poland	-7.2			
Portugal	-1.0	0.8	0.0	1.6
Slovak Republic	-4.4	-1.4	-1.7	
Slovenia	-2.6	1.2	2.0	
Spain	-1.8	1.1	0.6	
Switzerland	0.8	2.9	2.3	2.8
Turkey	-3.5	-2.2	-0.3	
United States	-1.4	1.4	-0.1	1.0

स्रोत: Pension Markets in Focus, 2023

Selected other jurisdictions	5-yr average	10-yr average	15-yr average	20-yr average
Albania	0.7	2.0	2.7	
Armenia	0.1			
Botswana	0.6			
Bulgaria	-5.8	-0.7	-2.2	-0.8
Croatia	-1.6			
Dominican Republic	3.3	5.8	6.3	
Egypt	-2.4			
Guyana	-0.9			
Hong Kong (China)	-2.6	-0.1		
Indonesia	3.3	3.6		
Kazakhstan	-0.4			
Kosovo*	-2.4	1.2		
Liechtenstein	-0.4	2.6	1.7	
Malawi	3.5	3.4		
Maldives	4.4	4.9		
Nigeria	-4.0	-2.2		
North Macedonia	-0.7	2.4	1.9	
Pakistan	-6.0			
Peru	-1.7	0.3	0.1	3.3
Romania	-2.1	1.6		
Serbia	-1.8	2.9	1.1	
Suriname	-14.5			
Uruguay	-0.2	2.1	3.9	
Zambia	0.1	2.4	3.0	

Selected OECD public pension reserve funds

Selected reserve funds	5-yr average	10-yr average	15-yr average	20-yr average
Australia's Future Fund	3.9	6.3	4.8	
Canada's CPP reserves	4.6	7.4	5.7	6.5
Canada's GPP reserves	2.5	6.0		
Chile's Pension Reserve F	1.5	2.9	2.2	
Finland's Keva	1.3	3.9	2.9	
Finland's VER	1.1	3.4	2.7	3.8
France's FRR	-2.1	1.5	0.5	
Japan's GPIF	4.1	4.4	3.9	3.9
Korea's GEPIF	1.7			
Korea's NPF	1.8	2.9	2.9	
Luxembourg's FDC	0.2	2.5	2.3	
New Zealand Superannua	4.8	8.6	7.2	7.2
Norway's GPFM	2.3	5.2	4.3	5.8
Poland's Demographic Re	-5.0	-1.3	-0.6	1.3
Spain's Social Security Re	-4.7	-0.4	0.4	0.3
Sweden AP1	2.6	5.7	4.2	
Sweden AP2	1.1	5.0	3.7	5.6
Sweden AP3	3.9	6.8	4.7	
Sweden AP4	2.8	6.7	5.2	6.3
Sweden AP6	12.2	10.4	6.6	7.3
Switzerland's ANV Centra	-0.8	2.1		
US OASD Trust Fund	-1.1	0.4	1.2	1.5

योगदान और भुगतान पर निर्भर करती है।¹⁷

1.4.1 ओईसीडी क्षेत्र में पेंशन निधि परिसंपत्तियां

उच्च मुद्रास्फीति ने वास्तविक घाटे में मामूली निवेश लाभ को बदल दिया और वास्तविक रूप में मामूली घाटे की मात्रा को बढ़ा दिया। सभी ओईसीडी देशों तथा लगभग सभी गैर-ओईसीडी क्षेत्राधिकारों में पेंशन योजनाओं के लिए वास्तविक रिटर्न दरें नकारात्मक थीं। विशेष रूप से हंगरी, लातविया और लिथुआनिया जैसे देशों में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दिसंबर 2022 तक 20 प्रतिशत से अधिक वार्षिक दरों के साथ, वास्तविक रिटर्न की दरें विशेष रूप से कम थीं।

इक्विटी, बांड और नकदी से परे निवेश के लिए आवंटित परिसंपत्तियों का अनुपात (जब व्यक्तिगत परिसंपत्ति दृश्यता सीमित हो तो सामूहिक निवेश योजनाओं सहित) 35 रिपोर्टिंग ओईसीडी देशों में से 30 में वृद्धि हुई, 38 गैर-ओईसीडी क्षेत्रों में से 27 और 20 चयनित ओईसीडी सार्वजनिक पेंशन आरक्षित निधियों में से 12 में बढ़ गया।

2022 का व्यापक आर्थिक परिदृश्य, जिसमें बड़ी हुई रोजगार दरों और नाममात्र मजदूरी के साथ-साथ उच्च मुद्रास्फीति भी शामिल है, ने संभवतः सार्वजनिक भंडार का समर्थन करने वाले राजस्व प्रवाह को प्रभावित किया है। सार्वजनिक पे-एज-यू-गो (PAYG) पेंशन व्यवस्था, पेंशन योजनाओं से वित्तपोषण संरचना में मिन होती है, क्योंकि वे किसी विशिष्ट सदस्य आधार को पूरा नहीं करती हैं, जिनसे अंशदान एकत्रित किया जाता है और जिन्हें लाभ वितरित किया जाता है। सार्वजनिक आरक्षित निधि विभिन्न स्रोतों से राजस्व प्राप्त करती है, जिसमें सार्वजनिक (PAYG) योजना से प्राप्त लाभ भुगतान से अधिक योगदान, निजीकरण आय, निर्धारित अंशदान, कर, विशेष या एकमुश्त योगदान और राजकोषीय हस्तांतरण शामिल हैं। राजस्व पर वृहद आर्थिक विकास का प्रभाव (PAYG) योगदान और लाभ संवितरण पर उनके प्रभाव पर निर्भर करता है।

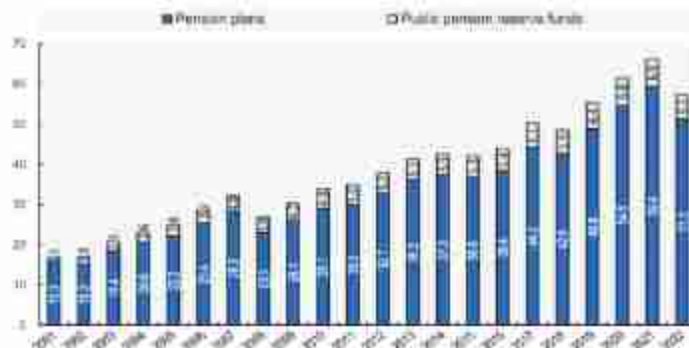
ओईसीडी क्षेत्र में, सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित परिसंपत्तियों के मूल्य में 2022 में गिरावट आई, जो हाल के दशकों में देखी गई दीर्घकालिक वृद्धि की प्रवृत्ति के विपरीत है। ओईसीडी में पेंशन योजना परिसंपत्तियों में 14 प्रतिशत की कमी आई है, जो 2021 के अंत में 69 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2022 के अंत में 51 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे बड़ी गिरावट है, जब परिसंपत्तियों में 18 प्रतिशत की गिरावट आई थी। इसी तरह वर्ष 2022 में सार्वजनिक भंडार में 10 प्रतिशत की कमी आई है, जो 2008 के संकट के दौरान 4 प्रतिशत की गिरावट से अधिक है।

वर्ष 2022 में कुल परिसंपत्तियों में यह समय गिरावट मुख्य रूप से सबसे बड़े पेंशन बाजारों में नुकसान के कारण हुई। 2022 के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पेंशन योजना परिसंपत्तियों की सबसे अधिक मात्रा (35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) थी, उसके बाद कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और जापान का स्थान है, जहां परिसंपत्तियां 1 से 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच थीं।

इन प्रमुख बाजारों में, राष्ट्रीय मुद्राओं में मूल्यांकित परिसंपत्ति मूल्यों में गिरावट आई, जो कनाडा में 6 प्रतिशत से लेकर यूनाइटेड किंगडम में 24 प्रतिशत तक थी। इसी प्रकार, 2022 में सबसे बड़े सार्वजनिक भंडार में गिरावट देखी गई, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ओल्ड-एज एंड सर्वाइवर्स इश्योरेंस (OASI) ट्रस्ट निधि में 1 प्रतिशत की कमी, जापान के सरकारी पेंशन निवेश कोष (GPIF) में 5 प्रतिशत की कमी, और सरकारी कर्मचारी पेंशन निधि (GEPIF) और राष्ट्रीय पेंशन निधि (NPF) में कोरिया के भंडार में 6 प्रतिशत की कमी आई। ये गिरावटें वर्तमान अमेरिकी डॉलर में व्यक्त किए जाने पर और भी अधिक स्पष्ट थीं, जो 2022 में कई प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की बढ़त को दर्शाती हैं।

चार्ट 1.5 ओईसीडी, 2001-2022 में सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आस्तियां

in USD billion



स्रोत—Pension Markets in Focus, 2023

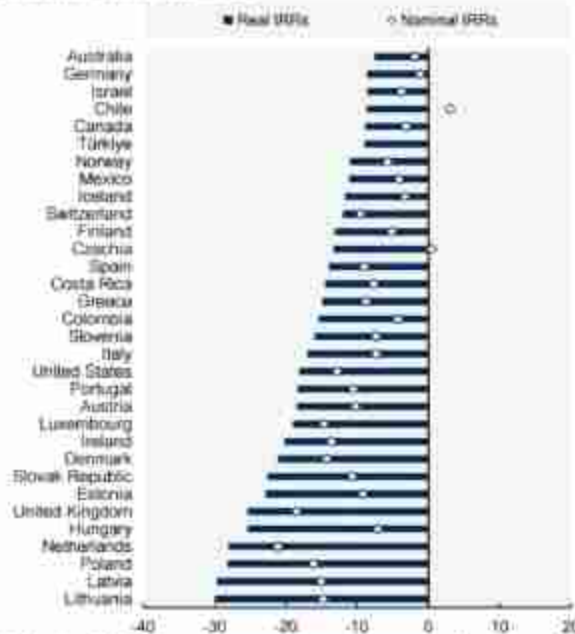
टिप्पणी—Pension Markets in Focus, 2023

चार्ट 1.6 : आस्ति आधारित पेंशन प्रणाली का सामान्य और वास्तविक आईआरआर (दिसंबर 2021-दिसंबर 2022)

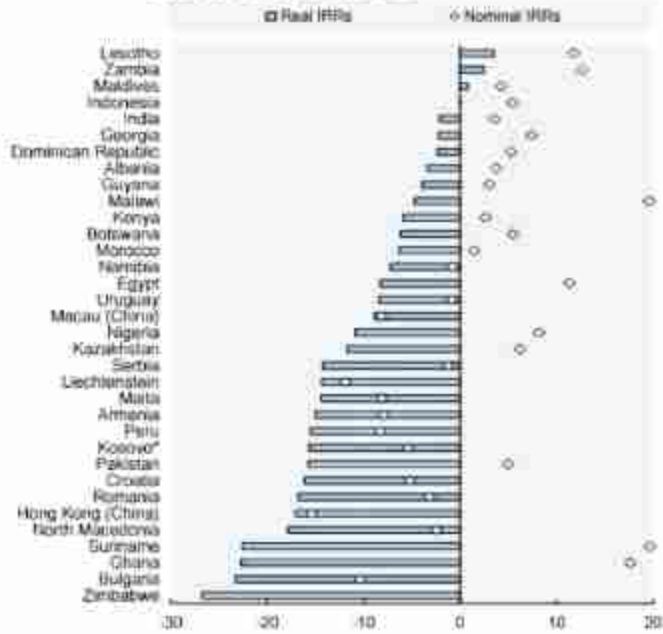
In per cent

Pension plans

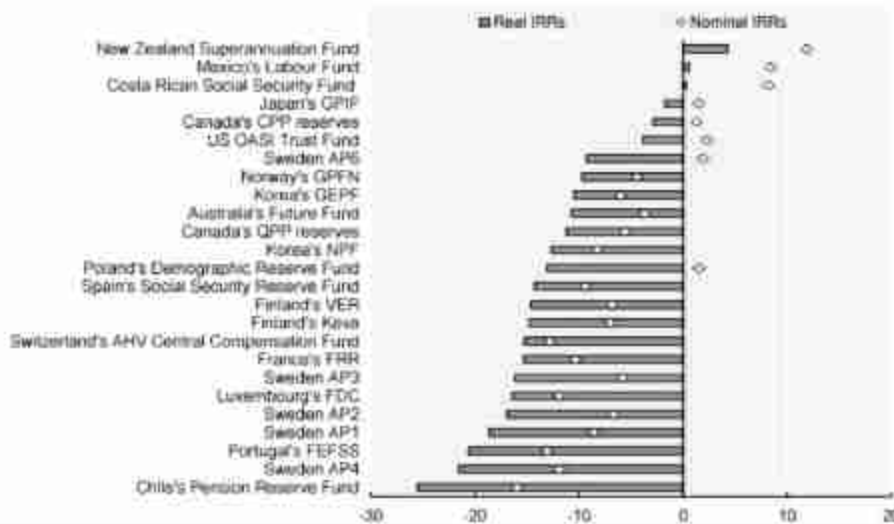
Selected OECD countries



Selected other jurisdictions



Selected OECD public pension reserve funds



1.4.2 निवेश रुझान

सेवानिवृत्ति के लिए नामित आस्तियों को मुख्य रूप से बांड और इक्विटी में आवंटित किया जाता है, जिसमें 2021 के अंत तक पेंशन योजना निवेश का 70 प्रतिशत से अधिक और सार्वजनिक पेंशन आरक्षित निधि का लगभग 90 प्रतिशत शामिल है। आस्तियों का वितरण क्षेत्राधिकारों के बीच भिन्न होता है। बांडों, विशेष रूप से सरकारी बांडों के प्रति वरीयता, उनकी कथित आय स्थिरता, अन्य साधनों की

तुलना में कम जोखिम प्रोफाइल, सीमित घरेलू निवेश अवसरों, गारंटियों, या हाल ही में शुरू की गई पेंशन योजना के कारण हो सकती है। कुछ विनियमनों में न्यूनतम बांड आवंटन अनिवार्य किया जा सकता है, जैसे कि न्यूनतम सीमा वाले बहु-निधि ढांचे का उपयोग करना या सरकारी बांडों में पूर्ण निवेश की आवश्यकता, जैसा कि यू.एस. ओल्ड-एज एंड सर्वाइवर्स इश्योरेंस ट्रस्ट निधि में देखा गया है।

अधिक इक्विटी आवंटन वाले निवेशक जोखिम बढ़ने के बावजूद अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आस्ति मूल्यांकन की विधि निवेश प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है, जैसा कि सरकारी बॉन्ड मूल्यों पर ब्याज दरों में वृद्धि के न्यूनतम प्रभाव से प्रमाणित होता है, जब आस्तियों का मूल्यांकन प्रभावी ब्याज दरों के आधार पर परिशोधन लागत पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। यद्यपि 2022 में कई क्षेत्रों में नुकसान देखा गया, लेकिन पिछले मजबूत निवेश लाभ ने इन नुकसानों की भरपाई करने में मदद की।

पिछले कुछ दशकों में, अनेक रिपोर्टिंग क्षेत्राधिकारों में पेंशन योजनाओं ने मुद्रास्फीति से अधिक औसत वार्षिक रिटर्न हासिल किया है, जो उनके सकारात्मक निवेश प्रदर्शन को दर्शाता है। इसी प्रकार, सार्वजनिक पेंशन आरक्षित निधि ने भी 15 या 20 वर्षों में सकारात्मक वास्तविक-अवधि रिटर्न प्रदर्शित किया है, जहां तक आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 2022 में कीमतों में गिरावट के बावजूद पोर्टफोलियो में बांड के अनुपात में वृद्धि देखी गई, जो कम ब्याज दरों की अवधि के बाद बांड की ओर संभावित बदलाव और अन्यत्र उच्च रिटर्न चाहने वाले निवेशकों का संकेत है।

इक्विटी, बॉन्ड और नकदी से परे वैकल्पिक निवेश के लिए आवंटित आस्तियों का अनुपात भी 2022 में अधिकांश रिपोर्टिंग क्षेत्रों में पेंशन योजनाओं और सार्वजनिक पेंशन आरक्षित कोष दोनों के लिए बढ़ा है। वैकल्पिक निवेशों ने कम ब्याज दर के माहौल में लाभ चाहने वाले आरित प्रबंधकों को आकर्षित किया तथा विशेष रूप से एशिया में मुद्रास्फीति से बचाव की संभावना प्रदान की।

कुछ अधिकार क्षेत्रों ने निवेश नियमों में ढील देकर पेंशन योजनाओं द्वारा वैकल्पिक निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। सार्वजनिक पेंशन आरक्षित निधि ने अपने वैकल्पिक निवेश का भी विस्तार किया, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, संपत्ति और अन्य वैकल्पिक आवंटन द्वारा संचालित है।

2021 के अंत में, रिपोर्टिंग अधिकार क्षेत्रों के बीच पेंशन आस्तियों के आवंटन में मामूली बदलाव देखा गया था। इक्विटी में निवेश की गई पेंशन आस्तियों के अनुपात में 2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जबकि बॉन्ड को आवंटित अनुपात में समान सीमा से कमी आई। यह बदलाव पोर्टफोलियो में इक्विटी के बढ़ते मूल्य या शेयर बाजारों में सुधार का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक आवंटन के कारण हो सकता है।

पिछले 10 से 20 वर्षों के दौरान बांडों में निवेश को कम करने की प्रवृत्ति अधिक देखी गई है। औसतन, रिपोर्टिंग अधिकार क्षेत्रों में, पिछले दशक की तुलना में बॉन्ड में निवेश के अनुपात में 8 प्रतिशत और पिछले दो दशकों में 17

प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बांड निवेश में कमी की भरपाई हमेशा इक्विटी निवेश में समतुल्य वृद्धि से पूरी तरह नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंड में, पेंशन फंडों ने 2011 से 2021 के बीच अपने बॉन्ड निवेश में 10 प्रतिशत की कमी की, जबकि इक्विटी के लिए केवल 6 प्रतिशत का आवंटन किया। कुछ पुनः आवंटित निधियां अन्य प्रकार के निवेशों की ओर निर्देशित की जा सकती हैं।

जहां एक ओर वर्ष 2023 में पर्याप्त सुधार हुए, वहीं दूसरी ओर डेनमार्क, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ सबसे बड़े पेंशन बाजारों में निवेश लाभ 2022 के नुकसान की पूरी तरह से भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 2022 में जिन देशों में सबसे अधिक निवेश से हानि हुई, वहां पेंशन योजनाओं का प्रदर्शन पेंशन क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

1.5 भारतीय जनसांख्यिकी और वृद्धावस्था आय सुरक्षा

बढ़ती हुई और अस्थिर पेंशन देनदारियों के कारण, वैश्विक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए और इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श के बाद, सरकार ने परिभाषित लाभ पेंशन योजना से परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में बदलाव करने के लिए सचेत रूप से कदम उठाया। नई पेंशन योजना, जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के रूप में जाना जाता है, को सरकार द्वारा दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ईसीबी और पीआर के माध्यम से शुरू किया गया था, और इसे केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य कर दिया गया था जो 1 जनवरी, 2004 से सेवा में शामिल हुए थे।

एनपीएस, जिसे शुरू में केंद्र सरकार के अभिदाताओं के लिए पेश किया गया था, अब सभी राज्य सरकारों (पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर) और अधिकांश केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों द्वारा अपनाया गया है। एनपीएस को मई 2009 से स्वैच्छिक रूप से निजी और असंगठित क्षेत्रों के लिए भी विस्तारित किया गया है।

भारत सरकार ने 31 जनवरी, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खातों में अपने अंशदान को 1 अप्रैल, 2019 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा भुगतान किए जाने वाले मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते (डीए) का 10 प्रतिशत और केंद्र सरकार द्वारा मूल वेतन प्लस डीए का 14 प्रतिशत होगा। इसके बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन निधि और निवेश के पैटर्न चुनने में अधिक स्वतंत्रता

देने के साथ-साथ एनपीएस अंशदान जमा न करने/विलंब से जमा करने पर मुआवजा देने की भी अधिसूचना जारी की गई है।

1.6 भारतीय पेंशन परिदृश्य

भारतीय पेंशन प्रणाली के परिदृश्य में सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर-अंशदायी सामाजिक पेंशन योजनाएं शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), 2004 से पहले सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए सिविल सेवा पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), जैसे पे-एज-यू-गो आधार पर अनिवार्य परिभाषित लाभ पेंशन योजना, अन्य सांविधिक भविष्य निधि जैसे कोयला खान, नाविक और असम चाय बागानों की योजनाएं, 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद अनिवार्य आधार पर शामिल होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), एनपीएस में शामिल होने वाले राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए एनपीएस, स्वैच्छिक आधार पर सभी नागरिकों के लिए एनपीएस जिसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी और स्व-नियोजित दोनों शामिल हैं, सार्वजनिक भविष्य निधि, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड द्वारा दी जाने वाली सेवानिवृत्ति और अधिवर्षिता योजनाएं शामिल हैं।

परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली का राजकोषीय तनाव सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत का प्रमुख कारक

था। ईपीएफ (विशेष रूप से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए) जैसी अनिवार्य योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र को शामिल करने की वित्तीय और व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बचत को भारत में पेंशन प्रावधान की व्यापकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण के रूप में देखा जाता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की अधिक कवरेज प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय यह है कि सभी नागरिकों को स्वैच्छिक रूप से एनपीएस का विस्तार किया जाए।

असंगठित क्षेत्र के लोगों को अपनी वृद्धावस्था हेतु स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सरकार ने सितंबर 2010 में सह-योगदान योजना एनपीएस लाइट/स्वावलंबन योजना शुरू की थी (एनपीएस लाइट स्वावलंबन योजना के तहत नया नामांकन 01/04/2015 से बंद कर दिया गया है)। इसके बाद, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को शुरू किया गया था, और यह योजना असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिनांक 1 जून, 2015 से लागू की जा रही है। 1 अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं होगा। एपीवाई के अंतर्गत अंशदाताओं को उनके द्वारा चुने गए अंशदान स्तर के आधार पर 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये की सरकारी गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। एनपीएस के अंतर्गत प्रबंधन के तहत अभिदाताओं और आस्थियों की संख्या को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 1.1: एनपीएस/एपीवाई के तहत अभिदाताओं की संख्या

क्षेत्र	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार)	अभिदाताओं की संख्या (लाख में) (31 मार्च, 2024 तक)	वृद्धि (प्रतिशत में) (साल-दर-साल)	31 मार्च, 2024 को शेयर (प्रतिशत में)
केंद्र सरकार	23.97	26.07	8.76%	3.54%
राज्य सरकार	60.96	65.96	8.20%	8.97%
कॉर्पोरेट	16.82	19.48	15.81%	2.65%
सभी नागरिक	29.57	35.64	20.53%	4.85%
एनपीएस लाइट*	41.76	33.28	-	4.52%
एपीवाई	459.47	555.12	20.82%	75.47%
कुल योग	632.55	735.55	16.28%	100%

स्रोत: बाजार निगरानी, नीति अनुसंधान और प्रणालीगत ऑडिटिंग प्रबंधन विभाग

*01/04/2015 से नए पंजीकरण बंद कर दिए गए हैं।

31 मार्च, 2024 तक एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल 735.55 लाख अभिदाता नामांकित किये गए हैं और इसमें साल-दर-साल 16.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

एपीवाई, जो एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना है, उसमें 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार 555.12 लाख अभिदाता थे, उनकी संख्या में साल-दर-साल 20.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका 1.2: एनपीएस/एपीवाई के अंतर्गत प्रबंधन के तहत आस्तियां

क्षेत्र	एयूएम (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2023 तक)	एयूएम (करोड़ रुपये) (31 मार्च, 2024 तक)	एयूएम वृद्धि (प्रतिशत में) (साल-दर-साल)	एयूएम शेयर (प्रतिशत में)
केंद्र सरकार	2,57,638	3,22,215	25.07%	27.48%
राज्य सरकार	4,49,186	5,82,673	29.72%	49.69%
कॉर्पोरेट	1,17,281	1,66,729	42.16%	14.22%
सभी नागरिक	42,623	59,826	40.36%	5.10%
एनपीएस लाइट*	4,915	5,560	13.12%	0.47%
एपीवाई	26,700	35,647	33.51%	3.04%
कुल योग	8,98,343	11,72,650	30.53%	100%

स्रोत:—आयकर विभाग की सीएन अनुसंधान और प्रणालीगत जोड़िम प्रबंधन विभाग

* 01/04/2015 से नए पंजीकरण बंद कर दिए गए हैं।

31 मार्च, 2024 को एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल एयूएम 11,72,650 करोड़ रुपये था और इसमें

साल-दर-साल 30.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, एपीवाई गैप निधि योजना में 885.89 करोड़ रुपये का एयूएम है।

तालिका 1.3: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/अटल पेंशन योजना के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं

संख्या में

मानक	वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर	वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर	वृद्धि (प्रतिशत में)
सरकारी अभिदाता (लाख में)	84.93	92.03	8.36%
सभी नागरिक + कॉर्पोरेट अभिदाता (लाख में)	46.39	55.12	18.82%
एपीवाई अभिदाता (लाख में)	459.47	555.12	20.82%
पीओपी-एसपी की संख्या	2,13,271*	2,15,844*	1.21%
एपीवाई-एसपी की संख्या*	418	440	5.26%
सीएबी की संख्या [†]	663	672	1.36%
एसएबी की संख्या [†]	1,705	1,809	6.09%
कॉर्पोरेट की संख्या	12,795	15,902	24.29%

* यह आंकड़ा सीआरए के साथ पंजीकृत सक्रिय एपीवाई-एसपी की संख्या है।

[†] जैसा कि वित्तव्यवस्थापक द्वारा सत्यापित किया गया है और सीआरए के साथ पंजीकृत है।

एनपीएस की अपनाने वाले केन्द्र सरकार को सभी कर्मचारियों के साथ-साथ सीएबी (CAB) और राज्य सरकारों के सभी कर्मचारियों के साथ-साथ एसएबी (SAB) को भी अनिवार्य रूप से एनपीएस के दायरे में लाना अनिवार्य है। इस वर्ष 11 नए सीएबी और 119 एसएबी को एनपीएस के अंतर्गत लाया गया है।

कॉर्पोरेट क्षेत्र अपने कर्मचारियों को अनिवार्य या स्वेच्छिक आधार पर एनपीएस की पेशकश करता है। सीआरए रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2024 के अंत में एनपीएस के तहत कुल 14,101 कॉर्पोरेट पंजीकृत हैं, जबकि मार्च 2023 के अंत में 12,795 कॉर्पोरेट पंजीकृत थे। अतः इसमें 10.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मार्च 2024 के अंत तक, 440 बैंक सीआरए के साथ एपीवाई सेवा प्रदाताओं के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शहरी वाणिज्यिक बैंक, मुग्तान बैंक, लघु वित्त बैंक और डाक विभाग शामिल हैं।

एपीवाई के लिए कर लाभ और गारंटी के रूप में इन योजनाओं को मिल रही सरकारी सहायता से इन योजनाओं की अपील बढ़ जाती है। हालांकि, देश की विशाल आबादी को देखते हुए, बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों को एनपीएस प्रदान करने में प्रमुख चुनौती संभावित अभिदाताओं के बीच जागरूकता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना है। पीएफआरडीए विभिन्न मास मीडिया और क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसके अलावा, एनपीएस जागरूकता के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए, पीएफआरडीए ने सेवा प्रदाताओं के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए एक समर्पित एजेंसी को शामिल करके जोर-शोर से संकानात्मक और विकसनात्मक कार्यक्रमलाभ शुरू किए हैं।

संभावित अभिदाताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए एनपीएस तक पहुंच में आसानी के लिए पीएफआरडीए द्वारा मूल्य भुंखला में प्रौद्योगिकी को और अधिक बढ़ाया जा रहा है, चाहे वह ई-एनपीएस, मोबाइल ऐप या ई-केवाईसी जैसे तकनीकियाँ हों। ये घनत्व दक्षता को बढ़ा रहे हैं और उन्होंने अभिदाता अनुरोधों को सुविधाजनक बनाने के लिए समय को कम करने में मदद की है। ई-एनपीएस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण और अंशदान कर सकता है। मौजूदा अभिदाताओं के लिए एनपीएस के तहत एक ऑनलाइन अंशदान सुविधा भी

उपलब्ध है। ई-एनपीएस, एनपीएस के तहत व्यक्तिगत पेंशन खाता खोलने और टीयर 1 के साथ-साथ टीयर 2/टीएस सेपर खाते में प्रारंभिक और बाद में अंशदान ऑनलाइन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा अभिदाताओं को प्रमाणीकरण के बाद अपने पेंशन निधि, आस्ति धर्म, आवंटन अनुपात और योजना विकल्पों को बदलने में भी सक्षम बनाती है। एनपीएस अभिदाता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल और ओटीपी प्रमाणीकरण का उपयोग करके टीयर 2/टीयर 1 खातों से निकासी/आंशिक निकासी अनुरोध शुरू कर सकते हैं।

एनपीएस अभिदाताओं को शामिल करने के लिए हितधारकों को ऑनलाइन प्रान् जनरेशन मॉड्यूल (ओपीजीएम) की पेशकश की जाती है ताकि न्यूनतम दस्तावेज के साथ त्वरित प्रान् सृजन किया जा सके। तथापि, ऐसे खातों को तब तक अनियमित माना जाता है जब तक कि पूर्ण सत्यापन नहीं हो जाता और केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) के साथ उन्हें दर्ज नहीं कर लिया जाता। पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत माध्यमों को एनपीएस से संबंधित ऑनबोर्डिंग, निकास या किसी अन्य सेवा अनुरोध के लिए थ्रिडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी) का उपयोग करने की अनुमति है।

एनपीएस अभिदाताओं को संबद्ध नोडल कार्यालयों, पीओपी, ई-एनपीएस या एनपीएस मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपने स्वेच्छिक अंशदान जमा करने के लिए विभिन्न सुविधाजनक विकल्प प्रदान किए जाते हैं। अंशदान का एक अतिरिक्त विकल्प/माध्यम के तौर पर प्रत्यक्ष विप्रेषण (डी-रेमिट) को भी शुरू किया गया है, जिसमें सरकार/सभी नागरिक मॉडल के अंतर्गत मौजूदा एनपीएस अभिदाता अपने प्रान् से जुड़ी वर्चुअल आईडी बनाकर और निवेश पर उसी दिन एनपीबी का प्रावधान करके अपने स्वेच्छिक अंशदान जमा कर सकते हैं। डी-रेमिट के माध्यम से, न केवल एक बार का अंशदान किया जा सकता है, बल्कि आवधिक एनपीएस अंशदान को किसी भी परिभाषित राशि और अभिदाता बैंक खाते से किसी भी परिभाषित तिथि के लिए स्वचालित किया जा सकता है। डी-रेमिट के माध्यम से एनपीएस में अंशदान का विकल्प एनआरआई-एनपीएस अभिदाताओं के लिए भी आरंभ किया गया है। वे अपने एनआरओ/एनआरई खातों में संचित धन से अपने एनपीएस खातों में अंशदान कर सकते हैं। निकासी/प्रत्याहरण के समय, एनपीएस की आय एनआरआई अंशदाताओं के एनआरओ/एनआरई खाते में जमा की जाएगी तथा उसका प्रत्यावर्तन तत्समय लागू फंडा

दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

1.7. वर्ष के दौरान पीएफआरडीए के लक्ष्यों की संक्षेप में समीक्षा का विवरण

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की प्रस्तावना में, प्राधिकरण के उद्देश्यों – पेंशन निधियों की योजनाओं और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का विनियमन और विकास तथा उनसे जुड़े अभिदाताओं के हितों के संरक्षण के माध्यम से वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना निर्धारित करती है।

पीएफआरडीए सक्रिय रूप से एनपीएस (इसके सभी प्रकार) और अटल पेंशन योजना के संवर्धन और विकास, एनपीएस के अंतर्गत सभी मध्यस्थों के विनियमन और पर्यवेक्षण में संलग्न, जिसका समग्र उद्देश्य वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना और अभिदाताओं के हितों की रक्षा करना है। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की प्रस्तावना और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, इन गतिविधियों में संलग्न होने के दौरान, पीएफआरडीए निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों/परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है-

- कवरेज क्षेत्र का विस्तार
- सुरक्षा
- प्रभावशीलता
- पर्याप्तता
- स्थिरता

कवरेज क्षेत्र का विस्तार

सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रावधान प्राधिकरण के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक रहा है। जहां पीएफआरडीए अधिनियम 2013 में एनपीएस के विनियमन की व्यवस्था की गई है, वहीं आबादी के विभिन्न वर्गों को शामिल करने के लिए एनपीएस के विभिन्न घटकों अर्थात् केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, कॉरपोरेट, सभी-नागरिक, एनपीएस लाइट जैसी योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, अटल पेंशन योजना पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित भारत सरकार की एक योजना है। प्राधिकरण प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता उत्पन्न करते हुए, बैंक, डाकघरों, उपस्थिति अस्तित्वों, मोडल कार्यालयों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण एजेंसी को शामिल करने, सेवाग्राहकों सलाहकारों आदि की नियुक्ति, ई-एनपीएस के माध्यम से ऑनबोर्डिंग और लेनदेन में सुविधा प्रदान करते हुए कवरेज का विस्तार करने में लगा

हुआ है।

सुरक्षा

पीएफआरडीए ने पेंशन आस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत विनियमों का एक व्यापक ढांचा तैयार किया है ताकि अभिदाताओं को सेवाग्राहकता लाभ प्रदान करने के लिए संचित पेंशन निधि के जोखिम को कम किया जा सके। इन विनियमों में आस्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन निधि सहित सभी मध्यस्थों के तयन हेतु कठोर पात्रता मानदंड, विस्तृत कॉर्पोरेट प्रशासन रूपरेखा, उपयुक्त और उचित मानदंड, व्यापक आचार संहिता, विस्तृत भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, तथा दंड संरचनाएं शामिल की गई हैं। इन विनियमों की समय-समय पर समीक्षा की गई है तथा उन्हें सुदृढ़ भी बनाया गया है। आईटी पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को अधिक मजबूत करने के लिए, पीएफआरडीए साइबर सुरक्षा के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसी क्रम में भविष्य में कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रभावशीलता

प्राधिकरण का प्रयास स्वीकार्य जोखिमों के अधीन अभिदाताओं को अधिकतम रिटर्न प्रदान करते हुए प्रणाली की दक्षता को इष्टतम बनाना है। इन रिटर्न को इष्टतम बनाने के लिए समय-समय पर निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा के माध्यम से किया जाता है।

दक्षता का संबंध भ्रम और पूंजी बाजार की दक्षता से भी है, क्योंकि दोनों ही पेंशन में प्रत्यक्ष योगदान (लंबे कार्यकाल और अशदान, पूंजी की कम लागत या अधिक वित्तीय समावेशन के माध्यम से) के साथ-साथ नौकरियों और निवेश में अप्रत्यक्ष अशदान के माध्यम से पेंशन प्रणाली के साथ अंतःक्रिया करते हैं। पीएफआरडीए जागरूकता सृजन के माध्यम से वित्तीय समावेशन में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

पूंजी बाजारों के लिए, दक्षता गैर-बैंक वित्तीय पूंजी के विकास के माध्यम से पूंजी बाजार की गहराई से संबंधित है, ताकि उत्पादक निवेश का वित्तपोषण किया जा सके और व्यापक पूंजी बाजार सुधारों के लाभों को अधिकतम किया जा सके। पीएफआरडीए की इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर-विनिर्माण समूहों और समितियों में भागीदारी रही है।

पर्याप्तता

किसी भी पेंशन प्रणाली के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि अभिदाताओं के लिए सेवाग्राहकता के समग्र पर्याप्त पेंशन संपत्ति उपलब्ध हो अर्थात् सेवाग्राहकता

लाम हकदारी की सुविधा देना जो कि उन्हें वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करती हो। जबकि एनपीएस, बिना किसी लाम की गारंटी के एक परिभाषित अंशदान योजना है, लेकिन अच्छे अन्यास के एक उपाय के रूप में, प्राधिकरण का प्रयास विभिन्न उपायों के माध्यम से पर्याप्त सेवानिवृत्ति योजना के बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना है, जिसमें कर रियायतों आदि के लिए सरकार के साथ जुड़कर रिटर्न को अनुकूलित करने के लिए निवेश दिशानिर्देशों की समीक्षा और उनका योगदान बढ़ाना भी शामिल है।

स्थिरता

स्थिरता किसी भी अंशदायी पेंशन प्रणाली के मुख्य बिंदुओं में से एक है। एनपीएस के माध्यम से भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को पेंशन उत्पाद उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, जो सुरक्षित वृद्धावस्था आय उपलब्ध कराने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। एनपीएस एक संस्थागत ढांचे और उत्पाद डिजाइन के साथ एक परिभाषित अंशदान योजना है, और यह लंबे समय तक खुद को बनाए रखने के लिए खुद को सशक्त बनाता है। सतत पेंशन प्रणाली के प्रयास को प्राप्त करने में निरंतर बचत की आदत और निवेश अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएफआरडीए ने सेवानिवृत्ति बचतों/पेंशन के जागरूकता स्तर को बढ़ाने और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

1.8. एनपीएस के अंतर्गत मध्यवर्ती इकाइयां

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक असमूहीकृत स्थापत्य के तहत काम करती है, जिसमें प्रत्येक कार्य उस क्षेत्र विशेष की संस्थाओं को सौंपा जाता है।

1.8.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनिगम के तहत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं से संबंधित मध्यवर्ती और अन्य इकाइयां

एनपीएस संरचना में उपस्थित अस्तित्व (पीओपी), सरकारी विभाग नोडल कार्यालय, केंद्रीय अभिलेखागार अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, पेंशन निधि (पीएफ), एनपीएस न्यास अभिरक्षक, वार्षिकी सेवा प्रदाता और सेवानिवृत्ति सलाहकार शामिल हैं।

1.8.1.1 उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी)

एनपीएस में अभिदाताओं के पंजीकरण और सेवा के लिए पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि उपस्थिति अस्तित्व कहलाती हैं। पीओपी, अभिदाता और एनपीएस के बीच संपर्क का पहला

बिंदु होता है। पंजीकृत पीओपी में पीओपी-सेवा प्रदाता (पीओपी-एसपी) नामक शाखाएं जमा केंद्रों के रूप में कार्य करने और अभिदाताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पीओपी के कार्यों में अभिदाता पंजीकरण, अभिदाता अंशदानों को संसाधित करना, व्यक्तिगत विवरणों में परिवर्तन, निवेश योजना/निधि प्रबंधक में परिवर्तन, अभिदाता को एक मॉडल से दूसरे मॉडल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, मुद्रित खाता विवरण जारी करना और सेवानिवृत्ति पर आहरण/प्रत्याहरण अनुरोध की प्रक्रिया आदि शामिल हैं।

1.8.1.2 सरकारी नोडल कार्यालय

(1) केंद्र सरकार के नोडल कार्यालय

पीआरएओ, पीएओ और डीडीओ

केंद्र सरकार के अधीन प्रधान लेखा कार्यालय (पीआरएओ), पेंशन और लेखा कार्यालय (पीएओ), तथा आहरण और संवितरण कार्यालय (डीडीओ) या केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के अधीन समरूप कार्यालय जो एनपीएस के लिए अभिदाताओं की ओर से सीआरए के साथ संपर्क करते हैं।

(2) राज्य सरकार के नोडल कार्यालय

डीटीए, डीटीओ और डीसीओ

राज्य सरकारों के अधीन कोषागार एवं लेखा निदेशालय (डीटीए), जिला कोषागार कार्यालय (डीटीओ) तथा आहरण और संवितरण कार्यालय (डीडीओ) या राज्य सरकारों और राज्य स्वायत्त निकायों के अधीन समरूप कार्यालय, जो एनपीएस के लिए अभिदाताओं की ओर से सीआरए के साथ संपर्क करते हैं।

एनपीएस के तहत विभिन्न परिचालन कार्यों के लिए सीआरए प्रणाली के तहत पंजीकृत सरकारी एजेंसियों के नोडल कार्यालय हैं। इन कार्यालयों की पहचान एक विशिष्ट संख्या अर्थात् पीआरएओ/पीएओ/डीसीओ पंजीकरण संख्या द्वारा की जाती है जो सफल पंजीकरण पर सीआरए द्वारा उन्हें आवंटित की जाती है। इन कार्यालयों की प्रमुख भूमिकाएं निम्नानुसार हैं:

- अभिदाता पंजीकरण हेतु प्रपत्र जमा करना
- अभिदाताओं को प्रान किट का वितरण
- अभिदाताओं के अंशदान को समय पर अपलोड करना
- अभिदाताओं के अंशदान के बारे में समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करना

- आवश्यक कार्रवाई के लिए अभिदाताओं के अनुरोधों को अग्रणी करना
- अभिदाताओं की शिकायतों का समाधान करना
- अभिदाताओं के अनुमोदित आहरण अनुरोधों को अग्रणी करना।

1.8.1.3 केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए)

प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कं-फिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (सीएमएस) को एनपीएस के लिए सीआरए के तौर पर नामित किया गया है। उनके मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

अभिदाता रिकॉर्ड, प्रशासन और अभिदाता सेवा कार्यों को बनाए रखना।

- प्रत्येक अभिदाता के लिए स्थायी सेवानियुक्ति खाता संख्या (पीआरएएन) जारी करना, सभी पीआरएएन का डाटाबेस बनाए रखना तथा प्रत्येक पीआरएएन से संबंधित लेनदेन का रिकॉर्ड रखना।
- एनपीएस प्रणाली के विभिन्न मध्यस्थों के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करना।
- इसमें प्रत्येक सदस्य द्वारा अंशदान की निगरानी करना और पेशन निधियों को इसके द्वारा प्रदत्त निर्देश और संसार शामिल हैं। समय-समय पर, वे प्रत्येक सदस्य को एक ग्रान विवरणी भी भेजते हैं।
- केंद्रीकृत शिक्षण प्रबंधन प्रणाली प्रदान करना।
- निधि प्रबंधकों को समय पर निधि अंतरण से संबंधित जानकारी प्रदान करना।
- वार्षिकी योजना के लिए अभिदाताओं के खाते और वार्षिकी सेवा प्रदाता को में निकासी निधि भेजने के लिए न्यासी बैंक के साथ समन्वय करना।

1.8.1.4 न्यासी बैंक

न्यासी बैंक एनपीएस के तहत विभिन्न मध्यस्थों के बीच धन के प्रवाह को संभालता है। वर्तमान में, एक्सिस बैंक लिमिटेड सीआरए से प्राप्त निर्देशों के आधार पर अभिदाताओं, पेशन निधियों और वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के बीच निधि हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने के लिए नामित बैंक है। न्यासी बैंक नोडल कार्यालयों / पीओपीएस / एग्रीगेटर्स से निधियां प्राप्त करता है और उनका अभिदाता अंशदान फाइल के साथ मिलान करता है। न्यासी

बैंक एनपीएस न्यास के नाम पर निधि को धारित करता है तथा अभिदाता के पास उसका हितकारी स्वामी होता है।

1.8.1.5 पेशन निधि (पीएफ)

ये पेशवर पेशन निधि प्रबंधक हैं, जो प्रतिभूतियों के एक पोर्टफोलियो में पेशन कोष का निवेश, व्यापपूर्ण और विवेकपूर्ण तरीके से करने तथा उनका प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में एनपीएस के तहत पेशन निधि प्रबंधक के तौर पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एलआईसी पेशन फंड लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, एचडीएफसी पेशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आदित्य बिरला सन लाइफ पेशन मैनेजमेंट लिमिटेड, टाटा पेशन मैनेजमेंट लिमिटेड, मैक्स लाइफ पेशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, एक्सिस पेशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड और डीएसपी पेशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। उनके कार्य निम्नानुसार हैं:-

- निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश सुनिश्चित करना।
- सीआरए द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार योजनाओं में अंशदान निवेश करना।
- योजना पोर्टफोलियो का निर्माण करना।
- बहीखातों और अभिलेखों का रखरखाव, प्राधिकरण को रिपोर्ट करना, और प्रकटीकरण करना।

1.8.1.6 प्रतिभूतियों के अभिरक्षक

एनपीएस न्यास के नाम पर एनपीएस कॉर्पस से खरीदी गई प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा धारित की जाती हैं, जो प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी और स्विकार करके प्रतिभूतियों के लेन-देन की सुविधा भी प्रदान करती हैं। पीएफआरडीए ने 01 अप्रैल, 2022 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ड्यूरा बैंक को अपनी प्रतिभूतियों का अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया है। इसके कार्यों में शामिल हैं:-

- एनपीएस निधि से खरीदी गई एनपीएस न्यास के नाम पर धारित प्रतिभूतियों की अभिरक्षा करना।
- धारित प्रतिभूतियों का विवरण रखना।
- प्रतिभूतियों पर लाभांश, अधिकार, बोनस आदि जैसे लाभों का संग्रहण करना।
- एनपीएस न्यास को (जो बदले में इसे पीएफआरडीए को रिपोर्ट करता है) प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं की उन

कार्रवाईयों के बारे में सूचित करना, जो लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।

1.8.1.7 एनपीएस न्यास

एनपीएस न्यास भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत स्थापित एक न्यास है, जो अभिदाताओं के लाभ के लिए एनपीएस की संपत्ति को धारित करता है। न्यास को निधियों का ध्यान रखने और अभिदाता के हितों की रक्षा करने की विश्वासार्थ जिम्मेदारी है। एनपीएस न्यास, पेंशन निधियों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), न्यासी बैंक, अगिस्त्रक और अन्य संस्थाओं जैसे अन्य मध्यवर्तियों साथ संपर्क करते हैं।

1.8.1.8 वार्षिकी सेवा प्रदाता

वार्षिकी सेवा प्रदाता (एसपी) आईआरडीएआई द्वारा विनियमित बीमा कंपनियां हैं। ये पीएफआरडीए द्वारा सूचीबद्ध की गई हैं। ये कंपनियां एनपीएस अभिदाताओं को उनके द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी के समूह में से वार्षिकी प्रदान करती हैं। 31 मार्च, 2024 तक पीएफआरडीए द्वारा 15 एसपी सूचीबद्ध किए गए हैं।

1.8.1.9 सेवानिवृत्ति सलाहकार

सेवानिवृत्ति सलाहकार का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति, पंजीकृत भागीदारी फर्म, निगमित निकाय या किसी पंजीकृत न्यास या सोसायटी से है जो भावी/अभिदाताओं या अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को पीएफआरडीए द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अन्य पेंशन योजना पर सलाह प्रदान करने की गतिविधि में संलग्न होता चाहता है और पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के तहत पंजीकृत है। व्यक्तिगत और उनसे इतर सेवानिवृत्ति सलाहकारों की सूची पीएफआरडीए की वेबसाइट पर

उपलब्ध है।

1.8.2 खाते के प्रकार

एनपीएस के अंतर्गत निम्नलिखित दो प्रकार के खाते उपलब्ध हैं।

टियर-1 खाता टियर-1 खाते के अंतर्गत, अभिदाता अपनी सेवानिवृत्ति/पेंशन के लिए बचत को इस आंशिक रूप से निकासी योग्य खाते में जमा करता है। आंशिक निकासी की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन है।

टियर-2 खाता यह एक स्वैच्छिक निवेश खाता है जहां अभिदाता जब भी चाहे इस खाते से बचत जमा करने और निकासी करने के लिए स्वतंत्र है।

टियर 2 के तहत, टियर 2 कर बचत योजना (टीटीएस) खाता है जो विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किए गए खाते का एक अन्य प्रकार है ताकि उन्हें अतिरिक्त कर लाभ मिल सके। इसकी तीन साल की लॉक-इन अवधि है।

पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस के अलावा अटल पेंशन योजना का भी संचालन और विनियमन किया जाता है।

1.8.3 लोकसंपर्क

सेवानिवृत्ति के लिए बचत और सेवानिवृत्ति योजना की आवश्यकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु तथा पीएफआरडीए के अभिदेश को पूरा करने के लिए, पीएफआरडीए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है, जिसमें पीएफआरडीए द्वारा चयनित प्रशिक्षण एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, व्यापक वित्तीय उपभोक्ता सुरक्षा नीति के एक भाग के रूप में सभी क्षेत्रों में अभिदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं/संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीएस/एपीवाई प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मोड यानी वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रदान किया गया और नियुक्त प्रशिक्षण एजेंसी ने 13,224 प्रतिभागियों के लिए कुल 111 ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

भाग II

एनपीएस के तहत निधियों का निवेश

यह अध्याय अधिनियम के अंतर्गत एनपीएस और अन्य पेंशन योजनाओं के तहत निधियों के निवेश और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (रिपोर्ट, रिटर्न और वक्तव्य) नियम, 2015 के परिशिष्ट 2 के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों और इक्तिवटी सहित निवेश की विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जोखिम की सीमा से संबंधित है।

2.1 पेंशन निधियाँ

पेंशन निधि का तात्पर्य एक मध्यवर्ती इकाई से है, जिसे प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उप-धारा (3) के तहत विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अंशदान प्राप्त करने, उन्हें संचित करने और अभिदाता की मुग्तान करने के लिए एक पेंशन निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदाताओं को विभिन्न आस्ति वर्गों में और अभिदाता की पसंद के अनुसार अलग-अलग अनुपात में एक या एक से अधिक पेंशन निधि प्रवक्कों के पास अपने पेंशन अंशदान को निवेश करने का विकल्प प्रदान करती है। 31 मार्च, 2024 तक पीएफआरडीए में 11 पेंशन फंड पंजीकृत हैं जो एनपीएस संरचना के तहत स्वीकृत कुल 14 प्रकार की योजनाओं का प्रबंधन करते हैं। योजना सीजी, योजना एसजी और योजना एपीआई जैसी डिफॉल्ट सरकारी क्षेत्र की योजनाओं का प्रबंधन एसबीआई पीएफपीएल, एलआईसी पीएफएल और यूटीआई आरएसएल नामक केवल 3 पेंशन निधि प्रवक्कों द्वारा किया जाता है। ई. सी. जी टियर I और टियर II, ए टियर I और एनपीएस-टीटीएस-II जैसी निजी क्षेत्र की योजनाओं का प्रबंधन सभी पेंशन फंडों द्वारा किया जाता है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 को 14 मई, 2015 को अधिसूचित किया गया था और पेंशन निधियों को इन विनियमों का पालन करना था।

2.1.1 पेंशन निधियों के कार्य

पेंशन निधियों के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है:

क) पेंशन योजनाओं का प्रबंधन, योजना के उद्देश्य, अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों,

परिपत्रों, निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास डीड के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा सखानिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।

ख) पेंशन योजनाओं का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा।

ग) पेंशन निधि, अभिदाता के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, उच्चतर सेवा मानकों, उचित सावधानी, विवेकशीलता, व्यावसायिक कौशल, तत्परता, शीघ्रता और सतर्कता का प्रयोग करेगी। सभी पेंशन निधियों को सहा निवेश या लेनदेन से बचना चाहिए।

घ) पेंशन निधि में योग्य, प्रशिक्षित व्यावसायिकों और सत्यनिष्ठा वाले कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। पेंशन निधि, अपने कर्मचारियों, एजेंटों या अधिकृत व्यक्तियों, जिससे संभाव्य प्राप्त की गई हैं, के कृतकृत्य के लिए जिम्मेदार होगी, और ऐसे कृतकृत्य का उत्तरदायित्व उसका होगा। पेंशन निधि का यह दायित्व पंजीकरण के प्रमाणपत्र के मिलन या रद्द होने के या ऐसी कार्रवाई जो प्राधिकरण द्वारा अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए की जाए, के बावजूद भी बना रह सकता है।

ङ) पेंशन निधि अन्य मध्यस्थों और अनुमत संस्थाओं के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करेगी और अन्य बातों के साथ-साथ कचार करेगी, साथ ही अपने कार्यात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए तकनीकी मंच के माध्यम से कार्य और समायोजन करेगी।

च) पेंशन निधि, निवेश निर्णयों और पेंशन योजनाओं के संचालन से संबंधित छाता-बहिषों, अभिलेखों, रजिस्ट्रों और दरतावेजों को प्रबंधित करेगी, ताकि प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और लेनदेन के लेखापरीक्षा सत्यापन को सुविधाजनक बनाया जा सके और सदैव कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

छ) पेंशन निधि इन विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों के तहत अपेक्षित, या प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा मांगे जाने पर आवधिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ज) पेंशन निधि अभिदाताओं के हित में सूचना का लोक

प्रकटीकरण प्राधिकरण द्वारा अनुसूची 5 में यथानिर्दिष्ट पद्धति और रीति से करेगी।

अ) पेंशन निधि निवेश और जोखिम प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम अभिज्ञात पद्धतियों को अपनाएगी, अर्थात् निवेश समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगी, जिनकी संरचना, कार्य और कर्तव्य अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगे तथा इसके साथ ही लेखापरीक्षा समिति, नामांकन समिति, और पारिश्रमिक समिति का भी गठन करेगी।

ब) पेंशन निधि पेंशन निधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उत्पन्न होने वाले संघर्ष को रोकेगी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को ऐसे उदाहरणों की रिपोर्ट करेगी।

ट) पेंशन निधि पेंशन निधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव से बचाव किया जाएगा तथा ऐसे मामलों की रिपोर्ट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को की जाएगी।

ठ) पेंशन निधि अपने प्रायोजकों की गतिविधियों से पेंशन निधि गतिविधियों की विशिष्टता और पृथक्करण सुनिश्चित करेगी।

ड) पेंशन निधि अभिदाताओं तथा पेंशन निधियों से जुड़ी सूचना और संबंधित कार्यकलापों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास किसी अन्य माध्यमों के साथ ऐसी जानकारी साझा करेगी या अन्य कानून के प्रावधानों के द्वारा अपेक्षित सूचना के अतिरिक्त इसके नियंत्रणाधीन सभी सूचनाओं का संरक्षण सुनिश्चित करेगी।

क) पेंशन निधि ऐसी अभ्यावेदन और वारंटिंग प्रदान करेगी और उसी के अनुसार कार्य करेगी, जो अभिदाता के हित के संरक्षण के लिए आवश्यक हो।

ण) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली फीस, प्रभार, लेवी और प्रतिभूति जमायश का भुगतान करेगी।

त) पेंशन निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अपने परिसालन और निष्पादन की समीक्षा के अधीन होगी।

थ) पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा पेंशन योजनाओं के लेखापरीक्षा के अधीन होगी।

द) पेंशन निधि, प्राधिकरण द्वारा यथा उचित समझे गए अन्य लेखापरीक्षा और निरीक्षण के अधीन होगी।

ध) पेंशन निधि, जो उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) के

रूप में पंजीकृत है, को अपनी निधि प्रबंधन गतिविधियों से दूरी बनाए रखने के लिए राजस्व और व्यय के विवरण सहित पृथक बुनियादी ढांचे, जनशक्ति, खातों को बनाए रखना होगा।

न) पेंशन निधि सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सार्वजनिक कंपनी पर लागू प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी और अनुपालन अधिकारी इस तरह का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

न) अधिनियम की धारा (20)(2)(घ)(ख) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा योजना की अभिसूचना दिए जाने पर, पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करेगी।

प) पेंशन निधि निम्नलिखित कार्य करेगी:

(1) घोषावही की शोकग्राम के लिए सभी आवश्यक उपाय करना, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार घोषावही की शोकग्राम और शमन नीति विकसित करना और उसका पालन करना।

(2) अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक नियंत्रण निर्धारित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

(3) पेंशन निधि की ओर से, घोषावही या लापरवाही के कारण किसी नुकसान के लिए अभिदाता को क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान स्थापित करना।

2.1.2 सरकारी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं (अर्थात् केंद्र सरकार और राज्य सरकार), एनपीएस-स्वावलंबन तथा एपीवाई हेतु पेंशन निधियों की सूची

i. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

ii. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

iii. यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड

2.1.3 निजी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन निधियों (पीएफ) की सूची

i. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

ii. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड

iii. यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड

iv. एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

- v. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- vi. कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
- vii. आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड
- viii. एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
- ix. टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
- x. मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड

पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निजी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं का प्रबंधन करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है और इसने 26 दिसंबर 2023 से अपना परिचालन शुरू कर दिया है।

पीएफ द्वारा प्रबंधित एयूएम की निम्नलिखित स्लैब संरचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2021 से निवेश प्रबंधन शुल्क को संशोधित किया गया है:

तालिका 21 – निवेश प्रबंधन शुल्क

स्लैब	% प्रति वर्ष
₹ 10,000 करोड़ तक	0.09*
> ₹ 10,000 करोड़ – ₹ 50,000 करोड़	0.06
> ₹ 50,000 करोड़ – ₹ 1,50,000 करोड़	0.05
₹ 1,50,000 करोड़ और उससे अधिक	0.03

* इस स्लैब के तहत यूटीआई और एमएन 0.07 प्रतिशत शुल्क होगा।

सरकारी क्षेत्र के तहत, 03 सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधि अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड/एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड/यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुपात में (तीन पेंशन फंडों में) अंशदान को प्रबंधित और निवेशित करेंगी।

इसके अलावा, सरकार के का. आ. सं. दिनांक 31 जनवरी, 2019 के 1/3/2016-पीआर और प्राधिकरण के 8 मई, 2019 के परिपत्र के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं:-

पेंशन निधि का विकल्प –

जैसा कि निजी क्षेत्र में अभिदाताओं के मामले में है, उसी

2.2 योजनाएं

एनपीएस में अभिदाता निम्नलिखित क्षेत्रों के तहत आते हैं:

- i- सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार / राज्य सरकार – स्वायत्त निकायाँ सहित)
- ii. सार्व नागरिक क्षेत्र/असंगठित क्षेत्र
- iii. कॉर्पोरेट क्षेत्र
- iv. एनपीएस लाइट/स्वावलंबन
- v. अटल पेंशन योजना (एपीआई)

एनपीएस के तहत, उपरोक्त योजनाओं के लिए निवेश, प्राधिकरण द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित किया जाता है और सभी योजनाओं/वर्गों के लिए शुरुआत से ही इक्विटी एक्सपोजर को निर्दिष्ट किया गया है। एनपीएस के तहत निवेश विकल्प अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं।

2.2.1 सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार जिनमें केंद्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय शामिल हैं)

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत सीएबी/एसएबी सहित सरकारी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोजर सीमा तय की गई है:-

तालिका 22 – सरकारी क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियाँ और संबंधित निवेश	65 तक
कृण उपकरण और संबंधित निवेश	45 तक
अल्पकालिक कृण उपकरण और संबंधित निवेश	10 तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 तक
सम्बंधित परिसंपत्ति, न्याय संरक्षित और विविध निवेश	5 तक

प्रकार सरकारी अभिदाताओं को निजी क्षेत्र की पेंशन कोषनिधि सहित किसी एक पेंशन निधि के चयन की अनुमति दी जाएगी। वे वर्ष में एक बार अपना विकल्प बदल सकते हैं। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधियों के संयोजन का मौजूदा प्रावधान विद्यमान और नए सरकारी अभिदाताओं दोनों के लिए डिफॉल्ट विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगा।

निवेश प्रारूप का विकल्प सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित निवेश विकल्प प्रदान किए जाएंगे:

i. मौजूदा योजना जिसमें पीएफआरडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निधि प्रबंधकों के बीच घन आवंटित किया गया हो, को मौजूदा और नए अभिदाताओं के लिए डिफॉल्ट योजना के रूप में जारी रहेगी।

ii. सरकारी कर्मचारियों जो न्यूनतम जोखिम के साथ एक निश्चित रिटर्न चाहते हैं, उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों (योजना जी) में 100 प्रतिशत निवेश करने का विकल्प दिया जाएगा।

iii. उच्चतर रिटर्न चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित दो जीवन-चक्र आधारित योजनाओं के विकल्प दिए जाएंगे:

क) इक्विटी में अधिकतम 25 प्रतिशत की निवेश सीमा के साथ कंजर्वेटिव जीवन चक्र निधि एलसी - 25 तक सीमित किया गया है।

ख) इक्विटी में अधिकतम 50 प्रतिशत की निवेश सीमा

के साथ मॉडरेट जीवन चक्र निधि एलसी - 50 तक सीमित किया गया है।

केंद्र सरकार के अभिदाता, एनपीएस के तहत उपर्युक्त विकल्पों में से एक वित्तीय वर्ष में दो बार निवेश पैटर्न के किसी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए - पीएफआरडीए परिपत्र संख्या पीएफआरडीए / 2019 / 12 / संदर्भ-पीएफ / 1 दिनांक 08 मई, 2019 का संदर्भ लें।

कुछ राज्य सरकारों ने भी उपर्युक्त निवेश विकल्पों की शुरुआत की है।

2.2.2 एनपीएस-लाइट

यह अवगत कराया जाता है कि एनपीएस-लाइट के तहत नए नामांकन दिनांक 01.04.2015 से बंद हो गए हैं। हालांकि, मौजूदा एनपीएस-लाइट अभिदाताओं के लिए पीएफआरडीए के निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार, एनपीएस-लाइट क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है।

तालिका 2.3 - एनपीएस लाइट क्षेत्र में परिसंपत्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	65 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 तक
समर्थित परिसंपत्ति, न्यास संरचित और विविध निवेश	5 तक

एनपीएस-लाइट के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 3 पेंशन निधियां अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड / एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड / युटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुपात में (तीन पेंशन निधियों में से) अंशदान प्रबंधित और निवेश करने के लिए हैं। इसके अलावा, एकल निजी क्षेत्र की पेंशन निधि अर्थात् कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड को अंशदान के प्रबंधन के लिए एप्रोपेटर्स में से एक के रूप में चुना गया है।

एनपीएस- लाइट योजना के तहत, अभिदाताओं को पेंशन निधि या आस्ति आवंटन के चयन का विकल्प नहीं दिया गया है।

2.2.3 अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

अटल पेंशन योजना (एपीवाई), भारत के नागरिकों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। एपीवाई के तहत, 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या 3,000 रुपये या 5,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रति माह 60 वर्ष की आयु प्राप्त

करने पर दी जाएगी जो अभिदाताओं के अंशदान पर निर्भर होगी।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत, अभिदाताओं को

पेंशन निधि या आस्ति आवंटन के चयन का विकल्प नहीं दिया गया है, क्योंकि यह एक गारंटीकृत सरकारी योजना है और इसमें एनपीएस के तहत सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के समान ही आस्ति आवंटन रखा जाता है।

तालिका 2.4 – अटल पेंशन योजना क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियाँ और संबंधित निवेश	65 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 तक
समर्थित परिसंपत्ति, न्यास संरचित और विविध निवेश	5 तक

अटल पेंशन योजना के तहत, 3 सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन की निधियाँ अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुपात (तीन पेंशन निधियों के माध्यम) में अंशदान प्रबंधित और निवेश करने के लिए हैं।

2.2.4 सर्व नागरिक क्षेत्र

सर्व नागरिक क्षेत्र के तहत अभिदाता किसी भी निवेश पद्धति अर्थात् 'एक्टिव चॉइस' या 'ऑटो चॉइस' का चयन कर सकते हैं।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत सर्व नागरिक/असंगठित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई है

तालिका 2.5 – सर्व नागरिकों/असंगठित क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
इक्विटी और संबंधित निवेश	75 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	100 तक
सरकारी प्रतिभूतियाँ और संबंधित निवेश	100 तक
वैकल्पिक परिसंपत्तियाँ	5 तक
अल्पाकालिक निवेश (मुद्रा बाजार, अल्पाकालिक म्यूचुअल फंड और सावधि जमा)	10 तक

पेंशन निधि और निवेश पद्धति को बदलने का विकल्प

इसके अलावा, एक विधीय वर्ष में अभिदाता द्वारा पेंशन निधि को एक बार तथा निवेश विकल्प को चार बार बदला जा सकता है।

2.2.5 कॉर्पोरेट क्षेत्र

कॉर्पोरेट क्षेत्र से संबंधित अभिदाताओं के लिए, जहां नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया है, निवेश विकल्पों और चयन को लचीला रखा गया है।

इस भाग के तहत दो प्रकार की योजनाएं हैं:

कॉरपोरेट सी जी- इस योजना को बंद कर दिया गया है और यह कॉरपोरेट भाग के तहत उपलब्ध नहीं है, लेकिन वे कॉरपोरेट जो पहले से ही इस योजना के तहत शामिल हैं और जिन्होंने इस योजना को नहीं बदला है, वे अभी भी इस योजना में बने हुए हैं।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत निम्नलिखित एक्सपोजर सीमाएं कॉर्पोरेट केंद्र सरकार क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई हैं:

तालिका 26 – कॉर्पोरेट केंद्र सरकार क्षेत्र में आस्तियों का आवंटन

वितरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित निवेश	65 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	45 तक
अल्पकालिक ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	10 तक
इक्विटी और संबंधित निवेश	15 तक
समर्थित परिसंपत्ति, न्यास संरचित और विविध निवेश	5 तक

इस कॉरपोरेट सी जी योजना के तहत, 2 पेंशन निधियां अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड अथवा एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ निवेश किया गए हैं।

अन्य योजना: (वर्तमान में कॉर्पोरेट भाग के तहत उपलब्ध)

इस योजना के तहत, नियोजक कर्मचारियों को पेंशन निधि और/या निवेश के तरीके का चुनाव करने का उत्तरदायित्व सीमा जा सकता है या नियोजक अपने कर्मचारियों की ओर से पेंशन निधि और/या जीवन चक्र निधि का चयन कर सकता है। एनपीएस से संबंधित ये पहलू नियोजक-कर्मचारी संबंधन का भाग बनते हैं। निवेश विकल्प के अनुसार, नियोजक या अभिदाता को एक पंजीकृत पेंशन निधि में से किसी एक को चुनना होगा और चार आस्ति वर्गों के बीच आस्ति आवंटन के आगे की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- **आस्ति वर्ग ई** – इक्विटी और संबंधित उपकरण

- **आस्ति वर्ग सी** – कॉर्पोरेट ऋण और संबंधित उपकरण
- **आस्ति वर्ग जी** – सरकारी बांड और संबंधित उपकरण
- **आस्ति वर्ग ए** – सीएमबीएस, एमबीएस, रिट्स, एआईएफ, इनविट्स आदि सहित वैकल्पिक निवेश निधियां शामिल हैं।

कॉर्पोरेट केंद्र क्षेत्र के तहत अभिदाता किसी भी निवेश पद्धति अर्थात् 'एक्टिव चॉइस' या 'ऑटो चॉइस' का चयन कर सकते हैं।

पीएफआरडीए के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस के तहत कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए निम्नलिखित एक्सपोजर सीमा निर्धारित की गई हैं:

तालिका 2.7 कॉर्पोरेट क्षेत्र में परिसंपत्तियों का आवंटन

विवरण	एक्सपोजर सीमा (प्रतिशत में)
इक्विटी और संबंधित निवेश	75 तक
ऋण उपकरण और संबंधित निवेश	100 तक
सरकारी प्रतिभूतियाँ और संबंधित निवेश	100 तक
वैकल्पिक परिसंपत्तियाँ	5 तक
अल्पावधिक निवेश (मुद्रा बाजार, अल्पावधिक म्यूचुअल फंड और सावधि जमा)	10 तक

पेंशन निधि और निवेश पैटर्न को बदलने का विकल्प

इसके अलावा, अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में पेंशन निधि को एक बार और निवेश विकल्प को चार बार बदला जा सकता है।

2.2.6 टीयर II कर बचत योजना (टीटीएस)

यह योजना केवल केंद्र सरकार से संबंधित एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है। आधार अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों द्वारा अंशदान उपायोजित करने की तिथि से 3 साल की लॉक-इन अवधि है। लॉक-इन अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालांकि, अभिदाता की मृत्यु के मामले में, नामित / कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा निधि को प्रत्याहृत किया जा सकता है। एनपीएस से निकासी के समय टीयर-1 खाता बंद होने की स्थिति में एनपीएस-टीटीएस में अंशदान की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि लॉक-इन अवधि पूरी नहीं हो जाती। टीटीएस के संबंध में पेंशन निधि को निम्नलिखित निवेश सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

तालिका 2.8 टीटीएस में आसित वर्ग सीमाएं

परिसंपत्ति वर्ग	सीमाएं (प्रतिशत में)
इक्विटी	10 - 25
ऋण	90 तक
नकद, मुद्रा बाजार, म्यूचुअल फंड	20 तक

पेंशन निधि और निवेश पैटर्न को बदलने का विकल्प

इस योजना के तहत अभिदाताओं के पास निवेश चुनाव का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। हालांकि, टीटीएस अभिदाताओं को पृथक् रूप से अधिकतम 3 पेंशन निधियाँ रखने का विकल्प है। हालांकि, पेंशन निधि में बदलाव की अनुमति लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद ही दी जाएगी।

2.2.7 पेंशन निधियों का विवरण

प्रबंधन के तहत आस्तियों का योजना वार विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

तालिका 2.9 – प्रबंधन के तहत आस्ति का विवरण

योजना	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	पूर्ण वृद्धि	वृद्धि (प्रतिशत में)
केंद्र सरकार	2,50,631.18	3,03,144.54		
राज्य सरकार	4,47,114.39	5,73,527.20		
योग	6,97,745.57	8,76,671.74	1,78,926.17	25.64
एनपीएस लाइट	4,914.52	5,559.69		
एपीवाई	26,700.12	35,647.67		
एपीवाई निधि योजना	522.71	884.17		
कॉर्पोरेट केंद्र सरकार	58,766.72	77,174.94		
ई-टियर I	43,251.38	76,999.16		
सी-टियर I	22,329.81	34,012.00		
जी टियर I	40,375.85	60,750.97		
ए-टियर I	271.69	411.39		
ई टियर II	1,681.16	2,573.34		
सी-टियर II	864.87	1,035.34		
जी-टियर II	1,419.11	1,797.97		
टीटीएस	12.53	17.51		
योग	2,01,120.47	2,96,864.15	95,743.68	47.61
कुल योग	8,98,866.04	11,73,535.89	2,74,669.85	30.56

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सरकारी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं (केंद्र सरकार और राज्य सरकार) के लिए प्रबंधन के तहत आस्ति में लगभग 25.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इन दोनों योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के प्रबंधन के तहत आस्ति में 47.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पूर्ण वृद्धि के संदर्भ में, सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में 1,78,926.17 करोड़ रुपये की वृद्धि तथा इसके अलावा अन्य

योजनाओं में कुल मिलाकर 95,743.68 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

जैसा कि ऊपर वर्णित है कि, अलग-अलग पेंशन योजनाएं अलग-अलग पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित हैं, इससे संबंधित पेंशन निधि के तहत विभिन्न योजनाओं के प्रबंधन के तहत आस्ति का विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 2.10 – 31 मार्च, 2024 तक के अनुसार पेंशन निधि वार और योजना-वार
(केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनपीएस लाइट, एपीवाई, एपीवाई निधि योजना और कॉर्पोरेट केंद्र सरकार)
प्रबंधन के तहत आस्तियां

राशि करोड़ रुपये में

पेंशन निधि / योजनाओं के नाम	केंद्र सरकार	राज्य सरकार	एनपीएस लाइट	एपीवाई	एपीवाई निधि योजना	कॉर्पोरेट केंद्र सरकार	कुल योग
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	1,05,350.61	1,96,243.24	2,251.64	12,101.61	297.92	73,294.01	3,89,539.03
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	99,208.34	1,91,513.25	1,627.00	12,027.43	311.31	3,880.93	3,08,568.26
यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	98,585.59	1,85,770.71	1,594.20	11,518.63	274.94		2,97,744.07
कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड			86.84				86.84
कुल	3,03,144.54	5,73,527.20	5,559.69	35,647.67	884.17	77,174.94	9,95,938.21

तालिका 2.11 – 31 मार्च, 2024 तक के अनुसार योजना-वार (ई-1, सी-1, जी-1, ए-1, ई-2, सी-2 और जी-2, टीटीएस-2) की तुलना में पेंशन निधिवार प्रबंधन के तहत आस्तियां

राशि - करोड़ रुपये में

पेंशन निधि / योजनाओं के नाम	योजना -ई-1	योजना -सी-1	योजना -जी-1	योजना -ई-2	योजना -सी-2	योजना -जी-2	योजना -ए-1	एनपीएस टीटीएस-2	कुल योग
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	16,896.40	8,342.29	17,277.52	523.72	240.64	482.77	77.38	4.87	43,845.57
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	5,164.50	2,762.10	5,203.72	151.30	78.35	213.29	18.39	2.00	13,593.66
यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड	2,152.97	906.44	1,674.59	89.14	33.83	64.37	9.93	1.21	4,932.48

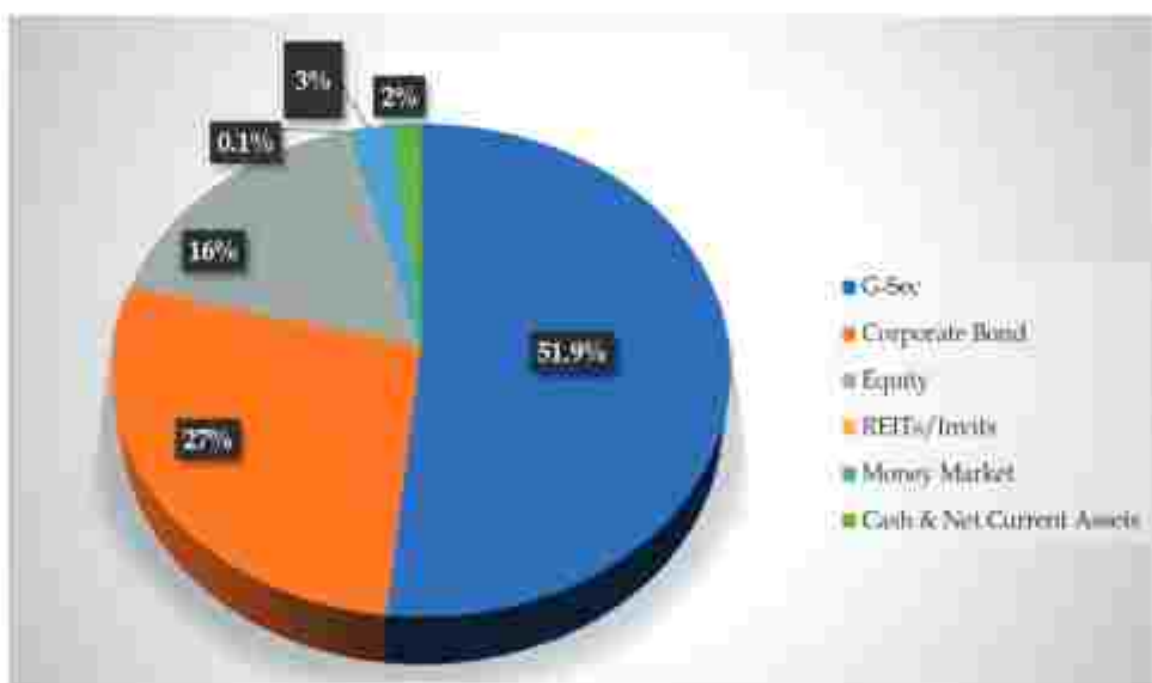
एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	36,194.65	14,330.02	23,927.76	1,182.69	434.02	645.01	235.29	5.33	76,954.78
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	12,384.21	5,708.43	9,365.27	440.04	187.04	281.90	50.50	1.74	28,419.13
कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	2,094.28	833.90	1,445.36	120.19	41.12	71.15	12.39	0.74	4,619.15
आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	605.80	295.24	530.09	33.42	13.04	26.55	3.72	0.86	1,508.72
टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	373.49	164.38	256.89	23.98	4.65	8.64	2.15	0.53	834.71
मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	187.40	116.11	270.27	1.30	0.26	0.77	0.20	0.06	576.37
एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	897.02	527.16	759.57	6.75	2.15	3.31	1.31	0.17	2,197.45
डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	48.43	25.92	39.93	0.81	0.22	0.21	0.13	0.00	115.66
कुल	76,999.16	34,012.00	60,750.97	2,573.34	1,035.34	1,797.97	411.39	17.51	1,77,597.68

मार्च, 2023 की तुलना में मार्च, 2024 के अनुसार प्रबंधन के तहत आस्तियों का आस्तित्व वर्गवार द्विविभाजन नीचे दिया गया है:-

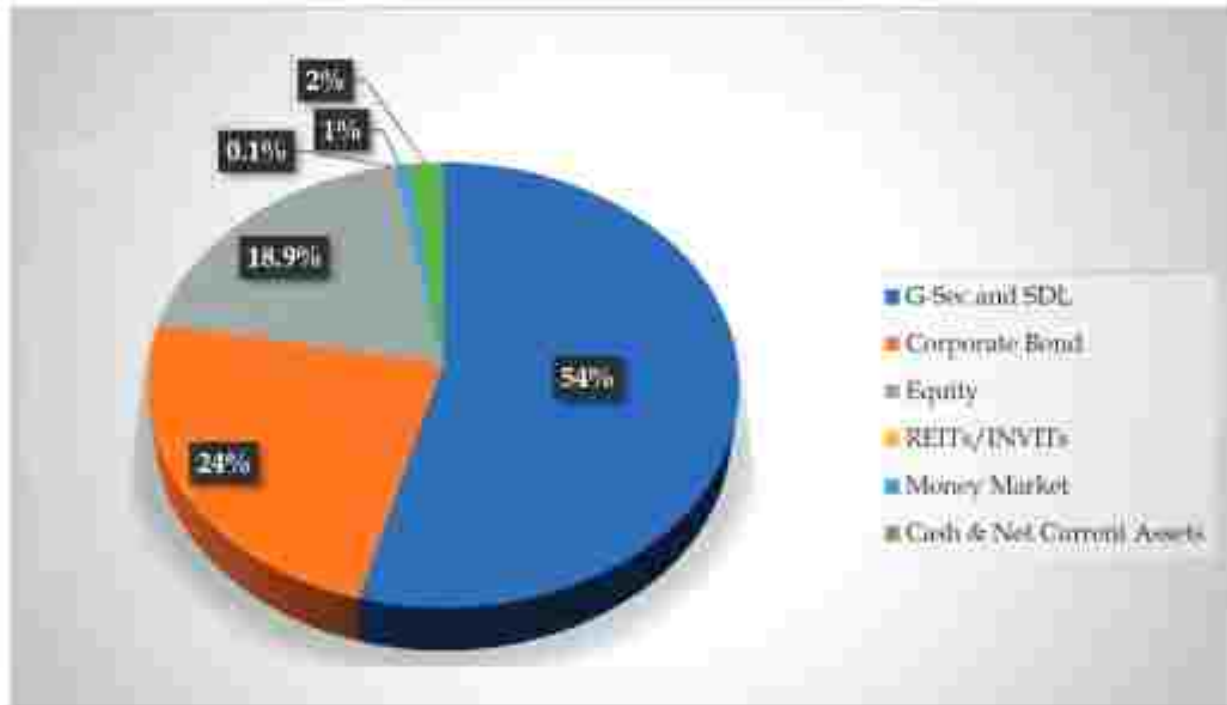
तालिका 2.12 – प्रबंधन के तहत आस्ति का आस्ति वर्गवार विभाजन

	31-मार्च-23		31-मार्च-24	
परिसंपत्ति वर्ग	राशि (करोड़ रुपये)	निवेश का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपये)	निवेश का प्रतिशत
जी-सेक	4,64,297.98	51.65%	6,36,189.12	54.21%
कॉर्पोरेट बॉन्ड	2,45,896.66	27.36%	2,78,690.02	23.75%
इक्विटी	1,48,844.45	16.56%	2,21,856.39	18.90%
रिट्स/ इनविट्स	1,079.92	0.12%	1,194.76	0.10%
मुद्रा बाजार	23,362.95	2.60%	12,464.77	1.06%
मकदी और निवल घालू परिसंपत्तियाँ	15,384.08	1.71%	23,140.83	1.97%
कुल	8,98,866.04	100.00%	11,73,535.89	100.00%

चार्ट 2.1 – प्रबंधन के तहत आस्ति का आस्ति वर्गवार विभाजन 31 मार्च 2023



चार्ट 2.2 – प्रबंधन के तहत आरिष्ठ का आरिष्ठ वर्गवार विभाजन 31 मार्च 2024



2.3 पेंशन निधियों से जुड़ी विनियम, अधिरूचनाएं, जारी किए गए प्रमुख परिपत्र / दिशानिर्देश

एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल (टियर-1), एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल (टियर-1) और एनपीएस टियर-2 (सभी अभिदाता) के तहत आरिष्ठ वर्गों (वैकल्पिक आरिष्ठ वर्ग या योजना-ए को छोड़कर) के धन के विकल्प पर परिपत्र।

- एनपीएस के तहत रखी गई प्रतिभूतियों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देशों का परिशिष्ट।
- एनपीएस टियर-1 और टियर-2 [केंद्र/राज्य सरकार, कॉर्पोरेट केंद्र सरकार, एनपीएस लाइट और एपीवाई के अलावा] के लिए निवेश दिशा निर्देशों पर मास्टर परिपत्र।
- एनपीएस/एपीवाई योजनाओं के लिए निवेश दिशा-निर्देशों पर मास्टर परिपत्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉर्पोरेट केंद्र सरकार, एनपीएस लाइट, अटल पेंशन योजना और एपीवाई निधि योजना।

- मार्जिन आवश्यकताओं के लिए सीसीआईएल के साथ प्रतिभूतियों को मार्जिन के रूप में रखने की अनुमति पर परिपत्र।

2.4 निरीक्षण

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, निम्नलिखित 8 पेंशन निधियों का निरीक्षण किया गया:

- एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड
- एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
- मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
- एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड

भाग III

प्राधिकरण के कार्य

यह अध्याय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं के संवर्धन, क्रमिक विकास तथा इस प्रणाली एवं योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्ति और कार्य पर प्रकाश डालता है।

3.1 मध्यवर्ती इकाइयों का पंजीकरण और ऐसे पंजीकरणों का निलम्बन, निरसन तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा अन्य पेंशन योजनाओं से जुड़े मध्यवर्तियों की गतिविधियों का विनियमन

पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने, विनियमित करने, बढ़ावा देने और और ऐसी प्रणाली और योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्राधिकरण के कर्तव्यों, शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एवं कोई अन्य पेंशन योजना जो पीएफआरडीए द्वारा संचालित की जाती है, इनके संचालन में बड़ी संख्या में कई संस्थाएँ शामिल होती हैं जैसे केंद्र और राज्य सरकार में पेंशन और लेखा कार्यालय/ट्रेजरी कार्यालय जो एनपीएसकीन पर सरकारी कर्मचारियों की आवधिक एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण तथा अपलोड के लिए जिम्मेदार हैं, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) तथा सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) आदि उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) हैं। ये कॉर्पोरेट, निजी और असंगठित क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए एनपीएस सदस्यता के पंजीकरण तथा अपलोड में सहायता करते हैं। एग्रीगेटर्स (अब पीओपी) जो विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में संभावित अभिदाताओं तक अंततोगत्वा पहुंचने में मदद करते

हैं, केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए), जो अभिदाताओं के प्रान अर्थात् व्यक्तिगत पेंशन खातों की रिकॉइंडकीपिंग के लिए जिम्मेदार है और एनपीएस के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करता है। निधि तथा बैंकिंग सुविधाओं के दैनिक प्रवाह के लिए उत्तरदायी न्यासी बैंक, पेंशन निधियाँ (पीएफ), जिसे पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीएस में शामिल अभिदाताओं की पेंशन आस्तियों का निवेश और प्रबंधन करने के लिए सशक्त किया गया है और वार्षिकी सेवा प्रदाता (एसपी) को अभिदाता के लिए मासिक पेंशन प्रदान करने हेतु प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

सरकारी क्षेत्र – केन्द्रीय और राज्य स्वायत्त निकाय

स्वायत्त निकायों का पंजीकरण: केन्द्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों के साथ-साथ केन्द्रीय मंत्रालयों के संबंधित वित्तीय सलाहकारों और राज्य सरकारों के मोडल अधिकारियों के साथ चर्चा करके इन्हें पंजीकृत करने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। पीएफआरडीए ने राज्य स्वायत्त निकाय के पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में राज्य सरकारों की सहायता भी की है।

पीएफआरडीए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपायों के माध्यम से केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय के सहमति पत्र ("एलओसी") की प्रक्रिया पूर्ण करता है और पूर्व-पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान एनपीएस पर आधारित संशयों के लिए भी उत्तरदायी है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जारी सहमति पत्र का विवरण नीचे दिया गया है:

- (i) केन्द्रीय स्वायत्त निकाय – 11 (ii) राज्य स्वायत्त निकाय – 119

31 मार्च, 2024 तक, पीआरएओ/डीटीए, पीएओ/डीटीओ और डीडीओ की संख्या निम्नानुसार है:

तालिका संख्या 3.1: पीआरएओ/डीटीए की संख्या, पीएओ/डीटीओ की संख्या और डीडीओ की संख्या

क्षेत्र	पीआरएओ/डीटीए की संख्या	पीएओ/डीटीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या
केंद्र सरकार	144	3,076	16,852
केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	672	2,061	4,278
कुल	815	5,137	21,130

तालिका संख्या 3.2: डीटीए/डीटीओ/डीसीओ की संख्या

क्षेत्र	डीटीए की संख्या	डीटीओ की संख्या	डीसीओ की संख्या
राज्य सरकार	72	1,983	2,35,601
राज्य स्वायत्त निकाय	733	6,040	16,545
कुल	805	8,023	2,52,146

तालिका संख्या 3.3: 31 मार्च, 2024 तक केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय का पंजीकरण

31 मार्च, 2023 की स्थिति	कुल पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	कुल पंजीकृत राज्य स्वायत्त निकाय	केन्द्रीय स्वायत्त निकाय के कुल नामित अभिदाता	राज्य स्वायत्त निकाय के कुल नामित अभिदाता
	672	1,809	2,85,470	10,23,255

तालिका संख्या 3.4: वित्तीय वर्षवार नए पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय

वित्त वर्ष के अनुसार प्रदर्शन	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
नए पंजीकृत केन्द्रीय स्वायत्त निकाय	18	25	25	24	27	22	12	11
नए पंजीकृत राज्य स्वायत्त निकाय	179	272	107	133	141	120	158	119

स्रोत: पर्यवेक्षण (केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय) व प्रचार और विकास (केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय)

31 मार्च, 2024 तक एनपीएस के तहत 1,809 राज्य स्वायत्त निकाय और 672 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय पंजीकृत हैं।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2024 तक 363 उपस्थिति अस्तित्व (सीआरए में पंजीकृत), तीन केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, एक न्यायी बैंक, ग्यारह पेशन निधियां और पंद्रह वार्षिकी सेवा प्रदाता हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय की एनपीएस संबंधी प्रोत्साहन तथा विकास गतिविधियां:

केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय द्वारा संचालित गतिविधियां निम्नलिखित हैं:-

एनपीएस कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय की निम्नलिखित श्रणियों में सहभागिता:-

- केंद्र सरकार/राज्य सरकार अधिसूचना के अनुसार, ऐसे सभी पात्र केंद्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकायों का पंजीकरण, जिन्होंने अभी तक एनपीएस के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं की है।
- गैर-पंजीकृत केंद्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय की तबित पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना।
- एनपीएस के तहत पंजीकृत केंद्रीय स्वायत्त निकाय व राज्य स्वायत्त निकाय के पात्र कर्मचारियों का नामांकन।
- पंजीकृत केंद्रीय स्वायत्त निकाय और राज्य स्वायत्त निकाय के नामित कर्मचारियों के लिए नियमित और विरासत/बकाया एनपीएस अंशदान का हस्तांतरण।

- संभावित केंद्रीय स्वायत्त निकाय/राज्य स्वायत्त निकाय के पंजीकरण हेतु केंद्र सरकार मंत्रालयों/राज्य सरकारों के साथ समन्वय।

- एसएमजी तथा एसएबी के लिए एनपीएस अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहभागिता।

3.2 पेंशन निधियों के कोष प्रबंधन के लिए मानवर्द्धों और ऐसी योजनाओं के तहत निवेश दिशानिर्देशों सहित योजनाओं की स्वीकृति, नियम और शर्तें

भारत सरकार की अधिसूचना एफ. सं. 1/3/2016-पीआर दिनांक 31.01.2019 के संदर्भ में, डिफॉल्ट योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों की वृद्धिशील एनपीएस सदस्यता का आवंटन 03 पेंशन निधियों में उनके पिछले वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर निम्नानुसार किया गया था:

तालिका सं 3.5 : सीजी योजना का आवंटन

सीजी योजना	आवंटन (%)
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	34.5
यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	32.0
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	33.5

तालिका सं 3.6 : एसजी योजना का आवंटन

एसजी योजना	आवंटन (%)
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	34
यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	32
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	34

एपीवाई योजना और एपीवाई निधि योजना के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धिशील निधियों का आवंटन 03 पेंशन निधियों में उनके पिछले वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर निम्नानुसार किया गया था :

तालिका सं 3.7 : एपीवाई योजना का आवंटन

एपीवाई योजना / एपीवाई फंड योजना	आवंटन (%)
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	34
यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	31
एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	35

वित्त वर्ष 2023-24 में विरोध रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एनपीएस टियर-II समग्र योजना के लिए, 03 पेंशन निधियों में धन का आवंटन केंद्र और राज्य सरकार के अभिदाताओं के लिए लागू अनुपात के अनुसार था जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।

3.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाताओं का विकास

3.3.1 पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत विकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 तथा उसमें हुए संशोधन पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत विकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 के अनुसार, निम्न प्राचाहरण श्रेणियां लागू हैं:

तालिका संख्या 3.8: पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत विकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 और संशोधन

क्रम संख्या	निकासी श्रेणियां	सरकारी क्षेत्र में वर्त	गैर-सरकारी क्षेत्र में वर्त
1	साधारण सेवानिवृत्ति पर	अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 40 प्रतिशत, अभिदाता द्वारा मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाता चाहिए और शेष शेष अभिदाता को एकमुस्त के रूप में भुगतान की जानी चाहिए। यदि प्रान में संचित पेंशन वार्षिकी 5 लाख या उससे कम है, तो अभिदाता के पास वार्षिकी खरीदे बिना समस्त संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का विकल्प होगा।	सरकारी क्षेत्र के समान
2	मृत्यु होने पर	अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत पति/पत्नी को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए और शेष शेष का भुगतान नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुस्त के रूप में किया जाता है। किंगडम वार्षिकी अभिदाता के जीवनसाथी के लिए आजीवन वार्षिकी प्रदान करती है और यदि पति/पत्नी जीवित नहीं है, तो इसका भुगतान अभिदाता के जीवित आश्रित माता-पिता को किया जाता है, और यदि वे जीवित नहीं हैं, तो इसका भुगतान अभिदाता के जीवित कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाता है। यदि उनकी मृत्यु के समय प्रान में संचित पेंशन संपत्ति 5 लाख या उससे कम है, तो नामित या कानूनी उत्तराधिकारियों के पास वार्षिकी को खरीदे बिना पूरी संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का विकल्प होगा।	यदि अभिदाता की मृत्यु 80 वर्ष की आयु या सेवानिवृत्ति प्रदान करने से पहले हो जाती है, तो अभिदाता की संपूर्ण संचित पेंशन संपत्ति का भुगतान नामित व्यक्ति अथवा कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाएगा। मृतक अभिदाता के नामित व्यक्ति या परिवार के सदस्यों के पास यदि वे चाहें तो बाहर निकलने पर दी जा रही किसी भी वार्षिकी को खरीदने का विकल्प होगा।
3	समयपूर्व निकास	अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत, अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए और शेष शेष का भुगतान अभिदाता को एकमुस्त के रूप में किया जाता है। यदि प्रान में संचित पेंशन संपत्ति 25 लाख या उससे कम है, तो ऐसे अभिदाता के पास किसी भी वार्षिकी को खरीदे बिना पूरी संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का विकल्प होगा।	इस प्रकार उपयोग किए गए विकल्प की अनुमति केवल ऐसे अभिदाता को दी जाएगी जिसने कम से कम दस साल की न्यूनतम अवधि के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता की हो। अभिदाता की संचित पेंशन संपत्ति का कम से कम 80 प्रतिशत अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए और शेष शेष का भुगतान अभिदाता को एकमुस्त के रूप में किया जाता है। यदि प्रान में संचित पेंशन संपत्ति 25 लाख की बराबर या उससे कम है, तो ऐसे अभिदाता के पास किसी भी वार्षिकी को खरीदे बिना पूरी संचित पेंशन संपत्ति को वापस लेने का विकल्प होगा।

इसके अतिरिक्त अभिदाता (75 वर्ष तक) एनपीएस में निवेश करने का निर्णय ले सकता है या एनपीएस से निकासी कर बाहर निकल सकता है। एनपीएस अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं—

- **एनपीएस खाते की निरंतरता—** अभिदाता सेवानिवृत्ति (75 वर्ष तक) के बाद भी एनपीएस खाते में अंशदान देना जारी रख सकता है और अंशदान पर अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकता है।
- **प्रत्याहरण में विलम्बन—** अभिदाता अपने आहरण को विलंबित कर सकता है और 75 वर्ष की आयु तक एनपीएस में निवेश कर सकता है। अभिदाता केवल एकमुश्त निकासी, वार्षिकी को स्थगित कर सकता है, अथवा दोनों को स्थगित कर सकता है।
- **अपनी पेंशन शुरू करना—** यदि अभिदाता एनपीएस खाते को जारी/स्थगित नहीं रखना चाहता है, तो वह एनपीएस से निकासी कर सकता है। वह ऑनलाइन

निकास अनुरोध प्रस्तुत कर एनपीएस निकास दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन प्राप्त करना आरंभ कर सकता है।

कोई भी व्यक्ति "अभिदाता द्वारा ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया" के माध्यम से "एनएसडीएल की पाठशाला" चैनल के लिए सब्सक्राइब करते हुए सम्पिलित यूट्यूब चैनल "एनएसडीएल की पाठशाला" पर निरंतरता और विलंब प्रक्रिया का वीडियो क्रमशः <https://bit.ly/2ZLzTk8> और <https://bit.ly/2vyuhfK> चैनल पर देख सकता है।

एनपीएस से निकासी के लिए अभिदाताओं को निम्नानुसार वर्गीकृत और परिभाषित किया गया है-

(i) सरकारी क्षेत्र, (ii) कॉर्पोरेट क्षेत्र सहित सभी नागरिक और (iii) एनपीएस लाइफ सब्सक्राइबर।

निर्दिष्ट निकासी विनियम अभिदाता की श्रेणी पर लागू होंगे।

तालिका सं. 3.9: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सूचित आंशिक निकासी और निपटान

क्रम सं.	क्षेत्र	सूचित	निपटान
1	केंद्र सरकार	96,225	96,326
2	राज्य सरकार	1,34,167	1,32,851
3	सर्व नागरिक / असंगठित	7,965	7,806
4	कॉर्पोरेट	22,961	22,843
5	एनपीएस लाइफ	6	6
	कुल	2,01,324	1,99,832

(आंकड़ा स्रोत: पर्यवेक्षण-सीआरए, टीबी, एएसपी और निकासी)

तालिका सं. 3.10: 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 को निकासी के बकाया मामले

क्रम सं.	क्षेत्र	तल्लिह ऑनलाइन निकासी	
		मार्च 31, 2023 तक	मार्च 31, 2024 तक
1	केंद्र सरकार	524	722
2	राज्य सरकार	2,852	3,285
3	असंगठित	219	471
4	कॉर्पोरेट	111	200
5	एनपीएस लाइफ	516	239
	कुल	4,222	4,917

(आंकड़ा स्रोत: एनएसडीएल-सीआरए और कंपिन टेक्नोलॉजिज-सीआरए)

यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में निकासी आवेदनों को संसाधित करने में विलंब के कारण अभिदाताओं या नोडल कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत गुम/अपवाप्त दस्तावेज होते हैं।

3.3.2 एनपीएस के तहत आंशिक निकासी

एनपीएस अभिदाता आंशिक निकासी कर सकते हैं जो अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है। नियोजता द्वारा किए गए अंशदान, यदि कोई है, को छोड़कर, किसी भी समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी विनियम और शर्तों, उद्देश्य, आवृत्ति और निम्नलिखित निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन है:

(क) प्रयोजन : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी से पहले किसी भी समय आहरण फार्म प्रस्तुत करने की शिथि को अभिदाता को अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते में किए गए अंशदान के आंशिक निकासी की अनुमति होगी जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जो निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों, प्रयोजन, आवृत्ति तथा सीमाओं के अधीन होगी:

- अभिदाता के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए जिसमें केवल रूप से दत्तक बच्चे भी शामिल हैं।
- वैध रूप से दत्तक बच्चों सहित अपने स्वयं के बच्चों के विवाह के लिए।
- अपने नाम पर या वैध विवाहित पति या पत्नी के साथ संयुक्त नाम पर आवासीय घर या प्लॉट की खरीद या निर्माण के लिए। यदि अभिदाता पहले से ही व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम से पैतृक संपत्ति के अलावा किसी आवासीय घर या प्लॉट का मालिक है, तो इन नियमों के तहत किसी भी निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- विशिष्ट रोगों के उपचार के लिए: यदि अभिदाता उसके वैध विवाहित पति/पत्नी, बच्चे, जिसमें वैध दत्तक बच्चा या आश्रित नाता-पिता शामिल हैं, किसी निर्दिष्ट बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें निम्नलिखित बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होना और उपचार शामिल होगा:

- कैंसर
- गुर्त खराब होना (अंतिम अवस्था में गुर्त की विकलता)
- प्राथमिक फुफ्फुसीय घमनी उच्च रक्तचाप
- मल्टीपल स्क्लेरोसिस बनाम प्रमुख अंग प्रत्यारोपण
- कोरोनरी घमनी बाईपास ग्राफ्ट
- एओर्टा ग्राफ्ट सर्जरी
- हृदय वाल्व सर्जरी

- आघात
- मायोकार्डियल इन्फेक्शन
- बोना
- पूर्ण अंधापन
- पक्षाघात
- गंभीर/जानलेवा प्रकृति की दुर्घटना
- प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्री, दिशा-निर्देशों या अभिसूचनाओं में निर्धारित

- छतरनाक प्रकृति की कोई अन्य गंभीर बीमारी। कोविड-19 को भी इस श्रेणी में शामिल है।
- अभिदाता को हुई असमता या इससे उत्पन्न चिकित्सा और आकस्मिक खर्चों को पूरा करने हेतु।
- अभिदाता द्वारा कौशल विकास/पुनः कौशल विकास या किसी अन्य स्व-विकास गतिविधियों के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए जैसा प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी कर अनुमति दी जा सकती है।
- अभिदाता द्वारा स्वयं का उद्योग या किसी स्टार्ट-अप की स्थापना हेतु खर्चों को पूरा करने के लिए जैसा प्राधिकरण द्वारा उचित दिशानिर्देश जारी कर अनुमति दी जा सकती है।

(ख) सीमाएं: अनुमत निकासी की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब लाभ प्राप्त करने के लिए अभिदाताओं द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंड और सीमा का अनुपालन किया जाता है:

- अभिदाता पंजीकरण की तिथि से कम से कम तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहा हो।
- आहरण के लिए आवेदन की तिथि को अभिदाता द्वारा किए गए अंशदान के पच्चीस प्रतिशत से अधिक संचयी राशि के आहरण की अनुमति दी जाएगी जो उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में उसके नाम पर की जाएगी।

(ग) आवृत्ति: अभिदाता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिदान की संपूर्ण अवधि के दौरान अधिकतम तीन बार ही निकासी करने की अनुमति होगी। निकासी के लिए अनुरोध अभिदाता द्वारा अपने नोडल कार्यालय के माध्यम से इस तरह के निकासी दावे को प्रक्रियारत करने के लिए केंद्रीय अभिलेखपालन-अभिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट की निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, बसंत जहाँ कोई अभिदाता उपखंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी बीमारी से पीड़ित है, वहाँ निकासी का अनुरोध ऐसे अभिदाता के परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

तालिका सं. 3.11: 31 मार्च 2024 को सूचित
आंशिक निकासी और निपटान

क्रम.सं.	क्षेत्र	सूचित*	निपटण**
1	लेंद्र सरकार	1,59,155	1,58,613
2	राज्य सरकार	6,90,832	6,87,704
3	असंगणित	17,395	17,164
4	ग्रॉयोरट	49,633	49,430
5	एमपीएस लाइट	28	28
	कुल#	9,17,043	9,12,939

(आंकड़ा स्रोत: पर्यवेक्षण-सीआरए, टीवी, एएसपी और निकासी)

नोट

*सूचित मामलों में नोडल कार्यालय द्वारा अधिकृत और प्राधिकरण के लिए लंबित मामले शामिल हैं।

****** निपटाए गए मामले वे हैं जहाँ अभिदाता के बैंक खाते में राशि अंतरित की गई है।

#अभिदाता द्वारा शुरू किए गए मामलों को नोडल कार्यालय द्वारा शुरू किए गए मामलों में भी जोड़ा जाता है।

(i) अभिदाताओं द्वारा चयनित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (एएसपी) और वार्षिकी योजनाओं का विवरण:

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, और इसके अधीन संशोधन, एनपीएस के तहत निकासी के विभिन्न प्रावधानों का विवरण और रूपरेखा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, इसने एएसपी के पैन्ल में शामिल करने की प्रक्रिया और एएसपी की विस्तृत भूमिकाएँ व दायित्व निर्धारित किए हैं।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा पंजीकृत और विनियमित जीवन बीमा कंपनियां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी के समय अभिदाताओं को विभिन्न प्रकार की तत्काल वार्षिकी प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) के रूप में कार्य करती हैं। एएसपी पैन्ल पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 तथा उसके संशोधन के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।

वार्षिकी, एकमुश्त राशि जमा करने पर वेशन के मासिक भुगतान का प्रावधान करती है। अभिवाता को अनिवार्य रूप से एनपीएस के निकासी नियमों में निर्दिष्ट वार्षिकी को पीएफआरडीए के पैनल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाता से खरीदना होगा।

वर्तमान में, एनपीएस अभिदाताओं की वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 15 एएसपी, पीएफआरडीए में सूचीबद्ध हैं:

तालिका सं. 3.12: प्रत्येक एसपी द्वारा जारी वार्षिकी

क्रम सं.	एसपी का नाम	31.03.2024 तक (फायर वार्षिकी)	वित्त वर्ष 23-24 (वार्षिकी)
1	एथडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	51,519	11,227
2	एसपीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	40,883	9,456
3	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	26,444	2,246
4	आईसीआईसीआई यूरोशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	24,640	4,271
5	कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10,604	5,191
6	मेक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5,629	4,746
7	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,286	2,249
8	आदित्य बिरला रतन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,591	1,790
9	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	938	928
10	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	363	133
11	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	203	202
12	इंडियाफास्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	86	51
13	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	54	28
14	स्टार यूनिवन वार्ड-इपी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	29	2
15	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*	9	-
16	एडेलवीस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3	-

* 31 मार्च, 2024 तक पीएफआरडी में सूचीबद्ध नहीं है।

संपर्क विवरण

अभिधाताओं सहित सभी हितधारकों की व्यापक पहुंच और उनके लाभ के लिए पीएफआईडीए की वेबसाइट पर प्रदर्शित एएसपी के संपर्क विवरण प्रदर्शित निम्नानुसार है:

नाम	आदित्य बिरला सन लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पैनल कोड	एएसपी/13/012021
वैधता	16 मार्च 2021 _ से शाश्वत
वेबसाइट	https://lifeinsurance.adityabirlacapital.com/
संपर्क व्यक्ति	श्री गौरव शाह
ई-मेल	gaurav.shah@adityabirlacapital.com
दूरभाष	022 _ 6188 1005
कॉल सेंटर नं.	1800 270 7000
पता	16वीं मंजिल, यन वर्ल्ड सेंटर टॉवर 1, जुपिटर मिल परिसर, 841 सेनापति बापत मार्ग, एलफिन्सटोन मार्ग, मुंबई-400013
नाम	बजाज एलयांज लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पैनल कोड	एएसपी/07/022019
वैधता	22 मई 2019 _ से शाश्वत
वेबसाइट	https://www.bajajallianzlife.com/
संपर्क व्यक्ति	श्री अनिल वर्मा
ई-मेल	anil.verma@bajajallianz.co.in
दूरभाष	020 _ 6602 6777
कॉल सेंटर नं.	1800 209 7272
पता	बजाज एलयांज हाउस, एयरपोर्ट रोड, येरवाडा, पुणे-411006
नाम	कैमरा एचएसबीसी लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पैनल कोड	एएसपी/09/042019
वैधता	

वेबसाइट संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष कॉल सेंटर नं. पता	01 अगस्त 2019 _ से शाश्वत www.canarahsbclife.com श्री सुमित भार्गव sumit.bhargav@canarahsbclife.in 1800 891 0003 / 1800 103 0003 / 1800 180 0003 139पी, सेक्टर-44, गुरुग्राम-122003
नाम पैनल कोड वेबसाइट संपर्क व्यक्ति ई-मेल कॉल सेंटर नं. पता	एडलवीस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एएसपी /06/012019 22 मई 2019 _ से शाश्वत www.edelweisstokio.in सुश्री प्राची शिरोफ products.support@edelweisstokio.in 1800 212 1212 6वीं मंजिल, टॉवर-3, विंग-बी, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कुर्ला पश्चिम, मुंबई-400070
नाम पैनल कोड वेबसाइट वेबसाइट / संपर्क व्यक्ति ई-मेल	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एएसपी/02/032016 18 मार्च 2016 _ से शाश्वत https://www.hdfclife.com/ श्री अंकार परब ankar.p@hdfclife.com / npsannuity@hdfclife.com
टेलीफोन पता	022 _ 6751 6666 13वीं मंजिल, लोधा एक्सीलस, अपोला मिल्स परिसर, एन.एम. जोशी मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई-400011

नाम पैनल कोड वैधता वेबसाइट पंजीकृत पता संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष फॉल सेंटर नं. हेल्प डेस्क नं. पत्राचार पता	आईसीआईसीआई प्रूटेन्शियल लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एएसपी/03/032016 18 मार्च 2016 _ से शाश्वत www.iciciprulife.com आईसीआईसीआई प्रूलाइफ टॉवर्स, 1089 अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-400025 श्री धर्मनंद गुप्ता dharmendra.gupta@iciciprulife.com 022 - 62955609 (9 AM to 9 PM) 1860 266 7766 यूनिट 1ए, प्रथम तल, सीनर्जी आईटी पार्क, पेंशन और वार्षिक विभाग, अप्पा साहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-400025
नाम पैनल कोड वैधता वेबसाइट संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष फॉल सेंटर नं. हेल्प डेस्क नं. फैक्स नं. पता	इंडियाफर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एएसपी/08/032019 22 मई 2019 _ से शाश्वत www.indiafirstlife.com श्री चिनमय कल्याणपुर chinmay.kallianpur@indiafirstlife.com 022 6857 0549 1800 209 8700 022 6165 8700 022 6857 0600 12वीं और 13वीं मंजिल, नार्थ (सी) बिल्डिंग, टॉवर 4, नेस्को आईटी पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-400063

नाम	कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पैनल कोड	एसपी/10/052019
वैधता	09 अगस्त 2019 _ से शास्वत
वेबसाइट	www.kotaklife.com
पंजीकृत पता	8वीं मंजिल, प्लॉट # सी - 12, जी-ब्लॉक, बीकेसी बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051
संपर्क व्यक्ति	श्री दीपक गुप्ता
ई-मेल	gupta.despak@kotak.com
दूरभाष	1800 209 8800
कॉल सेंटर नं.	7वीं मंजिल, कोटक इनफिनिटी, बिल्डिंग नं. 21, इनफिनिटी पार्क, मलाड (पूर्व), मुंबई-400097
पंजीकृत पता	
क्षेत्रीय कार्यालय	

नाम	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
पैनल कोड	एसपी/04/032016
वैधता	18 मार्च 2016 _ से शास्वत
वेबसाइट	www.licindia.in
पंजीकृत पता	एलआईसी ऑफ इंडिया, सेंट्रल ऑफिस, योगब्रह्मा बिल्डिंग, जीवन बीमा मार्ग, पी.ओ. बॉक्स सं. 19953, मुंबई-400021
संपर्क व्यक्ति	श्री भरत कुमार गुप्ता, मि. दीपक कुमार यादव
ई-मेल	licnps@licindia.com
दूरभाष	022-26545011 / 15
कॉल सेंटर नं.	022 _ 6827 6827
पंजीकृत पता	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एलआईसी-डिजिटल बिल्डिंग (6वीं मंजिल), प्लॉट सं. सी-1, जी ब्लॉक, बांद्रा, मुंबई-400051, कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व)

नाम पैनल कोड वैधता वेबसाइट संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष हैल्प डेस्क नं. पता	मैक्स लाइफ इश्योरंस कंपनी लिमिटेड एएसपी/12/072019 04 नवंबर 2019 - से शाश्वत www.maxlifeinsurance.com श्री पुष्कर सरन pushkar.saran1@maxlifeinsurance.com 0124 - 412 1500 1860 120 5577 11वीं और 12वीं मंजिल, डीएलएफ स्कवायर, डीएलएफ सिटी, फेस-2, गुरुग्राम-122002
नाम पैनल कोड वैधता वेबसाइट पंजीकृत पता संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष कॉल सेंटर नं. हैल्प डेस्क नं. फैक्स नं. पत्राचार पता	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरंस कंपनी लिमिटेड एएसपी/14/022021 16 मार्च 2021 - से शाश्वत www.pnbmetlife.com यूनिट सं. 701, 702 और 703, 7वीं मंजिल, वेस्ट विंग, स्टेजा टॉवर्स, 26/27, एम.जी. रोड, बैंगलूर-560001 श्री कृष्णन्तु मूनिया kbhunna@pnbmetlife.com 022 - 6663 0900 1800 425 6969 1800 270 7000 022 - 4179 0203 यूनिट सं. 3, दूसरी मंजिल, पेनिनसुला टॉवर, लोवर परेज, मिफ्ट पेनिनसुला कॉर्पोरेट पार्क, मुंबई-400013

नाम पैनल कोड वैधता वेबसाइट पंजीकृत पता संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष कॉल सेंटर नं. फैक्स नं. पत्राचार पता	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एसपी/01/032016 18 मार्च 2016 - से शास्वत https://www.sbilife.co.in/ "नटराज" एम.वी. रोड एंड वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व),-400089 श्री प्रणय रेनीवाल info@sbilife.co.in +91 22 6191 0000 1800 267 9090 +91 22 6191 0517 7वां लेवल (डी विंग) और 8वां लेवल, सीवुड्य ग्रांड सेंट्रल, टॉवर 2, प्लॉट सं. आर-1, सेक्टर-40, सीवुडस, नवी मुंबई-400706
नाम पैनल कोड वैधता वेबसाइट संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष कॉल सेंटर नं. हेल्प डेस्क नं. पता	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एसपी/15/012022 14 नवंबर 2022 - से शास्वत www.shriramlife.com श्री विरेन्द्र चटर्जी chatterjee.b@shriramlife.com 1800 103 2671 040 - 23009400, एक्सटेंशन नं. - 400 प्लॉट सं. 31 और 32, 5वीं और 6वीं मंजिल, रेमकी सेलेनियम, आंध्रा बैंक प्रशिक्षण केंद्र के पास, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, ग. ज्योबावली, हैदराबाद-500032

नाम पैनल कोड वैधता वेबसाइट संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष कौल सेंटर नं. पता	स्टार सुनिशन चाई-इची लाइफ इश्यारेस कंपनी लिमिटेड एससी/05/04 2016 22 अप्रैल 2016 _ से शाश्वत www.sudlife.in श्री अमित फोपे amit.phope@sudlife.in 022 _ 7196 3372 1800 266 8833 11वीं मंजिल, विश्वरूप आईटी पार्क, प्लॉट सं . 34, 35 और 38, सेक्टर 30ए, आईआईपी, वार्सी, नवी मुंबई-400703
नाम पैनल कोड वैधता वेबसाइट पंजीकृत पता संपर्क व्यक्ति ई-मेल दूरभाष पत्राचार पता	टाटा एआईए लाइफ इश्यारेस कंपनी लिमिटेड एससी/11/062019 04 नवंबर 2019 _ से शाश्वत www.tataaia.com 14वीं मंजिल, टीवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बागल मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013 श्री आदिल हुसैन सिद्दीकी adilhusain.siddiqui@tataaia.com / NPS@tataaia.com 9वीं मंजिल, बी विंग, 1-थिंक टेक्नो कैंपस, टीसीएस के पीछे, पोखरन रोड नं. 2, थाणे वेस्ट-400607

विनियम और संशोधन

एएसपी को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत विकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2016 के तहत निर्धारित विनियामक ढांचे और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, परिपत्रों आदि के अनुसार व्यापक रूप से परिभाषित गतिविधियों को निष्पादित करना आवश्यक है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, वर्तमान विनियमों में संशोधन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

मास्टर परिपत्र जारी करना:-

विनियमों की व्यापक समीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत के साथ (अनुपालन की जागत को सरल, सहज और कम करने के उद्देश्य से) जारी किए गए परिपत्रों की समीक्षा भी की गई ताकि उन्हें मास्टर सर्कुलर से प्रतिस्थापित किया जा सके। जारी किए गए मास्टर परिपत्र आत्मनिर्भर, प्रासंगिक, अद्यतन, पूर्ण, रण-व्याख्यात्मक और विषय वस्तु पर सदर्थ का एकल बिंदु हैं।

जारी मास्टर परिपत्रों की सूची निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत है:-

तालिका सं 3.13 : मास्टर परिपत्र

क्रम सं.	मास्टर परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	पीएफआरडीए/मास्टरसर्कुलर/2024/01/सीआरए-01	12 जनवरी, 2024	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत संचित पेंशन धनराशि की आंशिक निकाली

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अभिदाता के पास वार्षिकी और एएसपी के प्रकार को चुनने का विकल्प होता है। अभिदाता संबंधित एएसपी द्वारा दी जाने वाली उपलब्ध योजनाओं में से अपनी आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिकी प्रकार/योजना का चयन कर सकता है।

तालिका सं. 3.14 : 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के दौरान संसाधित ऑनलाइन वार्षिकी अनुरोध

क्रम सं.	वार्षिकी सेवाप्रदाता / वार्षिकी योजनाएं	मानकों की संख्या	अंतरित रुशि (करोड़ रुपये में)
1	आजीवन वार्षिकी	3,943	182
2	मृत्यु होने पर खरीद मूल्य की खपती सहित आजीवन वार्षिकी	1,09,451	5,402
3	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर पति-पत्नी को देय 100 प्रतिशत वार्षिकी सहित आजीवन वार्षिकी	5,278	347
4	वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर पति-पत्नी को आजीवन देय 100 प्रतिशत वार्षिकी और वार्षिकी की खरीद पर रिटर्न	23,329	3,090
5	प्रीमियम/खरीद मूल्य के आंशिक रिटर्न सहित आजीवन वार्षिकी	71	4
6	गंभीर बीमारी के निदान पर प्रीमियम/खरीद मूल्य पर रिटर्न सहित आजीवन वार्षिकी	2,483	123
7	एनपीएस - परिवार अंत्य विकल्प	12,460	862
8	अन्य *	42	2
	कुल	1,57,057	10,012

*वार्षिकी योजना विकल्प "अन्य" में मानक वार्षिकी योजनाओं को छोड़कर एएसपी द्वारा प्रदान की गई वार्षिकी योजनाएं।
(आंकड़ा स्रोत: एनएसडीएल- सीआरए, केफिन टेक्नोलॉजीज-सीआरए और सीएएमएन सीआरए)

(ii) पीएफआरडीए द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहल है जिसका उपयोग अभिदाता मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से कर सकता है।

क. ऑनलाइन पेंशन कैलकुलेटर

पेंशन कैलकुलेटर नियमित मासिक अंशदान के आधार पर परिपक्वता या 60 वर्ष की आयु पर अस्थायी पेंशन और एकमुस्त राशि वार्षिकी खरीदने के लिए पुनर्निवेशित कॉर्पोस का प्रतिशत और निवेश तथा वार्षिकी पर रिटर्न के संबंध में अनुमानित दर को दर्शाता है। यह एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट और 3 केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरणों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

पेंशन कैलकुलेटर के लिए लिंक :

https://www.camsnps.com/nps_calculator

<http://www.npstrust.org.in/content/pensioncalculator>

<https://cra-nsdl.com/CRAOnline/aspQuote.html>

<https://nps.kfintech.com/npc/>

तालिका सं. 3.15 : 2023-24 में पीएफआरडीए द्वारा जारी कार्यक्रमालियों का समग्र सारांश

कार्यप्रणाली का नाम :	वित्त वर्ष 2023-24 में संस्थापित अनुरोधों की संख्या
स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया *	16,516
कोविड-19 चिकित्सा उपचार के लिए आंशिक निकासी के मामलों को अनुमति (कुल राशि सहित) **	1,498 (11.30 करोड़ रुपये)
ऑनलाइन ई-एनपीएस निकासी	6,450
आंशिक निकासी (संपूर्ण) ***	42,187
पीओपी (कॉर्पोरेट) से जुड़े एनपीएस अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया	8,688
पीओपी (सूओएस) से जुड़े एनपीएस अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया	20,707

(आकड़ा स्रोत: एनएसडीएल- सीआरए, केफिन टेक्नोलॉजीज-सीआरए और सीएएमएस सीआरए) नोट: प्रदान की गई संख्या वित्त वर्ष 23-24 के दौरान जारी प्रासंगिक कार्यप्रणालियों के लिए हैं।

* बिंदु संख्या 1 के लिए, सरकारी कामज रहित संस्थापित मामलों पर विचार किया गया है।

** बिंदु संख्या 2 के लिए, ऑनलाइन ई-एनपीएस संख्या में स्व-प्राधिकृत और बैंक पीओपी प्राधिकृत मामले को शामिल किया गया था।

*** बिंदु संख्या 4 के लिए, अभिदाता और स्व-प्राधिकृत प्रक्रिया द्वारा शुरू आंशिक निकासी अनुरोध पर विचार किया गया है।

(iii) डिजिटल पहल – पीएफआरडीए में कार्य प्रगति पर है और रोल आउट प्रक्रिया में

1. संतुलित जीवन चक्र निधि- प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र (कॉर्पोरेट और सभी नागरिक) के तहत अभिदाताओं के लिए निवेश विकल्प के रूप में संतुलित जीवन चक्र (बीएलसी) निधि शुरू करने का निर्णय लिया है। बीएलसी निधि का उपयोग अतिरिक्त निवेश के लिए किया जाएगा, जिसमें ऑटो-विकल्प के तहत 35 वर्ष के बच्चा इक्विटी टेपरिंग 45 वर्ष की आयु के बाद शुरू होगी।

2. पीएफआरडीए-ट्रेस (ट्रेकिंग रिपोर्टिंग एनालिटिक्स एंड कम्प्लायंस ई-प्लेटफॉर्म) :- इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य अनुपालन प्रबंधन डैशबोर्ड के लिए डेटा प्रबंधन प्रणाली से बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) सहित व्यापक कार्यप्रवाह प्रबंधन, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, डैशबोर्ड सुरक्षा स्थापित करना है। यह डेटा समीक्षण, डेटा पुनर्प्राप्ति, मंजूरी, सत्यापन और विभिन्न डेटा विश्लेषण प्रक्रियाओं के निष्पादन के समय पर अनुपालन का प्रबंधन करने के लिए एप्लिकेशन है। इसके अतिरिक्त, परियोजना का उद्देश्य पीएफआरडीए अधिनियम, नियमों और विनियमों के मौजूदा प्राकधानों के अनुसार हितधारकों/मध्यवर्तियों की बातचीत को सुव्यवस्थित और स्वचालित करना है।

3. पीएफआरडीए इंटरनेट पोर्टल (पिन्ट्रा) – एचआरएमएस के लिए मोबाइल ऐप के साथ आंतरिक डिजिटलीकरण (एचआरएमएस और गित):- इस परियोजना का उद्देश्य एकीकृत सॉफ्टवेयर प्रबंधन समाधान लागू कर मानव संसाधन, प्रशासन आईटी, वित्त एवं लेखा और विधि सहित प्राधिकरण के भीतर विभिन्न विभागों के आंतरिक संचालन को सुव्यवस्थित करना है। यह समाधान मौजूदा पीएफआरडीए अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुरूप होगा। परिकल्पित परिणाम में इस स्वचालित प्रणाली में दस्तावेज प्रवाह, डेटा प्रविष्टि, प्रोसेसिंग तथा भंडारण जैसे अधिकांश मैनुअल कार्यों का स्थानांतरण शामिल है। इसके अपेक्षित लाभों में स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से डेटा और सूचना की बेहतर प्रोसेसिंग, विश्लेषण, रिपोर्टिंग, पुनर्प्राप्ति और प्रबंधन शामिल हैं।

3.4 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाओं के तहत अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई गतिविधियां

1. क्यूआर कोड आधारित यूपीआई भुगतान- अभिदाताओं के लिए भुगतान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए क्यूआर कोड-आधारित यूपीआई भुगतान के एक अन्य मोड शामिल किया गया है। अपने खाते में लॉगिन करने के बाद, अभिदाता उपलब्ध अद्वितीय क्यूआर कोड (डी-परमिट खाते के लिए) स्कैन कर सकते हैं और किसी

भी यूपीआई ऐप के माध्यम से सीधे भुगतान कर सकते हैं। भुगतान मोड/भुगतान गेटवे चरणों का चयन करने के लिए किसी अतिरिक्त कदम की आवश्यकता नहीं होगी और अभिदाता उसी दिन एनएवी का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अभिदाता अपना कोड ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं और किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से इसके उपयोग से भुगतान कर सकते हैं। यह अभिदाताओं के लिए उपलब्ध भुगतान के मौजूदा तरीकों के अतिरिक्त होगा।

2. एस एल डब्ल्यू-प्राप्त में निवेश करके वृद्धावस्था आय बढ़ाने के उद्देश्य से व्यवस्थित एकमुश्त निकासी- अभिदाताओं के हित में और एकमुश्त निकासी की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अभिदाता की पसंद के अनुसार 75 वर्ष तक की अवधि के लिए मासिक, त्रैमासिक और छमाही या वार्षिक आधार पर एकमुश्त राशि का भुगतान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एकमुश्त अनुरोध के आधार पर प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है जिसे ऑनलाइन/ऑफलाइन किया जाता है। एसएलडब्ल्यू वृद्धावस्था आय लाभों को अनुकूलित करने और व्यवस्थित एकमुश्त निकासी के माध्यम से वार्षिक आय बढ़ाने में मदद करता है।

3. अनिवार्य 2 घटक आधार प्रमाणीकरण-सी आर ए प्रणाली की पहुंच के लिए :- वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकारों के तहत मौडल कार्यालय अपने स्वायत्त निकायों सहित, एनपीएस लेनदेन के लिए सीआरए की पहुंच हेतु पासवर्ड-आधारित लॉगिन का उपयोग करते हैं। सुरक्षा सुविधाओं को मजबूत करने और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए, सीआरए प्रणाली में लॉगिन करने के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा उपाय शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके आधार-आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण को वर्तमान उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड-आधारित लॉगिन प्रक्रिया से एकीकृत किया जाएगा, जिससे सीआरए प्रणाली के लिए द्विस्तरीय प्रमाणीकरण सक्षम होगा। प्रमाणीकरण के लाभ:

सुरक्षा में वृद्धि: द्विस्तरीय दृष्टिकोण सीआरए प्रणाली की अनुसूचित पहुंच के जोखिम को काफी कम कर देता है। संवर्धित सुरक्षा: यह अतिरिक्त परत एनपीएस लेनदेन की रक्षा करती है और अभिदाता तथा हितधारकों दोनों के हितों की रक्षा करती है।

4. प्राप्त में लीटाई गई और असफल घनराशि का पुनर्निवेश - न्यासी बैंक में जमा लीटाई गई राशि का वापस करने के लिए माई विट्ठावल मोडयूल (एमडब्ल्यूएम) का निर्माण- एनपीएस के अंतर्गत, निकासी के समय अभिदाता मोडल अधिकारी/पीओपी/एपीआई एसपी / एनपीएसटी / सीआरए को अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। निकासी पर

आय को प्रेषित करते समय यह निम्नलिखित कारण सहित अभिदाता के संबद्ध बंधत खाते (एसए) में राशि जमा की जाती है, एसीटीसी बंद है, एसीटीसी मौजूद नहीं है, अमान्य आईएफएससी कोड, खाता अवरुद्ध और बैंक बिलय। इससे इतर होने पर लेनदेन प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तथा प्रेषण को ट्रस्टी बैंक द्वारा बनाए गए सीआरए (डब्ल्यूएसी) के निकासी खाते में गैर-निष्पादित/विफल प्रेषण के रूप में वापस कर दिया जाता है। असफल लेनदेन के 1 महीने के बाद उसी प्रान में असफल लेनदेन की राशि को निवेश की उसी धिकल्प में पुनः निवेश करने का निर्णय लिया गया है। इस 1 महीने की अवधि के दौरान सीआरए अभिदाताओं और संबंधित मध्यवर्तियों को वापस की गई राशि के बारे में सूचित करने के अतिरिक्त, अभिदाता को पुनर्निवेश पर सीआरए द्वारा सूचित किया जाता है।

5. पेनी ड्रॉप के माध्यम से यूपी आई आधारित तत्काल बैंक खाता सत्यापन - पेन और वीपीए (यूपीआई) का उपयोग करके बैंक खाते का प्रमाणीकरण - अभिदाताओं के लाभ के लिए नई सुविधा की शुरुआत और समुचित सावधानी ने वृद्धि - पेन और वीपीए (यूपीआई) का उपयोग करके प्रान खाते के प्रमाणीकरण की यह प्रक्रिया एनपीसीआई नेटवर्क पर कार्य करती है और बैंक खातों से पेन को जोड़ती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अधिकांश बैंक खातों में पेन और आधार अनिवार्य विवरण होने के कारण यह प्रक्रिया अन्य मौजूदा प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक तार्किक है।

6. सीडीएसएल और एनएसडीएल द्वारा जारी सीएसएस के साथ एनपीएस एसओटी का एकीकरण - समेकित खाता विवरण (सीएसएस) प्रतिभूति बाजार में बाजार मूल्यों के लिए अद्यतन चिह्न के साथ किसी के व्यक्तिगत निवेश का एक समेकित विवरण है जिसे सीडीएसएल तथा एनएसडीएल द्वारा प्रदान किया जा रहा है। यह भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा नियुक्त डिपॉजिटरी है। यह निवेशक को डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स में सभी निवेशों का एकल समेकित दृष्टिकोण प्रदान करता है। भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारतीय वित्तीय बाजारों को दोस्त करने के लिए परिकल्पित कदमों में से एक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की सभी वित्तीय संपत्तियों के लिए अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए, पीएफआरडीए ने अब एनपीएस स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन (एसओटी) को सीएसएस में शामिल किया है। एनपीएस अभिदाताओं को यह सुविधा केवल सहमति के आधार पर प्रदान की जाएगी।

7. नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए एनपीएस का डिजिटलकरण के साथ एकीकरण - डिजिटलकरण के माध्यम से एसओटी और प्रान काई-देखो - डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी नागरिक केंद्रित

सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की राय लेने के लिए पीएफआरडीए ने सीआरए के एनपीएस खाता खोलने को डिजिटलकरण के साथ एकीकृत किया है ताकि ई-प्रान काई अभिदाताओं को उनके डिजिटलकरण खातों में अन्य दस्तावेजों सहित उपलब्ध हो सके। आधार का उपयोग करके एनपीएस खाता खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाकर डिजिटलकरण निर्बाध डिजिटल यात्रा को स्वाम बनाता है। डिजिटलकरण एकीकरण से गूआईडीआईआई की साइट से एक्सएमएल फाइल को देखने और डाउनलोड करने तथा उसके बाद उसे ई-एनपीएस पृष्ठ पर अपलोड करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। डिजिटलकरण में संग्रहीत दस्तावेज के उपयोग द्वारा इसे सरल प्रक्रिया से बदल दिया जाता है।

8. निकासी के दौरान एकमुश्त राशि और वार्षिकी की समांतर प्रोसेसिंग - निर्बाध निकासी- पीएफआरडीए ने आईआरडीआईआई के समन्वय में एनपीएस निकासी प्रपत्र को वार्षिकी प्रस्ताव के रूप में मांगते हुए वार्षिकी जारी करने की प्रक्रिया सरल बना दी है।

9. सहमति आधारित सूचना साझा करने के लिए एए फ्रेमवर्क के साथ एनपीएस एकीकरण - अकाउंट एग्रीमेंटर (एए) प्रौद्योगिकी संरचना एनपीएस अभिदाताओं को केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग अभिकरणों (सीआरए) के पास उपलब्ध एनपीएस की जानकारी के लिए निर्बाध और सुरक्षित पहुंच प्राप्त करने का अधिकार देता है और अभिदाताओं को लाभान्वित करने के लिए हितधारकों के बीच गुप्त रूप में इसकी पोर्टेबिलिटी स्वाम बनाता है। एग्रीमेंटर्स (एए) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित इकाइयां हैं जिनके पास गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी)- एए लाइसेंस होता है। वे अभिदाता की स्पष्ट सहमति के आधार पर वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) को अभिदाता से संबंधित एफआईपी से वित्तीय जानकारी देने के लिए संतु की तरह काम करते हैं। हालांकि, एए के माध्यम से साझा की गई अभिदाता की वित्तीय जानकारी न तो संपत्ति होगी और न ही उनके द्वारा संग्रहीत की जाएगी। सभी 3 सीआरए, एनपीएस के तहत शेष राशि के लिए वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में सक्रिय हैं।

10. निपटान समय में टी + 4 दिन से टी+2 दिन की कमी और निकासी की स्वीकृति - निकासी के समय अभिदाताओं के निकासी अनुरोधों को टी+4 कार्य निपटान दिनों में निष्पादित किया जाता था (टी नॉडल कार्यालय/पीओपी/ अभिदाता द्वारा निकासी अनुरोध को प्राधिकृत करने का दिन है), अब समयसीमा को टी+2 में घटा दिया गया है।

11. आधार पेपररहित मोड के माध्यम से ई-एनपीएस

सरकार – कम टीएटी और तत्काल एनपीएस वाले सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन खाता खोलने और इसे तत्काल सक्रिय करने की प्रक्रिया में आसानी हुई है जिससे सरकारी क्षेत्र के गौडल अधिकारियों का कार्यभार कम हो गया है।

12. वार्षिकी गणक : अभिदाताओं को सही एएसपी का चयन करने में सक्षम बनाने के लिए पारदर्शिता – एएसपी का चयन करने के लिए अभिदाताओं के लाभ हेतु वार्षिकी दरों के प्रदर्शन के लिए पारदर्शी वार्षिकी कैलकुलेटर उनकी जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त है। वार्षिकी चार्ट विभिन्न प्रकार की वार्षिकी योजनाओं के तहत पीएफआरडीए में सूचीबद्ध 15 एएसपी की दर निर्धारित करता है।

13. भारत बिल भुगतान प्रणाली द्वारा स्वैच्छिक अंशदान का स्वचालन – अंशदान के आवर्ती संग्रह को निर्बाध रूप से सक्षम करना पीएफआरडीए ने एनपीसीआई के समन्वय में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से एनपीएस में अंशदान की अनुमति दी है। यह विभिन्न यूपीआई ऐप के माध्यम से एनपीएस अंशदान को और भी आसान बनाने में मदद करेगा।

14. एनपीएस समृद्धि योजनाकार (एनपीपी) – उपकरण अभिदाताओं को सेवानिवृत्ति के लिए अधिक बचत करने और सेवानिवृत्ति आय में पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है- एनपीएस समृद्धि योजनाकार (एनपीपी) की अस्थापना अभिदाताओं के अंशदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह एनपीएस को कर बचत साधन के अपेक्षा वृद्धावस्था आय नियोजन साधन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए अभिदाताओं के सीआरए लॉगिन में बनाया जाने वाला एक अनुकूलित मॉड्यूल है। एनपीपी के माध्यम से अभिदाता एनपीएस के तहत अपने मौजूदा अंशदान के आधार पर वार्षिकी विकल्पों के अनुसार अनुमानित सेवानिवृत्ति आय (वार्षिकी) का अनुमान लगाने में सक्षम होंगे। एनपीपी मुद्रास्फीति और जीवनयापन की अनुमानित लागत को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति तक की शेष अवधि में त्वरित अंशदान योजना के माध्यम से उच्च सेवानिवृत्ति आय के लिए उपकरण प्रदान करता है। एनपीएस समृद्धि योजनाकार भविष्यवादी है और अपने पिछले अंशदान भविष्य में अपेक्षित आय वृद्धि और जीवनयापन की लागत के अन्तार पर व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करता है। इस प्रकार यह कैलकुलेटर अर्थात् गणक अभिदाता को उचित अनुमानों के साथ प्रदान कर सकता है जो पर्याप्त और स्थायी वृद्धावस्था आय प्राप्त करने के लिए बेहतर सेवानिवृत्ति योजना में सहायता करते हैं।

3.5 अभिदाताओं हेतु शिकायत निवारण तंत्र तथा उनकी शिकायतों के निवारण हेतु संचालित

गतिविधियाँ

1. परिचय: पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार, प्रत्येक मध्यस्थ को विनियमों के तहत निर्धारित शिकायत निवारण नीति का पालन करना होगा। शिकायत शब्द को विनियमन 2 (छ) के तहत इस प्रकार परिभाषित किया गया है: शिकायत या शंका में कोई भी सम्प्रेषण शामिल है जो अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित मध्यस्थ अथवा संस्था अथवा व्यक्ति के आचरण या किसी चूक या कृताकृत्य अथवा सेवा की कमी के संबंध में असंतोष व्यक्त करता है जिसकी उपचारात्मक कार्रवाई की मांग की प्रवृत्ति में निम्नलिखित शामिल नहीं है:

- i. ऐसी शिकायतें जो अधूरी हैं या विशिष्ट प्रकृति की नहीं हैं,
- ii. सुझाव देने की प्रकृति में संचार
- iii. मार्गदर्शन या स्पष्टीकरण के लिए संचार,
- iv. पीएफआरडीए की शक्तियों और कार्यक्षेत्र से बाहर शिकायतें अथवा जो पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत निर्मित नियमों एवं विनियमों से परे हैं।
- v. मध्यवर्तियों में किसी भी प्रकार का कोई विवाद।
- vi. अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों को छोड़कर ऐसी शिकायतें जो उप-न्यायिक हैं, ऐसे मामले जो अदालत या अर्ब-न्यायिक निकाय द्वारा विधाराधीन हैं।

2. शिकायत निवारण से संबंधित प्रक्रिया प्रवाह

(i) अभिदाता शिकायत का निवारण पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के अनुसार किया जाता है। शिकायतों के सुचारु और समय पर निपटारा हेतु अभिदाताओं से निम्नलिखित वृद्धि मैट्रिक्स का पालन करने का अनुरोध किया जाता है:

स्तर 1: पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, अभिदाता केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) के माध्यम से समाधान हेतु अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अभिदाता की शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु शिकायतों को संबंधित मध्यस्थ/कार्यालय को भेजा जाएगा। संबंधित संस्था द्वारा प्रदान की गई समाधान टिप्पणियों से अभिदाता को ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा जिसका ऑनलाइन अवलोकन किया जा सकता है।

शिकायत करने के लिए अभिदाता संबंधित सीआरए पर क्लिक कर सकता है जिसके तहत उसका प्रान सूचित होता है। शिकायत दर्ज करने और समाधान की स्थिति देखने के लिए विवरण और प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं:

तालिका सं. 3.16 : शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाएं

प्रोटियन ईगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) 1. शिकायत दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफ़ेस: क) इंटरनेट व्यक्तिगत पहचान संख्या (आईपीआईएन) के उपयोग से केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली में शिकायत दर्ज करना। (https://cransdl.com/CRA/). सफल लॉगिन के बाद अभिदाता को शिकायत टैब के तहत लॉग शिकायत अनुक्रम पर क्लिक करना होगा। आई-पिन का उपयोग करके मोबाइल एप्लिकेशन में लॉग इन करें। सफल लॉगिन के बाद अभिदाता को पुष्टतापत्र/शिकायत विकल्प पर क्लिक करना होगा। ख) अभिदाता निर्गमित वेबसाइट (https://npsdra.nsdl.co.in/Log-yourgrievance.php) पर अपनी शिकायत/पुष्टतापत्र विकल्प लॉग के अंतर्गत दर्ज करा सकता है।	कैफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 1. शिकायत/शंका दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफ़ेस: क) अभिदाता अपनी वेबसाइट https://enps.kfintech.com/login/login/ पर जाकर आई-पिन के उपयोग से कैफिन्टेक सीआरए द्वारा प्रदान किए गए वेब आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। इकाई को वेब-आधारित प्रारूप में आवश्यकतानुसार आवश्यक विवरण प्रदान करना होगा। सफल पंजीकरण के उपरांत सदस्य के उद्देश्य से स्क्रीन पर एक टोकन संख्या प्रदर्शित की जाएगी। ख) अभिदाता संबंधित विवरण प्रदान करके सीआरए प्रणाली में लॉग इन किए बिना भी शिकायत दर्ज कर सकता है। (https://enps.kfintech.com/registergrievanceenquiry/registergrievanceenquiry/)	कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट लिमिटेड 1. शिकायत/शंका दर्ज करने के लिए वेब आधारित इंटरफ़ेस: क) अभिदाता वेबसाइट https://www.camsgn5.com/subscribers/queries/ पर जाकर सीएमएस सीआरए द्वारा प्रदान किए गए वेब आधारित इंटरफ़ेस के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। ख) अभिदाता अपने ईमेल/एसएस आईडी में लॉग इन करें और शीप मेनू में शिकायत टैब पर जाकर नई शिकायत के तहत 'क्वेरीज' चुनें। उपयुक्त शिकायत श्रेणी का चयन करें और बाद के चरणों को पूरा करें। भावी संदर्भ के लिए फोटो द्वारा सृजित टिकट संख्या दर्ज करें। जवाबी ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
2. शिकायत/शंका दर्ज करने की अन्य विधियां: क) कॉल सेंटर/चर्चात्मक व्हाट्स प्रत्युत्तर प्रणाली (आईवीआर) टोलफ्री नंबर 1800 222 080 पर कॉल करके और टेली क्वेरी व्यक्तिगत पहचान संख्या के साथ खुद को प्रमाणित करके ऐसा किया जा सकता है। (टीपीआईएन)	2. शिकायत/शंका दर्ज करने की अन्य विधियां: क) कॉल सेंटर/चर्चात्मक व्हाट्स प्रत्युत्तर प्रणाली (आईवीआर) अभिदाता हमारे टोलफ्री नंबर 1800 208 1516 पर अपने कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। अभिदाता टीपीआईएन का उपयोग करके प्रमाणिकरण के बाद शिकायत दर्ज कर सकता है। कॉल सेंटर कार्यकारी द्वारा शिकायत दर्ज की जाएगी और संदर्भ के लिए यूनिट को एक टोकन संख्या दिया जाएगा।	2. शिकायत/शंका दर्ज करने की अन्य विधियां: क) कॉल सेंटर/चर्चात्मक व्हाट्स प्रत्युत्तर प्रणाली (आईवीआर) टोलफ्री नंबर 1800 672 6557 पर कॉल करके टेली क्वेरी व्यक्तिगत पहचान संख्या (टीपीआईएन) सहित स्वयं को प्रमाणित कर दर्ज की जा सकती है। यदि किसी शिकायत या शंका (पारा 2 में यथा परिभाषित के अनुसार) का तुरंत निवारण नहीं किया जाता है, तो इसे सीजीएमएस में दर्ज किया जाता है। यदि किसी शंका अथवा शिकायत (पारा 2 में परिभाषित) का तुरंत

ख) भौतिक रूप : निर्दिष्ट प्रपत्र (प्रपत्र जी1) में लिखित शिकायत दर्ज की जा सकती है। अध्यापक के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजकर भी जा सकती है। प्रोडियम इंगोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पुणे में एनएससीईएट ई-कॉर्सेस) पहली मंजिल, टाइटम टॉवर, कमला निळा कपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई - 400 013	ख) भौतिक रूप : कोई भी अभिवाता सीआरए की केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रकोष्ठ को भौतिक रूप में विवरण प्रदान करते हुए शिकायत दर्ज कर सकता है। अभिवाता को शिकायत प्रपत्र (प्रपत्र जी1) सीआरए में जमा करना होता है। इस प्रकार की शिकायत मिलने पर, सीआरए यूजर उसे डिजिटाइज कर सीआरए प्रणाली में अनुरोध दर्ज करेगा जिसकी सूचना इसएमएस/ईमेल के माध्यम से अभिवाता को दी जाएगी। इसे निम्नलिखित पते पर भी भेजा जा सकता है: कोफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमि. संलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31 और 32, फाइनटेनियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमगल्ली, हैदराबाद-500032	समाधान नहीं किया जाता है तो इसे ग्राहक सेवा अधिकारी सीसीएमएस में रिकॉर्ड किया जाता है और अभिवाता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक विशेष शिकायत नंबर उपलब्ध कराया जाता है। ख) भौतिक रूप : निर्दिष्ट प्रपत्र (प्रपत्र जी1) में लिखित शिकायत दर्ज की जा सकती है। अध्यापक के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजकर भी जा सकती है: शिकायत निवारण अधिकारी, केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण, कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, सीआरए, 159, रायला टॉवर्स, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002
3. शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें? अभिवाता सीआरए की वेबसाइट (https://npskra.nsdl.co.in/Log-your-grievance.php) पर अपनी 'शिकायत/पूछताछ विवरण' की स्थिति की जांच टेब के अंतर्गत अपना कोल सेंटर के माध्यम से अपने टोकन नंबर का उल्लेख करते हुए कर सकते हैं।	3. शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें? अभिवाता सीआरए की वेबसाइट (https://enps.kfintech.com/login/login/) से अध्यापक कोल सेंटर के माध्यम से अपने टोकन नंबर का उल्लेख करते हुए शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं।	3. शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें? अभिवाता अपनी शिकायत की स्थिति की जांच शिकायत टेब के अंतर्गत शिकायत की स्थिति पर क्लिक करके अध्यापक कोल सेंटर के माध्यम से अपने टोकन नंबर का उल्लेख करते हुए कर सकते हैं।

स्तर 2: यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है अथवा शिकायत दर्ज करने के तीस दिन तक मध्यस्थ द्वारा समाधान नहीं किया जाए, तो वह निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) को शिकायत भेज सकता है।

1. वेबसाइट www.npstrust.org.in / <https://www.npstrust.org.in/content/contact-us>

यात्रा अभिदाता एनपीएस ट्रस्ट को निम्नलिखित पते पर पत्र भेजकर शिकायत कर सकते हैं:

शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट, टॉवर बी, भी-302

तीसरी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

फोन: 91+11-35655222

तालिका सं. 3.17 : सीआरए के विरुद्ध प्रश्न/शिकायत (रिफरल)

के विरुद्ध शिकायत	वित्त वर्ष 2023-24 में मास के लिए रिफरल की स्थिति			
	मार्च 2023 के अंत में लंबित	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त	वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान बंद/चुलझाई गई	मार्च 2024 के अंत तक लंबित
सीआरए	548	1,19,311	1,18,354	1,505

(आंकड़ा का स्रोत : प्रोटियन सीआरए, केफिन टेक्नालॉजीज सीआरए और सीएएमएस सीआरए)

तालिका सं. 3.18 : सीआरए के विरुद्ध प्रश्न/शिकायत (रिफरल) की श्रेणीवार स्थिति

रिफरल श्रेणी	मार्च 2023 के अंत तक लंबित मामले	वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान प्राप्त मामले	वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान निपटाए गए मामले	मार्च 2024 के अंत तक निपटान हेतु लंबित मामले
सामान्य प्रश्न	136	27,540	27,322	354
प्रान कार्ड से संबंधित	25	8,911	8,833	103
एसओपी से संबंधित	20	5,603	5,567	56
टिप्पर 2 से संबंधित	16	3,751	3,751	16
अभिदाता विवरण या गलत संसाधन	21	4,707	4,586	42
आई-पिन, टी-पिन से संबंधित	8	3,074	3,049	33
निकासी से संबंधित	33	5,404	5,347	90

ईमेल/एसएमएस अलर्ट नहीं मिलने से संबंधित	6	688	693	1
निकासी संसाधित नहीं की गई/प्राधिकृत नहीं है/राशि प्राप्त नहीं हुई है।	5	2,021	1,998	29
आंशिक निकासी संसाधित नहीं की गई/प्राधिकृत नहीं है/राशि प्राप्त नहीं हुई है।	8	1,692	1,685	15
अन्य शिकायतें	241	50,260	49,793	708
मृत्यु पर निकासी संसाधित नहीं की गई/प्राधिकृत नहीं की गई/राशि प्राप्त नहीं हुई है।	1	0	1	0
ग्रान जमाई जारी करने में विफल	2	2	4	0
समय पूर्व निकासी शुरू नहीं की गई/प्राधिकृत नहीं की गई/राशि प्राप्त नहीं हुई है।	2	189	188	3
अशुभान खाते में राशि परिवर्तित नहीं हो रही है।	23	5,469	5,437	55
कुल	548	1,19,311	1,18,354	1,505

(आंकड़ों का स्रोत : प्रॉडियन सीआरए, कैफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए और सीएमएस सीआरए)

तालिका सं. 3.18: 31 मार्च, 2024 को समाप्त माह के लिए लंबित रेफरल की अवधि

क्षेत्र	7 दिन से कम	8-14 दिन	15-30 दिन	31-60 दिन	60 दिन से अधिक	कुल
केंद्रीय सरकार	208	7	0	0	0	115
राज्य सरकार	159	5	1	0	0	165
कॉर्पोरेट	108	3	4	0	0	215
असंगठित क्षेत्र	854	8	2	1	0	865
एनपीएस लाइट	17	0	0	0	0	17
एपीआई	127	1	0	0	0	128
कुल	1473	24	7	1	0	1606

(आंकड़ों का स्रोत: प्रॉडियन सीआरए, कैफिन टेक्नोलॉजीज सीआरए और सीएमएस सीआरए)

स्तर 3: यदि शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है या स्तर 2 पर 21 दिनों में कोई जवाब नहीं मिला है, तो पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त लोकपाल से अभिदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार विवरण प्रस्तुत करते हुए संपर्क किया जा सकता है। पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम 2015 के अनुसार विनियमों के तहत लोकपाल को निम्नानुसार अपील दायर की जा सकती है—

(क) अपील ऐसे शिकायतकर्ता द्वारा अपील की जा सकती है, जिसकी शिकायत एनपीएस ट्रस्ट को शिकायत भेजने के बीस दिनों के भीतर हल नहीं की गई है।

(ख) शिकायतकर्ता द्वारा जहाँ एनपीएस ट्रस्ट और किसी अन्य मध्यस्थ के खिलाफ सीधे शिकायत की गई है और वह इक्कीस दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुसूतझी रहती है। लोकपाल को अपील राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्याय की प्रतिक्रिया प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अथवा यदि कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है, तो अभ्यावेदन या शिकायत दर्ज करने की तारीख से इक्कीस दिनों की समाप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर की जानी चाहिए। यह अपील शिकायतकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि (कानूनी व्यवसायी नहीं होने के नाते) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र में, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है और लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और दस्तावेजों द्वारा समर्थित होगी, यदि कोई हो।

वर्तमान में पीएफआरडीए द्वारा केवल एक लोकपाल नियुक्त किया गया है। विवरण निम्नलिखित है:—

श्री तरेंद्र कुमार भोला

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई.500, टॉवर ई, 5वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,

नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

ईमेल आईडी: ombudsman@pfrda.org.in

लैंडलाइन नं.: 011-40717900 Extn.-188

स्तर 4 :— यदि अभिदाता लोकपाल द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो अभिदाता आदेश के खिलाफ पीएफआरडीए के नामित सदस्य को निम्नलिखित तरीके पर अपील दायर कर सकता है—

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई.500, टॉवर ई, 5वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,

नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

स्तर 5 :— प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण

इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता के पास पीएफआरडीए के नामित सदस्य से असंतोषजनक प्रतिक्रिया के मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने का अधिकार सुरक्षित है।

3.5.1 बिल वर्ष 2023-24 हेतु लोकपाल कार्यालय में प्राप्त, निपटाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या

तालिका सं. 3.20 : वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लोकपाल कार्यालय में प्राप्त, निपटाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या

क्रम सं.	क्षेत्र *				कुल
	सीजी/सीएबी	एसजी/एसएबी	यूओएस.	एनपीएस साइट	
प्राप्त शिकायतों की संख्या	3	3	5	-	11
निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2	2	5	-	9
लंबित शिकायतों की संख्या	1	1	-	-	2

नोट: * अन्य क्षेत्रों के लिए स्वायत्तम्भन और एपीवाईए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोई अपील प्राप्त नहीं हुई थी।

3.5.2 वित्त वर्ष 2023-24 हेतु लोकपाल कार्यालय में राज्यवार प्राप्त शिकायतें

तालिका सं. 3.21: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त राज्यवार शिकायतें

क्रम सं.	राज्य का नाम	राज्यवार शिकायतों की संख्या
1.	हरियाणा	2
2.	कर्नाटक	1
3.	केरल	2
4.	महाराष्ट्र	1
5.	पंजाब	1
6.	राजस्थान	1
7.	दिल्ली	3

3.5.3 : लोक शिकायत निस्तारण

शिकायत समाधान की प्रक्रिया:

लोक शिकायत पोर्टल (सीपीजीआरएएम) के तहत पीएफआरडीए को सीपी गई शिकायतों के समाधान के लिए पर्यवेक्षण विभाग-पीजीपी (सीपीजीआरएएम) द्वारा निगरानी की जाती है। अन्य सरकारी विभागों/मंत्रालयों (जैसे डीईए, पीएमओ, डीओपी एंड पीडब्ल्यू, डीएआरपीजी आदि) से प्राप्त शिकायतों को केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) के तहत समाधान के लिए संबंधित मध्यवर्तियों को भेजने के लिए सीआरए को भेज दिया जाता है। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सीजीएमएस, पीएफआरडीए द्वारा केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण के समन्वय से, विकसित एक मंच है (अभिदाताओं

की शिकायतों के निवारण के लिए नियमों के तहत एक तंत्र स्थापित करने के संबंध में धारा 14 की उप-धारा (2) (घ) का संदर्भ लिया जा सकता है। इसके अलावा, समाधान के बाद, शिकायतों को समाधान के रूप में चिह्नित किया जाता है और सीपीजीआरएएम पोर्टल में समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि, यदि प्रदान किया गया समाधान प्रशासनिक निकाय (डीएफएस) को संतोषजनक नहीं प्रतीत होता है तो शिकायतकर्ता शिकायत को आगे बढ़ाने का अधिकार रखता है। ऐसे मामलों में पीएफआरडीए द्वारा दिए गए समाधान के आधार पर डीएफएस के पास शिकायतों को समाप्त कर दिया जाता है।

सीपीजीआरएएम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है-

तालिका सं. 3.22 : डीएफएस में पेंशन सुधार अनुभाग के माध्यम से शिकायत

स्रोतवार शिकायत:

शिकायत का स्रोत	आगे ले जाई/अवधि के दौरान गई	कुल प्राप्त	अवधि के दौरान निपटाए गए मामले	अंत: रोष	जिनका मूल्यांकन किया जाना है	हमारे कार्यालय में	अधीनस्थों के पास
सीएआरपीजी	0	24	24	22	2	0	0
लोकल/इंटरनेट	10	448	458	435	23	9	0
राष्ट्रपति सचिवालय	0	3	3	3	0	0	0
पेंशन	0	33	33	32	1	1	0
पीएमओ	1	79	80	78	2	2	0
कुल	11	587	598	570	28	12	0

श्रेणीवार निगरानी

निगरानी की श्रेणी	आगे ले जाई गई	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल प्राप्त	कुल निपटाई गई	कुल लंबित
कृषि	0	0	0	0	0
समस्यावार/कदमवार की आरंभ	0	4	4	4	0
कोविड-19 संबंधित	0	20	20	20	0
शिक्षा	0	0	0	0	0
कर्मचारी संबंधित	2	85	87	84	3
वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0
वित्तीय सेवाएं	0	17	17	17	0
उत्पीड़न/अत्याचार	0	0	0	0	0
योजनाओं का कार्यान्वयन	6	309	315	314	1
अभिक मुद्दे	0	2	2	2	0
केंद्रीय सरकार की अन्य शिकायतें	3	124	127	103	24
पुरिस	0	0	0	0	0
सेवा/जनसुविधाओं की गुणवत्ता	0	6	6	6	0
राज्य सरकार संबंधी	0	1	1	1	0
सुझाव	0	19	19	19	0
कुल	11	587	598	570	28

3.23 : डीएफएस की बैंकिंग प्रचालन शाखा-3 के माध्यम से की गई शिकायतें

स्रोतवार शिकायतें

शिकायत का स्रोत	आगे ले जाई गई	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल प्राप्त	अवधि के दौरान निपटाए गए मामले	अंतः सेवा	जिनका मूल्यांकन किया जाया है	हमारे कार्यालय में	अधीनस्थों के पास
सीपीजी	0	1	1	1	0	0	0	0
डीएआरपीजी	0	4	4	4	0	0	0	0
स्थानीय/इंटरनेट	0	37	37	37	0	0	0	0
राष्ट्रपति सचिवालय	0	1	1	1	0	0	0	0
पेशान	0	4	4	4	0	0	0	0
पीएमओ	1	8	9	9	0	0	0	0
कुल	1	55	56	56	0	0	0	0

श्रेणीवार निगरानी

निपटनी की श्रेणी	सागे ले जाई गई	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल प्राप्त	कुल निपटाई गई	कुल लंबित
कृषि	0	0	0	0	0
अपराध/कदाचार के आरोप	0	1	1	1	0
कोविड-19 से संबंधित	0	0	0	0	0
शिक्षा	0	0	0	0	0
कर्मचारी संबंधित	0	8	8	8	0
वित्तीय सहायता	0	0	0	0	0
वित्तीय सेवाएं	0	26	26	26	0
उत्पीड़न/अत्याचार	0	0	0	0	0
योजनाओं का कार्यान्वयन	0	1	1	1	0
अन्य मुद्दे	0	0	0	0	0
भूमि संबंधी समस्याएं	0	0	0	0	0
केंद्र सरकार से संबंधित अन्य	1	16	17	17	0
भुलिया	0	0	0	0	0
सेवा / जनसुविधाओं की गुणवत्ता	0	2	2	2	0
रैलवे	0	0	0	0	0
राज्य सरकार संबंधी	0	1	1	1	0
सुझाव	0	0	0	0	0
कुल	1	55	56	56	0

निपटाए गए मामलों का सकल योग 626 (570+56)

31 मार्च, 2024 को सीजीएमएस में वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका सं. 3.24 : 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक सीजीएमएस में लंबित, प्राप्त और समाप्त शिकायतें

क्रम सं.	क्षेत्र	31 मार्च 2023 तक लंबित	31 मार्च 2023 तक निपटाई गई	31 मार्च 2024 तक निपटाई गई	31 मार्च 2024 तक लंबित
1	एनपीएस रेगुलर #	2,552	1,77,433	1,75,428	4,557
2	एनपीएस लाइट	61	1,960	1,934	87
3	एपीआई	481	72,762	71,411	1,832
	कुल	3,094	2,52,155	2,48,773	6,476

स्रोत : सीआरए

नोट: #एनपीएस रेगुलर में सीजी/एसजी/एसएवी/सीएवी/कॉर्पोरेट और सभी नागरिक क्षेत्र शामिल हैं।

तालिका सं. 3.25 : 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के दौरान सीजीएमएस में विभिन्न क्षेत्रों में लंबित, प्राप्त और बंद शिकायतें

क्रम सं.	के विरुद्ध रेफरर	31 मार्च 2023 तक लंबित	31 मार्च 2024 तक प्राप्त	31 मार्च 2024 तक निपटान	31 मार्च 2024 तक लंबित
1	केंद्र सरकार	302	5,298	5,076	524
2	राज्य सरकार	917	7,266	6,991	1,192
3	पीओपी	531	36,810	36,578	763
4	कॉरपोरेट	2	151	145	8
5	ट्रस्टी बैंक	40	69	69	40
6	एनपीएस लाइट	52	751	736	67
7	एपीवाई (एपीवाई-एसपी)	457	61,749	60,571	1,635
8	ईएनपीएस	240	23,922	23,645	517
9	सीआरए	535	1,14,700	1,13,733	1,502
10	एनपीएस ट्रस्ट	18	1,439	1,229	228
	कुल	3,094	2,52,155	2,48,773	6,476

स्रोत : सीआरए

प्राप्त प्रमुख शिकायतें लेन-देन विवरण, अंशदान राशि को खाते में प्रदर्शित न किए जाने, भ्रान्त कार्य, अभिवादा विवरणों की गलत प्रक्रिया, अंशदान राशि अपलोड करने में विलंब आदि से संबंधित हैं। शिकायतें अभिवादा द्वारा सीजीएमएस में दर्ज की जाती हैं और आवश्यक कार्रवाई के लिए सीधे संबंधित मध्यवर्तियों को भेजी जाती हैं। इस प्रकार, यह संबंधित मध्यवर्ती इकाईयों पर निर्भर करता है कि वे सीजीएमएस में उनके खिलाफ उठाई गई शिकायतों को सुलझाएं और समाप्त करें। सीजीएमएस में शिकायतों को हल करने और बंद करने के लिए संबंधित मध्यवर्ती को आवधिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

3.6 सेवानिवृत्ति सलाहकार के लिए प्रमाणन प्रोग्राम

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसके बाद के संशोधनों में परिभाषित पात्रता मानदंडों के अनुसार आवेदनों के मूल्यांकन के बाद पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीएस स्थापत्यके तहत 15 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार पंजीकृत किए गए थे। पंजीकरण प्रक्रिया में सेजी लाने के लिए ऑनलाइन मंच उपलब्ध है जहां आवेदक पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

तालिका सं. 3.26 : सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन

एनआईएसएम मुख्यालय-17 सेवानिवृत्ति सलाहकार प्रमाणन

मास	प्राप्त	प्रवेश	उत्तीर्ण
अप्रैल-जून 2023	98	93	65
जुलाई-सितंबर 2023	113	74	56
अक्टूबर-दिसंबर 2023	119	118	85
जनवरी-मार्च 2024	127	127	93
कुल	457	412	299

3.7 प्राधिकरण तथा मध्यवर्तियों द्वारा आंकड़ों का संकलन, जिनमें अध्ययन, अनुसन्धान और परियोजनाओं को शुरू करना शामिल है

जनसांख्यिकी, सेवानिवृत्ति बचत और निवेश, अंतर्निहित अभिदाताओं की वृद्धावस्था आय सुरक्षा को पूरा करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा जारी विभिन्न वित्तीय उत्पादों/योजनाओं, इन पर सृजित आय, अभिदाताओं को प्रदान किए गए प्रकटीकरण और सुरक्षा आदि के आधार पर व्यापक डेटा संग्रह व संकलन विभिन्न योजनाओं के तहत पीएफआरडीए की वर्तमान गतिविधियाँ हैं।

3.8 पेंशन, सेवानिवृत्ति बचत और संबंधित मुद्दों पर आम जनता को शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम और मध्यवर्तियों के प्रशिक्षण के विवरण

3.8.1 - पेंशन से संबंधित वित्तीय साक्षरता

पीएफआरडीए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उपसमिति, कार्य समूहों और विभिन्न अंतर-विनियामक मंचों का सदस्य है जैसे वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर अंतर विनियामक तकनीकी समूह और तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल) वित्तीय समूहों की निगरानी के लिए अंतर विनियामक मंच (आईआरएफ-एफसी)। पीएफआरडीए इन समितियों/समूहों/फोरम के उद्देश्यों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने में योगदान देता है।

3.8.2 सेवानिवृत्ति निगोजक योजना

हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इनमें से कई लोगों के पास अपने बुढ़ापे के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए धन का कोई स्थायी और निरंतर

स्रोत नहीं है। इसके अतिरिक्त, देखा गया है कि पेंशन सेवानिवृत्ति योजना और सेवानिवृत्ति के बाद के व्यापक स्तर पर ऐसी जनसंख्या में जीवन के लिए बचत की आदत के बारे में कार्यात्मक जागरूकता बहुत कम है।

इस मुद्दे का समाधान करने के लिए पीएफआरडीए ने भारत के नागरिकों के लिए पेंशन, सेवानिवृत्ति योजना और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए बचत करने की आदत के बारे में जानकारी फैलाने के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में सेवानिवृत्ति योजनाकार योजना शुरू की है। सेवानिवृत्ति योजनाकार योजना के तहत, हमारे पास निम्नलिखित है:

सेवानिवृत्ति योजनाकार (आरपी) : इस योजना के तहत ऐसे आवेदकों को सूचीबद्ध कर सेवानिवृत्ति जागरूकता तथा शिक्षा पर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अभिकरण: सेवानिवृत्ति योजनाकार के ध्यान में प्राधिकरण की सहायता करने, उनके प्रशिक्षण और सभी परिचालन मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अभिकरण, जिसमें सेवानिवृत्ति योजनाकार (आरपी) द्वारा प्रस्तुत कार्यशालाओं को मंजूरी देना, कार्यशालाओं की निगरानी, जांच करना, प्रोसेसिंग और आरपी द्वारा उठाए गए पारिश्रमिक के दावों के भुगतान के साथ-साथ निर्धारित प्रारूपों के अनुसार प्राधिकरण को इनसे संबंधित एमआईएस/डेटा प्रस्तुत करना शामिल है।

पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 23-24) के दौरान आयोजित कार्यशालाओं का विवरण निम्नानुसार है-

तालिका सं. 3.27 : वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित कार्यशालाओं का विवरण

पेंशनबद्ध आरपी की संख्या	आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	कार्यशाला में प्रतिभागियों की संख्या
79	1,608	47,500

3.8.3 वित्तीय तथा अन्य अभिकरणों के समन्वय के लिए कार्यक्रम

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित धारा 8 (लाभरहित) कंपनी है। पीएफआरडीए ने 100 करोड़ रुपये की होयर पूंजी से 10

करोड़ रुपये का अंशदान दिया है। उपरोक्त संरक्षण और शिकायत निवारण के लिए उचित और पारदर्शी तंत्र सहित विनियमित संस्थाओं के माध्यम से उचित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के माध्यम से वित्तीय कल्याण प्राप्ति हेतु लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से धन का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय शिक्षा अभियान चलाया जाएगा।

एनसीएफई का उद्देश्य वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय

रणनीति के अनुसार जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना, संगोष्ठी, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभियानों, स्वयं या संस्थानों संगठनों की मदद से चर्चा मंचों के माध्यम से देश भर में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए वित्तीय शिक्षा अभियानों के माध्यम से वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण पैदा करना और वित्तीय शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा इलेक्ट्रॉनिक या गैर-इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों, कार्यपुस्तकों, कार्यपत्रकों, साहित्य, पत्र, पुस्तिकाओं, पत्राचार, तकनीकी सहायता में वित्तीय शिक्षा सामग्री तैयार करना और वित्तीय साक्षरता में सुधार हेतु वित्तीय बाजारों और वित्तीय डिजिटल मोड पर लक्षित दर्शकों के लिए उपयुक्त वित्तीय साहित्य तैयार करना है।

एनसीएफई मॉड्यूल में न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने वाली सरकारी योजनाओं में से एपीवाई शामिल है। इसके अतिरिक्त, एनपीएस को सेवानिवृत्ति की जरूरतों के समाधान के रूप में एनसीएफई मॉड्यूल में भी शामिल किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कार्यनीति (एनएसएफई-2020-25) भारतीयों के वित्तीय कल्याण प्राप्ति हेतु बहु-हितधारक दृष्टिकोण को अपनाने की सिफारिश करती है। एनएसएफई 2020-25 की कार्य योजना के तहत कार्यनीतिक तथ्य के अनुसार 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा सामग्री का रसोड़ा सभी क्षेत्र के विनियामकों के समन्वय से तैयार किया गया है।



इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए ने एनसीएफई और अन्य विनियामकों के साथ योगदान और समन्वय कर 28 फरवरी से 01 मार्च, 2024 तक सफलतापूर्वक वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू 2024) मनाया। दिनांक 29 फरवरी 2024 को पीएफआरडीए के अधिकारियों द्वारा "सेवानिवृत्ति की तैयारी: अपने स्वर्णिम वर्षों को सुरक्षित बनाएं" विषय पर राष्ट्रीय स्तर का वेबीनार आयोजित किया गया।

3.8.4 मीडिया, संचार तथा एनपीएस/एपीवाई जागरूकता पर पीएफआरडीए के प्रयास

पीएफआरडीए ने 'भारत पेंशनयुक्त समाज' की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखा है।

इस पृष्ठभूमि में, संचार के विभिन्न चैनल और माध्यम जैसे पेंशन साक्षरता के प्रति शिक्षित करने, प्रसार करने तथा आम जनता को एनपीएस और एपीवाई की विशेषताओं तथा लाभों को समझाने के लिए प्रिंट, सोशल और डिजिटल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी और रेडियो) को अपनाया गया था।

• प्रिंट अभियान

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में एनपीएस और एपीवाई को बढ़ावा देने के लिए कुल 18 अखिल भारतीय प्रिंट अभियान चलाए गए। समाचार पत्रों के विज्ञापन हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित किए गए जिसमें प्रत्येक प्रिंट अभियान में 100 से अधिक समाचार पत्र संस्करण शामिल थे।



प्रत्येक विज्ञापन में वसू आर कोड के साथ-साथ खाता खोलने के विकल्पों के बारे में जानकारी अंकित की गई थी। प्रिंट अभियान लैटमोटिप्स में "एनपीएस जरूरी है" के व्यापक विषय के तहत सेवानिवृत्ति योजना और पेंशन के महत्व को रेखांकित किया गया।

- एनपीएस और अटल पेंशन के बारे में जागरूकता के लिए वीडियो निर्माण योजना

8 (छह) 30 सेकंड सेवानिवृत्ति फांश के निर्माण में शुरुआत, योजनाएं बचत, निवेश और वयस्क के महत्व को उजागर करने के विषय पर एनपीएस अभिदाता प्रशंसापत्र वीडियो की अवधारणा का निर्माण किया गया जो गरिमा, आत्मसम्मान, अनुशासित बचत, लचीलापन (तन्त्रता), पारदर्शिता और समानता के लिए एनपीएस की महत्ता के व्यापक विषयों को रेखांकित करता है।



उक्त फिल्मों ने एनपीएस अभिदाताओं, एनपीएस के तहत मौजूद कॉर्पोरेट/नियोक्ता के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के फूटेज को एनपीएस से जुड़े लाभों और जनता में इसकी लोकप्रियता के कारणों की पैरवी करते हुए कैमरे में कैद किया।



पोर्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के उप विषयों पर विशेष रूप से आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए लक्षित 4 (चार) 30 सेकंड के टीवी विज्ञापनों की अवधारणा तैयार कर उन्हें प्रसारित किया गया।



एलएंडटी लिमिटेड के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी डॉ. सी जयकुमार के साथ 1 (एक) 40 सेकंड के टीवी प्रशंसापत्र वीडियो की अवधारणा बनाकर शूट किया गया जिसमें उन्होंने एनपीएस की विशेषताओं, लाभ तथा संपूर्ण सेवानिवृत्ति बचत यात्रा में इसके महत्व के बारे में बताया।



अटल पेंशन योजना की विशेषताओं और इसके तिरहे लोगों को उजागर करने वाले दो टीवी विज्ञापन तैयार किए गए। आम जनता के लाभ के लिए उक्त वीडियो हिंदी, अंग्रेजी और 10 स्थानीय भाषाओं में बनाया गया था।





टीवी और रेडियो में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, टीवी विज्ञापनों और रेडियो विज्ञापनों के क्षेत्र में एनपीएस तथा एपीवाई के प्रचार के लिए कुल 19 (उन्नीस) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान चलाए गए। इन अभियानों को दूरदर्शन-डीडी नेशनल और डीडी न्यूज के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी व्यापार चैनलों तथा राष्ट्रीय व क्षेत्रीय हिंदी समाचार चैनलों और आकाशवाणी (एआईआर) के राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय नेटवर्क और निजी एफएम चैनलों के माध्यम से निष्पादित किया गया था।

एनपीएस को आकाशवाणी के कार्यक्रम 'बाजार मंत्र' के प्रायोजन के माध्यम से बढ़ावा दिया गया था, जिसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के चार मेट्रो केंद्रों में एफएम गोल्ड स्टेशन पर प्रदर्शित किया गया था। एनपीएस को डीडी न्यूज प्रोग्राम 'मनी मंत्रा' के प्रायोजन से भी प्रोन्नत किया गया था। इसके अतिरिक्त, एनपीएस को प्रसार भारती नेटवर्क डीडी न्यूज के माध्यम से भी प्रोन्नत किया गया था।

उक्त प्रायोजन दिसंबर 2023 में शुरू किए गए थे और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम लला की मूर्ति को अभिषेक के राष्ट्रीय कवरेज कार्यक्रम के दौरान डीडी नेशनल और डीडी यूपी पर मार्च 2024 तक चले।

सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया अभियान

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यूट्यूब, फेसबुक/इंस्टाग्राम (मेटा) लिंकडिन, ट्विटर (रीक्राइस्टेड एक्स) और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क (जीडीएन) के प्लेटफार्मों पर पीएफआरडीए के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से एनपीएस और एपीवाई को बढ़ावा देने के लिए कुल 9 (नौ) ऑनलाइन/डिजिटल अभियान चलाए गए हैं। डिजिटल अभियान वित्तीय सामग्री वेबसाइटों पर भी चलाए गए थे।

दिनांक 01 अक्टूबर 2023 को आयोजित एनपीएस दिवस से संबंधित मीडिया गतिविधियां



एनपीएस दिवस दिनांक 01 अक्टूबर 2023 को मनाया गया था। एनपीएस दिवस 2023 को एनपीएस की रूपरेखा तैयार करने वाले पहलुओं जैसे आत्मसम्मान, स्वाभिमान, विश्वास, वित्तीय स्वतंत्रता, पारदर्शिता और समानता के लिए मनाया गया। विभिन्न मीडिया और प्रचार अभियानों में उक्त विषयों और रचनात्मकता का संमान रूप से उपयोग किया गया था।

एनपीएस दिवस 2023 के दौरान निम्नलिखित मीडिया गतिविधियां आयोजित की गईं :-



'एनपीएस जरूरी है' अभिदाताओं के प्रशंसात्मक वीडियो वाले 30 सेकंड के टीवीसी को अंग्रेजी और हिंदी व्यापार चैनलों तथा राष्ट्रीय व क्षेत्रीय हिंदी समाचार चैनलों पर प्रदर्शित किया गया।

अक्टूबर 2023 के पहले सप्ताह के दौरान : 'प्रतिष्ठा के लिए एनपीएस, समानता के लिए एनपीएस और आत्म-सम्मान के लिए एनपीएस' विषयों पर 100 से अधिक समाचार पत्र संस्करणों को कवर करने वाले प्रत्येक प्रिंट अभियान में समाचार पत्र विज्ञापन दिए गए।



वित्तीय संसाधनों पर डिजिटल अभियान (रन-ऑन-साइट बैनर और फ्लैक्स् बैनर)



3.8.5. सोशल मीडिया पर पीएफआरडीए

पारंपरिक मीडिया में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जिसे सामान्यतः जनता के लिए एकतरफा संचार के रूप में लेबल किया जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लक्षित दर्शकों से प्राप्त प्रतिक्रिया से दर्शकों को लक्षित करने के लिए संचार और संदेश के वितरण का बहुआयामी चैनल प्रदान करता है।

सोशल मीडिया जनता के साथ संपर्क और जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण नुमिका निभाता है और पीएफआरडीए अपनाने के अपने प्रयास में एनपीएस के लिए फेसबुक, ट्विटर, लिंकडिन, यूट्यूब और एपीवाई के लिए एपीवाई तथा इंस्टाग्राम से अपने खाते को सक्रिय रूप से बनाए रखा है।

पीएफआरडीए सोशल मीडिया हैंडल के फॉलोअर्स हैं: एपीवाई फेसबुक पेज, एनपीएस फेसबुक, ट्विटर, लिंकडिन। संबंधित लक्षित समूह से चर्चा करने और योजना से संबंधित जानकारी व अपडेट का प्रसार करने के लिए एपीवाई इंस्टाग्राम (एपीवाई-आईजी) को भी सक्रिय किया गया था।

3.8.6 जनसंपर्क और संचार

पीएफआरडीए वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने और अभिदाता के हितों की रक्षा हेतु अपनी नीतियों, गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा जानकारी का प्रसार करने के उद्देश्य से विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियों/संचार का संचालन करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा विनियमित और प्रकाशित योजनाओं में नौतिगत परिवर्तनों तथा विकास के बारे में जानकारी देते हुए 15 प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, निधनों के सरलीकरण का संचार करने वाली 7 प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई और इसके कवरेज को व्यापक रूप से साझा किया गया।



वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएफआरडीए के वरिष्ठ प्रबंधन/प्रवक्ता ने संपूर्ण भारत में दिल्ली, वाराणसी, गुवाहाटी, बंगलुरु और मुंबई जैसे विभिन्न स्थानों पर 6 प्रेस बैठकें/मीडिया मोलमेज बैठकें आयोजित कीं। नियमित प्रेस बैठकें और बातचीत के दौरान सेवानिवृत्ति योजनाएं पेंशन और वृद्धावस्था आय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं और उनके समाधानों का प्रसार किया गया।



3.8.7 प्रशिक्षण

एनपीएस/एपीवाई की मुख्य विशेषताओं, योजनाओं में शामिल होने की प्रक्रिया, निधि प्रबंधन के चयन के लिए उपलब्ध विकल्प, जाति आर्बटन, वार्षिकी योजनाएं, शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पीएफआरडीए ने अपने चैनल में शामिल प्रशिक्षण अभिकरण के माध्यम से कई वेबिनार आयोजित किए हैं।

वित्त वर्ष 23-24 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है-

तालिका संख्या 3.28 : एनपीएस के तहत प्रशिक्षण सत्रों और प्रतिभागियों की संख्या का क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र	आयोजित वेबिनार की संख्या	आयोजित प्रतिभागियों की संख्या
एनपीएस	54	6,583
एपीवाई	57	6,641
कुल	111	13,224

3.8.8 एनपीएस और एपीवाई सूचना डेल्पडेस्क

देश भर से एनपीएस और एपीवाई पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने और मौजूदा व संभावित अभिदाताओं को मान्य संवादात्मक प्रणाली की सुविधा प्रदान करने की दिशा में पीएफआरडीए एक समर्पित एनपीएस/एपीवाई सूचना डेल्पडेस्क का संचालन कर रहा है, जिसमें एनपीएस/एपीवाई पर प्रश्नों का व्यावसायिक तथा व्यवस्थित तरीके से उत्तर दिया जाता है। कॉल सेंटर का उपयोग अभिदाताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आउटबोर्ड कॉल करने के लिए भी किया जाता है। एपीवाई अंशदान की निरंतरता, सेवानिवृत्ति योजनाकार कार्यशालाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए ऑडिट कॉल और एनपीएस स्वापत्यके मीटर प्रक्रियाओं व सेवाओं के वितरण में सुधार हेतु सर्वेक्षण आयोजित करना (अर्थात् योजना की विशेषताओं, प्रशिक्षण सत्र की गुणवत्ता आदि के बारे में जागरूकता का आकलन करना) और एपीवाई से स्वैच्छिक निकास पर सर्वेक्षण। एनपीएस/एपीवाई सूचना डेल्पडेस्क को वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 0.90 लाख इनबर्क कॉल प्राप्त हुए और 5.60 लाख आउटबोर्ड कॉल, कॉल सेंटर के माध्यम से किए गए।

वर्तमान में सूचना डेल्पडेस्क के दो टोलफ्री नंबर चालू हैं अर्थात् एनपीएस के लिए 1800110708 और एपीवाई के लिए 1800110069 चालू हैं और कॉल बैक सेवाओं के लिए डेल्पडेस्क से एरएमएस सुविधा भी उपलब्ध है। एनपीएस/एपीवाई सूचना डेस्क राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर सप्ताह में 7 दिन (शुक्रवार सहित) दिन में 8 घंटे (प्रातः 9.30 बजे से सां. 5.30 बजे) उपलब्ध रहती है।

3.9 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित सम्मेलन/बैठकें और अन्य पहल

3.9.1 केंद्र और राज्य सरकार क्षेत्र के तहत सम्मेलन

सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जिसमें अधिकांश एनपीएस अभिदाता शामिल हैं, पीएफआरडीए सरकारी नोडल कार्यालयों को उनके प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए विभिन्न मुद्दों/मामलों पर संवेदनशील बनाता है। इस संघ में, पीएफआरडीए विभिन्न उपाय करता है और केंद्र/राज्य सरकार के क्षेत्र में सरकारी नोडल कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करता है।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कार्यान्वयन पर सम्मेलन का आयोजन पीएफआरडीए द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2023 और 28 फरवरी 2024 को इंडिया हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली में किया गया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नोडल कार्यालयों को मुद्दों और चिंताओं के क्षेत्रों पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करना था ताकि उन्हें अपने अंतर्निहित कार्यालयों में एनपीएस के बेहतर कार्यान्वयन के लिए संकल्प प्रदान किया जा सके और प्रणाली को ठोस बनाने के लिए उन्हें नीति, विनियमों, सीआरए प्रणाली तथा प्रक्रियाओं में नवीनतम बदलावों के बारे में भी सूचित किया जा सके। पीएफआरडीए ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों और सीएवी के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नोडल कार्यालयों को प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया है। पीएफआरडीए ने नोडल कार्यालयों (डीडीओ / पीएओ / पीआरएओ) के लिए अद्यतन हैडबुक जारी कर वितरित की है।



सीएफआईए ने वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों तथा केंद्र और राज्य स्वयंसेवक निगमों के साथ समीक्षा बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसका विवरण निम्नानुसार है-

तालिका सं 3.29 : सीजी, सीएबी, एसजी और एसएबी के साथ समीक्षा बैठकें/वीडियो कॉन्फ्रेंस

क्षेत्र	समीक्षा बैठकें
सीजी	75
सीएबी	248
योग (सीजी + सीएबी)	323
एसजी	38
एसएबी	332
योग (एसजी + एसएबी)	370
कुल	693

केंद्र सरकार

क्रम सं.	केंद्र सरकार
1	गृह, यशुपालन और जेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली
2	विद्युत मंत्रालय
3	उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
4	वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)
5	सोशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली
6	नौवहन मंत्रालय
7	बीजार निरीक्षक, वायु सेना

8	रत्नाड्रडर इंडिया लिमिटेड
9	ग्रामीण विकास मंत्रालय
10	भविष्य और भविष्यकारीय कर्तव्य मंत्रालय
11	सीडीए (ग्राम सविस्तरण), मेरठ
12	ग्रामीण विकास मंत्रालय
13	विद्युतविद्युत एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
14	प्रमुख लेखा कार्यालय, सहयोग मंत्रालय, नई दिल्ली
15	परापराती राज मंत्रालय
16	विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय
17	सर्वजनिक प्रधम विभाग वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
18	राज्य के संयुक्त निबंधक एनई-2 टेलीकॉम सॉल्यू, वीरभार
19	संसाधन विभाग और पेट्रोलियम, संसाधन मंत्रालय और सीडीए, मेरठ
20	सीडीए (फंड), मेरठ
21	वित्तीय सेवाएं विभाग
22	आर्थिक कार्य विभाग
23	धन विभाग
24	राजस्व विभाग
25	सीडीए भाटिका के लिए कार्यवाही
26	रेल मंत्रालय (27 पीएचडी के साथ बैठकों)
27	एमसीटी दिल्ली (23 पीएचडी के साथ बैठकों)

केंद्रीय स्वायत्त निकाय

क्रम सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़
2	इंडियन राबो राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, जगपूर
3	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई
4	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
5	भारतीय विज्ञान, शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे
6	भारतीय वायु सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली
7	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बीबीनगर
8	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक
9	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया
10	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर
11	गुरु भागीदास विश्वविद्यालय
12	केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान, बैंगलूर
13	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, कोणाल
14	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, काशीकट
15	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर

16	कोल्हापूर पोर्ट ट्रस्ट, कोल्हापूर
17	समिलनाथु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुर
18	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर
19	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, रायपुर
20	नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिवर्सिटी, शिलांग
21	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (डीएम विश्वविद्यालय), नई दिल्ली
22	भोलीलाल मेहरा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
23	आरक्षण केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची
24	सभी कंडक्टर प्रयोगशाला, बडोदा
25	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, कांगडा
26	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जयपूर
27	अंधेरी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
28	निर्वात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली
29	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई
30	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
31	कोल्हापूर पोर्ट ट्रस्ट, कोल्हापूर
32	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा
33	डेमवली नंदन बहुगुणा मंदिर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
34	राष्ट्रीय जलप्रेष संस्थान, जलपुर
35	अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान, बिलासपुर
36	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिपति
37	भाषाई प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
38	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरभकल
39	मसाला बोर्ड, कोचीन
40	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई
41	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, दोईमुख
42	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
43	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू
44	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर
45	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर
46	केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई
47	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हनौरपुर
48	बार्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात
49	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय
50	राजीव गांधी मेट्रोपॉलिटन प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली
51	इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोल्हापूर
52	अखिल भारतीय बाकू एवं भाषा संस्थान, मैसूर
53	श्री उन्मल प्रौद्योगिकी संस्थान (डीएम विश्वविद्यालय), पुणे

54	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुवति
55	राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
56	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
57	तम्बाकू बोर्ड, गुदुर
58	अजिनासीलियम महिला विश्वविद्यालय, कोयंबटूर
59	एन.जी.पी. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, राजपुर
60	दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड, नई दिल्ली
61	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखण्ड
62	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर
63	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, काशी
64	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, रायपुर
65	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
66	बीरबल साहनी पुरातनरूपति विज्ञान संस्थान, जलनख
67	केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर
68	डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र, हैदराबाद
69	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन एवं वित्तियोग संस्थान, काशीपुरम
70	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम
71	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़
72	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
73	राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली
74	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश
75	राज्यस कॉलेज, दिल्ली
76	सहाई इन्स्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता
77	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल
78	समुद्री उत्पाद निर्माण विज्ञान प्राधिकरण, कोच्चि
79	बीएनपी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वाराणसी
80	मनी/खान पीपल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्वैनिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, भानुदा
81	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवति
82	मिरांडा हाउस, दिल्ली
83	स्वास्थ्य निदेशालय पूर्वी बंगाल, कोलकाता
84	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
85	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, चांगान, पुणे
86	क्रिस्टोफ्रीमन कॉलेज, दिल्ली
87	नेक्स आगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे
88	बीयर बोर्ड, एनोमुल्लम
89	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली
90	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम
91	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोयंबटूर

92	एनआईटी, बीरगंज
93	आईआईएम, लखनऊ
94	एनआईटी, अमरावती
95	मैत्रेयी कॉलेज, नई दिल्ली
96	आईआईटी, पल्लवपुर
97	आईआईआईटी, दिल्ली
98	आईआईएम, कोडिफोड
99	आईआईएम, जम्मू
100	आत्मा राम स्नातन धर्म कॉलेज, नई दिल्ली
101	डी. बी. जार अम्बेकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर
102	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे
103	राजीव गांधी तैकनीकी तंत्र
104	सत्यमयी कॉलेज, दिल्ली
105	एफाइट राइकोमैन इंजिनियर्स इंजीनियरिंग और अनुसंधान समिति
106	महाराष्ट्र गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, कर्ना
107	भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता
108	भारतीय सू-युवाय संस्थान
109	जम्हीआई राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा संस्थान
110	राष्ट्रीय भूगोल शिक्षा कॉलेज
111	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
112	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि
113	पेशाबु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
114	भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर
115	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, बरहासपुर
116	रामानुजम कॉलेज
117	उत्तर पूर्वी आनुवंशिक और होमोपैथी संस्थान
118	राष्ट्रीय पादप जीविक अनुसंधान संस्थान
119	विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान
120	राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान
121	लेडी इरविंग कॉलेज
122	भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापत्तनम
123	इंटर यूनिवर्सिटी एक्सिलेन्स सेंटर
124	राष्ट्रीय जैविक संस्थान
125	वसंत कन्या महाविद्यालय
126	सेमिनार स्कूल इफाल
127	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
128	सैनिक स्कूल कलिकेरी
129	सैनिक स्कूल भोपालगंज

130	सेंट स्टीफन कॉलेज
131	सैनिक स्कूल नाहनवा
132	आर्यभट्ट प्रकाश विज्ञान अनुसंधान संस्थान
133	आर्यभट्ट कॉलेज
134	सैनिक स्कूल, पोंडाखास
135	एमएएसी
136	आईएफएमसीटीएफ
137	एनईर इंडिया
138	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
139	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान असम
140	एनआईटी भणिपुर
141	जोबोबी-निह, कोसी-कटरमल, अल्मोड़ा
142	आईआईआईटी, बड़ोदरा
143	दिल्ली विश्वविद्यालय
144	भारतवाचन कॉलेज ऑफ एलाइड साइंस
145	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीपुर
146	महात्मा गांधी राष्ट्रीय औद्योगिकरण संस्थान (एमजीआईआरआई), कर्णा
147	महाराष्ट्र
148	टीआईएफएसी प्रौद्योगिकी सूचना प्रबंधन और मूल्यांकन परिषद बीएसटी
149	भारत सरकार
150	मिर्जापुर कॉलेज
151	शहीर सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज
152	आईआईआईटी, जना
153	श्री गुरु नानक देव खासरा कॉलेज
154	राष्ट्रीय कृषि-खाद्य क्षेत्र प्रौद्योगिकी संस्थान, भीमाली
155	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एलाइड न्यूट्रिशन
156	एनआईटीटीटीआर, चेन्नई
157	एनसीआर योजना बोर्ड
158	प्रसिद्धता प्रशिक्षण बोर्ड (एनएनएनए) मुंबई
159	केनो और भीमल प्रदाय विज्ञान केंद्र
160	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अयोध्या
161	राष्ट्रीय चतुर् भाषा कर्करण परिषद
162	शैक्षणिक संघर्ष के लिए कंसोर्टियम
163	समुदाय बंदरगाह टैरिफ प्रबंधन (टीएमपी)
164	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हरियाणा
165	श्री अरविंद कॉलेज इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय
166	भारतीय राजस काग्रस
167	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैंटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एलाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ

168	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैंडिंग
169	एनएवीआई
170	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैंडिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी
171	शिक्षक शिक्षा-इंटर विश्वविद्यालय केंद्र
172	अनुसंधान निदेशिका समिति
173	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान
174	राष्ट्रीय बहुविध्यात्मक संश्लेषण संस्थान
175	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड
176	खेती उद्योग विकास बोर्ड
177	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक निगम
178	इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय
179	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोत्साहन परिषद
180	आईआईएम अमृतसर
181	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), धारवाड़
182	आईआईएम सिरमौर
183	आईएचएम फौजमोहा
184	सरयवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
185	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैंडिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बीनगर
186	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
187	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैंडिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर
188	भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलुरु
189	एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता
190	राष्ट्रीय सामाजिक विकास एवं धरोहर राज्य संस्थान
191	गुरुकुल कांगड़ी संस्कृत विश्वविद्यालय
192	भारतीय पेट्रोलियम एंड ऊर्जा संस्थान
193	अटल बिहारी वाजपेई भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर
194	केरल कंठसिंह जीफ इंडिया
195	सैनिक स्कूल कपूरथला
196	नायिक मणिष्वर सिंह संगठन
197	ओएस-विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र
198	आईआईएम जोधपुर
199	सब लोकोनाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लोंगीवाल, जंगलूर, पंजाब
200	सैनिक स्कूल साजवनपुर टीरा
201	उत्तर भूखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र
202	दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स
203	हरिश्चन्द्र शोध संस्थान, प्रयागराज, उ.प्र.
204	द्वय नियंत्रण अनुसंधान संस्थान
205	सैनिक स्कूल बीजपुर

206	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निम्न एवं खेति विज्ञान संस्थान
207	भारतीय पैरॉडिंग संस्थान
208	कैम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ होस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जयपुर
209	सरकारी ई बाजार
210	पीजीडीएसी कॉलेज
211	संगुप्त भणिपुर-मिजोरम विद्युत विधामक आयोग
212	राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैपराबाद
213	कोच संस्थान
214	वाडिया संस्थान
215	आईआईआईटी रुद्रत
216	आईआईटी मोहा
217	राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान
218	मानवीय विज्ञान संस्थान
219	जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र
220	सैनिक स्कूल इंदौर
221	मणिनी निवेदिता कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)
222	मणि शक्ति विश्वविद्यालय
223	सैनिक स्कूल, रेवाड़ी
224	आईआईआईटी लखनऊ
225	स्कूल ऑफ ऑपन लर्निंग, दिल्ली विश्वविद्यालय
226	भारतीय राष्ट्रीय इजीनियरिंग अकादमी
227	आर्य महिला पीजी कॉलेज
228	राष्ट्रीय प्रतिस्ठाविज्ञान संस्थान
229	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
230	नीतिज्ञान नेहरू कॉलेज (प्रातःकालीन)
231	भारतीय प्रबंधन संस्थान तिरुविदांतली
232	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मोस्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, रायबरेली
233	नव नालन्दा महाविहार

राज्य सरकार एवं राज्य स्वायत्त निकाय

पूर्व	उत्तर-पूर्व	उत्तर	दक्षिण	केंद्रीय	पश्चिम
बिहार (2) झारखंड उड़ीसा (2)	असम (1) अरुणाचल प्रदेश (1) मणिपुर (1) मेघालय (1)	हिमाचल प्रदेश (1) जम्मू और कश्मीर (2) पंजाब (1) हरियाणा (2)	आंध्र प्रदेश (2) बिनाटक (2) केरल (2) पुदुचेरी (1) तेलंगाना (2)	छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश (1) उत्तर प्रदेश (2)	गोवा (1) गुजरात (3) महाराष्ट्र (2) राजस्थान
	मिज़ोरम (1) नागालैंड (1) त्रिपुरा (1) सिक्किम (1)	उत्तराखण्ड (2) गुजरात (2) लद्दाख (1)			

*() संबंधित कार्यालयों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों की संख्या दर्शाता है।

संबंधित राज्य सरकारों के राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी), जिनके साथ बैठकों की गई:

राज्य	राज्य स्वायत्त निकाय
बिहार	बिहार राज्य कितली (हाउसिंग) कंपनी लिमिटेड
	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना
	आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना
	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर
	राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर
	पटना विश्वविद्यालय, राजपथ
	इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैंटरिंग टेक एवं एक्सपैंड न्यूट्रिशन, कोयंबा
	तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
	आचार्य एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय (एएनजीआरएयू), हैदराबाद
छत्तीसगढ़	डॉ. वाईएसआर भागवती विश्वविद्यालय, वैक्टरमन्नागुडेन, पश्चिम गोंदावरी
	श्री वैक्टेक्टर विश्वविद्यालय, मितूर
	श्री वैक्टेक्टर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, मितूर
	इंटरनैशियल शिक्षा बोर्ड, हैदराबाद
	आंध्रप्रदेश खेल प्राधिकरण, हैदराबाद
	आंध्र प्रदेश सामाजिक कल्याण आवासीय शिक्षा संस्थान सोलायटी, हैदराबाद
	द्रविड़ विश्वविद्यालय, मितूर
	कृष्णा विश्वविद्यालय, मच्छलीपट्टनम, कृष्णा जिला
	आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, मितूर
	गोपी वेमन्ना विश्वविद्यालय, कडप
	डॉ. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा
	दामोदरम राजीवराय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम

	श्री देवटेरकर वैदिक विश्वविद्यालय, तिरुपति
	श्री गदमावली महिला विश्वविद्यालय महिला दुर्गेत युनिवर्सिटी, तिरुपति
	एपी सेकेंडरी एजुकेशन सोसायटी स्कूल ऑफ एजुकेशन एपी मीकल स्कूल
	अंधा विश्वविद्यालय, विशाखापटनम
	राजीव गांधी युनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज, गुंटूर जिला
	श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय
महाराष्ट्र	सामाजिक न्याय एवं विशेष संज्ञाधिक विभाग
	महावंतराज चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय
	जिला परिषद, लातूर
	तकनीकी शिक्षा निदेशालय, महाराष्ट्र
	जिला परिषद, नांदेदा
	जिला परिषद, नगद
	जिला परिषद, नंदुरवार
	जिला परिषद, जलगांव
	उत्तर क्षेत्र मुंबई
	जिला परिषद, सांगली
	जिला परिषद, प्रसवणी
	जिला परिषद, नासिक
	जिला परिषद, रायगड
	शिक्षा विभाग
	जिला परिषद, रसाजीनगर
	वेतन इकाई प्राथमिक, अलीबाग
	जिला परिषद, रत्नागिरी
	जिला परिषद, नवरा
	जिला परिषद, रायगड
	जिला परिषद, नांदेड
	जिला परिषद, नंदचिरोली
	जिला परिषद, चंद्रपुर
	जिला परिषद, नाशिक
	महाराष्ट्र स्वास्थ विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक
	जिला परिषद, कापसा
	शिक्षा विभाग प्राथमिक
	कार्यालय अधीक्षक वेतन एवं जीपीएफ युनिट, रायगड, अलीबाग
	कार्यालय अधीक्षक वेतन एवं भविष्य निधि इकाई, जालंधर
	जिला परिषद, अमरावती
	स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य सरकार, महाराष्ट्र
	पे युनिट सेकेंडरी, राणे
	जिला परिषद, कोल्हापूर

	जिला परिषद कोल्हापुर
	उप शिक्षा निदेशक, मुंबई प्रभाग, मुंबई
	जिला परिषद, सोलापुर
	जिला परिषद, हिंगोली
	जिला परिषद, खवतफाल
	जिला परिषद, पातघर
	जिला परिषद, नागपुर
	जिला परिषद, कर्मा
	विदर्भ निजामपुर शहर नगर विभाग
	महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पुणे
	उप शिक्षा निदेशक (प्रामाणिक), पुणे
	उप शिक्षा निदेशक (प्रामाणिक), पुणे
	उप शिक्षा निदेशक (प्रामाणिक), मुंबई
	उप शिक्षा निदेशक (प्रामाणिक), मुंबई
	जिला परिषद (शिक्षा), अंधे
	जिला परिषद (शिक्षा), पातघर
	जिला परिषद (शिक्षा), सोरिधा
	जिला परिषद (शिक्षा), नंगर
	जिला परिषद (शिक्षा), संदुरवार
	जिला परिषद (शिक्षा), जलगांव
	जिला परिषद (शिक्षा), हिंगोली
	जिला परिषद (शिक्षा), नंदावा
	जिला परिषद (शिक्षा), सांगली
	जिला परिषद (शिक्षा), चारिम
	जिला परिषद (शिक्षा), जालगा
	जिला परिषद (शिक्षा), अमरावती
	जिला परिषद (शिक्षा), सोलापुर
	जिला परिषद (शिक्षा), कोल्हापुर
कर्नाटक	कर्नाटक सरकार
	संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑयोरिजिनल, बैंगलोर
	संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, संजयपुर
	कर्नाटक राज्य स्नातक और स्नातकोत्तर बोर्ड
	कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान, हुबली
	कर्नाटक वन विभाग
	कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय
	विश्वेश्वरैया ज्योतिष संशोधन केंद्र
	कर्नाटक उद्योग मित्र
	कल्याण मानसिक स्वास्थ्य और लैंगिक विज्ञान संस्थान

	बिजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बेलगामी
	कामरजानगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
	मोडका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मोडका
	कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
	चिक्कमंगलूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
	प्रशासक एम एंड पी प्रोजेक्टर बेलगामी
	बी अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर
	कर्नाटक राज्य पर्यटन आसंकरणा विकास निगम लिमिटेड
	कुति और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवमोग्गा
	हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हसन
	अधुन नजीर हार्ब राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान
	बेलगामी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेलगामी
	कर्नाटक राज्य रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेंटर
	बैंगलोर मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान
	नगरपालिका प्रशासन निदेशालय
	तेजो यूरोलॉजी संस्थान
	भद्रा कर्मांड क्षेत्र विकास अधिकरण कार्यालय, मालपगोवा
	कर्नाटक राज्य एड्स संकथान सीसापटी
	राष्ट्रीय बागवानी मिशन अभिकरण
गुजरात	म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड भाधनगर
	गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सीसापटी, गांधी नगर
	म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड राजकोट
	सूरत नगर निगम
	गुजरात नेशनल डॉ म्युनिसिपैटी
	संकाती एसोसिएट्स
	गुजरात पर्यटन प्रबंधन संस्थान, नवमीनगर
	सेल और भविष्य निधि निदेशालय (एनपीएस), गांधीनगर गुजरात
केरल	श्री. बाबोजाल साराभाई जनरल अस्पताल, अहमदाबाद
	केरल कलाभंडारण बोर्ड विश्वविद्यालय
	सावाणकोट देवासम बोर्ड
	शहरी समले
	धुवन एजुकेशन मलनात्म विश्वविद्यालय
	कॉलीकट विश्वविद्यालय
	केरल राज्य खेल परिषद
	केरल साहित्य अकादमी
	केरल एसजी
	पंचायत निदेशक
	केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिशूर

	केरल राज्य पुस्तकालय परिषद
	केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
	महान्ता गांधी विश्वविद्यालय, कोझांगम
	केरल संगीत नाटक अकादमी, त्रिशुर
	केरल विश्वविद्यालय
	कोचीन मिशन एवं प्रीयोगिकी विश्वविद्यालय
	तिरुवनंतपुरम विकास प्राधिकरण
	गुरुनपुर देवासोम
	केरल जल प्राधिकरण
	बी शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाम्बा
	महान्ता गांधी विश्वविद्यालय, कोझांगम
	राज्य भाषा संस्थान
	केरल-राज्य संस्कृत परिषद्, निगम
	केरल राज्य आवास बोर्ड
	केरल टेलरिंग वर्कर्स वेल्फेयर फंड बोर्ड, पेटम
	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड
	केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
	केरल मातृश्रम पालन और महासंगम अध्ययन विश्वविद्यालय
	वासुदेवा गुरुकुलम्
	केरल खादी एवं ग्रामीण बोर्ड
	केरल कृषि विश्वविद्यालय
	केरल कोचीन विकास प्राधिकरण
	कन्नूर विश्वविद्यालय
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड
	राजभावा विजयराजे तिरिग कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
	एम पी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
तेलंगाना	तेलंगाना समाज कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान सीसायदी
	सचिव, महान्ता ज्योतिबा फुले तेलंगाना पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थान सीसायदी, हैदराबाद
	तेलंगाना अस्पसंस्था आवासीय शैक्षणिक संस्थान सीसायदी
	पैटर हैदराबाद नगर निगम
	जोष एवं लेखा विभाग
	जल, भूमि प्रबंधन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान
	हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण
	तेलंगाना राज्य इंटरनैटिऑनल शिक्षा बोर्ड
	पी.पी. नरसिम्हा राम तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय
	आयुक्त तेलंगाना वेद विज्ञान परिषद
	कुली कुतुब शाह शहरी विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
	तेलंगाना राज्य का खेल प्राधिकरण

	हैदराबाद नेट्रोपॉलिटन जल आपूर्ति और सीपरेज बोर्ड
	प्रेमनंद जयशंकर टेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय
	सचिव टेलंगाना जनजातीय कल्याण आवासीय सैवणिक संस्थान सोरांगरी
	कृषि विभाग विभाग
	विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
	श्री कौता लक्ष्मण टेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय, मुलुगु, सिदीपेट जिला
	एमएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ अग्रीकल्चर एंड रीजनल बीज सेंटर
उत्तर प्रदेश	स्वास्थ्य राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद
	पैशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश
	अयोध्या विकास प्राधिकरण, फैजाबाद
	स्वच्छता राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती
	नामद प्रसाद शिवाजी मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर
	खाना मोहम्मदीन सिद्धी भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ
हरियाणा	हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा
	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जीन्द
	डीएच पीजी कॉलेज, करनाल
	सीबीएस सक्कर पॉलिटेक्निक एजुकेशन सोसायटी, नानुसरी बीपता
	संघर निगम, फरीदाबाद
	श्री. गणेश दास डीएसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमन, करनाल
	आर्जुनी पीजी कॉलेज, पानीपत
	सौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा
	पश्चिम हरियाणा बिजली वितरण निगम
	हरियाणा महिला विकास निगम
	महिला महाविद्यालय इंडिया कला चरखी दादरी
	आर्य गुरु कॉलेज अम्बाला कैंट हरियाणा (सरकारी सहायता प्राप्त)
	एच. सी. कॉलेज
	के. एल. मेहता दयानंद कॉलेज फॉर वुमन, फरीदाबाद
	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
	राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मोरनी, पंचकुला
	आरबीएसजी कॉलेज बीवाल
	वधनंद कॉलेज, हिसार
	बी. एल.एन. हिंदू कॉलेज, रोहतक
	फतेह चंद महिला कॉलेज
	राम लाल सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सिधौवाली, गुरुग्राम
	हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉलेज
	फतेह चंद महिला कॉलेज
	सुख निवाड़ी एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण
	छोटू राम पॉलिटेक्निक, रोहतक

	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद
	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
	वैद्य कॉलेज, भिवानी
	डीएवी कॉलेज, गुरुद्वी
	महाराजा अमरसिंह महिला कॉलेज, झरनार
	हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण
	टीका राम कॉलेज ऑफ एजुकेशन
	फतेह चंद महिला कॉलेज
	गुरुश्री अरमान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड
	श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
	आईटी (पीजी) कॉलेज, पानीपत
	प. बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक
	आर्य कन्या महाविद्यालय शाहजहाद मारकवा
	सीआरएम जाट, हिसार
	हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड
	सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रोहतक
	बीपीएसएमवी, खानपुर बल्ल
	जीएमएन कॉलेज, अंबाला कीट
	एराजी कॉलेज, पानीपत
	सीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रोहतक
	साधा लखनी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड फिजिकल आर्ट्स, रोहतक
	बी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय डांडूदहकना
	नगर पालिका, कुदली
	जी एम एन कॉलेज, अम्बाला कीट
	रफी कुरुक्षेत्र
	हिंदू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सोनीपत
	गुरु नानक खालसा कॉलेज, यमुनानगर
	के एम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भिवानी
	नगर पालिका, पुन्नाना
	राजाजीम पॉलिटेक्निक, जींद
	हरियाणा खादी एवं ग्रामीण बोर्ड
	एम एन कॉलेज शाहजहाद मारकवा
	हरियाणा विद्युत विनिमयक आयोग, पंचकुला
	एसडीसीजी कॉलेज, पानीपत
	सीएमके नेशनल पीजी कॉलेज, मिरसा
	लासा लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय
संयोजक प्रदेश-संजीव	राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण

ଗାଁପା	ପଟ୍ଟାଚୀ ଗାଁପା ନିଗମ
ମିଲ୍‌ହାଉସ୍	ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍‌ସ୍ ଫିଲ୍ମ୍ ପରିଷଦ
	ସକଳା, ଟାଇମ୍‌ସ୍, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ
	ମିଲ୍‌ହାଉସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍‌ସିଟି
ଭାରତ	ଭାରତ ଗାଁପା ନିଗମ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ମାମିପୁର	ମାମିପୁର ଟେକ୍‌ସ୍ଟାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍
	ମାମିପୁର ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କଲେଜ ଲିମିଟେଡ୍
	ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ଅନୁବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା, ଇଫ୍‌ଟି
ଓଡ଼ିଶା	ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
	ଓଡ଼ିଶା ଗାଁପା
	ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଂସା ଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
	ରାଜ୍ୟ ଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
	ଓଡ଼ିଶା ନଗର ପାଲିକା
	ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ପରାମ୍ଭା ମହାରାଜା ଇନ୍‌ସ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଲେଜ, ବେହାରାମପୁର
	ମାମିପୁର ଟେକ୍‌ସ୍ଟାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍
	ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହ
	ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଓଡ଼ିଶା) ଭୁବନେଶ୍ୱର
	ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଶ୍ରୀ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଂସା ଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
ଓଡ଼ିଶା	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ
	ଓଡ଼ିଶା ମାତୃଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଟକ

	नगर पालिका परिषद, दुगाञ्जा
	नगर पंचायत, झर्रेडी
	बीटीकेआईटी द्वाराहाट, जल्मीका
	उत्तराखण्ड विद्युत निरामय अभियान
	ग्रामी विकास निदेशालय, देहरादून
	नगर पालिका परिषद, मसुरी
	कोभागावर पेशा एंव ककदावी निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार
	नगर पालिका परिषद, नैनीताल
	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा
	एवाजीआरआर पीजी कॉलेज, देहरादून
	नगर निगम, रुड़की
	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून
	नगर पंचायत, मन्दाप्रयाग
	नगर पंचायत, लौरीभगत
	जीबीपीआईआईटी, बीटी मदनगल
	नगर पालिका परिषद शिकलिक नगर
	उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग
	नगर पालिका परिषद, खटीमा
	नगर पंचायत, जगस्तानुनि
	नगर पंचायत, पुरोला
	उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून
	नगर पालिका परिषद बड़बोटे
	हर्बल अनुसंधान एवं विकास संस्थान
	आरएम्पी (पीजी) कॉलेज, मुक्तकुल नगरपालिका (हरिद्वार)
	नगर निगम, कोटडाह
	नगर पालिका परिषद, विकासनगर
	नगर पंचायत, सतपुली
	नगर निगम, अबीपुर
जम्मू और कश्मीर	जम्मू विश्वविद्यालय
	जम्मू कानून विश्वविद्यालय
	स्कूल एंड कलेज
	जम्मू और कश्मीर छापी और प्रमोशन बोर्ड
	जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी
	जम्मू और कश्मीर उद्योगिक विकास संस्थान
	जम्मू और कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण
	जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम, जम्मू
	जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन
	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी

	क्लरकर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
असम	असम विद्युत विनियामक आयोग
	असम राजीव गांधी सहकारी प्रबंध विश्वविद्यालय
	असम ग्राम कर्मचारी महिला मिथि संगठन
	न्यायिक अकादमी, असम
गुटी- लद्दाख	लद्दाख विश्वविद्यालय
गुटी- पुण्ड्रवरी	स्थानीय प्रशासनिक विभाग

3.9.2 सरकारी क्षेत्र/गैर सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम

3.9.2.1 एनपीएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों/राज्य सरकारों/राज्य स्वायत्त निकायों को सुझाए गए उपाय

केंद्र सरकार क्षेत्र के तहत नोडल कार्यालयों को समीक्षा बैठकों/चर्चा के दौरान सीसीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न प्रावधानों का पालन करने का परामर्श दिया गया था, ताकि एनपीएस के तहत गतिविधियों को समय पर पूरा किया जा सके।

क. सीजी और एसजी क्षेत्र के तहत नोडल कार्यालयों को एससीएफ के अपलोड और एनपीएस अंशदान के प्रेषण के संबंध में विभिन्न एनपीएस संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए डीआईए भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करने की सलाह दी गई है।

ख. सीजी और एसजी के तहत नोडल कार्यालयों को यह सलाह दी गई कि वे अपने अंतर्निहित नोडल कार्यालयों के लिए नियमित रूप से बैठकें सह कार्यशालाएं आयोजित करें ताकि उन्हें मिला के प्रमुख क्षेत्रों और परिचालन मामलों पर संवेदनशील बनाया जा सके।

ग. सीजी और एसजी क्षेत्र के तहत निरीक्षण कार्यालयों अर्थात् पीआरएओ/डीटीए को अपने अंतर्निहित पीएओ/डीटीओ के प्रदर्शन की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि एनपीएस से संबंधित गतिविधियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं।

घ. राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे राज्य में एनपीएस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ नीतिगत स्तर के उपाय करने पर विचार करें जैसे कि:-

- समयसीमा निर्दिष्ट करते समय एनपीएस नियम तैयार करना।

- एनपीएस निगरानी और समीक्षा समिति का गठन।
- एनपीएस से संबंधित विभिन्न मामलों को सुचारु रूप से संभालने के लिए समर्पित एनपीएस प्रकोष्ठ की स्थापना।
- डीएफएस, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.01.2019 की जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुरूप एनपीएस के तहत सक्षम प्रावधानों पर विचार करना, नियोक्ता के अंशदान को बढ़ाना और कर्मचारी-अभिदाताओं के लिए निवेश पेटर्न और पेशन फंड (पीएफ) विकल्प को सक्षम करना तथा एनपीएस अंशदान को जमा न करने या जमा करने में देरी के मामले में मुआवजे का प्रावधान।
- नियमित/आंतरिक लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में एनपीएस से संबंधित गतिविधियों को शामिल करना।
- एनपीएस गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लिए ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल (ओपीजीएम) तथा सर्वर टू सर्वर इंटीग्रेशन (एसटीएस) प्रक्रिया को अपनाना।

3.9.2.2 एनपीएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए जारी एडवाइजरी और परिपत्र

- पीएफआरडीए (एनपीएस स्थापत्य के तहत धोखाधड़ी की रोकथाम और सूचना) दिशानिर्देश, 2023।
- पेशन मिथि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस स्थापत्य के तहत सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए डिजिटल सुरक्षा पद्धतियां) एडवाइजरी, 2024।
- लंबित शिकायतों के समाधान के लिए नोडल कार्यालयों को नासिक पत्राचार।
- अंशदान के अपलोड/भुगतान संबंधी समस्याओं के लिए सामान्य एडवाइजरी।
- निष्पादन मापदंडों में अपेक्षित सुधार हेतु पत्रों के माध्यम से सामान्य एडवाइजरी।

- पीएफआरडीए अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए सामान्य एडवाइजरी।
- सरकारी क्षेत्र के लिए एनपीएस स्थापत्य के तहत धोखाधड़ी की रोकथाम और सूचना हेतु नीति निर्माण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु नोडल कार्यालयों से संवाद।
- एनपीएस के तहत अभिदाता के विवरण (केवाईसी, मोबाइल नं., नाम परिवर्तन आदि) जुटाने/अद्यतन करने के लिए उचित परिश्रम में वृद्धि हेतु नोडल कार्यालयों से बातचीत संवाद।
- प्रौद्योगिकी अद्यतन जैसे 'सरकारी क्षेत्र के अधीन सीआरए प्रणाली की आधार-आधारित पहुंच के माध्यम से एनपीएस लेनदेन सुनिश्चित करना' के लिए नोडल कार्यालयों से संवाद।

3.9.2.3 एनपीएस के सुचारु संचालन हेतु सीजी मंत्रालयों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों/राज्य सरकारों/राज्य

स्वायत्त निकायों के साथ पीएफआरडीए द्वारा उठाए गए नीति संबंधी मामले।

क. डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा अधिसूचित सीसीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के संदर्भ में उनके संबंधित कर्मचारियों के लिए एनपीएस नियम तैयार करने का मामला सभी राज्य सरकारों के प्रधान सचिव (वित्त)/मुख्य अवर सचिव (वित्त) के समक्ष उठाया गया था।

ख. एआईएस कर्मचारियों और सीएबी के कर्मचारियों के लिए सीसीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के प्रावधानों को अपनाने के संबंध में मामला क्रमशः डीओपीटी और

एफए/सीसीए में उनके अंतर्निहित कर्मचारियों के लिए उठाया गया था।

ग. रेलवे कर्मचारियों के लिए सीसीएस (एनपीएस) नियम, 2021 के प्रावधानों को अपनाने के संबंध में मामला रेलवे में उठाया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार अब इन मामलों पर उपयुक्त निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया अग्रिम चरण में है।

3.9.2.4 तकनीकी पहलों का सर्वर से सर्वर (एसटीएस) तथा ओपीजीएम (ऑनलाइन प्रान सृजन मॉड्यूल) का एकीकरण

क. विभाग विभिन्न मंचों के माध्यम से नोडल कार्यालयों की ओपीजीएम और एसटीएस एकीकरण को अपनाने और लागू करने के लिए संवेदनशील बनाता है ताकि प्रान सृजन और एनपीएस अंशदान के प्रेषण में देरी को कम किया जा सके।

• **ओपीजीएम** : एनपीएस के तहत, अभिदाता का समयव्योचित पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, सीजी/एसजी के अधीन सरकारी नोडल कार्यालयों को प्रान सृजन में विलंब तथा अभिदाता पंजीकरण प्रपत्रों के निरस्तीकरण को दूर करना के लिए ओपीजीएम (ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल) अपनाने के लिए परामर्श दिया गया था।

• **एसटीएस** : सीआरए प्रणाली के साथ नोडल कार्यालयों के वित्तीय सॉफ्टवेयर पैकेज के एसटीएस (सर्वर टू सर्वर) एकीकरण को अपनाना।

ख. सीजी/एसजी नोडल कार्यालयों द्वारा ओपीजीएम और एसटीएस को अपनाने की संघर्षी स्थिति निम्नानुसार है :

31.03.2024 को सीजीए ने प्रान सृजन हेतु 68 नागरिक मंत्रालयों (सीजी क्षेत्र) के लिए एसटीएस सक्षम बनाया है।

तालिका सं 3.30 : प्रान सृजन के लिए नागरिक मंत्रालयों (सीजी क्षेत्र) की संख्या

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	सीबीईएल, राज्य विभाग, वित्त मंत्रालय
2.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
3.	अजमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन
4.	संस्कृति मंत्रालय
5.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
6.	भ्रम और रोजगार मंत्रालय
7.	पन्थ मंत्रालय, मई-दिल्ली
8.	विद्युत मंत्रालय
9.	कृषि मंत्रालय

10.	वाणिज्य विभाग
11.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
12.	पुष्पी विज्ञान मंत्रालय
13.	जल ससाधन मंत्रालय
14.	खेती मंत्रालय
15.	वाणिज्य उद्योग और पर्यटन मंत्रालय
16.	संरचना खासियकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय
17.	प्रधानमंत्री राज मंत्रालय
18.	विदेश मंत्रालय
19.	ग्रामी विकास और ग्रामी गरीबी उन्मुख मंत्रालय
20.	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
21.	राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
22.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
23.	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
24.	उद्योग मंत्रालय
25.	कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली
26.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
27.	रसायन एवं पेट्रोकेम विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
28.	बीबीएम ग्राम लेखा कार्यालय
29.	कारगोरेट ऊर्जा मंत्रालय
30.	कानून और न्याय मंत्रालय
31.	आईटी विभाग, दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
32.	इन्फ्रा मंत्रालय
33.	उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
34.	बीबीबीबी: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
35.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
36.	कार्मिक, लोक शिक्षागत और पेंशन मंत्रालय
37.	जहाजचानी मंत्रालय
38.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
39.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
40.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
41.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
42.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
43.	युवा मामले और खेल मंत्रालय
44.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
45.	क्रियता मंत्रालय
46.	परमाणु ऊर्जा विभाग
47.	आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय

48.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
49.	संस्कृति सचिवालय
50.	वित्तीय सेवाएँ विभाग, नई दिल्ली
51.	सुनाम आयोग
52.	वित्तियेक विभाग, वित्त मंत्रालय
53.	वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)
54.	जलसंरक्षण कार्य मंत्रालय
55.	उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
56.	अंतरिक्ष विभाग
57.	राज्य सभा, नई दिल्ली
58.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
59.	खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय
60.	लोकसभा सचिवालय
61.	केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव
62.	केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप
63.	सार्वजनिक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली
64.	लेखा निदेशालय, यादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र, सिक्किम
65.	मत्स्य पालन, पशुपालन और केवरी मंत्रालय, नई दिल्ली
66.	प्रधान लेखा कार्यालय, स्वशासित मंत्रालय, नई दिल्ली

इसके अलावा अभिदाता अंशदान के लिए दिनांक 31.03.2024 तक एसटीएस निम्नलिखित के लिए लागू किया गया है:

I. रेल मंत्रालय ने अंशदान के लिए एसटीएस लागू किया है और (206 पंजीकृत पीएओ में से) 158 पीएओ ने निर्दिष्ट अभिदाताओं के लिए अंशदान को सफलतापूर्वक सक्षम और अपलोड किया है (सूची संलग्न है)

II. सीजीए ने अंशदान के लिए एसटीएस भी शुरू किया है। व्यय विभाग के अधीन अब तक 3 पीएओ ने अंशदान

अपलोड करने से संबंधित गतिविधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है (सूची नीचे दी गई है):

- पीएओ, कार्यालय सीजीए, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग,
- पीएओ, आईएनजीएफ, नई दिल्ली
- लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली, नई दिल्ली

दिनांक 31.03.2024 तक सीजी तथा सीएबी नोडल कार्यालयों द्वारा अपना गए ओपीजीएम की स्थिति निम्नानुसार है—

तालिका सं 3.31 : ओपीजीएम अपनाने वाले सीजी तथा सीएबी नोडल कार्यालयों की सूची

लेखांकन संरचना	ओपीजीएम अपनाने वाले नोडल कार्यालयों की संख्या
सिविल	431
रक्षा	183
ढाक	24
रेलवे	169
टेलीकॉम	31
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	0
सीएबी (CAB)	264
कुल	1102

i) दिनांक 31.03.2024 तक कुल 16 एसजी ने एसटीएस अपनाया है जिनकी सूची निम्नानुसार है:

तालिका सं 3.32 : एसटीएस अपनाने वाले एसजी की सूची

विवरण	राज्य सरकार	
दिनांक 31.03.2024 तक एसटीएस अपनाने वाली राज्य सरकारें	- आंध्र प्रदेश - असम - बिहार - छत्तीसगढ़ - झारखंड - हरियाणा - कर्नाटक - महाराष्ट्र	- ओडिशा - पंजाब - राजस्थान - हिमाचल प्रदेश - त्रिपुरा - उत्तर प्रदेश - उत्तराखंड - मणिपुर

ii) दिनांक 31.03.2024 तक कुल 55 एसएबी ने एसटीएस अपनाया है, जिनकी सूची निम्नानुसार है:

तालिका सं 3.33 : एसटीएस अपनाने वाले एसएबी नोडल कार्यालयों की सूची

एसजी	एसटीएस अपनाने वाले एसएबी नोडल कार्यालयों की संख्या
महाराष्ट्र	54
उत्तराखंड	1
कुल	55

iii) दिनांक 31.03.2024 तक कुल 32 एसजी/यूटी (SGs/UTs) ने ओपीजीएम अपनाया है, जिनकी सूची निम्नानुसार है:

तालिका सं 3.34 : ओपीजीएम अपनाने वाले एसजी की सूची

विवरण	राज्य सरकार		
दिनांक 31.03.2024 तक ओपीजीएम अपनाने वाली राज्य सरकारें	- आंध्र प्रदेश - अरुणाचल प्रदेश - असम - बिहार - गुटी चंडीगढ़ - गोवा - गुजरात - हरियाणा - जम्मू और कश्मीर - हिमाचल प्रदेश - कर्नाटक	- केरल - मध्यप्रदेश - महाराष्ट्र - मणिपुर - मेघालय - मिजोरम - नागालैंड - ओडिशा - पुदुचेरी - पंजाब - राजस्थान	- सिक्किम - तमिलनाडु (केवल एआईएस AIS के लिए) - त्रिपुरा - उत्तर प्रदेश - पश्चिम बंगाल (केवल एआईएस AIS के लिए) - छत्तीसगढ़ - उत्तराखंड - झारखंड - तेलंगाना - लद्दाख

iv) दिनांक 31.03.2024 तक कुल 1,515 एसएबी ने ओपीजीएम अपनाया है और एसएबी नोडल कार्यालयों की सूची निम्नानुसार है:

तालिका सं 3.35: ओपीजीएम अपनाने वाले एसएबी नोडल कार्यालयों की सूची

राज्य/संस्कार का नाम	ओपीजीएम अपनाने वाले एसएबी/एसएबी नोडल कार्यालयों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	7
आंध्र प्रदेश	17
असम	16
बिहार	11
छत्तीसगढ़	3
छत्तीसगढ़	19
गोवा	9
गुजरात	12
हरियाणा	354
हिमाचल प्रदेश	223
जम्मू और कश्मीर	25
कर्नाटक	118
केरल	22
लद्दाख	1
मध्य प्रदेश	15
महाराष्ट्र	103
मणिपुर	3
मेघालय	2
मिजोरम	4
ओडिशा	40
पुद्दुचेरी	1
पंजाब	206
राजस्थान	74
सैलमाना	13
उत्तर प्रदेश	93
उत्तराखण्ड	124
कुल	1,515

3.9.3 गैर सरकारी क्षेत्र में एनपीएस

वित्त वर्ष 2023-24 में एनपीएस गैर-सरकारी क्षेत्र में 9.4 लाख का वार्षिक नामांकन हुआ। यह 87 उपस्थिति अस्तित्वों (पीओपी) के प्रयासों के परिणामस्वरूप हासिल किया गया है, जिसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 16 निजी बैंक, 07 फिनटेक, 08 पेंशन फंड और 46 अन्य स्टॉक ब्रोकिंग फर्म/आरआरबी आदि शामिल हैं जिन्हें एनपीएस वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि वे अभिदाता पंजीकरण, केवाईसी सत्यापन और अभिदाता अनुरोधों की सेवा की सुविधा प्रदान करते हैं। वर्ष के दौरान, एनपीएस वितरण के चैनलों के विस्तार के लिए 07 नए पीओपी को सक्रिय किया गया और एनपीएस कवरेज बढ़ाने के लिए एनपीएस स्थापत्य के तहत उनकी भागीदारी में तेजी लाने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं। देश के विभिन्न हिस्सों में एनपीएस के वितरण के लिए पीओपी को सहायता प्रदान की गई और समय-समय पर कार्यनीति-सह-समीक्षा बैठकों के माध्यम से उनके प्रदर्शन की निगरानी की गई, जिसमें पीओपी की व्यावसायिक योजनाओं/कार्यनीतियों और प्राधिकरण से उनके द्वारा

आवश्यक समर्थन पर भी चर्चा की गई। पीओपी और उनके कर्मचारियों के प्रयासों को प्रेरित करने और मान्यता देने के लिए विभिन्न पुरस्कार/मान्यता कार्यक्रम शुरू किए गए। शीर्ष प्रदर्शकों को सम्मानित करने के लिए सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए।

31 मार्च 2024 तक, एनपीएस गैर-सरकारी क्षेत्र (सभी नागरिक और कॉर्पोरेट) के तहत सक्रिय प्रान की संख्या पिछले वित्त वर्ष में 46.39 लाख की तुलना में 55.12 लाख थी जो वर्ष-दर-वर्ष 18.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 3,112 नई कॉर्पोरेट/संस्थाएं पंजीकृत हुईं और 1,36,846 नए कर्मचारी एनपीएस में शामिल हुए। एनपीएस को अपनाने वाले कॉर्पोरेट्स की कुल संख्या 31 मार्च 2024 तक 15,902 तक पहुंच गई है। अपने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में से एक के रूप में एनपीएस को अपनाने और लागू करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) ने ध्यान केंद्रित करते हुए 14 सीपीएसई ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनपीएस को अपनाया जिससे एनपीएस के तहत सीपीएसई की संख्या 78 हो गई।

चार्ट 3.9.1 : सक्रिय प्रान (लाख में)



चार्ट 3.9.2 : गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रान में संवर्धन



3.9.4 कॉर्पोरेट क्षेत्र में संगोष्ठियाँ

सेवानिवृत्ति योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एनपीएस को कॉर्पोरेट्स के भीतर एक मूल्यवान उपकरण के रूप में बढ़ावा देने के लिए फिक्की, सीआईआई और आईसीसी सहित प्रमुख व्यापार निकायों के साथ साझेदारी की गई है। सहयोगी प्रयासों के माध्यम से देश भर में कार्यशालाओं और सेमिनारों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है जो उनके सदस्य आधार को लक्षित करती है। वित्तीय वर्ष के दौरान मुंबई, गुडगांव, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर, वाराणसी, चेन्नई, गुवाहाटी, नई दिल्ली और बंगलौर जैसे टियर-1 और टियर-2 शहरों में 10 कॉर्पोरेट जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कॉर्पोरेट के लिए एनपीएस पर सम्मेलन, गुवाहाटी असम



इन कार्यक्रमों में लगभग 500 कॉर्पोरेट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 1000 प्रतिनिधियों की भागीदारी थी। इन पहलों ने सेवानिवृत्ति योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने और एनपीएस को कॉर्पोरेट क्षेत्र के भीतर एक व्यवहार्य समाधान के रूप में प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसके अतिरिक्त, पीओपी के सहयोग से एनपीएस के विस्तार बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट्स को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा कॉर्पोरेट्स के साथ जागरूकता सत्र और बैठकें आयोजित की गईं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 3,112 नए कंपनियों ने एनपीएस को अपनाया और 1,38,848 नए कर्मचारियों ने एनपीएस की सदस्यता ली। पीएफआरडीए ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा अपने अंतर्निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए एनपीएस स्थापत्य को अपनाने पर जोर दिया है। तदनुसार, 138 सीपीएसई को पत्र भेजा गया था, जिन्होंने अभी तक एनपीएस नहीं अपनाया है। उनसे एनपीएस के लाभों पर विचार करने का आग्रह किया गया था। इसके अतिरिक्त, अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस के लाभों पर चर्चा करने के लिए बड़े सीपीएसई के साथ बैठकें आयोजित की गईं। इन पहलों के परिणामस्वरूप, 14 नए सीपीएसई अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत शामिल हुए हैं।

इन पहलों ने सेवानिवृत्ति योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने और कॉर्पोरेट क्षेत्र के तहत कर्मचारियों के लिए व्यवहार्य समाधान के रूप में एनपीएस को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, इन प्रयासों ने कॉर्पोरेट क्षेत्र के भीतर एनपीएस के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो सेवानिवृत्ति योजना उपकरण के रूप में इसकी प्रभावशीलता का प्रदर्शन करता है।

3.9.5 अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामक पेंशन योजना शुरू की जो 1 जून, 2015 से प्रभावी हुई थी और सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीब, वृद्धों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने पर 2015-16 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में थी।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अटल पेंशन योजना के तहत अभिदाता के 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या 3,000 रुपये या 4,000 रुपये या 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटीड पेंशन शुरू हो जाएगी।

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 10 अगस्त 2022 को अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अटल पेंशन योजना पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 18/1/2015-पीआर में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किए:

“परन्तु 01 अक्टूबर 2022 से कोई भी ऐसा नागरिक जो आयकरदाता है अथवा आयकरदाता रहा है, एपीवाई में शामिल होने का पात्र नहीं होगा।

यदि कोई अभिदाता जो 01 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल हुआ है और, उसने आवेदन की तिथि को अथवा उससे पहले आयकरदाता के रूप में पाया गया हो तब उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा तथा उस तिथि तक अभिदाता को संबंधित पेंशन की धनराशि लौटा दी जाएगी।”

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत प्रगति

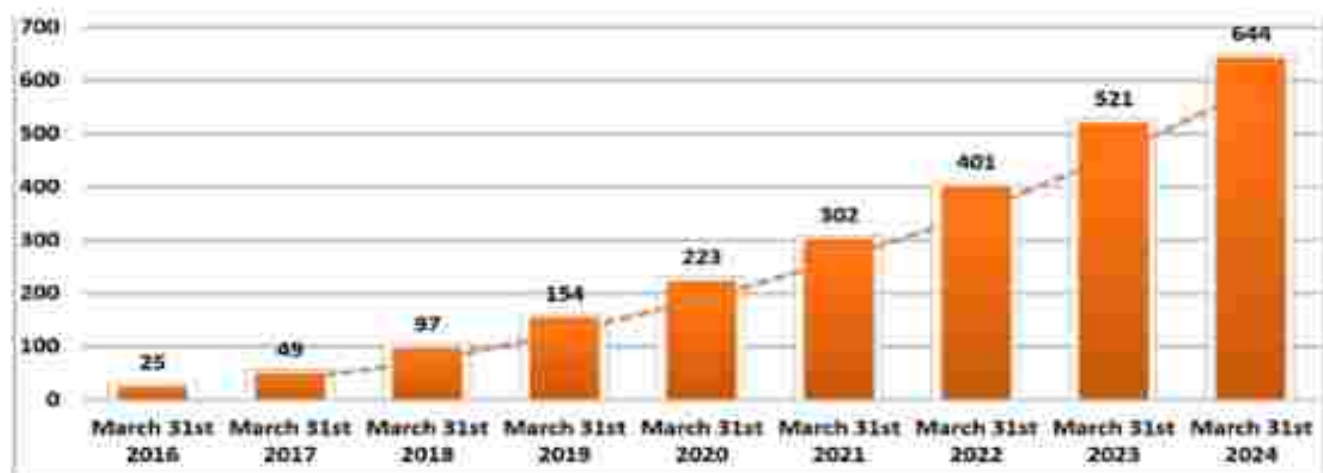
इस योजना ने वित्त वर्ष 23-24 में नामांकन के मामले में जबरदस्त सफलता दिखाई है। अटल पेंशन योजना के तहत कुल सकल नामांकन 31 मार्च 2024 तक 6.43 करोड़ से अधिक हो गए हैं। इस योजना में वित्त वर्ष 2022-23 में 1.19 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 1.23 करोड़ नए अभिदाता शामिल किए गए।

एपीवाई सेवा प्रदाताओं की सक्रिय भागीदारी के कारण इस योजना को सभी श्रेणियों अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सघु-वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, और सहकारी बैंकों (ग्रामीण और शहरी) और डाक विभाग में अविश्वसनीय सफलता मिली थी।

अभिदाता पंजीकरण और इसके विश्लेषण के संदर्भ में वर्ष-दर-वर्ष प्रदर्शन के संबंध में विवरण नीचे दी गई तालिकाओं में दर्शाया गया है:

तालिका सं 3.36 : एपीवाई के तहत पंजीकरण बैंकों के श्रेणीवार विवरण (लाख में)

बैंकों की श्रेणी	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को
सरकारी क्षेत्र के बैंक	16.58	29.86	64.44	105.35	154.18	209.19	278.49	365.09	453.32
क्षेत्रीय सहकारी बैंक	4.76	11.15	19.87	31.71	43.30	57.11	75.28	99.55	127.41
निजी बैंक	2.53	5.58	9.830	13.29	18.20	23.19	29.21	34.35	39.80
पेमेंट बैंक	-	-	-	0.48	3.44	8.19	12.88	15.04	15.38
छात्र विकास	0.75	1.90	2.45	2.70	3.02	3.32	3.62	3.84	3.97
लघु वित्त बैंक	-	-	-	0.09	0.15	0.35	0.86	1.65	2.41
सहकारी बैंक	0.22	0.33	0.46	0.54	0.70	0.80	0.93	1.07	1.23
कुल	24.84	48.83	97.05	154.18	223.01	302.15	401.27	520.58	643.52

चार्ट 3.9.3 : संचयी एपीवाई पंजीकरण का चित्रण


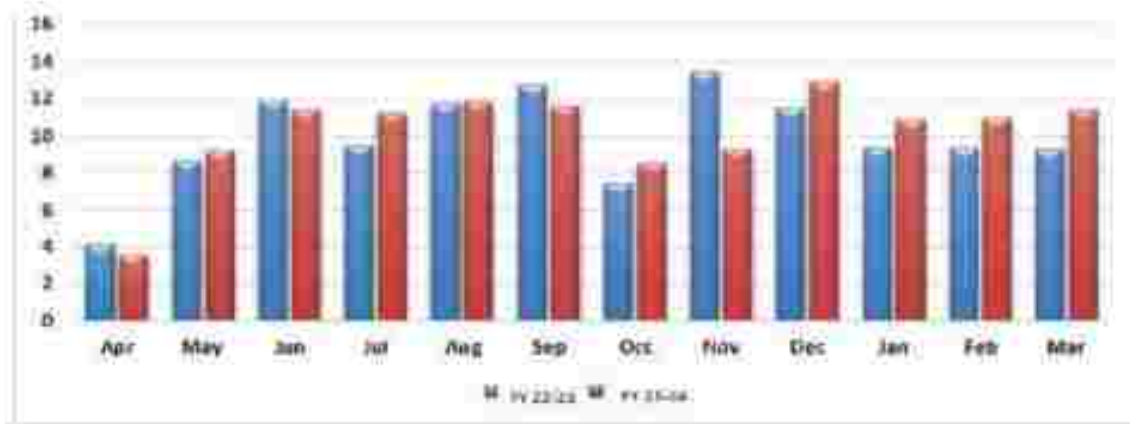
तालिका सं.3.37 : एपीवाई के तहत पंजीकरण की संख्या के राज्यवार विवरण
(अभिवाता के डाक पता/पिनकोड पर आधारित)

क्रम सं.	राज्य का नाम	एपीवाई के तहत पंजीकरण की संख्या (लाख में)
1	उत्तर प्रदेश	103.33
2	बिहार	62.26
3	महाराष्ट्र	51.26
4	पश्चिम बंगाल	49.20
5	तमिलनाडु	43.70
6	मध्य प्रदेश	38.07
7	राजस्थान	34.88
8	आंध्र प्रदेश	33.84
9	कर्नाटक	32.89
10	गुजरात	23.57
11	ओडिशा	23.53
12	झारखंड	19.42
13	अन्य राज्य	127.57
कुल पंजीकरण		643.52

देश भर में एपीवाई पंजीकरण में वृद्धि हुई है। राज्यवार वितरण में, उपर्युक्त 12 राज्यों का कुल एपीवाई पंजीकरण ने 80 प्रतिशत से अधिक योगदान है।

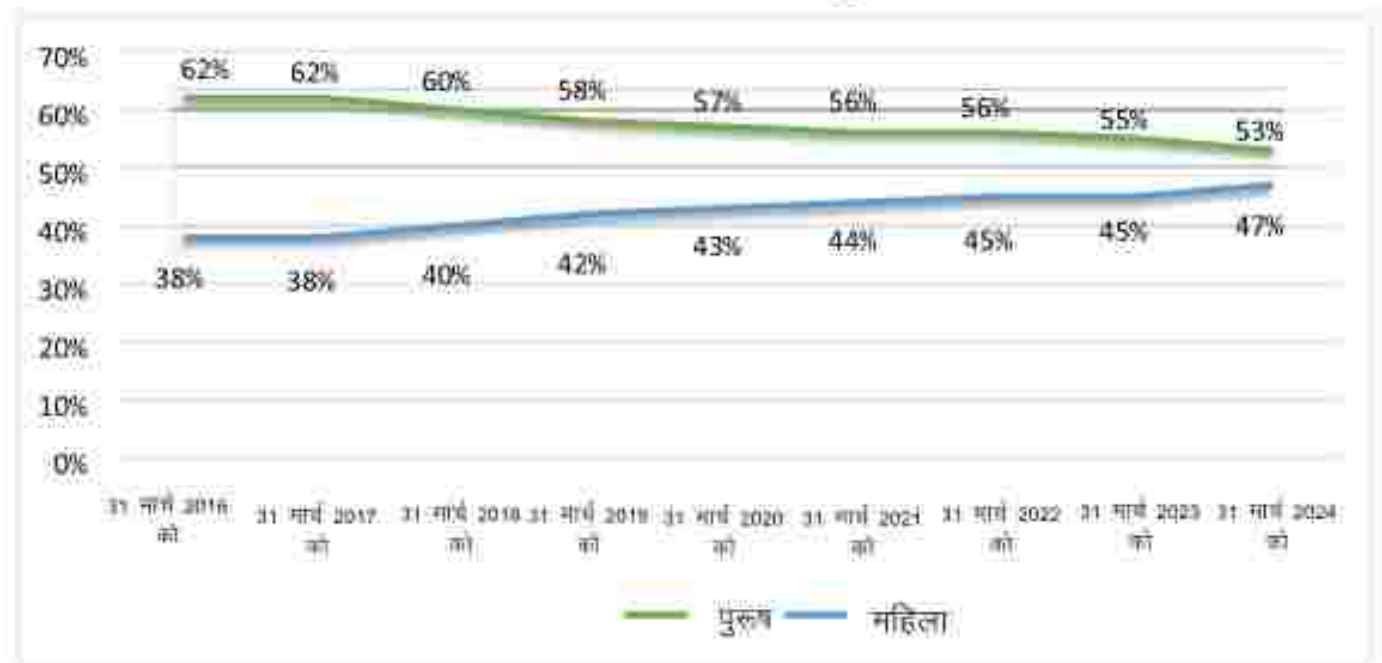
तालिका संख्या 3.38: वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मासिक एपीवाई पंजीकरण (लाख में)

अप्रैल 22	मई 22	जून 22	जुलाई 22	अगस्त 22	सितंबर 22	अक्टूबर 22	नवंबर 22	दिसंबर 22	जनवरी 23	फरवरी 23	मार्च 23	कुल
4.13	8.65	11.93	9.50	11.75	12.80	7.42	13.49	11.53	9.36	9.39	9.30	119.31
अप्रैल 23	मई 23	जून 23	जुलाई 23	अगस्त 23	सितंबर 23	अक्टूबर 23	नवंबर 23	दिसंबर 23	जनवरी 24	फरवरी 24	मार्च 24	कुल
3.58	9.22	11.41	11.27	11.84	11.57	8.56	9.27	12.92	10.90	10.97	11.41	122.93

चार्ट 3.9.4 : मास-दर-मास एपीवाई पंजीकरण


तालिका सं. 3.39 : लिंग, पेंशन राशि तथा आयुवर्ग के आधार पर एपीवाई अभिवाताओं का विस्तृत विश्लेषण नीचे तालिका में दिया गया है

क्रम सं.	लिंग	लिंगवार	प्रतिशत
		प्राप्त संख्या	
1	महिला	2,99,76,357	46.58%
2	पुरुष	3,43,57,344	53.39%
3	वृत्तीय श्रेणी	18,453	0.03%
	कुल	6,43,52,154	

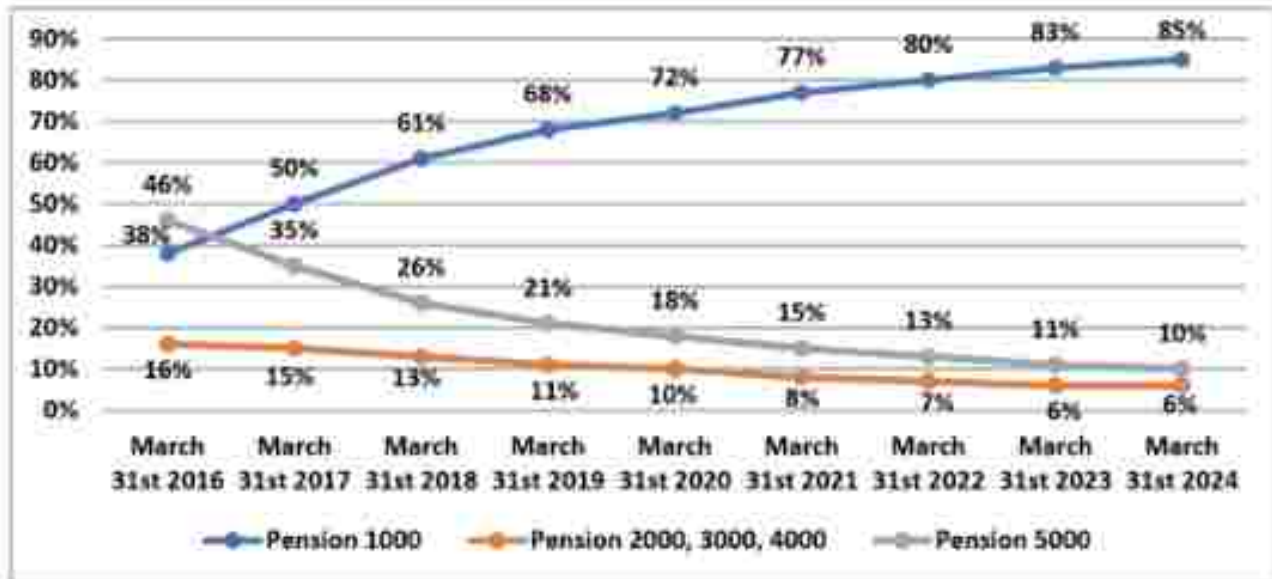
चार्ट 3.9.5 : एपीवाई पंजीकरण का लैंगिक प्रवृत्ति विश्लेषण


नोट: कुल पंजीकरण में महिलाओं की प्रतिभागिता वित्त वर्ष 22-23 में 45.42 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 23-24 में 46.58 प्रतिशत हो गई है।

पेंशन राशि वार			
क्रम सं.	पेंशन राशि	प्रान संख्या	प्रतिशत
1	1,000	5,45,20,746	84.72%
2	2,000	22,05,876	3.43%
3	3,000	10,50,241	1.63%
4	4,000	3,98,811	0.62%
5	5,000	61,76,480	9.60%
	कुल	6,43,52,154	

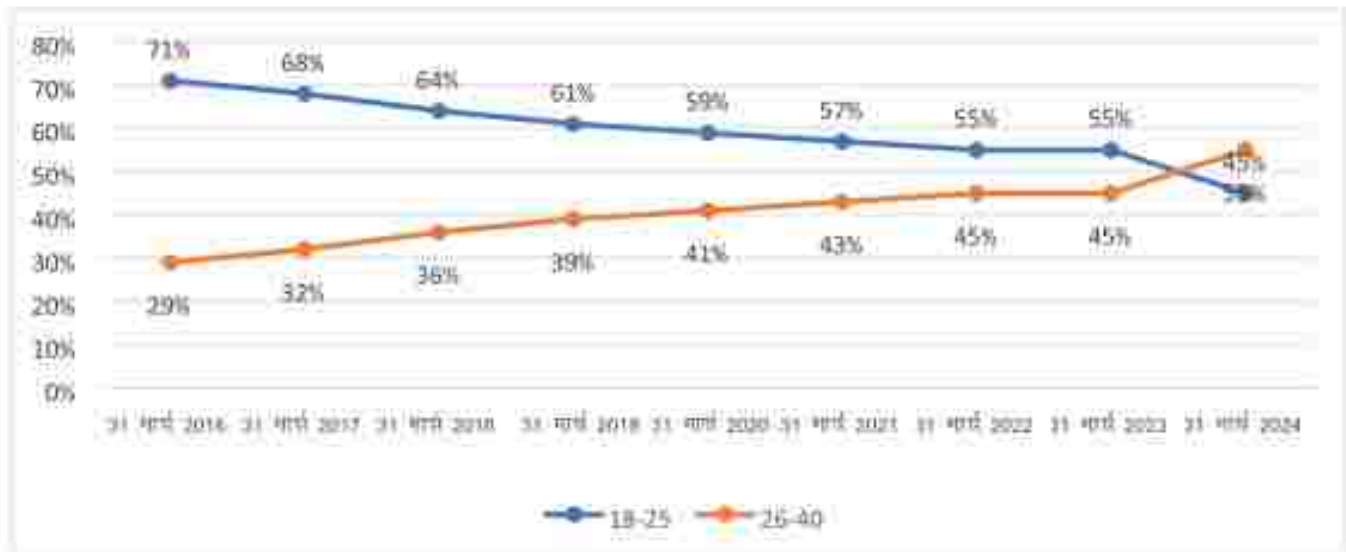
नोट: 1,000 रुपये के स्लैब के तहत कुल अभिदाता वित्त वर्ष 22-23 में 82.86 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23-24 में 84.72 प्रतिशत हो गए हैं।

चार्ट 3.9.6 : पेंशन के आधार पर एपीवाई पंजीकरण का रुझान विश्लेषण



आयुवार			
क्रम सं.	आयु	प्रान संख्या	प्रतिशत
1	18 से 20 वर्ष के बीच	1,12,12,250	17.42%
2	21 से 25 वर्ष के बीच	1,78,80,857	27.79%
3	26 से 30 वर्ष के बीच	1,57,51,482	24.48%
4	31 से 35 वर्ष के बीच	1,23,63,485	19.21%
5	कुल 35 वर्ष से अधिक	71,44,080	11.10%
	कुल	6,43,52,154	

चार्ट 3.9.7 : आयुवार एपीवाई पंजीकरण की प्रवृत्ति का विश्लेषण



नोट: कम्बोवेश आयुवार डेटा पिछले वर्ष के समान है। 18-20 आयु वर्ग में इस वित्त वर्ष में 0.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एपीवाई योजना का प्रबंधन तीन सार्वजनिक क्षेत्र कीपेंशन निधियों अर्थात् एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2023-24 तक इस योजना के प्रबंधन के तहत आस्ति नीचे दी गई तालिका के अनुसार है-

तालिका सं. 3.40 : निवेश प्रतिफल के संदर्भ में एपीवाई योजना का प्रदर्शन

	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को
एपीवाई योजना का एयूएम (करोड़ ₹)	3,817	6,660	10,526	15,687	20,922	26,700	35,647.69
एपीवाई निधि योजना का एयूएम (करोड़ ₹)	-	-	-	-	-	522.71	884.16

एपीवाई योजना ने शुरुआत से 31 मार्च 2024 तक 9.11% (सी ए जी आर) रिटर्न अर्जित किया है।

एपीवाई योजना का प्रचार और प्रसार-

i) एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम संपूर्ण भारत में 30 स्थानों पर आयोजित किए गए-एसएलबीसी और एलडीएम के समन्वय में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में पीएफआरडीए, बैंकों, एसएलबीसी, राज्य सरकार, आरबीआईए नाबार्ड, एसआरएलएम आदि के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

ii) वार्षिक सम्मान कार्यक्रम और क्षेत्रीय एपीवाई सम्मान और रणनीति समीक्षा बैठकें-अच्छा प्रदर्शन करने वाले एसएलबीसी और बैंकों को सम्मानित करने के लिए एपीवाई पुरस्कार सम्मान कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया गया। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में चार क्षेत्रीय कार्यनीतिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में एपीवाई-एसपी और एसएलबीसी संयोजकों के साथ एपीवाई के प्रचार और आउटरीच की कार्यनीतियों पर चर्चा की गई। एपीवाई के प्रति उनके निरंतर समर्थन और प्रयासों को मान्यता देने के लिए इन कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एसएलबीसी और एपीवाई-एसपी को भी सम्मानित किया गया।

iii) निष्पादन समीक्षा बैठकें- मॉडल अधिकारियों और एसएलबीसी के साथ नियमित आधार पर निष्पादन समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं जिसमें उनके बैंक/राज्य में एपीवाई नामांकन की प्रगति पर चर्चा की गई। पीएफआरडीए एपीवाई एसपी का मार्गदर्शन करता है। और उनके साथ अन्य बैंकों की नई कार्यनीतियों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है। अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को मीडिया सामग्री, प्रशिक्षण, एमआईएस आदि से संबंधित सभी संभव सहायता प्रदान की गई थी।

iv) एपीवाई फ्लायर- क्षेत्रीय भाषाओं में योजना को बढ़ावा देने के लिए एक पेजर वाला एकल एपीवाई फ्लायर अंग्रेजी में बनाया गया था जिसका भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया।

v) एपीवाई अभिदाताओं के लिए स्थानीय भाषाओं में एपीवाई प्रशिक्षण और अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए- पीएफआरडीए ने एपीवाई अभिदाताओं को टीसी के माध्यम से एपीवाई पर जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण अभिकरण को सूचीबद्ध किया है। वर्ष के दौरान, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एपीवाई अभिदाताओं के लिए 57 जागरूकता

कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 6,641 अभिदाताओं ने भाग लिया। प्रोटियन सीआरए एपीवाई एसपी के लिए एपीवाई प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करता है। कुल मिलाकर 40 प्रशिक्षण आयोजित किए गए जिनमें 6,114 बैंक अधिकारियों ने भाग लिया। इनके अतिरिक्त, बैंकों, एसएलबीसी, एलडीएम, एसआरएलएम आदि के लिए पीएफआरडीए के अधिकारी आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं।

vi) बेहतर प्रचार और जागरूकता के लिए ज्यादातर टीवी, रेडियो, प्रिंट और सोशल मीडिया में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में मास-मीडिया अभियानों के माध्यम से योजना को बढ़ावा देना- हिंदी में बनाए गए 30 सेकंड के विज्ञापन को अंग्रेजी और 14 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मैथिली में अनुवाद किया गया था। इसी तरह, रेडियो जिंक्स को हिंदी और 10 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, असमिया, बंगाली और मलयालम में प्रसारित किया गया। लिंकडइन, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएफआरडीए और एपीवाई के हजारों फॉलोवर्स हैं।

vii) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों को शामिल करना- पीएफआरडीए ने अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, एसआरएलएम, आरएसईटीआई, नाबार्ड, आरबीआई, एनसीएफई आदि के साथ योजना की पहुंच के लिए प्रयास शुरू किए। पीएफआरडीए ने आरबीआई और नाबार्ड के राज्य कार्यालयों से सहरी सहकारी बैंकों, राज्य और जिला सहकारी बैंकों को पीएफआरडीए में पंजीकृत करने और एपीवाई के तहत नामांकन शुरू करने के लिए संवेदनशील बनाने का भी अनुरोध किया।

viii) विकसित भारत संकल्प यात्रा- केंद्र सरकार ने रथ यात्रा के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान शुरू किया जिसमें 30 योजनाओं (एपीवाई भी अभियान का हिस्सा थी) के 9 वर्षों की उपलब्धि और सभी 27 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने वाली ऑन-स्पाट सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। पीएफआरडीए ने अभियान अवधि के दौरान आउटरीच कार्यक्रमों, मीडिया गतिविधियों आदि का संचालन कर पहल का समर्थन किया और सभी एपीवाई एसपी को अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य बातें:

वित्त वर्ष 23-24 में 1,22,93,490 भारतीय नागरिकों को अटल पेंशन योजना के माध्यम से लाकर एक ही वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक नामांकन हासिल किया गया है। इसके अलावा, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने संघीय रूप से 88,21,742 अभिदाताओं को नामित किया है और 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने संघीय रूप से 27,85,358 अभिदाताओं को नामित किया है जो स्थापना के बाद से एक वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक नामांकन है।

वित्त वर्ष 23-24 में, सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र नामक चार बैंकों ने अपने वार्षिक लक्ष्य हासिल किए।

33 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, चैतना गोदावरी ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, ओडिशा ग्राम्य बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, पुदुचेरी नरथियार ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुभूमि ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, सर्प हरियाणा ग्रामीण बैंक, सीराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्राम बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक ने **100 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य** हासिल किया।

निजी बैंकों में तमिलनाडु मरचेन्टाइल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नैनीताल बैंक लिमिटेड और कर्णाटक बैंक ने 30 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया।

लघु वित्त बैंकों में एयू स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 60 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया।

7 सहकारी बैंकों अर्थात् श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरेली जिला मध्यम सहकारी बैंक लिमिटेड,

कालुपुर कमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड, साउथ कोंकण डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, साबरकावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मिजोरम कोऑप एपेक्स बैंक लिमिटेड ने भी 20 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया।

आगामी वर्ष अर्थात् 2024-25 के लिए योजना

इसके अतिरिक्त, योजना के बारे में जागरूकता और कवरेज बढ़ाने तथा भारत सरकार के संतुष्टि अभियान का हिस्सा बनने के लिए पीएफआरडीए वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है।

- i. बैंकों और एसएलबीसी के माध्यम से जागरूकता सृजन हेतु संपूर्ण भारत में विभिन्न स्थानों पर एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम।
 - ii. टीवी, रेडियो, प्रिंट और सोशल-मीडिया के उपयोग द्वारा बेहतर प्रचार और जागरूकता हेतु क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करते हुए मास-मीडिया अभियान।
 - iii. पीएफआरडी के अधिकारियों, पीएफआरडी और सीआरए द्वारा नियुक्त प्रशिक्षण अभिकरणों के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम। बैंकों और एसएलबीसी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
 - iv. नियमित आधार पर वार्षिक सम्मान कार्यक्रम, क्षेत्रीय एपीवाई सम्मान और कार्यनीति समीक्षा बैठकें, एपीवाई एस्तपी तथा एसएलबीसी/एलडीएम के साथ प्रदर्शन समीक्षा बैठकें।
 - v. एपीवाई के तहत ऑनबोर्डिंग के लिए ऑनलाइन वितरण चैनलों को व्यापक आधार प्रदान करना—
- क. आधार-प्रमाणीकरण के उपयोग से ई-एपीवाई पोर्टल और सीआरए के एपीवाई ऐप द्वारा।
- ख. बैंकों के माध्यम से (नेट-बैंकिंग, मोबाइल ऐप और स्वयं का वेब पोर्टल)

3.10 पेंशन निधि का प्रबंधन

तालिका सं. 3.41 : 31 मार्च 2024 को योजनावार एनपीएस-वृद्धि की प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (एयूएम) का विवरण

योजना	राशि करोड़ रुपये में						
	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24	एयूएम में वृद्धि			
				वर्ष-दर-वर्ष मार्च 22 की तुलना में मार्च 23*		वर्ष-दर-वर्ष मार्च 23 की तुलना में मार्च 24**	
				राशि	%	राशि	%
इक्विटी टियर I	30,303.85	43,261.38	76,999.16	12,957.53	42.76%	33,737.78	77.99%
इक्विटी टियर II	1,424.50	1,681.16	2,573.34	256.66	18.02%	892.18	53.07%
कुल इक्विटी	31,728.35	44,942.54	79,572.50	13,214.19	41.65%	34,629.96	77.05%
टियर I&II के सकल एयूएम में हिस्सेदारी का %	41.20%	40.78%	44.81%	39.81%		51.40%	
बांड (सी) टियर I	15,509.97	22,329.81	34,012.00	6,819.84	43.97%	11,682.19	52.32%
बांड (सी) टियर II	762.55	864.87	1,035.34	102.32	13.42%	170.47	19.71%
बांड (सी) कुल	16,272.52	23,194.68	35,047.35	6,922.16	42.54%	11,852.67	51.10%
टियर I&II के सकल एयूएम में हिस्सेदारी का %	21.13%	21.05%	19.74%	20.85%		17.59%	
जी सेफ (जी) कुल टियर I	27,630.39	40,375.85	60,750.97	12,745.46	46.13%	20,375.12	50.46%
जी सेफ (जी) कुल टियर II	1,214.08	1,419.11	1,797.97	205.03	16.89%	378.86	26.70%
जी सेफ (जी) कुल	28,844.47	41,794.96	62,548.94	12,950.49	44.90%	20,753.98	49.66%
टियर I&II के सकल एयूएम में हिस्सेदारी का %	37.46%	37.93%	35.22%	39.01%		30.80%	
योजना ए टियर I	162.65	271.69	411.39	109.04	67.04%	139.70	51.42%
योजना ए टियर II	-	-	-	-	0	-	0

घोतना ए का सकल	162.65	271.69	411.39	109.04	67.04%	139.70	51.42%
टियर I&II के सकल एयूएम में हिस्सेदारी का %	0.21%	0.25%	0.23%	0.33%		0.21%	
उप योग टियर I	73,606.86	1,06,238.73	1,72,173.52	32,631.87	44.33%	65,934.79	62.06%
उप योग टियर II	3,401.13	3,965.14	5,406.65	564.01	16.58%	1,441.51	36.35%
टियर Tier I + टियर II	77,007.99	1,10,203.87	1,77,580.17	33,195.88	43.11%	67,376.30	61.14%
एनपीएस लाइट	4,686.74	4,914.52	5,559.69	227.78	4.86%	645.17	13.13%
एपीवाई	20,922.60	26,700.12	35,647.67	3,777.52	27.61%	8,947.55	33.51%
कॉर्पोरेट सीजी	47,343.05	58,766.72	77,174.94	11,423.67	24.13%	18,408.22	31.32%
उप योग कुल (गैली सीजी)	1,49,960.38	2,00,585.23	2,95,962.47	50,624.85	33.76%	95,377.24	47.55%
कुल एयूएम में हिस्सेदारी का %	20.36%	22.33%	25.24%	31.30%		34.77%	
बीड सरकार	2,16,883.09	2,50,631.18	3,03,144.54	33,748.09	15.56%	52,513.36	20.95%
कुल एयूएम में हिस्सेदारी का %	29.44%	27.90%	25.85%	20.86%		19.14%	
राज्य सरकार	3,69,743.33	4,47,114.39	5,73,527.20	77,371.06	20.93%	1,26,412.81	28.27%
कुल एयूएम में हिस्सेदारी का %	50.20%	49.77%	48.91%	47.83%		46.08%	
उप योग (सरकार)	5,86,626.42	6,97,745.57	8,76,671.74	1,11,119.15	18.94%	1,78,926.17	25.64%
कुल एयूएम में हिस्सेदारी का %	79.64%	77.67%	74.76%	68.70%		65.23%	
स्कीम टीटीएस	6.75	12.53	17.51	5.78	85.63%	4.98	39.74%
कुल एयूएम में हिस्सेदारी का %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	
सकल योग	7,36,593.55	8,98,343.33	11,72,651.72	1,61,749.78	1.38	2,74,308.39	1.13%
स्रोत : एसयूपी-पीएफ							

* इसमें अतिरिक्त एपीवाई पैग फंड स्कीम में 522 करोड़ रुपये का एयूएम है।

** एपीवाई पैग फंड स्कीम में 385.88 करोड़ रुपये हैं।

तालिका सं. 3.42 : पेंशन निधि प्रबंधकों के पास एयूम की स्थिति

क्रम सं.	पेंशन फंड का नाम	(करोड़ ₹)		एयूम में वृद्धि	
		मार्च-23	मार्च-24	राशि	% वृद्धि
1	एलबीआई पेंशन फंड प्रा. लिमिटेड	3,39,006.01	4,33,384.61	94,378.60	27.84%
2	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	2,53,248.85	3,22,161.92	68,913.07	27.21%
3	यूटीआई लिटिलवुड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	2,40,708.60	3,02,676.55	61,967.95	25.74%
4	एनवीएफसी पेंशन निवेशक कंपनी लिमिटेड	45,397.36	76,954.78	31,557.42	69.51%
5	आईसीआई प्रूफिफाइड पेंशन फंड निवेशक कंपनी लिमिटेड	16,466.18	28,419.13	11,952.95	72.59%
6	कोटक मंडिटा पेंशन फंड लिमिटेड	2,855.81	4,705.99	1,850.18	64.79%
7	अदिति बिरला सन लाइफ पेंशन निवेशक लिमिटेड	744.07	1,508.72	764.64	102.76%
8	टाटा पेंशन निवेशक प्राइवेट लिमिटेड	105.27	834.71	729.44	692.89%
9	नेक्स लाइफ पेंशन फंड निवेशक लिमिटेड	142.56	576.37	433.81	304.30%
10	एशिया पेंशन फंड निवेशक लिमिटेड	191.33	2,197.45	2,006.12	1048.53%
11	जीएसपी पेंशन फंड निवेशक प्राइवेट लिमिटेड	-	115.66	115.66	-

तालिका सं. 3.43: स्थापना के समय से 31.03.2024 को योजनावार पेंशन फंड वार आय (%)
31.03.2024 को विभिन्न योजनाओं के तहत स्थापना के समय से आय

		अदिति बिरला	एशिया	एनवीएफसी	आईसीआईसीआई	कोटक	एलआईसी	नेक्स लाइफ	एलबीआई	टाटा	यूटीआई	जीएसपी
सीजी							9.49%		9.67%		9.45%	
एसजी							9.45%		9.37%		9.41%	
एलआई							9.23%		8.93%		9.17%	
एनवीएस						9.66%	9.81%		9.79%		9.76%	
स्वायलबल/ लाइट												
कारपोरेट सीजी							9.51%		9.41%			
ग्रुप I	ई	14.38%	19.21%	15.59%	11.30%	12.58%	11.81%	16.73%	11.64%	22.48%	11.10%	1.38%
	बी	8.34%	7.59%	9.30%	9.57%	9.27%	9.03%	7.10%	9.59%	6.73%	8.71%	2.24%
	सी	7.98%	9.13%	9.09%	8.53%	8.53%	9.85%	9.30%	9.10%	8.71%	8.29%	4.41%
	ए	6.35%	6.55%	8.42%	6.72%	6.91%	7.43%	-1.11%	8.71%	7.58%	6.06%	1.54%
ग्रुप II	ई	14.41%	19.60%	14.03%	12.04%	12.11%	11.92%	20.96%	11.50%	22.28%	11.95%	-0.74%
	बी	7.79%	6.75%	8.61%	9.40%	8.61%	8.55%	6.73%	9.14%	7.21%	8.73%	1.62%
	सी	7.36%	8.17%	9.22%	8.58%	8.29%	10.06%	7.57%	9.08%	8.98%	8.82%	1.62%
सीएमपी		8.41%	6.36%	6.55%	7.20%	8.00%	7.99%	6.35%	5.75%	10.13%	6.58%	1.18%

तालिका सं. 3.44 : 1,3,5,7 और 10 वर्ष के लिए योजनावार पेंशनवार निधि से प्राप्त आय (%).

पेंशन निधि	पेंशन निधि	रिटर्न्स	रिटर्न्स	रिटर्न्स	रिटर्न्स	रिटर्न्स
		(प्रतिफल) एक वर्ष	(प्रतिफल) तीन वर्ष	(प्रतिफल) पांच वर्ष	(प्रतिफल) सात वर्ष	(प्रतिफल) दस वर्ष
पेंशन निधि	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	34.90%	17.30%	15.76%	लागू नहीं	लागू नहीं
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	34.02%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	33.84%	17.63%	16.17%	15.08%	14.61%
	आईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	38.90%	19.03%	16.47%	14.96%	14.40%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	35.19%	18.46%	16.32%	14.70%	14.33%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	33.86%	18.34%	15.62%	13.89%	13.47%
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	35.68%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	33.99%	17.20%	14.95%	14.01%	13.78%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	39.75%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिलायमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	37.25%	18.50%	15.73%	14.67%	14.51%
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को वैधता रितर्न्स	38.54%	18.42%	16.47%	15.48%	14.68%

वित्तिय संस्था	पैदान विधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दोन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) साठ वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य मिरला सान लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	8.70%	6.26%	8.06%	लागू नहीं	लागू नहीं
	एजिस्ट पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	8.27%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	8.76%	6.36%	8.24%	7.96%	9.21%
	आईसीआई प्रुडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	8.64%	6.10%	7.77%	7.64%	9.12%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	8.39%	6.01%	7.29%	7.09%	8.63%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	8.16%	5.96%	7.97%	7.56%	8.91%
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	8.06%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	8.35%	6.03%	7.86%	7.67%	8.98%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	8.47%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	8.47%	5.89%	7.57%	7.30%	8.68%
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को बीचमार्क रिटर्न्स	8.24%	6.21%	8.54%	7.91%	9.32%

ती. दिनांक 1	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य विरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	10.05%	6.49%	8.34%	लागू नहीं	लागू नहीं
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	9.42%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	9.65%	6.12%	8.33%	7.93%	9.38%
	आईसीआई प्रुवेंसियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	9.75%	6.20%	8.12%	7.78%	9.37%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	9.98%	6.40%	8.29%	7.88%	9.44%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	9.72%	6.28%	8.47%	8.39%	9.98%
	मेक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	9.96%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	9.96%	6.16%	8.15%	7.85%	9.46%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	9.75%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई स्टायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	9.91%	6.13%	8.08%	7.59%	9.15%
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को वैधानिक रिटर्न्स	9.99%	6.05%	7.89%	7.29%	8.92%

पं. निवेशक	पेंशन निधि	रिटर्न	रिटर्न	रिटर्न	रिटर्न	रिटर्न
		(प्रतिफल) एक वर्ष	(प्रतिफल) तीन वर्ष	(प्रतिफल) पांच वर्ष	(प्रतिफल) सात वर्ष	(प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	8.36%	7.01%	6.05%	लागू नहीं	लागू नहीं
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	6.90%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	9.16%	8.66%	8.42%	8.58%	लागू नहीं
	आईसीआई फूड्स रिटायरमेंट पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	6.95%	6.63%	6.28%	6.73%	लागू नहीं
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	10.05%	8.14%	7.34%	7.06%	लागू नहीं
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	7.18%	6.92%	7.09%	7.57%	लागू नहीं
	सेक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	7.07%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	10.61%	7.66%	8.99%	8.87%	लागू नहीं
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	8.55%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	5.12%	6.44%	5.59%	6.05%	लागू नहीं
	आईएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	पेंशन निधि	रिटर्न	रिटर्न	रिटर्न	रिटर्न	रिटर्न
		(प्रतिफल) एक वर्ष	(प्रतिफल) तीन वर्ष	(प्रतिफल) पांच वर्ष	(प्रतिफल) सात वर्ष	(प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य बिरेला स्न लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	35.47%	17.50%	15.96%	लागू नहीं	लागू नहीं
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	34.49%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एम्बडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	34.14%	17.69%	16.17%	15.10%	14.16%
	आईसीआई प्रूविडेंट पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	38.65%	19.04%	16.55%	15.04%	14.45%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	35.20%	18.45%	16.14%	14.59%	14.23%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	32.66%	18.01%	15.48%	13.72%	12.87%
	मेक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	35.27%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	33.33%	17.06%	14.94%	14.03%	13.79%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	39.46%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	35.17%	17.73%	15.47%	14.56%	14.49%
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को बीचमार्क रिटर्न	38.54%	18.42%	16.47%	15.48%	14.68%

सी टिप्पणी 2	पेंशन निधि	रिटर्न (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य बिर्ला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	8.59%	6.34%	7.92%	NA	NA
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	7.08%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	8.79%	6.22%	8.09%	7.86%	8.57%
	आईसीआई प्रूवेन्शियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	8.55%	6.02%	7.72%	7.55%	9.03%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	8.22%	5.77%	7.54%	7.27%	8.68%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	8.17%	5.94%	8.32%	7.70%	8.67%
	कैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	7.20%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	8.13%	5.64%	7.38%	7.32%	8.68%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	8.34%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	8.37%	5.87%	7.56%	7.33%	8.66%
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को बीचमार्क रिटर्न	8.24%	6.21%	8.54%	7.91%	9.32%

जो टिप्पणी 2	पेंशन निधि	रिटर्न (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य बिरेला सग लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	9.77%	6.48%	8.24%	लागू नहीं	लागू नहीं
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	8.81%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	9.79%	6.15%	8.11%	7.80%	9.24%
	आईसीआई म्यूचुअल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	9.61%	6.20%	8.11%	7.76%	9.36%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	9.61%	6.24%	8.01%	7.61%	9.26%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	9.58%	6.37%	8.53%	8.59%	9.99%
	मेक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	8.38%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	9.85%	6.10%	8.03%	7.69%	9.36%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	9.80%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	9.63%	6.02%	7.99%	7.59%	9.20%
	बीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को बीचमार्क रिटर्न	9.99%	6.05%	7.89%	7.29%	8.92%

सीजी	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	12.56%	7.94%	9.12%	8.59%	9.78%
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	12.45%	7.80%	9.04%	8.60%	9.86%
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	12.54%	7.76%	9.03%	8.60%	9.82%
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	13.09%	7.91%	9.49%	8.72%	9.90%

एसजी	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	12.47%	7.90%	9.06%	8.52%	9.77%
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	12.36%	7.74%	9.01%	8.54%	9.88%
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	12.54%	7.75%	9.02%	8.56%	9.81%
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	13.09%	7.91%	9.49%	8.72%	9.90%

आर्गेराइजेशन	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	12.49%	8.04%	9.20%	8.61%	9.88%
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	12.37%	7.76%	9.01%	8.58%	9.93%
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	12.54%	7.75%	9.02%	8.56%	9.81%
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	13.09%	7.91%	9.49%	8.72%	9.90%

एससीएस	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	कोटक महिला पेंशन फंड लिमिटेड	12.77%	8.04%	9.00%	8.48%	9.74%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	12.07%	7.84%	9.16%	8.71%	9.92%
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	12.42%	7.78%	8.97%	8.56%	9.86%
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	12.37%	7.77%	8.98%	8.58%	9.81%
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	13.09%	7.91%	9.49%	8.72%	9.90%

एपीआई	पेंशन निधि	रिटर्न (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) दस वर्ष
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	12.64%	7.99%	9.34%	8.68%	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	12.31%	7.74%	9.13%	8.69%	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	12.49%	7.64%	9.04%	8.55%	लागू नहीं
	31.03.2024 को वैधानिक रिटर्न	13.09%	7.91%	9.49%	8.72%	लागू नहीं

एनपीएस	पेंशन निधि	रिटर्न (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न (प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य बिरला सम लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	12.71%	9.18%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	6.91%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	11.08%	7.85%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आईसीआई ग्रुंथरिगल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	13.32%	7.99%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	12.58%	8.45%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	13.08%	8.77%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	भारत लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	7.01%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	11.74%	6.23%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	12.68%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	12.93%	7.24%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को वैधानिक रिटर्न	14.53%				

तालिका सं. 3.45: 31 मार्च 2024 को प्रबंधन के तहत पेंशन निधिदार और योजनादार परिसंपत्तियाँ

(रुपि करोड़ में)												
विभाग/निधि/योजना	एकमुखाई	प्रतिमुखाई	प्रतिमुखाई	प्रतिमुखाई	अनुसूचित जाति/प्रतिमुखाई	अनुसूचित जाति/प्रतिमुखाई	अनुसूचित जाति/प्रतिमुखाई	अनुसूचित जाति/प्रतिमुखाई	अनुसूचित जाति/प्रतिमुखाई	अनुसूचित जाति/प्रतिमुखाई	अनुसूचित जाति/प्रतिमुखाई	कुल
जीव शोधक	1,05,754.61	86,208.34	86,208.34									1,07,544.34
मानव संसाधन	1,36,243.34	1,81,313.25	1,81,313.25									1,72,527.10
साइट	2,251.68	1,621.00	1,621.00			86.84						3,234.64
एकमुखाई	22,101.41	17,027.44	17,027.44									25,447.17
प्रतिमुखाई/निधि/योजना	287.83	111.11	111.11									399.17
कुल मानव संसाधन	75,294.10	3,880.13										79,174.23
कुल निधि I - ई	25,894.48	5,144.50	1,332.57	86,208.34	12,284.21	1,284.29	101.8	171.41	181.8	887.10	64.43	76,395.10
कुल निधि I - बी	8,212.29	2,762.17	886.48	14,230.23	3,706.43	851.9	206.34	144.38	116.11	327.34	25.30	94,107.49
कुल निधि I - जी	17,177.82	5,055.73	1,694.58	12,527.36	9,303.27	1,481.36	507.09	216.89	170.27	758.17	38.89	40,793.07
कुल निधि I - डी	77.88	18.39	9.31	275.45	54.5	12.35	3.71	1.15	0.1	1.41	0.11	411.95
कुल निधि II - ई	623.13	111.3	39.14	1,101.40	882.08	120.19	11.42	11.06	1.3	6.75	0.01	2,371.34
कुल निधि II - बी	240.64	88.35	30.83	414.02	187.04	41.12	13.14	4.05	0.38	2.10	0.10	1,000.34
कुल निधि II - जी	180.17	111.19	64.17	641.01	101.3	71.15	26.05	8.44	0.77	8.03	0.11	1,702.89
कुल निधि II - डी/एन	4.89	2	1.11	5.33	1.74	0.59	0.80	0.53	0.06	0.11	0	11.13
कुल	4,33,384.61	3,71,161.92	3,63,070.10	86,564.78	28,419.11	4,705.99	3,506.71	854.71	576.57	1,157.40	115.36	12,71,550.89

3.11 विनियमित आस्तियाँ

विनियमित आस्तियों में सीआरए के संचालन के उद्देश्य से विशेष रूप से बनाई गई मूर्त और अमूर्त आस्तियाँ शामिल हैं जिसमें एप्लिकेशन को चलाने के लिए आवश्यक सभी घटकों के साथ बेस्पाक सॉफ्टवेयर, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और सीआरए एप्लिकेशन सिस्टम के लिए विशिष्ट शैल्ड से बाहर घटक, सभी प्रासंगिक सीआरए परियोजना डेटा, डेटा सेंटर और आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र के समर्पित विशिष्ट हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर घटक, नेटवर्क तथा भौतिक बुनियादी ढांचे को छोड़कर अन्य सभी सुविधाएं शामिल हैं।

पंजीकरण की अवधि समाप्त होने पर या सीआरए की समाप्ति की स्थिति में सीआरए द्वारा प्रारित सूचना और विनियमित आस्तियों को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किसी अन्य सीआरए को उस समयावधि के भीतर और उस तरीके से हस्तांतरित किया जाएगा जैसा पीएफआरडीए अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के तहत या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाए।

3.12 वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए या संग्रहित शुल्क और अन्य प्रभार।

एनपीएस के अभिदाताओं पर विभिन्न चरणों में अभिदाताओं की सेवा करने वाले मध्यवर्तियों द्वारा शुल्क लगाया और वसूला जाता है। एनपीएस प्रणाली में प्रवेश करने पर

एनपीएस अर्थात् पीओपी में अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार मध्यस्थ अंतिम शुल्क संग्रहित करते हैं। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) पंजीकरण का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अगले चरण में सीआरए रिकॉर्ड कीपिंग अभिकरण खोला खोलने और पीआरएएन बनाने, यूनिटों को रद्द करके खाते के रखरखाव के लिए शुल्क लगाती है। प्राधिकरण परिपत्र सं.

पीएफआरडीए/2020/22/आरईजी-सीआरए/3 दिनांक 15.06.2020 में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण) विनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत 2020 में शुरू की गई केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग अभिकरणों के चयन के एक अंतर-भाग के रूप में केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग अभिकरणों द्वारा उपस्करदाताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लगाए जाने वाले शुल्कों के लिए मूल्य खोज तंत्र हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किया था।

इसके बाद, अभिदाताओं के अंशदान से संबंधित प्रत्येक लेनदेन के लिए सीआरए और पीओपी दोनों द्वारा शुल्क लिया जाता है। पेंशन कोष द्वारा अभिदाताओं के निवेश पोर्टफोलियों के प्रबंधन के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क लिया जाता है। अभिसंस्थाक आस्तियों की अभिव्यक्ति हेतु प्रतिभूति शुल्क और एनपीएस ट्रस्ट के खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए अभिदाताओं से शुल्क लेते हैं।

तालिका सं. 3.48 : विभिन्न चरणों पर अभिदाताओं से लिया जाने वाला शुल्क और प्रसार

संस्था/वर्ग	शुल्क सीमा	सीमा शुल्क *				
		निजी / सरकारी			साइट/एनोवाई (रु. में)	
सीआरए	पीआरए खोलने का शुल्क		बाँदे अभिदाता भौतिक प्रान कार्ड का विकल्प भुनता है, तब खाता खोलने के लिए सीआरए शुल्क (रुपये में)	बाँदे अभिदाता ई-प्रान का विकल्प भुनता है तब खाता खोलने के लिए सीआरए शुल्क (रुपये में)	पीसीआरए :15 केसीआरए :16 सीएएमएस :16	
				स्वागत किट का भौतिक प्रेषण		स्वागत किट का ईमेल द्वारा प्रेषण
		पीसीआरए	40	35		18
		केसीआरए	39.36	39.36		4
		सीएएमएस	40	-	18	
		नोट: शुल्क में कमी वर्तमान शुल्क संरचना पर आधारित होगी जिसमें लागू कर शामिल नहीं होंगे। भौतिक या ईप्रान कार्ड रखने के लिए एनपीएस अभिदाताओं के विकल्प हेतु सीआरए द्वारा कार्यक्षमताओं को जारी करने के बाद शुल्क लागू होंगे।				
	प्रति खाता वार्षिक पीआरए अनुस्मरण लागत	पीसीआरए : 69 रुपये केसीआरए : 57.63 रुपये सीएएमएस : 65 रुपये			पीसीआरए : 20.00 केसीआरए : 14.40 सीएएमएस : 18.25	
	प्रति लेनदेन शुल्क	पीसीआरए : 3.75 रुपये केसीआरए : 3.36 रुपये सीएएमएस : 3.50 रुपये			निःशुल्क	
पीजीपी**	-	निजी		सरकारी	-	
	अभिदाता का पहला पंजीकरण	न्यूनतम रुपये 200 अधिकतम रुपये 400 (स्लेब की सीमा में विद्यारणीय)		लागू नहीं	लागू नहीं	
	पहला और उसके बाद के सभी अंशदान	अंशदान का 0.5% न्यूनतम 30 रुपये अधिकतम 25,000 रुपये		लागू नहीं	लागू नहीं	
	सर्व गैर-वित्तीय लेनदेन	30 रुपये (निश्चित / प्लेट और अनिवारणीय)				
	निरंतरता > 6 महीने और 1000 रुपये का अंशदान	1,000 से 2,999 रुपये के वार्षिक अंशदान के लिए 50 रु. प्रति वर्ष 3,000 से 6,000 रुपये के वार्षिक अंशदान के लिए 75 रु. प्रति वर्ष 6,000 से अधिक के वार्षिक अंशदान के लिए 100 रु. प्रति वर्ष		लागू नहीं	लागू नहीं	
	ईएनपीएस (बाद में अंशदान के लिए)	अंशदान का 0.20% न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये (केवल एनपीएस -सर्व नागरिक और टिप्पट-2 खातों के लिए)		लागू नहीं	लागू नहीं	

	मुक्त अंशदान के लिए ट्रेल कृताकृत्य	अंशदान का 0.20% (न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये)		
	निकासी/प्रत्याहरण संसदीय करना	जमा राशि का 0.125 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम राशि 125 रुपये और अधिकतम राशि 500 रुपये है।		
	एनपीएस लाइट/स्वावलम्बन	एनपीएस लाइट/स्वावलम्बन के तहत किसी भी भाद के लेनदेन का शुल्क एक वित्तीय वर्ष में एनपीएस-लाइट/स्वावलम्बन में अभिदाता द्वारा जमा किए गए कुल अंशदान का 0.25 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 20 रुपये है। ऐसी कोई अन्य लेन देन जिसमें अभिदाता का अंशदान 10 रुपये प्रति लेन देन है इसमें शामिल नहीं है।***		
न्यासी बैंक	-	शून्य		
अभिरक्षक	परिसंपत्ति सेवा शुल्क	अभिरक्षण के अधीन परिसंपत्ति का वार्षिक प्रतिशत : 0.0000000001770		
पेंशन निधि शुल्क	निवेश प्रबंधन शुल्क	50,000 करोड़ रुपये से 1,50,000 करोड़ रुपये तक प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का स्लेब (एयूएम)	आईएमएफ (%)	
		10,000 करोड़ रुपये तक	0.09%	
		10,000 करोड़ रुपये से 50,000 करोड़ रुपये तक	0.06%	
		50,000 करोड़ रुपये से 1,50,000 करोड़ रुपये तक	0.05%	
		1,50,000 रुपये और इससे अधिक	0.03%	
एनपीएस न्यास	खातों की प्रतिपूर्ति	एयूएम का 0.003% प्रतिवर्ष		

- * सरकारी कर्मचारियों के मामले में संबंधित सरकारों द्वारा कोषागार शुल्क का भुगतान किया जा रहा है।
- ** निरंतरता शुल्क एस पीओसी में दिए गए हैं जिससे अभिदाता एक वित्तीय वर्ष में छह महीने के अधिक समय से जुड़ा हुआ है। न्यूनतम प्रति लेन देन अंशदान 500.00 रुपये और न्यूनतम वार्षिक अंशदान 1000.00 रुपये है। तथा लागू जीएसटी व्ययया अन्य कर इसके अतिरिक्त होंगे।
- *** वित्तीय वर्ष के अंत में कोषागार प्राप्त इकाई कर्तवियों के माध्यम से।
- इस स्लेब में 0.07 प्रतिशत की दर से लिए गए पेंशन फंड शुल्क

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न मध्यवर्तियों से पीएफआरडीए द्वारा प्राप्त शुल्क नीचे तालिका में दिया गया है-

तालिका सं. 3.47: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त शुल्क (अनंतिम)

क्रम सं.	मध्यवर्ती	प्राप्त फीस (लाख रुपये में)
1.	इस्टी बैंक-एगिरास बैंक	9,064.57
2.	पेंशन फंड	14,956.32
3.	सीआरए-प्रोटियन ईमर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	1,272.69
4.	सीआरए-केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	32.05
5.	सीआरए-कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	2.09
6.	अभिरक्षाक - ड्यूरा बैंक	411.06
7.	सेवानिवृत्ति सलाहकार / पीओपी / एसीनैटर / एरसपी / ईएमडी / आरएफपी प्रोसेसिंग शुल्क	39.55
कुल		21,778.32
नोट: शुल्क और प्राप्ति का वास्तविक आधार पर लेखांकित की जाती है।		

3.13 मध्यवर्तियों और अन्य संस्थाओं अथवा संगठनों की लेखापरीक्षा सहित अपेक्षित जानकारी, निरीक्षण, पूछताछ, जांच और पेंशन फंड से जुड़ी जानकारी।

3.13.1 पूछताछ और जांच

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्राधिकरण ने दो (2) मध्यवर्तियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए जिसमें एक मध्यवर्ती के खिलाफ जांच पूरी हो गई है, जबकि दूसरे मध्यवर्ती के खिलाफ जांच चल रही है।

3.13.2 निरीक्षण और लेखापरीक्षाएं

पीएफआरडीए एनपीएस, एनपीएस-लाइट स्वावलंबन और एपीवाई तथा प्राधिकरण में पंजीकृत सेवानिवृत्ति सलाहकारों (आरए) के उपस्थिति अस्तित्वों (प्लाइट ऑफ प्रेजेन्स) का पर्यवेक्षण करता है ताकि पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम 2018 (यथा संशोधित), पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम 2016 (यथा संशोधित) और इसके तहत जारी परिचालन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। प्राधिकरण ऑफसाइट और ऑनसाइट निगरानी तंत्र के माध्यम से पीओपी की निगरानी और पर्यवेक्षण निम्नानुसार करता है-

i) **ऑफसाइट निगरानी-** ऑफसाइट पर्यवेक्षण में पीओपी द्वारा पीएफआरडीए को प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट / प्रमाण पत्र की समीक्षा निम्नानुसार शामिल है-

क) अनुपालन रिपोर्ट (पीओपी- एनपीएस के लिए तिमाही, पीओपी-एनपीएस-लाइट स्वावलंबन के लिए छमाही और पीओपी-एपीवाई के लिए वार्षिक) पीएफआरडीए अधिनियम, पीएफआरडीए (पीओपी) विनियम 2018 (संशोधित) और उसके तहत जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित कार्यों से संबंधित पीओपी द्वारा अनुपालन प्रस्तुत / अपवाद रिपोर्टिंग को अनिवार्य करना, जिसमें निर्दिष्ट संग्रह खाता शेष विवरण जमा करना शामिल है।

ख) प्राधिकरण द्वारा मध्यवर्तियों के लिए जारी साइबर सुरक्षा नीति के अनुपालन हेतु साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र।

ग) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनपीएस, एनपीएस-लाइट-स्वावलंबन और एपीवाई के तहत पीओपी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिपोर्ट / प्रमाणपत्रों की समीक्षा कर उन्हें संसाधित किया गया।

ii) **ऑनसाइट मॉनिटरिंग-** ऑनसाइट पर्यवेक्षण में सीधे पीएफआरडीए अधिकारियों द्वारा ऑनसाइट निरीक्षण और अधिकृत प्रतिनिधियों की लेखापरीक्षा शामिल है-

क) पीओपी का ऑनसाइट निरीक्षण सीधे पीएफआरडीए अधिकारियों द्वारा पीएफआरडीए अधिनियम, पीएफआरडीए (पीओपी) विनियम 2018 (संशोधित) और उसके तहत जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित कार्यों से संबंधित पीओपी के अनुपालन हेतु किया जाता है।

ख) मुख्यतः निरीक्षण मापदंडों में पीओपी द्वारा अपनाई

गई प्रक्रियाएं और प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं, जिसमें अभिदाताओं की ऑनबोर्डिंग से लेकर निकास/आहरण तक की सभी गतिविधियां शामिल हैं।

ग) निरीक्षण के दौरान जिन अन्य उल्लेखनीय क्षेत्रों की निगरानी की जाती है, उनमें पीओपी द्वारा अपनाई गई अभिदाता हेतु समुचित साक्ष्यानी प्रक्रिया (पीएमएल अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार केवाईसी और सीकेवाईसीआर मानदंडों के अनुपालन सहित) ऑफसाइट अनुपालन के भाग के तौर पर प्रस्तुत रिपोर्ट के सही पाए जाने के प्रति सत्यापन, क्षतिपूर्ति, यदि कोई है, का भुगतान, संग्रह खातों में शेष शामिल है।

घ) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, देश के विभिन्न भागों में स्थित पीओपी के कुल 17 योजनावार (एनपीएसए एपीवाई और एनपीएस-लाइट स्वावलम्बन) ऑनसाइट निरीक्षण किए गए।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट—

(क) पीओपी द्वारा नियुक्त बाह्य लेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा संरचना के अनुसार पीओपी की वार्षिक लेखापरीक्षा की जाती है।

ख) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, निर्धारित लेखापरीक्षा संरचना के अनुसार एनपीएस, एनपीएस - लाइट - स्वावलम्बन और एपीवाई के तहत पीओपी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा कर संसाधित किया गया।

ग) पीओपी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के अनुपालन और इनका सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मामलों पर अनुपालन रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और निरीक्षणों की समीक्षा के दौरान अवलोकन किए गए विचलन/गैर-अनुपालन के अनुसार पीओपी को सलाह जारी करना। अनुपालन/लेखा परीक्षा/निरीक्षण रिपोर्टों को बंद करने की दिशा में अनुपालन के लिए पीओपी की अनुपत्ति कार्रवाई।

घ) मौजूदा विनियमों, परिपत्रों और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए पीओपी को चेतावनी/सजगता पत्र जारी करना। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 1 (एक) पीओपी को चेतावनी पत्र जारी किया गया था।

3. **प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना—** ऑनसाइट या ऑफसाइट पर्यवेक्षण के दौरान किसी भी कथित उत्प्लवन का पता चलने की स्थिति में प्रथम दृष्टया अधिनियम की धारा 28 के तहत शामिल किसी भी चूक या कृत्यांकृत के

कार्य का प्रकटन करने के संबंध में विभाग पीएफआरडीए (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच के लिए की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के अनुसार प्रभासी सदस्य (जांच और निगरानी) को औपचारिक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग द्वारा 1 (एक) पीओपी के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

4. **नीतिगत मामले—** प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों से प्राप्त भाग तथा सुझावों के आधार पर पर्यवेक्षण विभाग नीति तैयार करता है या अभिदाताओं और हितधारकों के सर्वोत्तम हित में सुधार हेतु संबंधित विभागों को नीति की सिफारिश करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग ने निम्नलिखित नीतिगत मामलों की समीक्षा की है—

i) पर्यवेक्षण की कठोरता को कम किए बिना, लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पीओपी की बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को मजबूत करते हुए, लेखापरीक्षा की नकल को दूर करने के साथ-साथ इसके अनुपालन की लागत को कम करने हेतु पीओपी के लिए लेखापरीक्षा अवसंरचना जारी करना।

ii) पीएफआरडीए (पीओपी) विनियमों के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के भाग के तौर पर दिनांक 01 जुलाई 2023 से एनपीएस के तहत कार्यरत पीओपी के लिए संशोधित परिचालन दिशानिर्देश जारी करना।

iii) संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले सीसीपीडी, पीओपी, एनजीओ कार्यालयों के परामर्श से पीएफआरडीए द्वारा विनियमित मध्यवर्तियों द्वारा दिव्यांगों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अभिगम्यता दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करना।

5. **एफएटीएफ पारस्परिक मूल्यांकन—** एफएटीएफ प्रकोष्ठ, पीएफआरडीए जिसमें प्रमुख रूप से पर्यवेक्षण-पीओपी विभाग के सदस्य शामिल हैं, ने आंतराष्ट्रीय एफएटीएफ मूल्यांकन दल द्वारा आयोजित भारत के पारस्परिक मूल्यांकन सत्र के दौरान पीएफआरडीए का प्रतिनिधित्व किया और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के साथ सक्रिय रूप से समन्वय किया।

3.13.3 अधिनियम

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दो (2) मध्यवर्तियों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही चल रही है।

3.13.4 आंतरिक लेखा परीक्षा और निगरानी

आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग ने वार्षिक लेखा परीक्षा योजना

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार पीएफआरडीए विभागों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की। योजना के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2023 से शुरू अवधि के लिए पीएफआरडीए के सभी विभागों को शामिल करते हुए 25 ऑडिट किए गए। लेखापरीक्षा के दायरे में सभी परिचालन गतिविधियों तथा अभिलेख रखने की समीक्षा शामिल थी। इसमें गुणात्मक मापदंडों का मूल्यांकन, पैर-अनुपालन का जोखिम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान, यदि कोई हो, शामिल है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और कम, मध्यम और उच्च स्तर के जोखिम के लिए संकेतकों के व्यापक सेट के आधार पर सभी विभागों के लिए संशोधित जोखिम आधारित रैंकिंग शुरू की गई थी।

विभाग द्वारा संबंधित विभागों के परामर्श से कुछ परिचालन मापदंडों को लागू करके निगरानी तंत्र शुरू किया गया था। रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर संबंधित विभागों को मुद्दों

से संबंधित कार्रवाई का सुझाव दिया गया था। पीएफआरडीए में निरंतर निगरानी तंत्र के परिणामस्वरूप एनपीएस अवसरचना की मजबूत और कुशल निगरानी होने की आशा की गई है।

3.14 अन्य

3.14.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के अंतर्गत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाता (बेगीनार)

i) विगत वर्षों में एनपीएस तथा एपीवाई के अधीन अभिदाताओं की संख्या

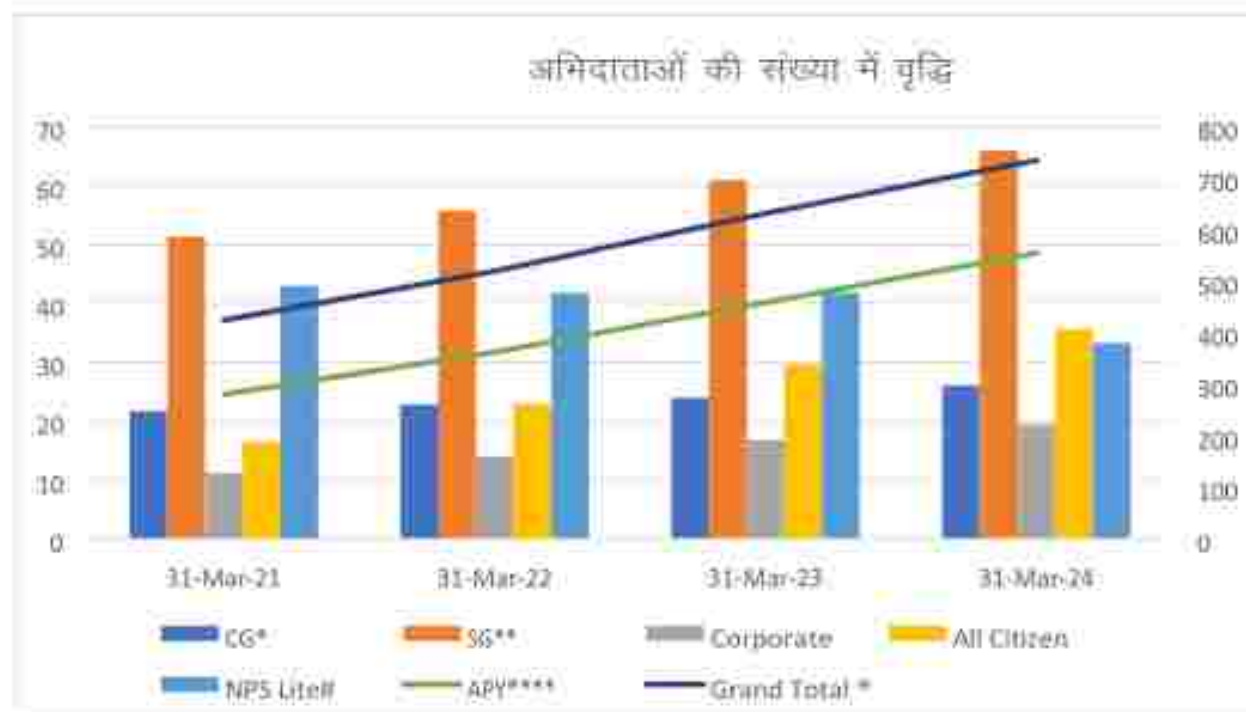
एनपीएस और एपीवाई में अभिदाताओं का नामांकन मार्च 2023 में 632.55 लाख से बढ़कर मार्च 2024 में 735.55 लाख हो गया। 2023-24 के दौरान अभिदाताओं की संख्या में 16.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अभिदाताओं की क्षेत्रवार संख्या नीचे तालिका में दी गई है।

तालिका सं. 3.48 : एनपीएस/एपीवाई के तहत अभिदाताओं की क्षेत्रवार संख्या:

क्षेत्र	मार्च 2023 (संख्या लाख में)	मार्च 2024 (संख्या लाख में)	एक वर्ष में वृद्धि	
			शुद्ध वृद्धि (संख्या लाख में)	प्रतिशत
केंद्र सरकार	23.97	26.07	2.10	8.76
कुल का %	3.78	3.54	-	-
राज्य सरकार	60.96	65.96	5.00	8.20
कुल का %	9.63	8.97	-	-
कॉर्पोरेट	16.82	19.48	2.66	15.81
कुल का %	2.66	2.65	-	-
सर्व नागरिक/यूजीएस	29.57	35.64	6.07	20.53
कुल का %	4.67	4.85	-	-
एनपीएस लीडर/स्वावलम्ब*	41.76	33.28	-	-
कुल का %	6.60	4.52	-	-
* एपीवाई	459.47	555.12	95.65	20.82
कुल का %	72.64	75.47	-	-
कुल योग	632.55	735.55	103.00	16.28

*01 अप्रैल 2015 के बाद नए पंजीकरण की अनुमति नहीं दी गई

चार्ट 3.14.1 : एनपीएस और एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं की वर्षवार संख्या



ii) अभिदाताओं की क्षेत्रवार संख्या

सरकारी क्षेत्र

तालिका सं. 3.49 : सरकारी क्षेत्र में 31 मार्च 2024 को अभिदाताओं की संख्या, अंशदान और एयूएम

क्षेत्र	अभिदाता (लाख में)	अंशदान (अनोड रुपये में)	एयूएम (करोड़ रुपये में)
केंद्र सरकार	26.07	2,19,498	3,22,215
राज्य सरकार	65.96	4,20,097	5,82,673
कुल	92.03	6,39,595	9,04,888

सरकारी अभिदाताओं की संख्या मार्च 2023 के अंत में 84.93 लाख से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 92.03 लाख हो गई जिसमें 7.10 लाख की वृद्धि दर्ज की गई (7.71 प्रतिशत)

iii) निजी क्षेत्र

तालिका सं. 3.50 : सरकारी क्षेत्र में 31 मार्च 2024 को अभिदाताओं की संख्या, अंशदान और एयूएम

विवरण	अभिदाता (लाख में)	अंशदान (करोड़ रुपये में)	एयूएम (करोड़ रुपये में)
कॉर्पोरेट क्षेत्र	19.48	1,16,071	1,66,729
सर्व नागरिक/यूओएस	35.64	61,048	59,826
कुल	55.12	1,77,120	2,26,555

निजी क्षेत्र में कॉर्पोरेट अभिदाताओं की संख्या मार्च 2023 में 16.82 लाख से बढ़कर मार्च 2024 में 19.48 लाख हो गई है। इसमें 2.66 लाख अभिदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई जो 15.81 प्रतिशत वृद्धि है। यूओएस/सर्व नागरिक के अंतर्गत अभिदाताओं की संख्या मार्च 2023 के अंत तक 29.57 लाख से बढ़कर मार्च 2024 के अंत तक 35.64 लाख हो गए हैं। इसमें 6.07 लाख अभिदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई जो 20.53 प्रतिशत वृद्धि है।

iv) असंगठित क्षेत्र

तालिका सं. 3.51 : 31 मार्च 2024 को अभिदाताओं की संख्या, अंशदान और एनपीएस लाइट तथा एपीवाई के अंतर्गत एयूएम

विवरण	अभिदाता (लाख में)	अंशदान (करोड़ रुपये में)	एयूएम (करोड़ रुपये में)
एनपीएस लाइट	33.28	3,359	5,560
अटल पेंशन योजना	55.12	31,098	35,647
एपीवाई फंड स्कीम	-	-	886
कुल	88.40	34,457	42,093

एनपीएस लाइट और एपीवाई के तहत अभिदाताओं की संख्या मार्च 2023 में 501.23 लाख से बढ़कर मार्च 2024 में 588.40 लाख हो गई है, जिसमें 87.17 लाख की वृद्धि हुई है (17.39 प्रतिशत वृद्धि)।

- एनपीएस लाइट योजना में नया प्रवेश दिनांक 01 अप्रैल 2015 से बढ़ कर दिया गया है और एपीवाई को 09 मई 2015 से शुरू किया गया था जिसने 01 जून 2015 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। एपीवाई भारत के गरीबों और वंचित नागरिकों पर केंद्रित है। यह 60 वर्ष की आयु के बाद परिभाषित पेंशन प्रदान करती है।
- एपीवाई योजना का प्रबंधन तीन सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन निधियों - एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई द्वारा किया जाता है। मार्च 2024 में इस योजना के प्रबंधन के तहत 35,647 करोड़ रु. की परिसंपत्ति थी।

3.14.2 उपस्थिति अस्तित्व

उपस्थिति अस्तित्व धारा 27 की उपधारा (3) के तहत प्राधिकरण में पंजीकृत एक मध्यस्थ है जो धन और निर्देशों को प्राप्त करने व प्रेषित करने और धन के भुगतान के उद्देश्य से केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी में सक्षम है। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 20 के अनुसार अंशदान और निर्देशों का संग्रहण व संवर्ण केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को उपस्थिति अस्तित्व के माध्यम से होगा। इसलिए पीओपी अभिदाता को एनपीएस अभिदाता के रूप में शामिल करते समय उससे वचा की जाती है तथा पंजीकरण, अपने अभिदाता को जानें (क्रेडेंशियल) स्थापन, अभिदाताओं से अंशदान तथा निर्देश प्राप्त करने व धन होधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम, 2002 और इसके तहत निमित्त तथा समय-समय पर लागू नियमों के अनुपालन सहित उसके प्रसारण से संबंधित कार्य करते हैं।

दिनांक 10.01.2024 को अधिसूचित सशोधित विनियमों के अनुसार कोई आवेदक निम्नलिखित पेंशन योजनाओं में से किसी एक या अधिक के संबंध में उपस्थिति अस्तित्व के रूप में पंजीकरण की मांग कर सकता है।

क. राष्ट्रीय पेंशन योजना

ख. अटल पेंशन योजना, अथवा

ग. प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित कोई अन्य योजना।

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना :

वित्तीय वर्ष के दौरान 32 संस्थाओं को उपस्थिति अस्तित्व की श्रेणी के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए।

एनपीएस स्थापत्यके अधीन दिनांक 31.03.2024 तक प्राधिकरण में 363 उपस्थिति अस्तित्व (एनपीएस रेगुलर/ एपीमेटर/ एपीवाई-एनपी) पंजीकृत हैं।

II. उपस्थिति अस्तित्व के कर्तव्य और दायित्व :

(1) उपस्थिति अस्तित्व अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कार्यों के संबंध में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा।

(क) माची अभिदाताओं से चर्चा :

- (i) अधिनियम के तहत पेंशन योजनाओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर, और
- (ii) पेंशन योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध कराना और उन्हें प्रदर्शित करना।

(ख) अभिदाताओं का पंजीकरण :

- (i) अपने अभिदाता को जानें (क्रेडेंशियल) रिकॉर्ड सहित अभिदाता पंजीकरण के अनुरोध स्वीकार करना।
- (ii) अभिदाता सांख्यिकी प्रक्रिया का संचालन, और
- (iii) अनुरोध को केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण प्रणाली में या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित पद्धति और तरीके से संसाधित करना।
- (ग) अंशदान संसाधित करना :
- (i) प्रत्येक पेंशन योजना के लिए संग्रह खाता खोलना और परिचालन करना।
- (ii) अभिदाता अथवा उनके निगोक्ता से अंशदान प्राप्त करना।
- (iii) अंशदान विवरण अपलोड करना और केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण से अभिदाता अंशदान फाइल तैयार करना।
- (iv) न्यासी बैंक में खोले गए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास खाते में अंशदान जमा करना।

(घ) अभिदाता के अनुरोधों पर सुनवाई :

- (i) अनुरोध अथवा अनुदेश प्राप्त करना, संसाधित करना और अनुमोदन प्रदान करना।
- (ब) अभिदाता शिकायत निवारण :
- (i) विनियमों के अनुसार शिकायत प्राप्त करना और उनका समाधान करना।
- (घ) निकासी और प्रत्याहरण संबंधी अनुरोधों को संसाधित करना।

(ii) निर्धारित दस्तावेजों और केवाईसी रिकॉर्ड सहित पेंशन योजनाओं से बाहर निकलने तथा निकास के लिए अनुरोध प्राप्त करना।

(iii) अभिदाता या नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी को उचित परिश्रम प्रक्रिया का संचालन करना।

(iv) केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग अभिकरण में निकासी और प्रत्याहरण अनुरोधों को संसाधित व अनुमोदित करना।

(v) दस्तावेजों का रखरखाव और केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को हस्तांतरण।

(vi) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विधि और तरीके से निर्दिष्ट दस्तावेजों और केवाईसी रिकॉर्ड सहित फॉर्म इत्यादि को केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को बनाए रखना और स्थानांतरित करना।

(vii) अनुपालन रिपोर्ट तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

(viii) प्राधिकरण द्वारा जारी पत्रिका, दिशानिर्देशों और निर्देशों के तहत निर्धारित अनुपालन रिपोर्ट और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

III. परिपत्र जारी करना

1. ई-केवाईसी सेतु प्रणाली का उपयोग करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11क की उपधारा (1) के तहत संस्था को सूचित कर पहचान का सत्यापन।

तर्क-

क. राजस्व विभाग (डीओआर), वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 06 दिसंबर 2022 की राजपत्र अधिसूचना एसओ 5683 (ई) में अधिसूचित किया गया कि ई-केवाईसी सेतु प्रणाली का उपयोग करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम, 2016 के तहत प्रमाणीकरण करने के लिए नियंत्रित संस्थाओं को ऐसा करने की अनुमति इस बात की संतुष्टि होने के बाद दी जाएगी कि ई-केवाईसी सेतु प्रणाली आधार अधिनियम के तहत गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करती है।

ख. सुचारु रूप से ऑन-बोर्डिंग के लिए ई-केवाईसी सेतु प्रणाली का उपयोग करने वाली एनपीसीआई और रिपोर्टिंग संस्थाओं की सहायता के लिए परिपत्र में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निश्चित की गई हैं।

2. अपने अभिदाता को जानें/धन शोधन रोधी/वित्तीय प्रतिरक्षा संबंधी दिशानिर्देश परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2023 / 05 / आईसी - पीओपी / 02 दिनांक 12.10.

2023 को पुनः परिचालित किए गए थे।

तर्क-

क. (पीओपी) के रूप में पंजीकृत संस्थाओं को पीएफआरडीए उपस्थिति अस्तित्व विनियम, 2018 के विनियमन 15 के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की अर्हताओं का पालन करना आवश्यक है।

ख. दिशानिर्देशों को एफएटीएफ की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

3. लेखा एप्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता:

तर्क-

क. पीएफआरडीए ने अपने परिपत्र सं. पीएफआरडी / 2022 / 26 / एफटी एंड डीए / 02 दिनांक 30 सितंबर 2022 के अंतर्गत एनपीएस अभिदाताओं को खाता एप्रीगेटर फ्रेमवर्क के माध्यम से अपने एनपीएस बंदा को पोर्ट करने के लिए सक्षम बनाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग अभिकरणों (सीआरए) को वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में नामित किया गया है।

ख. वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईपी) का अर्थ किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक में पंजीकृत और उसके द्वारा विनियमित संस्था से है। ऐसा उल्लेख किया गया है कि पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के तहत पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईपी) के रूप में कार्य करेंगे।

4. पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के तहत पीओपी-उप संस्था (पीओपी-एसई) को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) का लौटाना और इसके लिए किए गए संशोधन।

तर्क-

क. संशोधित विनियमों के प्रावधानों के तहत, पीओपी-उप संस्था (पीओपी-एसई) को अभिकरण मॉडल के तहत शामिल कर लिया गया है जिसमें उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) इन संस्थाओं (पीओपी-एसई) को पेंशन एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और पेंशन योजनाओं के वितरण के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

ख. तदनुसार, उपस्थिति अस्तित्वों को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार पंजीकरण रद्द करने के लिए प्राधिकरण को उपस्थिति उप-संस्थाओं से संबंधित उपस्थिति

अस्तित्व का पंजीकरण प्रमाण पत्र जीताना होगा।

5. पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियमन 5 के उप-विनियमन (ड.) के तहत न्यूनतम निवल मूल्य के पात्रता मानदंडों को पूरा करना और उसके संशोधन

तर्क—

क. संशोधित नियमों के अनुसार, तत्काल पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम दिन न्यूनतम निवल संपत्ति की मांग बढ़ाकर दो करोड़ रुपये (जिसमें पचास लाख रुपये की न्यूनतम चुकता इक्विटी मंजी शामिल होगी) कर दिया गया है।

ख. तदनुसार, उपस्थिति अस्तित्व (ओ) को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार निवल मूल्य की सीए प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

6. पूर्ववर्ती पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियम 3 (1) (iii) के तहत जारी मीजूदा पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीजेआर) का अन्याय।

तर्क—

क. संशोधित विनियमों के अनुसार, इन संशोधनों से पहले, भौतिक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल अपने कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के वितरण एवं सेवा के लिए पहले से पंजीकृत यूनिट (ओ) अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र सीए देगी, और प्राधिकरण द्वारा निर्देशित तरीके से पंजीकरण या प्राधिकरण की मांग करेगी अथवा अपने कर्मचारियों के लिए, जो अभिदाता हैं, इस प्रकार निर्देशित समयावधि के भीतर उपस्थिति अस्तित्व से जुड़े रहेंगे।

ख. तदनुसार, संबंधित पीओपी (ओ) संशोधित नियमों के अनुसार अनुपालन करेंगे।

IV. एडवाईजरी जारी करना:

क. आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, उसके लिए निर्धारित प्राधिकरण को अपना आधार संख्या सुचित करना अनिवार्य है ताकि आधार और पैन को जोड़ा जा सके।

ख. तदनुसार, दिनांक 30 जून 2023 तक पैन और आधार को लिंक करने के लिए एडवाईजरी जारी की गई थी।

V विनियम और संशोधन:

1. यह अधिसूचना बैंकों और गैर-बैंकों को एनपीएस अभिदाताओं को शामिल करने के लिए पीओपी के रूप में काम करने में सक्षम बनाती है। विशेष रूप से, एनपीएस के लिए एकल पंजीकरण अब निर्धारित किया गया है, जिससे कई पंजीकरणों की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है और पीओपी एक मजबूत डिजिटल उपस्थिति बनाए रखते हुए केवल एक शाखा के साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदनों को संसाधित करने की समयसीमा 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।

VI. अभिदाताओं/निगमों के लिए पीओपी का विकल्प— एनपीएस स्थापत्य के तहत अभिदाता/निगम (कर्मचारी-नियोक्ता संबंध) अपनी पसंद के अनुसार अपनी उपस्थिति अस्तित्व चुन सकते हैं। उपस्थिति अस्तित्वों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है जिसे नियमित रूप से संशोधित किया जाता है।

3.14.3 प्रबंधन के अंतर्गत स्कीमवार अस्तित्व

प्रबंधन के अंतर्गत योजनावार अस्तित्वों के विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

तालिका सं. 3.52 : योजनावार प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियां (एयूएम)

तालिका 1 : प्रबंधन के अंतर्गत परिसंपत्तियों का विवरण (राशि करोड़ रुपये में)				
स्कीम	मार्च '23	मार्च '24	शुद्ध वृद्धि	% वृद्धि
मौद्र सरकार	2,50,631.18	3,03,144.54	1,78,926.17	25.64%
राज्य सरकार	4,47,114.39	5,73,527.20		
योग	6,97,745.57	8,76,671.74		
एनपीएस लाइफ	4,914.52	5,559.69	95,743.68	47.61%
एपीवाई	26,700.12	35,647.67		
एपीवाई मेप फंड स्कीम	522.71	884.17		
कॉर्पोरेट सीजी	58,766.72	77,174.94		
टियर I—ई	43,261.38	76,999.16		
टियर I—सी	22,329.81	34,012.00		
टियर I—जी	40,375.85	60,750.97		
टियर I—ए	271.69	411.39		
टियर II—ई	1,681.16	2,573.34		
टियर II—सी	864.87	1,035.34		
टियर II—जी	1,419.11	1,797.97		
टीसीएस	12.53	17.51		
योग	2,01,120.47	2,96,864.15		
कुल योग	8,98,866.04	11,73,535.89	2,74,669.85	30.56%

उक्त तालिका से संकेत मिलता है कि सरकारी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं (सीजी और एसजी) के लिए प्रबंधन के तहत आस्तियों में लगभग 25.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तथापि, इन दो योजनाओं के अतिरिक्त, अन्य योजनाओं के प्रबंधन के तहत आस्तियों में लगभग 47.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पूर्ण संख्या के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में इस दौरान कुल 1,78,926.17 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सरकारी क्षेत्र की योजनाओं के अलावा अन्य योजनाओं में कुल 95,743.68 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।

3.14.4 केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण

केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण द्वारा एक ऐसी प्रणाली (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 21 के तहत परिभाषित) गठित करने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की संरचना के अंतर्गत अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आंतरिक संगठन और परिचालन आचरण के मानकों का अनुपालन

करती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पीएफआरडीए तथा अन्य एनपीएस मध्यवर्तियों जैसे पेंशन निधि, वार्षिकी सेवा प्रदाता, न्यासी बैंक, नोडल कार्यालय, उपस्थिति अस्तित्व आदि के लिए प्रचालन इंटरफेस का कार्य भी करती हो।

वर्तमान में निम्नलिखित तीन संस्थाओं को एनपीएस स्थापत्य के तहत केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरणों के रूप में पंजीकृत किया गया है:

(क) प्रोटिचन ई-गोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(ख) केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(ग) कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड

संपर्क विवरण

अभिदाताओं सहित सभी हितधारकों की व्यापक पहुंच तथा उन्हें लाभान्वित करने के लिए सीआरए के संपर्क विवरण पीएफआरडीए की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं। इन्हें निम्नानुसार पुनः प्रदर्शित किया जा रहा है:

नाम	कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
पंजीकरण सं.	सीआरए001
वैधता	30 मार्च 2021 – शाश्वत
वेबसाइट	www.camsonps.com
पंजीकृत पता	नं. 10 (पुराना नं. 178), एम.जी.लार, सलाई, नंगमशक्कम, चेन्नई-600034
संपर्क व्यक्ति	बी बीनारत्न के
ई-मेल	cragro@camsonline.com
दूरभाष	044 _ 6602 4888
पत्राचार पता	नं. 158, रागला टावर्स, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002
नाम	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
पंजीकरण सं.	सीआरए002
वैधता	14 जून 2016 से 13 जून 2026
वेबसाइट	https://nps.kfintech.com/
संपर्क पता	सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 और 32, काहनेगियल डिस्ट्रिक्ट,
ई-मेल	नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032
दूरभाष	सुश्री अविधा शास्त्री
कॉल सेंटर नं.	cgro.cra@kfintech.com
	040 _ 67162222
	1800 208 1516

नाम	प्रोटियन इंगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
पंजीकरण सं.	सीआरए001
वैधता	25 जनवरी 2021 – शाश्वत
वेबसाइट	प्रथम मंजिल, टाइटान टॉवर, कमला मिल्स कम्पाउंड,
पता	लोवर परेल, मुंबई-400013.
संपर्क व्यक्ति	श्री मंदार कर्तकर
ई-मेल	http://np5cra.nsdl.co.in/ cgro@nsdl.co.in
दूरभाष	022 _ 4090 4788
कॉल सेंटर नं.	1800 2100 080 (एनपीएस अभिदाता) / 1800 2100 081 (एनपीएस नोडल
हेल्पडेस्क नंबर	अधिकारी) / 1800 889 1030 (एपीवाई)
क्षेत्रीय कार्यालय	022 _ 2499 3499
पता	1. अहमदाबाद के लिए - यूनिट नं. 407, 4वीं मंजिल, 3 आई वन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कोऑपरेटिव सोसायटी लिमि. विजय सेल्स स्टोर के ऊपर, सी जी रोड, निकट पंचवटी सर्किल, अहमदाबाद-380006
	2. चेन्नई के लिए - 6ए, 6वीं मंजिल, केनीज टॉवर, 1 रामकृष्णा स्ट्रीट, नार्थ चम्पान रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017
	3. दिल्ली के लिए - 409/410, अमोका एस्टेट बिल्डिंग, 4वीं मंजिल, बातखवा रोड, कनीट प्लेस, नई दिल्ली-110001
	4. कोलकाता के लिए - 8वीं मंजिल, द मिलेनियम, फ्लैट नं. 5डब्ल्यू, 235/2ए, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020

सीआरए की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

सीआरए की प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं-

i. निरंतर वृद्धि और नई कार्यप्रणालियों का विकास— यह सीआरए की जिम्मेदारी है कि वह देश भर में सुविधा केंद्रों का नेटवर्क बनाए और स्थापित करे। उन्हें विभिन्न नई कार्यप्रणालियों/उपयोगिताओं को विकसित करते हुए विभिन्न हितधारकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मॉड्यूल में निरंतर वृद्धि और विकास करना होगा।

ii. सभी क्षेत्रों के अभिदाताओं को सेवाएँ— सीआरए की प्राथमिक भूमिका रिकॉर्ड कीपिंग, प्रबंधन, सभी एनपीएस अभिदाताओं के लिए अभिदाता सेवा, अभिदाताओं को अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्राप्त) और आईपिन/टीपिन जारी करना है। अभिदाताओं को विभिन्न सेवाओं में पंजीकरण के समय एसएमएस अलर्ट और ईमेल भेजना, युनिटों का क्रेडिट/डेबिट, निकासी, प्राप्ति में शेष राशि, अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और सभी एनपीएस हितधारकों को वेबआधारित पहुंच प्रदान करना शामिल है। सीआरए अभिदाताओं और नोडल कार्यालयों को केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली और कॉलसेंटर सुविधा भी प्रदान करती है। इनके अतिरिक्त, अभिदाता रखरखाव की समस्त सेवाएँ जैसे योजना में परिवर्तन, जनसांख्यिकीय विवरण में परिवर्तन, शिकायत निवारण आदि कार्य भी सीआरए द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं।

iii. मध्यवर्ती सेवाएँ पीएफ— यह सीआरए की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह पीएफ को धन की स्थिति के बारे में समय पर सूचित करे, समेकित निवेश बरीयता योजना की जानकारी तैयार करे और ट्रस्टी बैंक से प्राप्त निधि अंतरण रिपोर्ट की पुष्टि के आधार पर पीएफ को निवल निधि अंतरण रिपोर्ट भेजकर पीएफ द्वारा सीआरए को भेजे गए एनएवी का उपयोग करते हुए योजना के प्रदर्शन रिपोर्ट का आकलन करे।

टीबी - न्यासी बैंक खातों से प्राप्त पेंशन निधि रिपोर्ट को पेंशन निधि अंशदान सूचना रिपोर्ट के साथ मिलान करना और निधि मिलान पर त्रुटि/विरागति रिपोर्ट तैयार करना, न्यासी बैंक को निकासी निधि से शेष खाते को अभिदाता के खाते में भेजने व वार्षिकी सेवा प्रदाताओं की वार्षिकी योजना में राशि भेजने का निर्देश देना।

• एसपी - अभिदाताओं से भौतिक आवेदन पत्र एकत्र कर उन्हें एसपी को अग्रेषित करना तथा एसपी को निधि वार्षिकी साझा करना। अभिदाता विवरण को संभाल

में एसपी को इलेक्ट्रॉनिक डेटा हस्तांतरण और वार्षिकी योजना पर निर्देश भेजना।

विनियम और संशोधन

• सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग अभिकरण (सीआरए) विनियमों में संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप सीआरए प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों को सरल और ठोस बनाते हैं तथा सीआरए द्वारा सूचना के प्रकटीकरण में वृद्धि करते हैं। अन्य उल्लेखनीय संशोधनों में शामिल हैं-

(क) अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए सीआरए द्वारा घोषाघड़ी की रोकथाम और समन नीति का कार्यान्वयन।

(ख) आंतरिक नियंत्रण, अनुपालन और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट में सीईओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल करना।

(ग) सीआरए तथा इसके प्रमुख कार्मिकों के लिए 'योग्य और उपयुक्त व्यक्ति' का मापदंड लागू किया जा चुका है।

प्रमुख क्षेत्रों में संशोधनों का उद्देश्य सरलीकरण और अनुपालन को कम करना है।

प्रमुख परिपत्र जारी करना: विनियमों की व्यापक समीक्षा प्रक्रिया को शुरुआत के साथ (अनुपालन की लागत को सुगम, सरल और कम करने के उद्देश्य से) जारी परिपत्रों की समीक्षा भी की गई ताकि उन्हें मास्टर परिपत्रों से बदला जा सके। जारी किए गए मुख्य परिपत्र आत्मनिर्भर, प्रासंगिक, अद्यतन, पूर्ण, स्वतः स्पष्ट और विषय वस्तु पर एकल संदर्भ बिंदु हैं।

जारी किए गए प्रमुख परिपत्रों की सूची निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है:

तालिका संख्या 3.53 : प्रमुख परिपत्र जारी करने की सूची

क्रम सं.	प्रमुख परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	पीएफआरडीए / मास्टर सर्कुलर / 2023 / 03 / सीआरए-01	17 नवंबर 2023	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित अथवा प्रबंधित किसी अन्य पेंशन योजना के लिए केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण के चयन का विकल्प।
2	पीएफआरडीए / मास्टर सर्कुलर / 2023 / 04 / सीआरए-02	23 नवंबर 2023	ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल के माध्यम से एनपीएस ऑन-बोर्डिंग (ओपीजीएस)
3	पीएफआरडीए / मास्टर सर्कुलर / 2023 / 05 / सीआरए-03	29 दिसंबर 2023	सरकारी क्षेत्र के लिए ईएनपीएस - यह अभिदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नई ऑन-बोर्डिंग सुविधा है।
4	पीएफआरडीए / मास्टर सर्कुलर / 2024 / 02 / सीआरए-02	31 जनवरी 2024	ईएपीवाई ऑनलाइन सुविधा एपीआई अभिदाताओं के लिए आधार ऑनबोर्डिंग और सीडिंग को आसान बनाएगी।

3.14.5 पेंशन निधि

पेंशन निधि का अर्थ ऐसे मध्यवर्ती से है जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उपधारा (3) के तहत प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि के रूप में अंशदान प्राप्त करने, उसे जमा करने और अभिदाता को भुगतान करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है।

नियुक्त और पंजीकृत पेंशन निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या किसी अन्य योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन कोष का प्रबंधन करते हैं। पेंशन निधि द्वारा एक्सेस कोड का उपयोग निवल आस्तियों की प्राप्ति की पुष्टि करने और निधि आवंटन के बारे में निर्देशों, धन आवंटन की पुष्टि करने तथा प्रत्येक योजना के एनएवी से सीआरए को सुविधित करने एवं नियमित आधार पर प्रतिभूति अभिरक्षक को निपटान हेतु प्रतिभूतियों की लेनदेन के लिए किया जाता है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 दिनांक 14 मई, 2015 को अधिसूचित किया गया था तथा पेंशन निधियों को इसके तहत किसी भी संशोधन सहित इन विनियमों का पालन करना होगा।

पेंशन निधि के कार्य

पेंशन निधि के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, किंतु निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं:

क) पेंशन योजनाओं का प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी

योजनाओं के उद्देश्य, अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, और निर्देशों तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास विलेख के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाएगा।

ख) पेंशन योजनाओं का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा।

ग) पेंशन निधि, अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय हर समय निधि प्रबंधन सेवाओं के उच्च मानक प्रदान करेगी, उचित देखभाल, विवेक, व्यावसायिक कौशल, शीघ्रता, परिश्रम और सतर्कता का प्रयोग करेगी। पेंशन निधि सहा निवेश या लेनदेन से बचेगी।

घ) पेंशन निधि में योग्य, प्रशिक्षित पेशेवरों और कर्मचारियों को ईमानदारी के साथ नियुक्त किया जाएगा। पेंशन निधि अपने कर्मचारियों, एजेंटों या अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कृताकृत्य या चूक के कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी जिनकी सेवाएं प्राप्त की गई हैं और स्वतंत्र रूप से उनके कार्यों के लिए जवाबदेह और उत्तरदायी होगी। पेंशन निधि के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के निलंबन या रद्द होने या अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली ऐसी कार्रवाई के बावजूद देयता बनी रहेगी।

ङ) पेंशन निधि अन्य मध्यवर्तियों और अनुमत संस्थाओं के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय तथा अन्य बातों के

साथ समझौते करेंगे, अपने कार्यात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए तकनीकी मंच होगा।

च) पेंशन निधि निवेश निर्णयों और पेंशन योजनाओं के संचालन से संबंधित लेखा पुस्तकों, अभिलेखों, रजिस्ट्रारों और दस्तावेजों का रखरखाव करेगी ताकि प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और अन्य निर्देशों के अनुपालन सहित लेनदेन के ऑडिट ट्रेल को सुविधाजनक बनाया जा सके और हर समय व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

छ) पेंशन निधि इन विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के तहत प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अपेक्षित आवधिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ज) पेंशन निधि अभिदाताओं के लाभ के लिए सूचना का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनुसूची अ में निर्दिष्ट तरीके से अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से करेगी। पेंशन निधि निवेश और जोखिम प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को अपनाएगी जैसे निवेश समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन जिसकी संरचना, कार्य और कार्यवाही अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं तथा इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा समिति व नामांकन और पारिश्रमिक समिति का भी गठन करेगी।

झ) पेंशन निधि पेंशन निधि के रूप में अपने दायित्वों का निपटहन करते समय उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव को रोकेंगी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को ऐसी घटनाओं से अवगत कराएगी।

ञ) पेंशन निधि अपने प्रायोजकों की गतिविधियों से पेंशन निधि गतिविधियों की विशिष्टता और भेद सुनिश्चित करेगी।

ट) पेंशन निधि से संबंधित सूचना और गतिविधियों और उसके नियंत्रण में सभी सूचनाओं का संरक्षण और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा किसी अन्य मध्यस्थ के साथ ऐसी जानकारी साझा करना या जो किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत आवश्यक हो।

ठ) पेंशन निधि ऐसे अभ्यावेदन और वारंटी प्रदान करेगी और उसी के अनुसार कार्य करेगी जो अभिदाता के हित में हों।

ड) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित फीस, शुल्क, प्रभार और प्रतिभूति जमा का भुगतान करेगी।

ढ) पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा इसके संचालन और निष्पादन की समीक्षा के अधीन होगी।

ण) पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा पेंशन योजनाओं के लेखापरीक्षा के अधीन होगी।

त) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा अन्य लेखापरीक्षा और निरीक्षण के अधीन होगी।

द) पेंशन निधि जो उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) के रूप में पंजीकृत है, अपनी निधि प्रबंधन गतिविधियों से दूरी बनाए रखने के लिए राजस्व और व्यय के विवरण सहित अलग बुनियादी डांहे, मांगव शक्ति खातों को बनाए रखेगी।

ध) पेंशन निधि सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सार्वजनिक कंपनी के लिए लागू प्रकटीकरण अर्हताओं का पालन करेगी और अनुपालन अधिकारी इस तरह के अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

न) अधिनियम की धारा (20) (2) (घ) (ख) के अधीन योजना प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने पर पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर ऐसी योजनाओं की पेशकश करेगी।

प) पेंशन निधि धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी की रोकथाम तथा शमन नीति का विकास और पालन करेगी।

फ) पेंशन निधि पालन किए जाने वाले आंतरिक नियंत्रणों को निर्धारित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हों तथा प्रभावी ढंग से काम कर रहे हों।

ब) पेंशन निधि की ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण किसी भी नुकसान के लिए स्थापित पेंशन निधि की ओर से अभिदाता को क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान करेगी।

सरकारी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं (स्वायत्त निकायों सहित केंद्र सरकार (सीजी) और राज्य सरकार (एसजी) तथा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए पेंशन फंड (पीएफ) प्रबंधन संयुक्त योजनाओं की सूची-

- i. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- ii. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- iii. यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड

निजी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन फंड (पीएफ) की सूची-

- i. एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

- ii. आईसीआईसीआई प्रूफेन्शियल पेंशन मैनेजमेंट कंपनी
 iii. कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
 iv. आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
 v. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
 vi. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
 vii. यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड
 viii. टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड
 ix. मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
 x. एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
 xi. डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड

डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड को निजी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं के प्रबंधन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है और इसने 28 दिसंबर 2023 को वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान अपना परिचालन शुरू किया है।

तालिका संख्या 3.54: पेंशन निधि को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र/व्यवसाय शुरू करने का प्रमाणपत्र

क्रम सं.	विषय	जारी करने की तिथि
1	पंजीकरण प्रमाणपत्र - डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	05.09.2023
2	व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र - : डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	19.12.2023

तालिका सं. 3.55 : निम्नलिखित परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किए गए :

क्रम सं.	विषय	जारी करने की तिथि
1	मार्जिन आवश्यकताओं के लिए सीसीआईएल के साथ मार्जिन के रूप में प्रतिभूतियों को रखने की अनुमति पर परिपत्र	20.04.2023
2	एनपीएस/एपीवाई योजनाओं के लिए निवेश दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र : केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉर्पोरेट पेंशन योजना और एपीवाई फंड स्कीम	18.08.2023
3	एनपीएस टियर-1 और टियर-2 के लिए निवेश हेतु दिशानिर्देश पर मास्टर परिपत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार, कॉर्पोरेट सीजी, एनपीएस लाइट और एपीवाई को छोड़कर)	22.09.2023
4	एनपीएस के अंतर्गत जमा प्रतिभूतियों के लिए मूल्यांकन दिशानिर्देशों में संशोधन	16.11.2023
5	आस्ति यार्गो के अनुसार कई पेंशन निधियों के चयन के लिए एनपीएस सर्व नागरिक मॉडल (टियर-1), एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल (टियर-1) और एनपीएस टियर-2 (सभी अभिदाता) के तहत अभिदाताओं के लिए विकल्प पर परिपत्र (विकल्पिक परिसंपत्ति श्रेणी अथवा योजनाएं)	22.11.2023

3.14.6 न्यासी बैंक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 के प्रावधानों और उसके संशोधनों के अनुसार न्यासी बैंक का चयन और पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। न्यासी बैंक खाते एनपीएस अभिदाताओं की ओर से बनाए जाते हैं और एनपीएस ट्रस्ट के नाम पर एनपीएस निधियों के पंजीकृत स्वामी होते हैं। यद्यपि, वैयक्तिक एनपीएस अभिदाता इन निधियों के लाभकारी स्वामी बने रहते हैं।

न्यासी बैंक सीआरए (एस) प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं में निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करता है। नोडल कार्यालय, उपस्थिति केंद्र, एग्रीगेटर, पेंशन फंड, वार्षिकी सेवा प्रदाता और अभिदाता आदि प्रौद्योगिकी आधारित मंच के माध्यम से अपने कार्यों को पूरा करने और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत निर्धारित भूमिकाओं और

जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।

एक्सिस बैंक लिमिटेड को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 के विनियम 9 और उसके संशोधन के अनुसार न्यासी बैंक 2020 के चयन हेतु प्रस्तावित अनुरोध के माध्यम से (न्यासी बैंक) के रूप में चुना गया था। एक्सिस बैंक लिमिटेड को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.01.2021 को पंजीकरण संख्या टीबी001 के माध्यम से (न्यासी बैंक) के रूप में पंजीकृत किया गया है और पंजीकरण प्रमाण पत्र देने तथा उसकी वैधता की तारीख से पांच साल के लिए तब तक मान्य है जब तक प्राधिकरण द्वारा विनियम 13 के अनुसार इसे निलंबित या रद्द नहीं किया जाए।

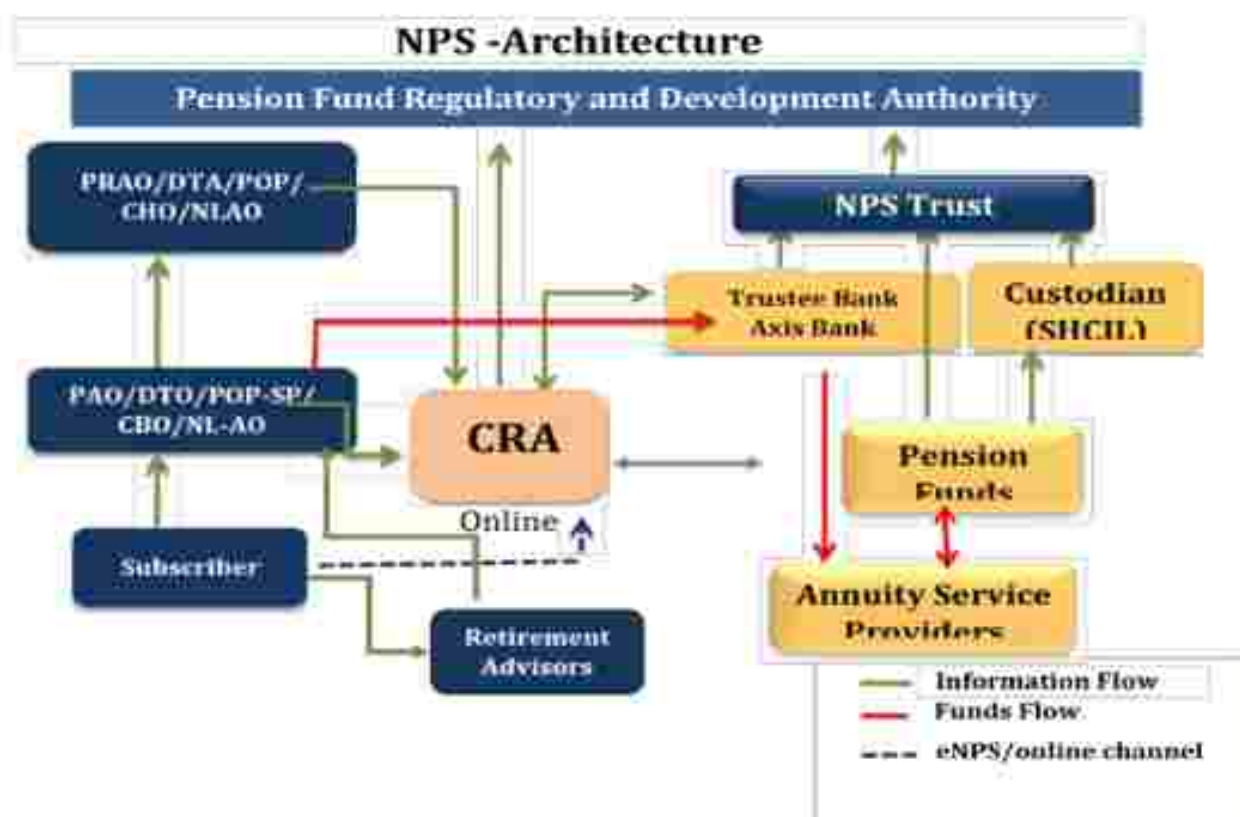
संपर्क विवरण

सभी अभिदाताओं और हितधारकों के कल्याण हेतु उनको व्यापक पहुंच प्रदान करने के लिए टीबी के संपर्क विवरण पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विवरण निम्नानुसार है।

नाम	एक्सिस बैंक लिमिटेड
पंजीकरण सं.	टीबी 001
वैधता	08 जनवरी 2021 – 07 जनवरी 2026 www.axisbank.com
वेबसाइट	त्रिशूल, तीसरा तल, समर्थेश्वर मंदिर, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006
पंजीकृत पता	मुख्य अधिकारी/अनुपालन अधिकारी
संपर्क व्यक्ति	npstrust@axisbank.com
ई-मेल	022 - 71 315884, 022 - 71315906
दूरभाष	एक्सिस बैंक लिमिटेड केंद्रीकृत
पत्राचार पता	संग्रहण और भुगतान एचयूबी, 5वीं मजिल, गीगाप्लेक्स बिल्डिंग नं० 1, प्लॉट नं. आई.टी. 5, एमआईसीसीआई, ऐरोली नॉलेज पार्क 1 ऐरोली नवी मुंबई-400708

निम्नलिखित रेखाचित्र एनपीएस स्थापत्य में न्यासी बैंक की भूमिका का चित्रण करता है:

चार्ट 3.14.2 : एनपीएस अवसंरचना तथा मध्यवर्ती



न्यासी बैंक की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

1. न्यासी बैंक एनपीएस न्यास द्वारा निर्देशित निवृत्ति, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और प्राधिकरण के निर्देशों के तहत बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करता है।
2. न्यासी बैंक प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के तहत न्यास की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य मध्यवर्तियों के साथ जहाँ लागू हो, वहाँ आवश्यक सेवा स्तर समझौते और गैरप्रकटोकरण समझौते पर हस्ताक्षर करता है।
3. न्यासी बैंक एक इंटरफ़ेस स्थापित करता है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नियुक्त अन्य मध्यवर्तियों के साथ पूर्ण सहयोग और समन्वय में काम करता है।
4. न्यासी बैंक सभी उचित कदम उठाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सावधानी सुनिश्चित करता है कि प्रदान की गई बैंकिंग सुविधाएँ पीएफआरडीए/एनपीएस ट्रस्ट के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विपरीत न हों और अभिदाताओं के अधिकारों तथा उनके हितों की रक्षा की जाए।

5. न्यासी बैंक खाते एनपीएस अभिदाताओं की ओर से होते हैं, जो एनपीएस ट्रस्ट के नाम से खोले जाते हैं। एनपीएस ट्रस्ट इन निधियों का पंजीकृत स्वामी हैं। यद्यपि, व्यक्तिगत एनपीएस अभिदाता इन निधियों के लाभकारी स्वामी बने रहेंगे। एनपीएस ट्रस्ट को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10 (44) के अनुसार आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

6. न्यासी बैंक पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं/निर्देशों और एनपीएस ट्रस्ट के साथ निष्पादित परिचालन सेवा स्तर समझौते व दिशानिर्देशों के आधार पर एनपीएस ट्रस्ट द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार एनपीएस के तहत धन के लिए बैंकिंग कार्य करता है।

7. न्यासी बैंक धन के दैनिक प्रवाह के लिए उत्तरदायी है।

8. न्यासी बैंक अपने पास उपलब्ध एनपीएस निधियों से संबंधित जानकारी और निर्देश नियमित रूप से सीआरए को प्रेषित करता है।

9. न्यासी बैंक एनपीएस ट्रस्ट, पीएफआरडीए, सीआरए व अन्य सेवाप्रदाताओं को वेब आधारित पहुंच प्रदान करता है।

10. न्यासी बैंक भावी परिवर्तनों के अनुकूल है जिसमें प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण बदलाव अभिदाताओं की संख्या, योजनाओं और सेवाओं की संख्या तथा पीएफआरडीए/एनपीएस ट्रस्ट द्वारा निर्धारित कार्यात्मक दायित्वों सहित प्रणाली विनिर्देशों में परिवर्तन शामिल है।

11. न्यासी बैंक एनपीएस न्यासी बैंक सीआरए (एस) अभिदाताओं, पेंशन निधि आदि के बीच घन प्रवाह और सूचना प्रवाह के बारे में बहियाँ एवं अभिलेखों का रखरखाव तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और अंतरालों पर निर्दिष्ट विधि से नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जैसा पीएफआरडीए/एनपीएस ट्रस्ट द्वारा आवश्यक या अपेक्षित हो।

12. न्यासी बैंक से समय-समय पर पीएफआरडीए / एनपीएस ट्रस्ट और अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं और आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। ट्रस्ट खातों से संबंधित बहियों और रिकॉर्ड पीएफआरडीए, एनपीएस ट्रस्ट, आरबीआई के प्राधिकृत अधिकारियों या एजेंटों और उनके संबंधित लेखा परीक्षकों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

13. न्यासी बैंक पीएफआरडीए, एनपीएस ट्रस्ट के साथ निम्नलिखित आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है:-

क) एनपीएस ट्रस्ट खातों, अनुपालन प्रमाणपत्रों और नियमित अंतराल पर अभिदाता शिकायत रिपोर्टों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का निष्कर्ष।

ख) प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

ग) न्यासी बैंक में सभी एनपीएस खातों की बाहरी लेखा

परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जाती है।

14. न्यासी बैंक अपने कर्मचारियों या उन व्यक्तियों द्वारा कमीशन या चूक के कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा जिनकी सेवाएं एनपीएस न्यासी बैंक द्वारा प्राप्त की गई हैं।

15. न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं अधीन नोडल कार्यालय (अपलोड करने वाले कार्यालय) पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता और अभिदाताओं को निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करता है।

16. न्यासी बैंक विभिन्न नोडल कार्यालयों से प्राप्त घन के विवरण वाली फाइल सीआरए प्रणाली में अपलोड करता है। इन विवरणों का मिलान नोडल कार्यालयों द्वारा सीआरए प्रणाली को प्रदान किए गए अंशदान विवरणों से किया जाता है।

17. न्यासी बैंक विभिन्न संस्थाओं को घन हस्तांतरित करने के लिए पे-इन प्रक्रिया के भाग के रूप में सीआरए प्रणाली से पीएफएम वार्षिकी प्रदाता, निकासी खाता में घन अंतरण संबंधी निर्देश प्राप्त करता है और पेंशन निधि प्रबंधक (कों) से भी घन प्राप्त कर सकते हैं।

18. संबंधित संस्था को अधूरी जानकारी वाले घन या अज्ञात घन की वापसी।

19. प्रत्येक निपटान दिवस के अंत में, न्यासी बैंक खातों में अंतरीक्ष निधि का सीआरए प्रणाली से मिलान किया जाता है।

न्यासी बैंक के लिए समयसीमा

न्यासी बैंक की व्यावसायिक गतिविधियाँ सीआरए की अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। इसलिए, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि गतिविधियाँ निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरी हों। नीचे दिए गए चार्ट में मुख्य गतिविधियाँ और समय सीमा वर्णित हैं जिसके भीतर बैंक द्वारा इसे किया जाता है।

तालिका सं. 3.56 : समयसीमा सहित न्यासी बैंक की प्रमुख गतिविधियाँ

क्रम सं.	गतिविधि की प्रकृति	कट-ऑफ समय*	दिन*
1.	टीबी में धन प्राप्ति	दिन के अंत में	टी
2.	अज्ञात निधियों का लौटाना	दिन के अंत में	टी +1
3.	निधि प्राप्ति की पुष्टि फाइल को अपलोड करना	i) सामान्य एफआरसी के लिए: टी+1 दिन के लिए प्रातः 9:15 बजे (टी दिन को प्राप्त समाशोधित निधियों के लिए) ii) डी-रेमिट एफआरसी के लिए: टी दिन को प्रातः 10:30 बजे तक (टी दिन के लिए प्रातः 9:30:01 बजे और टी+1 दिन के लिए प्रातः 09:30:00 बजे), दैनिक	प्रतिदिन
4.	पे-इन अनुदेश फाइलों को डाउनलोड करना	प्रातः 11:30 बजे तक	प्रतिदिन
5.	पीएफ और निकासी खाता में निधियों के अंतरण की पुष्टि हेतु कट-ऑफ समय	i) पीएफ लेनदेन की प्रोसेसिंग- 1:30 बजे अपराह्न ii) डब्ल्यूएसी फाइल की प्रोसेसिंग: दिन के अंत में	प्रतिदिन
6.	पीएफ में एम एंड बी निधियों का अंतरण	पे-इन डाउनलोड करने से 25 मिनट के भीतर	टी +1
7.	विवरणों तथा विभिन्न खातों के अंतरण अपलोड करना	दिन के अंत में	प्रतिदिन

प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा का पालन न करने पर समय-समय पर निर्दिष्ट दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं। समयसीमा में अनुपालन न करने के लिए दंडात्मक प्रावधान की वर्तमान लागू दर आरबीआई रेपो और मुआवजे के रूप में देय दो प्रतिशत प्रति वर्ष है।

यदि क्षतिपूर्ति राशि 50 रुपये से अधिक है तो यह अभिदाता के व्यक्तिगत प्रान में जमा की जाएगी और यदि यह 50 रुपये से कम है तो यह एसईपीएफ खाते में जमा की जाएगी।

विनियामक शुल्क— न्यासी बैंक तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर सभी एनपीएस न्यास खातों की समेकित शेष राशि पर प्रति वर्ष प्रतिशत के रूप में गणना की गई रेपो दर पर वार्षिक शुल्क जमा करेगा, यह पंजीकरण अवधि की संपूर्ण अवधि के लिए मान्य है और इसके लिए दिए गए किसी भी विस्तार का सीधे प्राधिकरण को तिमाही आधार पर भुगतान किया जाता है।

प्रत्यक्ष प्रेषण (डी-रेमिट)— अभिदाता की सुविधा के लिए कम लागत पर नियमित अंशदान करने के लिए पीएफआरडीए ने प्रत्यक्ष प्रेषण (डी-रेमिट) नामक योगदान का एक अतिरिक्त विकल्प/मोड पेश किया है जिसमें सरकारी/गैर-सरकारी/सभी नागरिक मॉडल के तहत मौजूदा एनपीएस अभिदाता अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या से जुड़ी वर्युअल आईडी बनाकर स्वेच्छा से अंशदान जमा कर सकेंगे। डी-रेमिट ने न केवल स्वच्छिक अंशदान जमा करने के तरीके को आसान बनाया है, बल्कि ट्रस्टी बैंक द्वारा निर्धारित कट-ऑफ समय के भीतर योगदान प्राप्त होने पर निवेश पर उसी दिन एनएवी प्रदान करते निवेश रिटर्न को भी अनुकूलित किया है।

अभिदाता अब अपने नेट बैंकिंग खाते में स्थायी निर्देश दे सकते हैं जो सीधे उनके प्रान खातों में अंशदान भेजेगा। यह निवेश की समयसीमा को टी+2 से टी (एक सीमा समय से पहले किए गए योगदान के लिए) या टी+1 तक कम कर देगा। (डी-रेमिट) के तहत अंशदान स्वीकार करने के लिए तत्काल भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) सुविधा।

इससे पहले, एनईएफटी और आरटीजीएस को अंशदान के साधनों के रूप में स्वीकार किया जाता था। अब यूपीआई सुविधा, आईएमपीएस सुविधा और क्यूआर कोड को भी डी-रेमिट के तहत सक्षम किया गया है, इससे अभिदाताओं को यूपीआई के तहत राशि अंतरित करने और उसी दिन एनएवी का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

3.14.7 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिरक्षक

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत प्रतिभूति अभिरक्षक का अर्थ ऐसी इकाई से है जिसे प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लिए अभिरक्षा और डिफॉजिटरी प्रतिभागी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिभूति के अभिरक्षक के रूप में प्राधिकरण द्वारा अभिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

'अभिरक्षा सेवाओं' का अर्थ सेवा (अभिरक्षक) विनियम 1998

(यथा संशोधित) के तहत परिभाषित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुमत सीमा के अधीन अभिरक्षा सेवाओं से है।

प्रतिभूति अभिरक्षक स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) का कार्यकाल पूरा होने पर डॉयचे बैंक एजी (डीबीएजी) को आरएफपी की प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिभूति अभिरक्षक के रूप में चयनित किया गया था।

डॉयचे बैंक एजी (डीबीएजी) ने 01 अप्रैल 2022 से एनपीएस की योजनाओं के लिए अभिरक्षा सेवाएं शुरू की हैं।

प्रतिभूति अभिरक्षक के सामान्य दायित्व

पीएफआरडीए (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियमन, 2015 के विनियम 19 के अनुसार प्रतिभूति अभिरक्षक के सामान्य दायित्व निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं:

1. प्रतिभूति अभिरक्षक अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय प्रतिफल उचित देखभाल, विवेक, व्यावसायिक कोशल और परीक्षण करेगा।
2. प्रतिभूति अभिरक्षक पर्याप्त अवसरचना सुचना टैक्नोलॉजी, प्रणालियाँ और प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करेगा जो इसे अन्य माध्यमियों और संस्थाओं से समन्वय करने तथा प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण परिवर्तन, प्रणाली विनिर्देशों और सेवाओं में बदलाव एवं प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कार्यात्मक दायित्वों को पूरा करते हुए भागी परिवर्तनों के अनुकूल तत्काल बनाने के लिए आवश्यक है।
3. प्रतिभूति अभिरक्षक उसी के बैकअप सहित रिकॉर्ड की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक साक्ष्यानिधियों का पालन करेगा।
4. प्रतिभूति अभिरक्षक हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन योजनाओं के खातों में लेनदेन पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ऐसे खातों में रखी गई प्रतिभूतियों का उपयोग केवल पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत लेनदेन के लिए किया जाता है। प्रतिभूति अभिरक्षक समय पर प्रतिभूतियों के जारीकर्ता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को उपलब्ध करों से छूट के बारे में सूचित करेगा।
5. प्रतिभूति अभिरक्षक हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पारित प्रतिभूतियाँ तालम हों और उनकी पुस्तकों में उनकी अपनी जमा अन्य अभिदाता खातों से अलग और अन्य सभी

गतिविधियों से अलग हों। प्रतिभूति अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं और प्रतिभूतियों के पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट विधि के अनुसार एक अलग अभिरक्षा खाता खोलेगा।

6. प्रतिभूति अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन योजनाओं या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के लिए उसकी अभिरक्षा में रखी गई प्रतिभूतियों पर सभी अधिकार या हक समय पर और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्राप्त किए जाएं।

7. प्रतिभूति अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन योजना खातों में प्रतिभूतियों की व्यक्तिगत होल्डिंग्स का दिन के अंत में डिपॉजिटरी होल्डिंग्स और कास्टीट्यूट सब्सिडियरी जनरल लेजर दिन के अंत में खातों के साथ मिलान किया जाए।

8. प्रतिभूति अभिरक्षक पेंशन योजना खातों के अंदर और बाहर प्रतिभूतियों की आपाजाही के लिए लगातार जावाबदेह होगा और जब भी प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा बुलाया जाएगा तो पूर्ण लेखा परीक्षा उपलब्ध कराएगा।

9. प्रतिभूति अभिरक्षक अपनी अभिरक्षा में रखी गई प्रतिभूतियों के अभिलेखों का निर्माण और रखरखाव इस तरह से करेगा कि किसी भी कारण से मूल अभिलेखों के नष्ट होने की स्थिति में प्रतिभूतियों का पता लगाने या दस्तावेजों की प्रतिकृत प्राप्त करने में सुविधा हो।

10. प्रतिभूति अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी भी पेंशन योजना के तहत उसके द्वारा नियंत्रित प्रतिभूतियों का पर्याप्त रूप से बीमा किया गया है।

11. प्रतिभूति अभिरक्षक के पास रिकॉर्ड और दस्तावेजों के किसी भी हेरफेर को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त प्रणाली होगी जिसमें प्रतिभूतियों के लिए ऑडिट और इस समझौते के तहत आयोजित प्रतिभूतियों से उत्पन्न होने वाले अधिकार या हक शामिल हैं। प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय होंगे कि ऐसी प्रतिभूतियाँ संपत्ति या दस्तावेज चोरी या प्राकृतिक खतरे से सुरक्षित हों।

12. प्रतिभूति अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजना खातों में रखी गई प्रतिभूतियों को स्थापित करने या प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से लिखित पूर्व सहमति के बिना पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से देय किसी भी राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उनके साथ सौदा करने

का हवादार नहीं होगा।

13. प्रतिभूति अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के पूर्व अनुमोदन के अलावा उक्त प्रतिभूतियों पर गिरवी रखने, अनुमान लगाने या कोई शुल्क या ग्रहणाधिकार बनाने के कार्य सहित किसी भी तरह से प्रतिभूतियों को नार्शित नहीं करेगा।

14. प्रतिभूति अभिरक्षक ऐसी रिपोर्टें और विवरणों की पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण या ऐसे अन्य मध्यस्थों को ऐसे आवधिक अंतरालों पर प्रेषित करेगा जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर या समझौते में निर्दिष्ट किए जाएं।

15. प्रतिभूति अभिरक्षक द्वारा खातों, रजिस्टर, अभिलेखों, दस्तावेजों की उचित पुस्तकों को बनाए रखना होगा और प्रणाली, प्रक्रियाओं तथा सुरक्षा उपायों के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त तंत्र विकसित करेगा।

16. प्रतिभूति अभिरक्षक की लेखा पुस्तकों का आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा त्रैमासिक लेखापरीक्षण किया जाएगा और लेखापरीक्षण की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को पेंशन निधियों की आस्तियों या व्यवसाय से संबंधित उसका एक उद्घरण प्रस्तुत करेगा जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है।

17. प्रतिभूति अभिरक्षक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को विभिन्न कार्यों या सेवाओं की प्रेरकता के लिए किसी भी विनियामक प्राधिकरण, समाशोधन निगम, विनियम या डिपॉजिटरी द्वारा अनिवार्य एवं अनुशसित और निर्मित सभी लागू नियमों, विनियमों, परिपत्रों या दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

18. प्रतिभूतियों का अभिरक्षक इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी मतदान नीति और साइबर सुरक्षा नीति का पालन करेगा।

19. भोखाघड़ी की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भोखाघड़ी की रोकथाम और शमन नीति विकसित करेगा और उसे लागू करेगा, जिसमें शामिल है—

i. आंतरिक नियंत्रणों का पालन करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हों और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हों और

ii. अभिरक्षक की ओर से भोखाघड़ी या लापरवाही के कारण किसी भी नुकसान के लिए अभिदाता को क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान करना, जिसे पहले से गठित किया गया है।

अभिरक्षक शुल्क धारिसंपत्ति सेवा शुल्कवित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, ऊद्युक्त बैंक एजी द्वारा लगाया गया अस्ति सेवा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक खंड के लिए संपत्ति का 0.00000000177 प्रतिशत प्रति वर्ष था।

3.14.8 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

“राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास” का अर्थ ऐसे न्यासी मंडल से है जो अभिदाताओं के हित के लिए अभिदाताओं की संपत्ति धारित करता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के रूप में एक न्यास स्थापित किया जाएगा और न्यास का लिखित पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तहत विधिवत पंजीकृत न्यास विलेख के रूप में होगा जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे विलेख में नामित न्यासियों के पक्ष में निष्पादित किया जाएगा। न्यासियों के पक्ष में निष्पादित न्यास विलेख, जिसमें प्राधिकरण के अनुमोदन से किए गए कोई भी संशोधन शामिल हैं, को अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के तहत एक मध्यस्थ के रूप में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को दिया गया पंजीकरण माना जाएगा।

एनपीएस न्यास के सामान्य दायित्व

पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) विनियमन 2015 के विनियम के अनुसार एनपीएस न्यास के सामान्य दायित्व नीचे सूचीबद्ध हैं:-

1. प्रणाली और प्रक्रियाएँ— राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के पास

(क) अन्य मध्यस्थों से समन्वय को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सभी प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ होंगी।

(ख) अपने कर्मचारियों या उन व्यक्तियों के कार्यों या कृताकृत्य अथवा चूक के लिए जिम्मेदार होगा जिनकी सेवाएँ ली गई हैं।

2. प्रणालियों और नियंत्रणों की निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

(क) कार्यरत मध्यस्थियों के संबंध में नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा, निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएँ होंगी।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप रखे गए रिकॉर्ड्स के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। अभिलेखपालन में निरंतरता अथवा उपलब्धता बनाए रखने तथा रिकॉर्ड्स का पर्याप्त बैकअप सुनिश्चित करना चाहिए। इसकी प्रणालियाँ, प्रक्रियाएँ और खाते का वार्षिक रूप से विशेषज्ञ द्वारा निरीक्षण किया जाए और विशेषज्ञ को निरीक्षण की तारीख से एक महीने के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट को

प्राधिकरण को अर्पित करना चाहिए।

(ग) अधिनियम, नियम, विनियमों तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन पेंशन निधि अभिरक्षक, न्यासी बैंक या किसी अन्य मध्यस्थ के साथ समझौते के अनुसार अपनी भूमिका और दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त अवसरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव करेगा जिसकी संचालन प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पर्याप्त रूप से प्रलेखन तथा संचालन नियमावली द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

3. समनुदेशन का निषेध— राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अपने कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति को तब तक नहीं सौंपेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा अधिकृत न हो।

4. गोपनीयता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत प्राप्त सभी अभिलेखों, आंकड़ों और सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत प्राप्त सभी अभिलेखों, आंकड़ों और सूचनाओं के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा। यह प्राधिकरण को पूर्व अनुमति के बिना कानूनी प्रक्रिया द्वारा अपेक्षित के अतिरिक्त, प्रमाण के रूप में या किसी अन्वेषण के लिए ऐसे डेटा या जानकारी का उत्पादन या साक्षात् नहीं करेगा।

5. सहयोग और समर्थन— राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (क) अन्य मध्यस्थों को सभी संभावित सहयोग प्रदान करेगा जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है, (ख) प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्राधिकरण या अन्य मध्यस्थों को रिकॉर्ड्स या डेटा का पूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करेगा।

6. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी अपिसूचनाओं, दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी से संबंधित मामलों तथा अभिदाता शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार होगा।

(ख) अनुपालन अधिकारी द्वारा किसी भी गैर-अनुपालन की सूचना तुरंत और स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और प्राधिकरण को दी जाएगी।

7. प्रत्यायोजन शक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का न्यासी मंडल, विशेष संकल्प पारित करके यह संकल्प ले

सकता है कि इन विनियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हो जो संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाए, के अधीन रहते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी।

8. यथा संशोधित न्यास विलेख दिनांक 27 फरवरी, 2008, विनियम 3 में निर्दिष्ट न्यास विलेख माना जाएगा। इस तरह का न्यास विलेख इसकी वैधता अंतिम तक पूर्णरूपेण प्रभावी रहेगा। राष्ट्रीय पेशन प्रणाली न्यास द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2008 के न्यास विलेख के अधीन निर्दिष्ट सभी कदम व संशोधन वैध और बाध्यकारी रहेंगे।

9 नियुक्ति और कार्यकाल विस्तारण

पीएफआरडीए (एनपीएस ट्रस्ट), विनियम, 2015 के तहत न्यासियों की नियुक्ति और उसके तहत किए गए संशोधनों

के लिए दिनांक 12.01.2018 के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा दो ऐसे न्यासियों को इस प्रकार नामित किया जाए कि एनपीएस के तहत अधिकतम अभिदाता वाले राज्य को प्रारंभिक प्रथमता दी जाए जिसके बाद एनपीएस प्रबंधन के तहत अधिकतम संपत्ति वाले राज्य को प्राथमिकता दी जाए। न्यासियों का कार्यकाल केवल 3 वर्ष का होता है और उसके बाद इसे राज्य सरकारों के बीच इस तरह प्रबंधित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कुछ समय के लिए हो। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के विभागों/सीएचओ में से दो न्यासियों (एक डीएफएस के माध्यम से और एक डीओपीपीडब्ल्यू के माध्यम से) नामित किया जाए। वित्तीय वर्ष के दौरान न्यासी के मीजुदा कार्यकाल में नियुक्तियों/विस्तारण के बाद, एनपीएस ट्रस्ट बनाया गया था।

क्र.सं.	विषय *
1	02 न्यासियों का कार्यकाल विस्तारण: (i) दिनांक 22.12.2023 से श्री वेंकट राव साधगानी (ii) दिनांक 18.12.2023 से सुभी चित्रा जयसिंह
2	कार्यकाल पूरा होने के कारण दिनांक 11.12.2023 से एनपीएस ट्रस्ट के न्यासी मंडल के अध्यक्ष के रूप में श्री सुरेश भागु द्वारा पद त्याग।
3	दिनांक 12.12.2023 से एनपीएस ट्रस्ट के न्यासी मंडल के अध्यक्ष के रूप में श्री वेंकट राव साधगानी की नियुक्ति
4	दिनांक 07.03.2024 से प्रभावी मूल संवर्ग में प्रत्यागर्तन के कारण एनपीएस ट्रस्ट के बोर्ड से श्री रुशिर मित्तल ट्रस्टी द्वारा पदत्याग।

एनपीएस न्यास द्वारा फीस/शुल्क की वसूली

एनपीएस न्यास द्वारा फीस/शुल्क की वसूली	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीएस ट्रस्ट द्वारा ली जाने वाली फीस/शुल्क की सीमा की गई थी और इसे एनपीएस ट्रस्ट के व्यय को पूरा करने के लिए अभिदाताओं से दैनिक संचय के आधार पर एयूएम प्रति वर्ष के 0.005 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.003 प्रतिशत कर दिया गया था।
--	---

31 मार्च 2024* के अनुसार एनपीएस न्यासी मंडल के न्यासियों के वितरण-तालिका में दिए गए हैं।

तालिका सं. 3.57 : 31 मार्च 2024* को एनपीएस न्यासी मंडल के न्यासियों के विवरण

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1	श्री सूरजमान (पदमुक्त)	अध्यक्ष एवं न्यासी
2	श्री वाई. रंजित लाल	अध्यक्ष एवं न्यासी
3	सुश्री विद्या जगसिन्हा	न्यासी
4	डॉ. पी.सी. जाकर	न्यासी
5	श्री जे.के. शर्मा	न्यासी
6	श्री रुचिर मित्तल (पदमुक्त)	न्यासी
7	श्री मरील जेया मोहन	न्यासी
8	डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी	न्यासी
9	डॉ. संतोष कुमार मोहंती	न्यासी
10	श्री देबाशीष मलिक	न्यासी

3.14.9 सेवानिवृत्ति सलाहकार

सेवानिवृत्ति सलाहकार पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के तहत पीएफआरडीए में पंजीकृत मध्यस्थ है फिर भले ही वह कोई व्यक्ति या गैर-वैयक्तिक संस्था हो जो फीस अथवा शुल्क के लिए सेवानिवृत्ति सलाह देने की गतिविधि में शामिल है। यह परामर्श विशेष रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) या संबंधित विनियमन के तहत आने वाली किसी अन्य पेंशन योजना से जुड़ा है। यह परामर्शी पेंशन योजनाओं के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर सकती है जिसमें निवेश कार्यनीतियाँ, अंशदान योजना और अन्य प्रासंगिक कारक शामिल हैं।

I. पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसके बाद के संशोधनों ने परिभाषित पात्रता मानदंडों के अनुसार आवेदनों के मूलांकन के बाद पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीएस स्थापत्य के तहत 15 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार पंजीकृत किए गए थे। पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है जहाँ आवेदक पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

II. सेवानिवृत्ति सलाहकार कार्यक्षेत्र:

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एवं प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजना में संगठित अभिदाता को शामिल करने की सुविधा प्रदान करना।

3. वृद्धावस्था आय सुरक्षा, सेवानिवृत्ति योजना, उनसे द्वारा किए जा सकने वाले अंशदान के स्तर की आवश्यकता पर संभावनाओं को सलाह देना।

4. सेवानिवृत्ति बचत की योजना बनाने में संगठित और अन्य अभिदाताओं की मदद करना।

5. सेवानिवृत्ति सलाहकार कॉर्पोरेट्स और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजना पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए उनके साथ साझेदारी करेगा।

III. नियम और संशोधन:

1. इसमें पंजीकरण प्रक्रियाओं में तेजी लाने और प्रतिभूति जमा की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए 30 दिवसीय समय सीमा शुरू करना शामिल है, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है।

3.14.10 प्राधिकरण द्वारा किए गए अन्य कार्य

क्लाउड अनुकूलन नीति:

प्राधिकरण ने अपने संचालन के लिए पंजीकृत मध्यवर्तियों जैसे पेंशन निधि और केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरणों द्वारा क्लाउड सेवाओं को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को मान्यता दी है। संबंधित जोखिमों को दूर करने और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए ने व्यापक नीतिगत दृष्टांत तैयार किया है। यह व्यवस्था व्यावसायिक कार्यनीति जोखिम के आधार पर मध्यवर्तियों को क्लाउड सेवा अपनाने का आकलन करने के लिए अनिवार्य बनाता है।

क्लाउड अपनाने के लिए अनुमोदन, प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन, व्यापक क्लाउड अपनाने की नीति का गठन तथा मध्यवर्तियों और क्लाउड सेवा प्रदाताओं में

परस्पर दायित्वों का स्पष्ट चित्रण (सीएसपी) इसके अतिरिक्त, नीति डेटा की सामग्री सुरक्षा और गोपनीयता पर जोर देती है, जिसके लिए डेटा को भारत के भीतर संग्रहीत करने और प्रमाणित प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। नियमित समीक्षाएं घटना प्रबंधन और अनुपालन रिपोर्टिंग भी ड्राइव के अभिन्न अंग हैं, जो विकसित विनियामक मानकों और तकनीकी प्रगति के साथ निरंतर निरीक्षण और संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।

नए परिसर में आधुनिक आईटी अवसंरचना:

प्राधिकरण का हाल ही में नए परिसर में आगमन हमारी तकनीकी क्षमताओं में प्रगति, नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस परिवर्तन का केंद्र बिंदु आधुनिक आईटी और नेटवर्क स्थापत्य की स्थापना है, जो असाधारण प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए सुविधा संपन्न बनाया गया है।

हमारे नेटवर्क बुनियादी ढांचे में दो नेक्स्ट जनरेशन को फायरवॉल हैं जो उच्च उपलब्धता (एचए) मोड में काम करते हैं और साइबर खतरों से बेहतरीन रक्षा प्रदान करते हैं। घुसपैठ का पता लगाने और रोकथाम प्रणालियों से सुसज्जित ये उन्नत फायरवॉल सक्रिय खतरों को कम करना सुनिश्चित करते हैं। हमारे नेटवर्क की शीड के पूरक दो कोर रिव्यू हैं जो उच्च गति कनेक्टिविटी और निर्बाध डेटा ट्रांसमिशन के लिए अनुकूलित हैं जो हमारे संगठन को विकसित व्यावसायिक जरूरतों के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाते हैं।

नवीनतम वर्कफाई एक्सेस पॉइंट्स की उपलब्धता से अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक कवरेज और हाईस्पीड वायरलेस कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाती है जिससे सहयोगी कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त, नव स्थापित उन्नत ईपीएबीएस प्रणाली निर्बाध व्हाट्स कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करती है जिससे संगठन में सहयोग बढ़ता है।

कुशल एनएस मंडारण का समावेश सभी कर्मचारियों के

महत्वपूर्ण कार्य डेटा के लिए समर्पित मंडारण स्थान का प्रावधान करता है जिससे डेटा की अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अत्याधुनिक आईटी बुनियादी संरचना में यह निवेश तकनीकी उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे डिजिटल युग में निरंतर सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है।

चिंतन शिविर:

पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास ने एनपीएस चिंतन शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य प्रमुख हितधारकों के संवाद को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य पूरी तरह से पेशान प्राप्त समाज की दिशा में आगे बढ़ने और संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में एनपीएस की स्वीकृति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीति निर्माण के लिए चर्चा और विचार-विमर्श करना था।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने की। डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष पीएफआरडीए, सुश्री ममता शंकर, पूर्णकालिक सदस्य-अर्थशास्त्र, पीएफआरडीए, डॉ. मनीज आनंद, पूर्णकालिक सदस्य, वित्त, पीएफआरडीए, श्री सूरज भान, अध्यक्ष, एनपीएस ट्रस्ट और श्री एस. एम.पी. तामिसेला, वित्तीय सेवाएं विभाग के अवर सचिव प्रमुख वक्ता थे।

शिविर के दौरान, प्रतिभागियों ने व्यापक चर्चा की और एक ऐसे समाज के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए रणनीतियों पर अंतर्दृष्टि का आदान-प्रदान किया जहां प्रत्येक व्यक्ति को पेशान योजनाओं द्वारा पर्याप्त रूप से कवर किया जाता है। जनसांख्यिकी और राजगार क्षेत्रों की विविध श्रृंखला के लिए इसकी पहुंच और आकर्षण सुनिश्चित करते हुए एनपीएस की पहुंच का विस्तार करने के लिए कार्यवाई योग्य योजनाएं तैयार करने पर बल दिया गया था। सहयोगात्मक प्रयासों और विशेषज्ञता के पूरिम के माध्यम से इस आयोजन ने समाज के सभी वर्गों के लिए पेशान कवरेज और वित्तीय सुरक्षा की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन समाधान और सिफारिशें सृजनता हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया।



भाग IV

4.1 पेंशन सलाहकार समिति का कार्यप्रणाली

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 45में कर्मचारियों, संघों, अभिदाताओं, वाणिज्य और उद्योग, मध्यस्थों और पेंशन अनुसंधान में लगे संगठनों के अभ्यावेदन के साथ एक पेंशन सलाहकार समिति (पीएसी) के गठन का प्रावधान है जो प्राधिकरण को विनियम बनाने या अन्य संबंधित मामलों पर सलाह देगी। प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से पीएसी का पुनर्गठन द्वारा किया गया था जिसका विवरण अनुलग्नक में है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, उन्नीसवीं (19वीं), बीसवीं (20वीं) और इक्कीसवीं (21वीं) पीएसी बैठकें क्रमशः— 31 अगस्त 2023, 29 नवंबर 2023 और 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गईं।

31 अगस्त, 2023 को आयोजित पीएसी की उन्नीसवीं बैठक में चर्चा के लिए निम्नलिखित बिन्दु लिए गए-

तालिका संख्या 4.1 पीएसी की बैठकें

1.	18वीं पीएसी बैठक का कार्यवृत्त
2.	पीएसी की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट
3.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 में प्रस्तावित संशोधन
4.	पेंशन निधि विनियमों की समीक्षा और प्रस्तावित संशोधन
5.	पीएफआरडीए (पहचान, आय मान्यता और एनपीए का प्रावधान) मार्गदर्शन नोट 2013 और दिनांक 21 नवम्बर 2019 के मूल्यांकन दिशानिर्देशों के परिशिष्ट का प्रतिस्थापन

29 नवंबर 2023 को आयोजित पीएसी की बीसवीं बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई

1.	19वीं पीएसी बैठक का कार्यवृत्त
2.	19वीं पीएसी बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट
3.	एनपीएस ट्रस्ट विनियमों की समीक्षा और प्रस्तावित संशोधन
4.	अभिरक्षक विनियमों की समीक्षा और प्रस्तावित संशोधन
5.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण एजेंसी) विनियम, 2015 और प्रस्तावित संशोधन
6.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 और प्रस्तावित संशोधन
7.	पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव
8.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 में प्रस्तावित संशोधन
9.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम, 2023 में प्रस्तावित संशोधन

11 मार्च 2024 को आयोजित पीएसी की इक्कीसवीं बैठक में निम्नलिखित मदों पर चर्चा की गई -

1.	20वीं पीएसी बैठक का कार्यवृत्त
2.	पीएसी की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट
3.	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉर्पोरेट सीजी, एनपीएस लाइट, अटल पेंशन योजना और एपीवाई फंड योजना पर लागू निवेश दिशानिर्देशों में इक्विटी आवंटन के अनुपात को बढ़ाने का प्रस्ताव
4.	मसौदा पीएफआरडीए (विनियम बनाने और समीक्षा करने के लिए तंत्र) विनियम, 2024 को रखना
5.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत जीवन चक्र निवेश दृष्टिकोण पर अध्ययन

4.2 बनाए गए या संशोधित किए गए विनियम

प्राधिकरण को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अंतर्गत पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण हेतु विनियमों, न्यायनिर्णयन के संघालन, प्राधिकरण और पेंशन सलाहकार समिति की बैठकों के संघालन के तरीके के अलावा अन्य बातों के साथ-साथ मध्यवर्तियों के पंजीकरण, उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्वों, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा, पंजीकरण के निलंबन और निरस्तीकरण को शामिल करते हुए विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। उपरोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि की स्थापना एवं उसका उपयोग। प्राधिकरण ने अब तक 16 विनियम अधिसूचित किए हैं जिनमें से 14 प्रभावी हैं और ये विनियम आवधिक समीक्षा के अध्वधीन हैं। वर्ष के दौरान, माननीय वित्त मंत्री द्वारा पैरा 99 और 100 में निहित बजट घोषणा के सम्मान में, सभी मध्यस्थ विशिष्ट विनियमों की व्यापक समीक्षा की गई, जो मुख्य रूप से व्यावसाय करने में आसानी, सरलता, अनुपालन भार को कम करने, पारदर्शिता आदि के मापदंडों पर थे। विनियमों की समीक्षा पहले स्तर पर कार्य समूहों द्वारा की गई थी, उसके बाद एक आंतरिक विनियमन समीक्षा समिति थी, जिसने बाहरी समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, जो विनियमन सलाहकार समिति थी, जिसमें डोमेन विशेषज्ञ और शिक्षाविदों के सदस्य शामिल थे। नियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों पर सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया और सार्वजनिक परामर्श के लिए होस्ट किया गया। अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत गठित पेंशन सलाहकार समिति की सलाह लेने और प्राधिकरण के बोर्ड के अनुमोदन से मध्यस्थों को शासित करने वाले नौ बाजारमुखी विनियमों के संबंध में संशोधन और साथ ही उपरोक्ता शिकायतों से निपटने के लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। ये इस प्रकार हैं—

1. पीएफआरडीए (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) विनियम, 2015

एनपीएस संरचना में सीआरए की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे और

शासन मानदंडों को मजबूत करने के लिए परिवर्तन पेश किए गए हैं जैसे सीआरए और मध्यस्थों के बीच अनुमेय क्रॉस होल्डिंग में 20% से कम होना, सीआरए द्वारा ऑडिट रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना और आंतरिक नियंत्रण को प्रमाणित करने वाले सीईओ का कार्यक्षेत्र, प्रमुख कर्मियों के दायरे का विस्तार करना, अनुपालन एवं आचार संहिता, घोखाधड़ी निवारण एवं न्यूनीकरण नीति का कार्यान्वयन, विवेकपूर्ण उपयुक्त एवं उचित मानदंड लागू करना तथा प्रणाली लेखा परीक्षक आदि को शामिल करना। पंजीकरण के अन्वर्धण/एसो समर्पण के प्रभाव संबंधी विनियम को भी पुनः तैयार किया गया है ताकि और अधिक स्पष्टता लाई जा सके।

2. पीएफआरडीए (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015

कस्टोडियन ऑफ सिक्वोरिटीज रेगुलेशंस में संशोधन पात्रता मानदंड से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाता है, जबकि अभिरक्षक में पीएफ/इसके प्रायोजक/सीआरए/टीबी द्वारा अनुमेय क्रॉसहोल्डिंग को मीजूदा 50% से घटाकर 20% से कम करके शासन को मजबूत करता है। संशोधन घोखाधड़ी की निगरानी और क्षतिपूर्ति के संकष में नीतियों और आंतरिक नियंत्रणों के साथ-साथ 'फिट और उचित व्यक्ति मानदंड' से संबंधित अनुपालन को भी निरिष्ट करते हैं। इसके अलावा, कस्टोडियन को प्राधिकरण द्वारा जारी मतदान नीति और साइबर सुरक्षा नीति का पालन करना आवश्यक होगा।

3. पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट) विनियम, 2015

एनपीएस न्यास विनियमों में संशोधन न्यासियों की नियुक्ति, उनके निबंधन और शर्तों, न्यासी बोर्ड की बैठकें आयोजित करने और सीईओ-एनपीएस न्यास की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाते हैं। इसके अलावा, शासन मानदंडों को मजबूत करने के लिए, "लेखा परीक्षक" और "अनुपालन अधिकारी" की परिभाषाएं जोड़ी गई हैं। साथ

है, यह अनिवार्य किया गया है कि न्यासी बोर्ड हर तीन कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगा। आंतरिक लेखा परीक्षा करने की आवृत्ति और प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा विनिर्दिष्ट की गई है।

4. पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018

एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू किया गया है जो पितरण-वार पंजीकरण के मौजूदा तरीके को योजना-वार पंजीकरण में समेकित करके आवेदन श्रेणियों का पुनर्गठन कर रहा है। परिचालन में आसानी के लिए कुछ उपायों में पेंशन एजेंटों (पूर्व में पीओपी-एसई) के पंजीकरण में छूट, एनपीएस के तहत ग्राहक की यात्रा के प्रत्येक चरण के साथ पीओपी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करना, स्थिति या सविधान में बदलाव के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता में छूट, लाभ मानदंडों को पूरा करने से छूट प्राप्त करने का प्राक्कान मौजूदा पीओपी पर विस्तारित किया गया है। प्रमुख कर्मियों के साथ-साथ आवेदक की पात्रता के हिस्से के रूप में मजबूत "उपयुक्त और उचित" मानदंडों की शुरुआत और निवल मूल्य की आवश्यकता में वृद्धि, शासन मानदंडों को मजबूत करेगी।

5. पीएफआरडीए (पेंशन फंड) विनियम, 2015

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप शासन से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाने के लिए संशोधन किए गए हैं। कुछ उत्प्रेक्षनीय संशोधनों में 'फिट और उचित व्यक्ति' मानदंडों के अनुपालन के साथ पेंशन फंड और पेंशन फंड की प्रायोजक की भूमिकाओं की स्पष्टता लाना, पेंशन फंड द्वारा अतिरिक्त बोर्ड समितियों का गठन जैसे लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति, नाम खंड में पेंशन फंड नाम शामिल करना और 12 महीने की अवधि के भीतर प्रावधानों का पालन करने के लिए मौजूदा पेंशन फंड (ओं) की आवश्यकता शामिल है। पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण शामिल है।

6. पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत का निवारण) विनियम, 2015

इन संशोधन विनियमों द्वारा पेश किया गया एक बड़ा बदलाव "मध्यस्थ" शब्द के दायरे को स्पष्ट करना है ताकि गैर-सरकारी क्षेत्रों में नियोजितों को भी शामिल किया जा सके, जिनके कर्मचारी एनपीएस के तहत कवर किए गए हैं। एनपीएस ट्रस्ट द्वारा मध्यस्थों पर निगरानी की भूमिका को भी मजबूत किया गया है। इसके अलावा, अंशदाताओं के लाभ के लिए मध्यस्थ स्तर पर निवारण की समय-सीमा भी 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी गई है। नियुक्ति के लिए लोकपाल की सिफारिश करने हेतु चयन समिति का विस्तार किया गया है ताकि पेंशन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्तियों को शामिल किया जा सके।

7. पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016

"संचालन में आसानी" को सक्षम करने के लिए इन विनियमों में किया गया एक बड़ा बदलाव आवेदक द्वारा सुझा जमा प्रस्तुत करना बंद करना है। अन्य परिवर्तनों में आवेदन के निपटान के लिए समय-सीमा का विनिर्देश, मानकीकृत उपयुक्त और उचित मानदंड लागू करना, अर्हता पर्याप्त अनुमाप की आवश्यकता, वकीलों, सीए, सीएस, सीएमए आदि के लिए प्रमाणन अपेक्षाओं में छूट और गैर-वैयक्तिक भर्ती आस्तियों के संबंध में मुख्य कामकाज की व्यवस्था को लागू करना, अन्य विनियामकों के साथ पंजीकरण, निवल मूल्य को समाप्त करना आदि शामिल हैं।

8. पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम, 2015

निधि में जमा को स्पष्ट करने के लिए परिवर्तन किए गए हैं, ताकि अधिनियम की धारा 41 के अनुरूप हो। इसके अलावा, एसईपीएफ समिति की संरचना और समिति के सदस्यों के कार्यालय की अवधि बढ़ा दी गई है। डिजिटल मोड के माध्यम से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियों का सुझाव देने के लिए समिति के कार्यों को भी संशोधित किया गया है।

9. पीएफआरडीए (ट्रस्टी बैंक) विनियम, 2015

शासन मानदंडों को मजबूत करने के लिए, "लेखा परीक्षक" और "अनुपालन अधिकारी" की परिभाषा जोड़ी गई है। इसके अलावा, टीबी की ओर से होने वाली हानि/असुविधा के मामले में उपभोक्ता के मुआवजे से संबंधित प्रावधान, घोखाघड़ी रोकथाम और शमन नीति के कार्यान्वयन को शामिल किया गया है। पंजीकरण प्रमाण पत्र के आत्मसमर्पण / प्रभाव पर विनियमन को भी अधिक स्पष्टता लाने के लिए फिर से तैयार किया गया है।

इसके अलावा भविष्य के लिए प्राधिकरण में नियमों की समीक्षा प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए और समीक्षा के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करने के लिए एफएसडीसी से प्राप्त सुझावों के अनुरूप प्राधिकरण ने 26 अप्रैल, 2024 को "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियम बनाने और समीक्षा करने के लिए तंत्र) विनियम, 2024" को अधिसूचित किया है।

परिपत्र-

31 मार्च, 2024 तक, प्राधिकरण द्वारा सात मास्टर परिपत्र भी जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से कई पुराने, निरर्थक परिपत्रों को खरणबंद और संग्रहीत किया गया है, और जो पुराने लागू हैं, उन्हें समेकित किया गया है।

(इसका विवरण यहां मौजूद है)

<https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=72>

4.3 उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के उपयोग के लिए समिति का गठन।

पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम, 2015 के विनियम 6 (1) के अनुसार, प्राधिकरण अभिदाता शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा गतिविधियों को सिफारिश करने और फंड के उपयोग के लिए एक समिति का गठन करेगा।

इसके अलावा, विनियम 6 (2) के अनुसार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्

(क) प्राधिकरण का कार्यपालक निदेशक जो समिति का संयोजक होगा,

(ख) प्राधिकरण के दो अन्य अधिकारी,

(ग) चार अन्य सदस्य होंगे-

- वित्तीय बाजार संचालन में एक विशेषज्ञ,
- कानून, अर्थशास्त्र, वित्त या पेशान के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ
- केंद्र सरकार के प्रतिनिधि
- राज्य सरकार के प्रतिनिधि

उपरोक्त गठन दिनांक 29 जनवरी 2024 को अधिसूचित एसईपीएफ विनियम (संशोधन) के अनुसार है। हालांकि, इसे जल्द ही एसईपीएफ समिति के गठन में शामिल किया जाएगा। समिति की वर्तमान संरचना नीचे दी गई है।

तालिका संख्या 4.2 समिति की वर्तमान संरचना

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	संगठन
आंतरिक सदस्य		
1.	श्री ए. जी. दास, कार्यकारी निदेशक, पीएफआरडीए	समिति के संयोजक
2.	श्री वैकटेश्वरलू पेरी, कार्यकारी निदेशक, पीएफआरडीए	सदस्य
3.	श्री सचिन जोनेजा, महाप्रबंधक, पीएफआरडीए	सदस्य
बाहरी सदस्य (गैर)		
4.	डॉ अरुंधति चंद्रशेखर आईएएस, राजकोष विभाग	कर्नाटक सरकार
5.	श्री सुशील पाल, मुख्य लेखा नियंत्रक	गृह मंत्रालय
6.	प्रोफेसर पार्थ रं, निदेशक	एनआईबीएम
7.	श्री आलोक चंद्र जेना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	एनसीएफई
8.	सुश्री सुपुर्णा टंडन, मुख्य महाप्रबंधक	नाबाई

वित्त वर्ष 2023-24 में एसईपीएफ समिति की बैठक की 3 बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें समिति के सदस्यों ने एसईपीएफ फंड राशियों के इष्टतम उपयोग और एनपीएस/एपीवाई अभिदाताओं के बीच वित्तीय साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देने के विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा की। मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से पेंशन साक्षरता पर जागरूकता पैदा करने के लिए एसईपीएफ राशि से 50 लाख रुपये खर्च किया गया था।

भाग V

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

5.1 प्राधिकरण के बोर्ड का गठन

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 4 में प्राधिकरण की संरचना का प्रावधान है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य तथा तीन अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। प्राधिकरण की संरचना निम्नानुसार है:

(i) अध्यक्ष

डॉ. दीपक महान्ती प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और उन्होंने 20 मार्च 2023 को पीएफआरडीए में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। डॉ. दीपक महान्ती एक अर्थशास्त्री हैं, जिनके पास विशेष नीतिगत अनुभव है। इससे पहले, वे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिकी) के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और कुछ कंपनियों के बोर्डों में एक स्वतंत्र निदेशक थे। इससे पहले, डॉ. महान्ती 01.09.2020 से 31.05.2022 तक पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र), पीएफआरडीए थे। उन्होंने पीएफआरडीए में पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) के रूप में शामिल होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया और वे आर्थिक अनुसंधान में विभिन्न पदों पर और आरबीआई में मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख थे।

(ii) पूर्णकालिक सदस्य

1. डॉ. मनोज आनंद, (पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) 01.10.2020 से अब तक।
2. सुश्री ममता शंकर, पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) 10.04.2023 से अब तक।

(iii) अंशकालिक सदस्य

1. सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू (आईए और एस 1988), विशेष सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग 12.12.2014 से 31.11.2023 तक।
2. सुश्री परमा सेन (आईए और एस 1994), अतिरिक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग 11.12.2023 से अब तक।
3. श्री राहुल सिंह (आईएस 1996), अतिरिक्त सचिव (एस एंड बी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) 15.07.2022 से 26.03.2024 तक।
4. श्री मकजु शर्मा (आईसीएस 2000), संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय 27.05.2022 से अब तक।

5.2 प्राधिकरण की बैठकें

द्वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्राधिकरण की सात (07) बैठकें आयोजित की गईं, जो निम्नलिखित हैं:

तालिका संख्या 5-1 प्राधिकरण की बैठकें

क्र.सं.	प्राधिकरण की बैठक	बैठक की तिथि
1-	प्राधिकरण की 111वीं बैठक	26-05-2023 (शुक्रवार)
2-	प्राधिकरण की 112वीं बैठक	परिसंचरण द्वारा 29-05-2023 (सोमवार)
3-	प्राधिकरण की 113वीं बैठक	19-07-2023 (बुधवार)
4-	प्राधिकरण की 114वीं बैठक	12-10-2023 (गुरुवार)
5-	प्राधिकरण की 115वीं बैठक	14-12-2023 (गुरुवार)
6-	प्राधिकरण की 116वीं बैठक	परिसंचरण द्वारा 04-01-2024 (गुरुवार)
7-	प्राधिकरण की 117वीं बैठक	21-03-2024 (गुरुवार)

बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त के अंश प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है, लिंक इस प्रकार है:

<https://www.pfrda.org.in/index1.cshhtml?lsid=1113>

5.3 पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या

(89) 31 मार्च, 2024 तक, पीएफआरडीए की नियुक्ति कर्मचारियों की संख्या इक्कानवे (91) है, जिसमें से नवासी अधिकारी संवर्ग में, एक (01) कनिष्ठ सहायक और एक (01) स्टाफ कार चालक हैं।

5.4 पीएफआरडीए में एससी/एसटी सेल और ओबीसी सेल का कामकाज

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निश्चल/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के कल्याण के संबंध में सरकारी अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए पीएफआरडीए में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी /

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी / ईडब्ल्यूएस के लिए मुख्य महाप्रबंधक ग्रेड अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। एक महाप्रबंधक ग्रेड अधिकारी को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। दोनों प्रकोष्ठों के सदस्य अपने संबंधित संपर्क अधिकारियों के साथ त्रैमासिक आधार पर उनसे संबंधित कल्याणकारी उपायों पर चर्चा करते हैं और मानव संसाधन विभाग त्रैमासिक बैठक की सुविधा प्रदान करता है। 31-03-2024 तक आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों का समूह वार प्रतिनिधित्व तालिका 5-2 में है।

तालिका संख्या 5-2 . 31-03-2024 तक आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों का समूह वार प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	समूह	ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस का समूहवार प्रतिनिधित्व					31.03.2024 तक कर्मचारियों की कुल संख्या
		एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	ईडब्ल्यूएस	
1	कार्यकारी निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6
2	मुख्य महाप्रबंधक (ग्रेड एफ)	1	शून्य	3	शून्य	शून्य	8
3	महाप्रबंधक (ग्रेड ई)	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	7
4	उप महाप्रबंधक (ग्रेड डी)	1	शून्य	2	शून्य	शून्य	6
5	सहायक महाप्रबंधक (ग्रेड सी)	1	शून्य	3	1	शून्य	14
6	प्रबंधक (ग्रेड बी)	3	1	5	1	शून्य	13
7	सहायक प्रबंधक (ग्रेड ए)	5	2	10	2	2	35
8	कनिष्ठ सहायक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1
9	स्टाफ कार चालक	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1
कुल		12	3	24	4	2	91

5.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन शिकायतों प्राप्त करने, जांच करने आदि के लिए किया गया है और इसकी तिमाही आधार पर बैठक आयोजित होती है।

5.6 कर्मचारी कल्याण समिति

विभिन्न कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों की पहचान करने और उन्हें आयोजित करने के लिए पीएफआरडीए में एक कर्मचारी कल्याण समिति गठित की गई है। समिति कर्मचारियों के बीच और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के उपायों को विकसित करने में मदद करती है। एक मुख्य महाप्रबंधक ग्रेड अधिकारी को कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

5.7 कर्मचारियों के हित में की गयी पहल

पीएफआरडीए हमेशा पीएफआरडीए में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वोत्तम कार्य वातावरण प्रदान करने का प्रयास करता है। कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण बनाने और सकारात्मक कर्मचारी अनुभव बनाने के लिए विभिन्न पहल की गईं। इन उद्देश्यों के साथ, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए-

- 14 जून 2023 को एक आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अधिकारियों ने रक्तदाता दिवस के लिए उनके समर्थन की प्रतिज्ञा करने के लिए एक साथ शपथ ली।

- 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।
- 15 अगस्त 2023 को स्वातंत्रता दिवस समारोह।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी (डीडीडब्ल्यूएस और एमओएचयूए द्वारा) द्वारा 15 सितंबर 2023 से 02 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) पखवाड़े का आयोजन किया गया था।

30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन

पीएफआरडीए कर्मचारियों के लिए 4 और 5 नवंबर 2023 को एम्स जिल्खाना, अंतरा नगर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के समन्वय से बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।

- दिसंबर 2024 के महीने में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर जागरूकता सप्ताह मनाया गया। लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न को रोकने पर एक जागरूकता सत्र/कार्यशाला 11 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी।
- 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया।
- 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नए भर्ती हुए सहायक प्रबंधकों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम और मध्य और उरिष्ठ प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- नए कार्यालय परिसर में 12 मार्च 2024 को नए परिसर का उद्घाटन और 15 मार्च, 2024 को हवन समारोह का आयोजन किया गया।

उपयुक्त कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें निम्नानुसार हैं :



1. 14 जून 2023 को रक्तदाता दिवस पर उनके समर्थन की प्रतिज्ञा करने की शपथ के दौरान और स्वतंत्रता दिवस का आयोजन



2. पीएफआरडीए में नए भर्ती सहायक प्रबंधकों के लिए IIM लखनऊ में प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया



3. 15 सितंबर 2023 से 02 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया



4. पीएफआरसीए परिसर में लिंग संवेदनशीलता और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक जागरूकता सत्र/कार्यशाला और गणतंत्र दिवस समारोह



5. डीजीएम और उससे ऊपर के लिए कानूनी मॉड्यूल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में और एजीएम और प्रबंधकों के लिए पीएफआरडीए में आयोजित किया गया।



6. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह 8 मार्च 2024 को आयोजित किया गया।



7. पीएफआरडीए के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन 12 मार्च 2024 को बल्ड ट्रेड सेंटर, नीरोजी नगर, नई दिल्ली में किया गया।

5.8 पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा विभिन्न विषय क्षेत्रों में प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के लिए विभिन्न संदर्भों के अधिकारियों को नामित किया गया था। जैसे—

- सार्वजनिक खरीद पर एमडीपी कार्यक्रम।
- एटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी)।
- निर्माण अनुबंध और समरस्यता संबंधी मुद्दों और संभावित उपायों में विवाद का निपटारा।
- संपर्क अधिकारी एससी/एसटी के लिए कार्यशाला।
- सेवाओं में आरक्षण पर प्रशिक्षण।
- नेतृत्व क्षमता को विकास पर प्रशिक्षण।
- सरकारी खरीद का बदलता चेहरा : जीईएम का प्रभाव, नीतिगत पहल और उभरती सर्वोत्तम प्रथाएं।
- बीएफएसआई टीमें के लिए वित्तीय मॉडलिंग पर आर का उपयोग करते हुए डेटा एनालिटिक्स।
- लैंगिक संवेदनशीलता और ग्रीन उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला।
- जोखिम प्रबंधन के लिए सांख्यिकीय तकनीकों को उद्घाटित करना।
- जोषकर्ता अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों से सम्बंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- निवारक सातर्कता से सम्बंधित विषयों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।
- खरीद से सम्बंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर कार्यशाला।
- नेतृत्व क्षमता का विकास : प्रशिक्षक के रूप में नेता।
- सीपीआईओ और अपोलोय प्राधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम।
- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में कानूनी मॉड्यूल पर डीजीएम से सीजीएम के लिए सत्र और पीएफआरडीए परिसर में प्रबंधकों और एजीएम के लिए कानूनी मॉड्यूल पर सत्र।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कुल 65 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसमें ऊपर यथा

विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण और संस्थान के समन्वय से पीएफआरडीए द्वारा आयोजित प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विभाग के माध्यम से पीएफआरडीए में प्रख्यात विद्वानों द्वारा व्याख्यान देना शामिल है।

उपरोक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ग्रेड ए (सहायक प्रबंधक) में भर्ती 21 अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

5.9 राजभाषा का प्रचार

राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 एवं भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए निरामित रूप से राजभाषा हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रयासरत है। राजभाषा नीति का उद्देश्य है कि सरकारी कामकाज में सामान्यतः राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। इसी उद्देश्य से पीएफआरडीए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार अपने सभी शासकीय संचार में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। इस क्रम में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा नीति की विभिन्न आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए इनका विवरण निम्नलिखित है।

- प्राधिकरण में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में पूर्णकालिक सदस्य महोदय के दिशानिर्देशन में कार्यकारी निदेशक के निदेशन द्वारा महाप्रबन्धक (राजभाषा) की निगरानी में, सहायक प्रबन्धक (राजभाषा) की सहायता से कार्य किया जाता है।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुपालन में तिमाही 3 तथा तिमाही 2 के जो पत्र द्विभाषी नहीं हैं उन्हें द्विभाषी बनाया जा रहा है। विनियमों की समीक्षा के दौरान सभी संशोधित विनियमों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया गया।
- राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुपालन में, हिन्दी में प्राप्त पत्रों, आरटीआई, संसदीय प्रश्नों और विधायी प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में दिया जा रहा है।
- 'क' और 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में भी दिया जा रहा है। इसे पूर्णतः द्विभाषी बनाने की ओर प्राधिकरण प्रयासरत है।
- मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में, ऐसे सभी प्राप्त पत्र जिनके उत्तर दिए जाना अपेक्षित नहीं है,

उनकी पावती देना जरूरी है। इसे हिन्दी में पावती देने हेतु विभागों को निर्देश दिया गया है।

- प्राधिकरण के विभागों द्वारा प्रेषित सभी मूल पत्रों को द्विभाषी बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसमें ईमेल द्वारा किया गया संचार भी शामिल है।
- ई-ऑफिस में कंठस्थ सॉफ्टवेयर को संक्षम किया गया है। इसकी सहायता से सभी टिप्पणियाँ और तस्वीरें द्विभाषी बनाए जा सकते हैं। अधिकारियों को कंठस्थ आधारित सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।
- प्राधिकरण के सभी कम्प्यूटरों को हिन्दी टाइपिंग हेतु सुगम बनाया गया है। इसी क्रम में, इनमें यूनिफाई फॉन्ट और गूगल इनपुट जैसी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
- रजिस्टरी और फाइलों के नाम, शीर्षक और प्रविष्टियाँ हिन्दी में भी दर्ज करवाई जा रही हैं। साथ ही, सभी नानपट को भी द्विभाषी बनाया गया है। प्राधिकरण पुरातकाल में हिन्दी भाषा में पुस्तकों को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है।
- भारत सरकार की प्रतिष्ठित पेंशन योजनाओं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु उनका हिन्दी में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

5.9.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

पीएफआरडीए में कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। सभी विभागाध्यक्ष इसके सदस्य हैं तथा राजभाषा विभाग द्वारा सचिवीय दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। वित्तीय 2023-24 के दौरान प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं और उनके कार्यवृत्त हिन्दी में जारी किए गए हैं। वर्ष की अंतिम तिमाही में बैठक की अध्यक्षता पूर्णकालिक सदस्य (वि.त) द्वारा की गयी थी। प्रत्येक बैठक में पिछली बैठक के दौरान राजभाषा की प्रगति की समीक्षा की जाती है और अगली तिमाही हेतु कार्य योजनाओं की सूची बनाई जाती है। विभागों में हिन्दी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए विभागीय राजभाषा नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। साथ ही, राजभाषा में कामकाज को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक माह में एक कार्यदिवस (14 तारीख) का निर्धारण किया गया है।

5.9.2 नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

पीएफआरडीए द्वारा उचित प्रयासों के बाद वित्त वर्ष

2022-23 की पहली तिमाही में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दक्षिण दिल्ली - 03 की सदस्यता ग्रहण की गयी है। नराकास द्वारा आयोजित छमाही बैठकों में प्राधिकरण ने भाग लिया। प्राधिकरण द्वारा नराकास की सभी बैठकों एवं राजभाषा सम्मेलन में सहभागिता सुनिश्चित की गयी। राजभाषा विमर्श (पत्रिका) की सदस्यता भी ली गयी है।

5.9.3 सूचना प्रबंधन प्रणाली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

प्राधिकरण द्वारा गृह मंत्रालय के सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। वर्ष 2023-24 में प्रत्येक तिमाही हेतु प्रगति रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

5.9.4 अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण

- प्राधिकरण में अधिकारियों के हिन्दी ज्ञान सम्बन्धी रोस्टर का निर्माण किया गया है। रोस्टर के आधार पर अधिकारियों हेतु लक्षित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।
- प्राधिकरण में नवनियुक्त सहायक प्रबन्धकों हेतु हिन्दी में कामकाज पर आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में प्रशिक्षण देने के लिए नराकास से विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया।
- अधिकारियों के लिए कंठस्थ सॉफ्टवेयर पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- इस वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही में प्राधिकरण के अधिकारियों हेतु बाहरी हिन्दी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।
- राजभाषा प्रोत्साहन के लिए अधिकारियों हेतु प्रवीण, प्रबोध, प्राज्ञ और पारंगत परीक्षाओं को लागू किए जाने की योजना है।

5.9.5 पीएफआरडीए वेबसाइट

- पीएफआरडीए द्वारा अपनी वेबसाइट www.pfrda.org.in के हिंदी संस्करण को अद्यतन किया जा रहा है।
- साथ ही, पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय साक्षरता पहल हेतु शुरू किए गए पेंशन संचय वेबसाइट को भी द्विभाषी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

5.9.6 हिंदी दिवस समारोह और राजभाषा पखवाड़ा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सितम्बर माह में (14 से 28 सितम्बर के बीच) राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य

करने हेतु प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में निबंध लेखन, स्लोगन, लघुभाषण और किंवदन्ति प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी थीं, जिनमें अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

मुख्य कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार शर्ति और प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए। पखवाड़ा के दौरान ही नामितयुक्त अधिकारियों हेतु पुस्तकों की खरीद की गयी तथा उनका वितरण किया गया। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, पुणे में भाग लिया।



5.9.7 समाचारपत्र एवं पत्रिकाएँ

प्राधिकरण में दैनिक हिन्दी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं (इण्डिया टुडे, आउटलुक) की व्यवस्था भी की गयी है। वित्त वर्ष में नराकास दक्षिण दिल्ली की पत्रिका राजभाषा विमर्श की सदस्यता ली गयी है।

5.9.8 अन्य निकायों से संवाद

नराकास के अधिकारियों द्वारा राजभाषा और सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। भारत की राजभाषा नीति के अनुसरण में 29 फरवरी, 2024 को वित्तीय सेवा विभाग द्वारा एक निरीक्षण किया गया था। विभागाध्यक्ष और हिन्दी नोडल अधिकारियों के साथ निरीक्षण टीम की एक बैठक भी आयोजित की गई। निरीक्षण दल ने अधिकारियों के साथ चर्चा की और कर्मचारियों की तिमाही रिपोर्ट और प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्पणियों को उठाया।

5.10 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई)

अधिनियम) को लागू करने के लिए पीएफआरडीए में एक समर्पित प्रकोष्ठ है। प्रकोष्ठ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करता है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के अधीन कार्य करता है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार, पीएफआरडीए ने एक अधिकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है, जिसके पास सीपीआईओ के आदेश के खिलाफ अपील वायर की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम के अनुसार, कोई भी नागरिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, ई.600, टॉवर ई. 5 वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नॉरोजी नगर, दिल्ली, 110029 को निर्धारित शुल्क के साथ लिखित रूप में एक तपयुक्त आवेदन करके आरटीआई के तहत जानकारी मांग सकता है और / या आरटीआई अधिनियम के तहत (www.pfrda.org.in) में तपलक्ष ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के लिंक पर आरटीआई

आवेदन भी कर सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 740 आरटीआई आवेदन (ऑनलाइन मोड में 683 और ऑफलाइन मोड में 77) और 95 प्रथम अपील अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय पेशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अश्वदान, व्यक्तिगत पेशन खाता खोलने, एनपीएस, एपीवाई योजना के तहत स्थानांतरण, निकासी और प्रत्याहरण के संबंध में प्राप्त हुई। सभी आवेदनों और अपीलों का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथा निर्धारित निर्धारित समय के भीतर उत्तर दे दिए गए/उनका निपटारा कर दिया गया।

आरटीआई अधिनियम की धारा 4 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपनी वेबसाइट पर कुछ स्वप्रेरित प्रकटन करने के लिए बाध्य करती है। पीएफआरडीए ने अपनी वेबसाइट पर भी इस तरह के प्रकटन किए हैं। इस प्रकटीकरण का केन्द्र बिन्दु पीएफआरडीए के कार्यक्रम और क्रियाकलाप में गारंटी के स्तर में सुधार करना है। इस संबंध में, पीएफआरडीए और उसके अधिकारियों के विभिन्न कार्य, शक्तियाँ और कर्तव्यों के बारे में जानकारी परिपत्रों पर प्रदान की गई है, और पीएफआरडीए द्वारा जारी अधिनियम, नियम, विनियम, परिपत्र और मैनुअल भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण इस प्रकार हैं

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पीएफआरडीए द्वारा नामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

डॉ. पूर्णिमा शर्मा, महाप्रबंधक

पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई 500ए टॉवर, ई, 5 वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एनबीसीसी, नोरोजी नगर, नई दिल्ली, 110029

फोन 011-40717900

ई मेल purnima.s@pfrda.org.in

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पीएफआरडीए द्वारा नामित वैकल्पिक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

श्री सचिन जोनेजा, महाप्रबंधक

पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई 500ए टॉवर, ई, 5 वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एनबीसीसी, नोरोजी नगर, नई दिल्ली, 110029

फोन 011-40717900

ई मेल sachin.joneja@pfrda.org.in

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पीएफआरडीए द्वारा नामित केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी

सुश्री खुशबू परमानंद शुक्ला, प्रबंधक

पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई 500ए टॉवर, ई, 5 वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एनबीसीसी, नोरोजी नगर, नई दिल्ली, 110029

फोन नंबर 011-40717900

ई मेल khushbu.shukla92@pfrda.org.in

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पीएफआरडीए द्वारा नामित वैकल्पिक केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी

सुश्री प्राची जैन, प्रबंधक

पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई 500ए टॉवर, ई, 5 वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एनबीसीसी, नोरोजी नगर,

नई दिल्ली 110029

फोन नंबर 011-40717900

ई मेल prachi.jain@pfrda.org.in

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पीएफआरडीए द्वारा नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री सुमित कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई 500, टॉवर, ई, 5 वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एनबीसीसी, नोरोजी नगर,

नई दिल्ली 110029

फोन 011-40717900

ई मेल k.sumit@pfrda.org.in

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पीएफआरडीए द्वारा नामित वैकल्पिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री विकास कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई 500ए टॉवर, ई, 5 वी मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एनबीसीसी,
नोरोजी नगर,

नई दिल्ली 110028

फोन 011-40717900

ई मेल vikas.s@pfrda.org.in

5.11 संसदीय प्रश्न

2023-24 के दौरान, पीएफआरडीए को वृद्धावस्था आय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर वितीय सेवा विभाग (डीएफएस) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संदर्भित 31 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें एनपीएस और एपीवाई पर प्रश्न शामिल हैं। पीएफआरडीए ने संसद की इसका उत्तर देने की सुविधा के लिए समयबद्ध तरीके से सूचना और सामग्री प्रस्तुत की है।

5.12 पीएफआरडीए के खाते

वित्त-वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएफआरडीए ने अपने सभी प्रशासनिक और स्थापना व्ययों को अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा किया है। पीएफआरडीए को भारत सरकार से अटल पेंशन योजना के लिए अनुदान और गैप फंड प्राप्त हुआ। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की घोषणा वित्त वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में की गई थी। यह पेंशन योजना 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए है, जिसमें असंगठित क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एनपीएस लाइट/स्वावलंबन के अंतर्गत 18-40 वर्ष की आयु के सभी अभिदाता अटल पेंशन योजना में शिफ्ट होने के लिए पात्र हैं। वित्त-वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएफआरडीए को एपीवाई के अंतर्गत एपीवाई सेवा प्रदाताओं और अन्य

प्रचार गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 210 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।

दिनांक 31.03.2023 तक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर एपीवाई के अंतर्गत पेंशन देनदारियों और पेंशन आस्तियों के बीच के अंतर को कम करने के लिए "अटल पेंशन योजना के अंतर्गत गैप फंड अनुदान" के रूप में भारत सरकार से 271 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर, भारत सरकार ने 271 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है और यह वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त हुआ था। इन प्राप्त निधियों को मौजूदा एपीवाई निवेश दिशानिर्देशों और आस्ति आवंटन नीति के अनुसार "एनपीएस ट्रस्ट/ए/सी एपीवाई फंड स्कीम" में निवेश किया गया था।

दिनांक 31.03.2024 को बैलेंस शीट, 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए आय और व्यय खाता और प्राप्ति और नुकसान खाते से वृत्त प्राधिकरण के खातों के वार्षिक विवरण को, अनुसूची के साथ पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (बहीखाते और अभिलेखों के वार्षिक विवरणों का प्रासंग) संसाधन नियम 2022 के आधार पर अंतिम रूप प्रदान किया गया है।

भाग VI

अभिदाताओं के हित को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र

6. अभिदाताओं के हित को प्रभावित करने वाले कुछ क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

6.1 सक्षम विधियों का अभाव सरकारी नोडल अधिकारियों के लिए बाधा है।

- केंद्र सरकार के नोडल कार्यालयों द्वारा एनपीएस के तहत विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने की समयसीमा एनपीएस सीसीएस नियम 2021 के तहत निर्धारित की गई है, जो राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों के मामले में सांकेतिक समयसीमा हो सकती है। निर्धारित उपयुक्त समयसीमा के आधार पर और नोडल कार्यालयों द्वारा लिए गए समय के आंकड़ों के अनुसार, यह देखा गया है कि प्रान सृजन में देशी और अंशदान का देरी से और अनियमित प्रेषण विंता के प्रमुख क्षेत्र हैं, क्योंकि यह एनपीएस कॉर्पस संघ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी अभिदाताओं द्वारा सेवानिवृत्ति पर प्रायः पेंशन प्रभावित होती है।
- प्राधिकरण, समीक्षा बैठकों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के दौरान, उन्हें लगातार संबंधित सरकारी नोडल कार्यालयों को भेजता रहा है और उनसे कर्मचारियों अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए अपने अंतर्निहित कार्यालयों में एनपीएस के कार्यान्वयन में अनुशासन लाने के लिए कुछ नीतिगत के साथ-साथ परिचालन उपाय करने का आग्रह करता रहा है।
- उल्लेखनीय है कि डीओपीडीओ द्वारा दिनांक 30.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित सीसीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 एनपीएस के कार्यान्वयन की सामान्य बातों को निर्धारित करता है, जो केवल केंद्र सरकार पर लागू होती है। इस संबंध में, राज्य सरकारें (त्रिपुरा को छोड़कर, जो पहले से ही एनपीएस नियमों को अधिसूचित कर चुकी हैं) एनपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में नियमों को भी परिभाषित कर सकती हैं।

6.2 सांविधिक दायित्व जिनका प्राधिकरण ने अनुपालन नहीं किया है।

न्यूनतम आश्वासित रिटर्न योजना

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 2 (घ) (ख) के तहत, न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न चाहने वाले अभिदाता के पास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित न्यूनतम

सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करने वाली ऐसी योजनाओं में अपने पन का निवेश करने का विकल्प होगा। हालांकि, धारा 20 की उपधारा 2 (घ) में कहा गया है कि अभिदाताओं द्वारा खरीदे जाने वाले बाजार आधारित गारंटी तंत्र को छोड़कर लाभों का कोई निहित या स्पष्ट आश्वासन नहीं होगा। प्रस्तुत प्रारंभिक MARS डिजाइन, पर बोर्ड के अवलोकन के बाद 13 सितंबर 2023 को एक नई समिति का गठन किया गया है जो एक ऐसी योजना तैयार करती है जो बोर्ड की टिप्पणियों और डेटाई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जोखिम और वापसी को संतुलित करती है। समिति ने धालू वित्तीय वर्ष में छह बैठकें आयोजित की हैं जिनमें हितधारकों के साथ बैठक और प्राधिकरण के शीर्ष प्रबंधन के साथ बैठक शामिल हैं। समिति पेंशन निधियों की व्यवहार्यता, अभिदाताओं के लिए आकर्षण के संदर्भ में डिजाइन तत्वों के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है और एक ऐसा डिजाइन तैयार करने का प्रयास कर रही है जो पूरी तरह से सुरक्षा, लागत प्रभावी और आकर्षक गारंटी दर प्रदान करता है।

6.3 कर्मचारी के वेतन के 10% से अधिक नियोजित योगदान पर कराधान

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी नियोजित एनपीएस अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया था। तदनंतर, विभिन्न राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और पीएसबी/पीएसयू ने भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान अपने कर्मचारियों के लिए नियोजित एनपीएस अंशदान में वृद्धि की है।

- नियोजित एनपीएस अंशदान में वृद्धि को 80 सीसीडी (2) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छूट दी गई थी। केंद्रीय बजट 2022-2023 में यह छूट राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दी गई थी।
- हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए, वेतन के 10% से अधिक नियोजित योगदान कर्मचारियों के हाथों में कर योग्य है जो वर्तमान में पीएसबी/पीएसयू के कर्मचारियों को प्रभावित करता है जो 7 लाख से अधिक एनपीएस अभिदाताओं का गठन करते हैं।
- इसके अलावा, कर्मचारी के एनपीएस खाते में नियोजित द्वारा किए गए अंशदान को कर्मचारी के वेतन (बेसिक+डीए) के 10% तक कर 1981 अधिनियम की धारा 36(i)(iva) के तहत नियोजित को व्यावसायिक व्यय में अनुमति दी जाती है। हालांकि अपने

कर्मचारियों के लिए एनपीएस अपनाते हुए नियोजित एक कर्मचारी/अभिदाता के सृजन के कॉर्पस लिए कर्मचारी के वेतन का 10% से अधिक अंशदान करने के प्रति उत्प्रेरित नहीं हैं।

6.4 नई कर व्यवस्था के तहत एनपीएस में कर्मचारी के अंशदान की कर योग्यता

वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से पेश किए गए परिवर्तनों ने भारत में अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था को बहुत आकर्षक बना दिया है। चूंकि एनपीएस में निवेश के लिए नई कर व्यवस्था में कोई आयकर लाभ नहीं है, इसलिए एनपीएस के तहत नए नामांकन में पिछले साल की तुलना में लगभग 5% की कमी दिखाई दी है, जबकि PPFs और पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस और सेवानिवृत्ति योजना में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने में विभिन्न प्रयास किए गए हैं।

अधिकांश विकसित देशों में, पेंशन योजनाओं में अंशदान को किसी भी अन्य वित्तीय क्षेत्र के उत्पादों के विपरीत कर प्रोत्साहन प्रदान किया गया है ताकि व्यक्तियों को

सेवानिवृत्ति के बाद कामकाजी उम्र की जीवन शैली को बनाए रखने और वृद्धावस्था गरीबी से बचने के लिए लंबी अवधि के लिए अपनी बचत को लॉक-इन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस तरह की आवश्यकता है क्योंकि बाजार में उचित सेवानिवृत्ति सलाह के अभाव में, वित्तीय जागरूकता की कमी वाले व्यक्ति अन्य अल्पकालिक/तत्काल जरूरतों के पक्ष में दीर्घकालिक जरूरतों को अनदेखा/स्थगित करते हैं।

6.5 साइबर खतरे

एनपीएस किसी भी अन्य वित्तीय प्रणाली की तरह, साइबर खतरों के लिए संभावित रूप से सुभेद्य है। यद्यपि पीएफआरडीए और एनपीएस के मध्यवर्ती साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, फिर भी अभिदाताओं से जुड़े गोपनीय डेटा की एक महत्वपूर्ण मात्रा है जो साइबर हमलावरों द्वारा अनधिकृत पहुंच के अधीन हो सकती है। यह सबसे बड़े जोखिमों में से एक को दर्शाता है जो एनपीएस अभिदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

भाग VII

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य उपाय

7.1. निम्नलिखित अध्यायों में उल्लिखित कदमों के अलावा, अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा की गई कुछ पहलें नीचे दी गई हैं :-

- पीएफआरडीए के विनियमों की समीक्षा-बजट भाषण 2023-24 में पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के उद्देश्यों को बनाए रखते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाने, व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने और अनुपालन लागत को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। नतीजातन, पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत माध्यवर्तियों को नियंत्रित करने वाले नौ विनियमों की आंतरिक और बाहरी समितियों की मदद से समीक्षा की। इन विनियमों में पीएफ, पीओपी, सीआरए, अभिदाता शिकायत निवारण, ट्रस्टी बैंक, संरक्षक, एसईपीएफ और सेवानिवृत्ति सलाहकार से संबंधित विनियम शामिल हैं। पेंशन सलाहकार समिति द्वारा विचार किए जाने और बाद में पीएफआरडीए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले प्रस्तावित संशोधनों पर सार्वजनिक परामर्श और स्टेकहोल्डर से इनपुट प्राप्त किया गया था। सभी नौ विनियमों में संशोधन भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। इसके अलावा, प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2024 तक सात मास्टर परिपत्र जारी किए, जिसमें कुल 68 परिपत्र समेकित हैं।
- निम्नलिखित विषयों पर मास्टर परिपत्र उनसे संबंधित अलग अलग दिशानिर्देशों को रद्द करता है और उन सभी को एक स्थान पर समेकित करता है
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉर्पोरेट सीजी, एनपीएस लाइट, अटल पेंशन योजना और एपीवाई फंड योजना के लिए एनपीएस/एपीवाई योजनाओं के लिए निवेश दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र।
- एनपीएस टियर I और टियर II (केंद्र/राज्य सरकार, कॉर्पोरेट सीजी, एनपीएस लाइट और एपीवाई के अलावा) के लिए निवेश दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित किसी अन्य पेंशन योजना के लिए केंद्रीय अभिलेख रखने वाली एजेंसी के चयन का विकल्प।
- ऑनलाइन प्रान् जनरेशन नॉडयूल (ओपीजीएम) के

माध्यम से एनपीएस ऑनबोर्डिंग।

- सरकारी क्षेत्र के लिए ई-एनपीएस
- एनपीएस के अंतर्गत संवित पेंशन राशि का आंशिक प्रत्याहरण
- ई एपीवाई-एपीवाई अभिदाताओं के लिए आधार की सीडिंग और ऑन बोर्डिंग की सरलता के लिए ऑनलाइन सुविधा
- एनपीएस के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए मूल्यांकन दिशानिर्देशों का परिशिष्ट, हानि की पहचान और उपचार, पेंशन निधियों द्वारा उनके मासिक पोर्टफोलियो व्यौरों में प्रकटीकरण, ऋण प्रतिभूतियों के वर्गीकरण आदि के संदर्भ में जारी किया गया है।
- मार्जिन अपेक्षाओं के लिए प्रतिभूतियों को सीसीआईएल के पास मार्जिन के रूप में रखने की अनुमति - पेंशन निधियों को सरकारी प्रतिभूतियों और टीआरईपीएस में निवेश के लिए मार्जिन अपेक्षाओं हेतु प्रतिभूतियों को सीसीआईएल के पास मार्जिन के रूप में रखने की अनुमति दी गई है।
- एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल (टियर एड, एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल (टियर I) और एनपीएस टियर II (सभी अभिदाता) के तहत अभिदाताओं के लिए विकल्प एसेट क्लास (अल्टरनेट एसेट क्लास या स्कीम ए को छोड़कर) के अनुसार अनेक पेंशन फंड्स के चयन का विकल्प: आरिस्ट वर्गों के अनुसार मास्टीपल पेंशन फंड्स के चयन की सुविधा मौजूदा अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है।
- खाता समूहक ढांचे के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रयोक्ता पीएफआरडीए ने एनपीएस अभिदाताओं के लिए अपने एनपीएस डाटा को खाता समूहक ढांचे के माध्यम से पोर्ट करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें केंद्रीय अभिलेख पालन एजेंसियां (सीआरए) वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में नामित हैं। इसके अलावा, माध्यवर्तियों की विशिष्ट श्रेणियों को वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) के रूप में जाना जाता है।
- पीएफआरडीए (एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत

घोखाघड़ी की रोकथाम और रिपोर्टिंग के लिए फ्रेमवर्क) दिशानिर्देश- 2023, संस्था, एजेंसियों और प्राधिकरण के बोर्ड कानून प्रवर्तन को घोखाघड़ी की रोकथाम और रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देशों और उपायों का एक सेट सुझाना ताकि घोखाघड़ी का पता लगाने, और नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित किया जा सके।

- **सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सीआरए प्रणाली की आधार- आधारित पहुंच के माध्यम से एनपीएस लेनदेनों को सुरक्षित करना:-** केंद्र और राज्य सरकारों के नोडल कार्यालय और उनके स्वायत्त मित्र एनपीएस लेनदेनों के लिए आधार- आधारित प्रमाणीकरण कार्यान्वित कर रहे हैं। यह सुरक्षा उपायों को बढ़ाएगा और अभिदाताओं और हितधारकों की सुरक्षा करेगा। यह प्रणाली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सुलभ होगी, जो वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड आधारित प्रक्रिया के साथ एकीकृत होगी जिसे सीआरए द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- **एनपीएस संरचना के तहत सीआरए के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचा -** यह परिपत्र CRA के लिए एक जोखिम प्रबंधन ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है ताकि उच्च सेवा मानकों, उचित परिश्रम और अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह सीआरए सिस्टम में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों के महत्व पर जोर देता है। फ्रेमवर्क को 120 दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अद्यतनस्वरूप देरी होने पर पूर्व अनुमोदन और ठोस कारणों की आवश्यकता होगी।
- **पीएफआरडीए (एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए डिजिटल सुरक्षा अभ्यास) परामर्श, 2024 -** इसका उद्देश्य एक व्यापक रणनीति स्थापित करना है जो केंद्र/राज्य सरकार के नोडल कार्यालयों द्वारा एनपीएस से संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए सीआरए द्वारा बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के दौरान संभावित खतरों को दूर करने, गोपनीय डेटा की सुरक्षा करने और डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इष्टतम प्रवृत्तियों, निर्देशात्मक पहलुओं और पूर्वव्यापी कार्रवाइयों को एकीकृत करती है।
- **एकाधिक वार्षिकियों के माध्यम से सेवानिवृत्ति आय अनुकूलन -** अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति आय

अनुकूलन के हित में और उन्हें वार्षिकी विकल्पों की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करने के लिए एक ही वार्षिकी सेवा प्रदाता से कई वार्षिकी का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। मल्टीपल वार्षिकी का विकल्प उन अभिदाताओं के लिए प्रदान किया गया है जो 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिकी कॉर्पस निर्धारित करते हैं, जिसमें प्रत्येक वार्षिकी स्कीम को खरीदने के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का उपयोग किया जाता है।

- **एनपीएस संरचना के तहत केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसियों (सीआरए) द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी प्लेटफॉर्म/प्रणाली तक पहुंचने के लिए सरकारी नोडल कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं पर सलाह का परिशिष्ट 1:-** इस बात पर जोर दिया गया है कि नोडल कार्यालयों को संबंधित कार्यालय/सरकारी विभाग में विभिन्न यदानुक्रम के कर्मचारियों/अधिकारियों को चेकर और नेकर की कार्यक्षमता के लिए आईडी आवंटित करनी चाहिए।
- **पीएफआरडीए द्वारा विनियमित मध्यस्थों द्वारा क्लॉउड सेवाओं को अपनाने पर नीति:** यह परिपत्र मध्यस्थियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए मध्यस्थियों द्वारा क्लॉउड सेवा को अपनाने पर नीतिगत ढांचे के साथ मध्यस्थियों को सक्षम और सुसज्जित करने के लिए जारी किया जा रहा है।
- **डीरेमिट के व्यक्तिगत क्यूआर कोड के माध्यम से एनपीएस अंशदान की सुविधा:-** पीएफआरडीए ने एनपीएस अभिदाताओं के लिए अंशदान का एक नया डिजिटल मोड पेश किया है, जिससे वे डीरेमिट का उपयोग करके सीधे अपने बैंक खातों से योगदान कर सकते हैं। इस सुविधा के परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में लगभग 10 लाख डीरेमिट आईडी बनाए गए हैं। एनपीएस अभिदाता अब डीरेमिट-आधारित क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड का उपयोग करके अंशदान कर सकते हैं, जिसे ऑफलाइन भुगतान के लिए ऑफलाइन सहेजा जा सकता है।
- यह सुविधा केवल उन अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है जिन्होंने डीरेमिट आईडी सक्षम किया है।
- **पीएफआरडीए (व्यक्तिगत अस्तित्व) विनियम, 2018 के तहत पीओपी.सब एटिटी (पीओपीएसई) को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) का समर्पण और उसके संशोधन व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए, पीओपीएसई को एजेंसी नोडल के तहत**

शामिल किया गया है, जिसमें POP पीओपी.एसई को पेंशन एजेंटों के रूप में संलग्न कर सकते हैं और पेंशन योजनाओं के वितरण के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

- पूर्ववर्ती पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के विनियमन 3 (i) (iii) के तहत जारी मौजूदा पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का सरेंडर - केवल अपने कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के लिए वितरण और सर्विसिंग। ऐसे पीओपी को सलाह दी गई है कि वे नए पंजीकरण की मांग करें अथवा किसी अन्य पात्र उपस्थिति केंद्र (पीओपी) से संबद्ध हों, जैसा भी मामला हो। लेकिन वे उपरोक्त के पूरा होने तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना जारी रखेंगे।
- एनपीएस अभिदाताओं के लिए व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (एसएलडब्ल्यू) की सुविधा - पीएफआरडीए ने एसएलडब्ल्यू सुविधा के माध्यम से एकमुश्त राशि के चरणबद्ध आहरण का विकल्प प्रदान किया है। अभिदाताओं को एसएलडब्ल्यू के माध्यम से आवधिक आधार पर मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक रूप से 75 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए उनके सामान्य निकास के समय विकल्प के अनुसार अपने पेंशन कोष का 60% तक निकालने की अनुमति है।
- अनिवार्य पेनी ड्रॉप स्थापन - निकास / प्रत्याहरण अनुरोधों के संकथ में सर्वोच्च उचित तत्परता के लिए तत्काल बैंक खाता स्थापन और अभिदाता के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पीएफआरडीए ने दिशानिर्देश जारी किए हैं कि निकास / प्रत्याहरण अनुरोधों को संशोधित करने के लिए, और अभिदाता के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए नाम मिलान के साथ पेनी ड्रॉप स्थापन आवश्यक रूप से सफल होना चाहिए। सीआरए द्वारा पेनी ड्रॉप स्थापन की विफलता के मामले में निकास / निकासी के लिए और या

अभिदाता के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए कोई अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- समेकित खाता विवरण के माध्यम से एनपीएस निवेशों पर सूचित रहने का सरलीकृत और सुरक्षित तरीका - पीएफआरडीए ने एनपीएस अभिदाताओं के सीएएस में एनपीएस लेनदेन को शामिल करने का विकल्प प्रदान करने के लिए सेबी के साथ पंजीकृत डिजिटल डिवाइस के साथ एकीकृत करने में सीआरए को सक्षम बनाया है।
- ई-कंवाईसी सेतु - पहचान के स्थापन के लिए ई-कंवाईसी सेतु के उपयोग के लिए आरई को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- डिजिटलीकरण के माध्यम से लेनदेन के एनपीएस स्टेटमेंट तक पहुंचने में आसानी और सुविधा - एनपीएस अभिदाता आसान पहुंच के लिए अपने एनपीएस खाता लेनदेन विवरण को डिजिटलीकरण में डाउनलोड कर सकेंगे और अपनी पेंशन बचत देख सकेंगे। स्टेटमेंट टियर I और टियर II दोनों के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।

अनुलग्नक की सूची

अनुलग्नक I

पेंशन सलाहकार समिति (पीएसी) की संरचना

अनुलग्नक II

सक्रिय पीओपी.एसपी की राज्यवार कुल संख्या

अनुलग्नक 1

पेंशन सलाहकार समिति (पीएसी) की संरचना

1. उप सचिव (स्थापना II), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
2. उप लेखा महानियंत्रक (तकनीकी सलाह), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
3. निदेशक (ए / सी), डाक विभाग, नई दिल्ली
4. निदेशक (वित्त/बजट), रक्षा वित्त रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
5. श्री गौरव शर्मा, उप कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
6. श्री रमेश चंद्र पांडेय, अनुभाग अधिकारी, वित्त प्रतिष्ठान (एफडी) निदेशालय रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
7. मुख्य कार्यकारी - भारतीय बैंक एसोसिएशन
8. निदेशक, बजट, वित्त विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश शासन
9. अध्यक्ष, एनपीएस ट्रस्ट
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटक पेंशन फंड लिमिटेड
12. प्रबंध निदेशक और सीईओ, प्रोटीपन इंगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) प्रबंधन, पुणे
13. निदेशक, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे
14. अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्जुअरीज ऑफ इंडिया
15. डॉ. केंपी कृष्णन, मानव अनुसंधान प्रोफेसर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर)
16. श्री धीरेन्द्र कुमार, संस्थापक और सीईओ, वैल्यू रिसर्च
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिक्स्ड इनकम, मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
18. अध्यक्ष सीआईआईबीमा और पेंशन संबंधी राष्ट्रीय समिति निदेशक

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य पेंशन सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होंगे।

तत्संबंधी अधिसूचना इस लिंक पर उपलब्ध है -

<https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2180>

अनुलग्नक II
सक्रिय पीओपी/एनपी की राज्यवार कुल संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	128
2	आंध्र प्रदेश	14,954
3	अरुणाचल प्रदेश	405
4	असम	3,204
5	बिहार	9,621
6	चंडीगढ़	460
7	छत्तीसगढ़	4,936
8	छादरा, नगर हवेली, दमन और दीव	109
9	दिल्ली	4,044
10	गोवा	827
11	गुजरात	13,559
12	हरियाणा	6,147
13	हिमाचल प्रदेश	3,153
14	जम्मू और कश्मीर	2,151
15	झारखंड	4,237
16	कर्नाटक	14,319
17	केरल	10,493
18	लद्दाख	20
19	लक्षद्वीप	12
20	मध्य प्रदेश	13,289

21	महाराष्ट्र	21,373
22	मणिपुर	273
23	मेघालय	536
24	मिजोरम	255
25	नागालैंड	247
26	ओडिशा	6,849
27	पुडुचेरी	307
28	पंजाब	9,453
29	राजस्थान	11,065
30	सिक्किम	140
31	तमिलनाडु	15,683
32	तेलंगाना	5,672
33	त्रिपुरा	669
34	उत्तर प्रदेश	24,108
35	उत्तराखंड	2,910
36	पश्चिम बंगाल	10,236
	कुल (संपूर्ण भारत)	2,15,844

नोट सूची में सीआरए-एनएसडीएल और केफिनटेक-सीआरए और सीएमएस सीआरए के तहत पंजीकृत अन्य पीओपी-एसपी के डेटा शामिल हैं।

अनुलग्नक III

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली के बहीखातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने, 31 मार्च, 2024 तक के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के उस वर्ष के लिए आय और व्यय खाते एवं प्राप्तियां और भुगतान खाते पर संलग्न तुलनपत्र (बैलेंस शीट) की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व पीएफआरडीए प्रबंधन पर है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपने विचार व्यक्त करना है।
2. पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं, जो कि सर्वोत्तम लेखाप्रथाओं के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटन मानकों आदि के साथ लेखांकन उपचार पर आधारित है। विधियां, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो वे निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पृथक रूप से वर्णित किए गए हैं।
3. हमने, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रिया सम्पन्न की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि इन लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और संपन्न करें ताकि वित्तीय विवरणियों के त्रुटिमुक्त होने का उचित आश्वासन दिया जा सके। लेखापरीक्षा में, राशियों और वित्तीय विवरणियों के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों का परीक्षण के आधार पर जांच करना भी शामिल है। लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारे दृष्टिकोण को समुचित आधार प्रदान करती है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने यह रिपोर्ट किया है कि :
 - (i) हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमने रिपोर्ट में टिप्पणियों के अतिरिक्त सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।
 - (ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटान किए गए तुलनपत्र, आय और व्यय बहीखाते तथा प्राप्तियों एवं भुगतान खाते को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखा एवं अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) नियम, 2015 एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखा एवं अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) यथासंशोधित नियम, 2022 में निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है।
 - (iii) हमारे विचार से, हमारी लेखापरीक्षा में जहां तक ऐसी खाताबहियों से प्रकट होता है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की खाताबहियों को समुचित रूप से प्रबंधित किया गया है।
 - (iv) हम आगे विवरण देते हैं कि :

क. प्राप्तियां और भुगतान : ₹7,53,69,24,265

अभिलेखों की जांच करने पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2022 तक की अवधि से संबंधित ₹71.51 करोड़ की जीएसटी देयता दिनांक 31 जुलाई 2022 तक लंबित थी। इस राशि में से, पीएफआरडीए

ने मध्यवर्तियों से ₹46.23 करोड़ रुपये प्राप्त किए और उसे वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसटी परिषद को भुगतान किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्ति और भुगतान खाते के किसी भी पक्ष में इस राशि को नहीं दर्शाया गया है।

इसी तरह, इसने चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान मध्यवर्तियों से ली गई फीस पर जीएसटी के रूप में ₹38,73,86,592 एकत्र किए और इसमें से इसने वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसटी परिषद को ₹38,73,80,172 का भुगतान किया। हालांकि, वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्ति और भुगतान खाते के किसी भी पक्ष में इन आंकड़ों को नहीं दर्शाया गया है।

प्राप्ति एवं भुगतान खाता, कैश बुक की प्रतिकृति है। इस खाते में सभी नकद राशियों को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वे पिछले वर्ष, चालू वर्ष या आगामी वर्ष से संबंधित हों, जो लेखा अवधि के दौरान प्राप्त या भुगतान की गई हों। इसके अलावा, खातों के एकसमान प्रारूप में प्राप्ति एवं भुगतान खाते के विषु संख्या 7 के अंतर्गत किसी भी अन्य प्राप्ति और किसी भी अन्य भुगतान को निर्दिष्ट करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार, वर्ष 2023-24 के दौरान मध्यवर्तियों से प्राप्ति और परिषद को भुगतान किए गए 84.97 करोड़ रुपये के जीएसटी को वर्ष 2023-24 के प्राप्ति और भुगतान खाते में नहीं दर्शाया गया और इसलिए, यह उस सीमा तक अपर्याप्त था।

ख. सहायता अनुदान

दिनांक 1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक राशि ₹13.56 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार से 481 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान, सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज ₹1.12 करोड़ था, स्वावलंबन खाते के तहत प्राप्त राशि ₹4.66 करोड़ रुपये और एपीवाई खाते के तहत ₹19.50 करोड़ रुपये थी। 2023-24 के दौरान उपलब्ध कुल राशि ₹519.86 करोड़ रुपये में से पीएफआरडीए ने ₹489.55 करोड़ (जिसमें ₹0.92 करोड़ सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज शामिल है) का उपयोग किया और ₹30.31 करोड़ रुपये की राशि शेष है।

- ग. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपवारात्मक / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अस्सा से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है।
5. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अलावा, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि, इस रिपोर्ट द्वारा निषेदान किए गए तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय खाते / प्राप्ति और भुगतान खाते, खाताबहियों के अनुरूप हैं।
6. हमारे विचार और हमारी संपूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा नीतियों और खाताबहियों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणी और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 में वर्णित अन्य मामलों के अलावा, यह भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष वृत्तिकोष प्रदान करते हैं।
- क. यहाँ तक यह दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार पीएफआरडीए के तुलन-पत्र से संबंधित है और
- ख. यहाँ तक यह 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय बहीखाते में व्यय की तुलना में आय की अधिकता (सकारात्मकता) से संबंधित है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20 सितम्बर 2024



(एस आह्लादिनी पंडा)

महानिदेशक - लेखापरीक्षा

उद्योग एवं कॉर्पोरेट मामले, नई दिल्ली

अनुलग्नक ।

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

क. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

पीएफआरडीए के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए नहीं बल्कि दिनांक 31.12.2023 को समाप्त तीसरी तिमाही तक के लिए पीएफआरडीए के सभी विभागों की लेखापरीक्षा पूर्ण की है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के लिए पीएफआरडीए के वर्तमान नहीखातों का लेखापरीक्षा, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म UCC & ASSOCIATES LLP तथा आंतरिक लेखापरीक्षा GRAND MARK फर्म द्वारा सम्पत्ती की गई थी। इनके निष्कर्षों की सूचना पीएफआरडीए प्रबंधन को रिपोर्ट कर दी गई थी और आंतरिक लेखापरीक्षा फर्म की टिप्पणियों पर पीएफआरडीए द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः पीएफआरडीए में आंतरिक लेखापरीक्षा संतोषजनक है।

ख. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

विशिष्ट कारणों से प्राप्त अनुदानों की बुकिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और याचचर का रखरखाव, विभिन्न नियंत्रण रजिस्टर, सहायता अनुदान और स्वीकृति से संबंधित अभिलेख और व्यय अनुमोदन में नियमितता संतोषजनक थी।

ग. अचल आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अचल संपत्तियों का विभागवार भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसमें प्रशासन, आईटी, वित्त और लेखा के विभागाध्यक्षों द्वारा उनके पास मौजूद अचल संपत्तियों का सत्यापन किया गया। यद्यपि, यह विचारणीय है कि अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन धारकों की उपस्थिति में एक अलग टीम द्वारा किया जाना चाहिए।

घ. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वस्तुसूची को 'शून्य' दर्शाया गया था।

ङ. वैधानिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार 31-03-2024 की स्थिति के अनुसार छह माह से अधिक की कोई सांविधिक देय राशि बकाया नहीं थी।



निदेशक (एगजी-II)

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बिंदु 'क' हेतु :

एनपीएस स्थापत्य में शामिल मध्यवर्तियों की जीएसटी प्राप्तियां और पीएफआरडीए की जीएसटी भुगतान देयता, जो जीएसटी से सम्बन्धित प्राधिकरणों को प्रदत्त होती है, को प्राधिकरण की लेखा गतिविधियों में उचित रूप से दर्ज किया जाता है।

यद्यपि, इसे प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

एएस-3 के अनुच्छेद 22 के अनुसार, परिचालन, निवेश या वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को निचल आधार पर रिपोर्ट किया जा सकता है, यदि वे ग्राहक संबंधी गतिविधियों को दर्शाते हों या उनमें त्वरित कारोबार, बड़ी राशियां और न्यून परिस्रवताएं शामिल हों। मध्यवर्तियों की जीएसटी प्राप्तियां, जो पीएफआरडीए द्वारा एकत्र की जाती हैं, का भुगतान को तुरंत किया जाता है और वे इन मानकों के अंतर्गत निचल रिपोर्टिंग के योग्य होती हैं।

परिणामस्वरूप, प्राप्ति और भुगतान खाते में पृथक प्रस्तुतीकरण पर विचार नहीं किया गया है। जैसा कि सीएजी ऑडिट द्वारा सुझाव दिया गया है, जीएसटी प्राप्तियों और भुगतान को वित्तीय वर्ष 2024-25 से वार्षिक खाताबही में प्राप्ति और भुगतान खाते में दर्शाया जाएगा।

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक के बिंदु 'ग' के लिए :

मीजूदा प्रथा के अनुसार, संबंधित विभागों ने अवल संपत्तियों का मौखिक सत्यापन किया। यद्यपि, बाद में इस प्रयोजन के लिए एक पृथक समिति का गठन किया गया है।

[illegible]

अनुसूची 3 [विभाग 3, अनुसूची 3] संयुक्त निधि (संयुक्त निधि और निदेशित व्यय) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय							
द्वितीय-संवर्धित व्यय							
विवरण	पृष्ठ	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	विवरण	पृष्ठ	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. अग्रिम व्यय	20	47,17,58,098	38,88,10,823	1. निधि / संयुक्त निधि के आय	12	-	-
2. अन्य संयुक्त व्यय	21	27,88,12,445	27,88,12,445	2. अनुदान / अनुदान	13	-	-
3. अनुदान / अनुदान (अग्रिम व्यय)	22	-	-	3. अनुदान / संयुक्त निधि	14	2,17,70,32,432	1,68,73,00,953
4. आय	23	41,79,87,862	10,044	4. [निधि / संयुक्त निधि] (निधि / संयुक्त निधि) (निधि / संयुक्त निधि के लिए आय)	15	-	-
5. अनुदान (अग्रिम व्यय के लिए) (अनुदान / अनुदान)		1,00,38,819	55,34,877	5. अनुदान / संयुक्त निधि के लिए आय	16	-	-
				6. अनुदान / संयुक्त निधि के लिए आय	17	17,95,72,164	8,13,42,342
				7. अन्य आय	18	2,93,213	47,90,600
				8. अन्य आय और आय के लिए आय (अनुदान / अनुदान)	19	-	-
कुल		1,17,96,57,911	85,48,79,827	कुल		2,38,79,00,828	1,76,87,44,124
अन्य आय आय के लिए		1,17,96,57,911	85,48,79,827				
विदेशी आय आय के लिए (अनुदान / अनुदान)		-	-				
अनुदान / अनुदान के लिए आय		-	-				
अनुदान / अनुदान के लिए आय (अनुदान / अनुदान)		1,17,96,57,911	85,48,79,827				
अनुदान / अनुदान के लिए आय (अनुदान / अनुदान)	24						
अनुदान / अनुदान के लिए आय (अनुदान / अनुदान)	25						
आय- अनुदान / अनुदान के लिए आय (अनुदान / अनुदान)							
आय- विभाग : 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1							

[illegible]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 1

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना

कोष / पूंजी भंडार

(इकाई—भास्तीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
वर्ष के आरंभ में शेष	2,97,43,84,095	1,87,10,18,798
जोड़े : अप्रयुक्त कोष निधि का प्रारंभिक शेष	-	-
घटाए : अप्रयुक्त कोष निधि का समापन शेष	-	-
जोड़े/घटाए : आय-व्यय से स्थानांतरित निवल आय/व्यय का शेष	1,17,81,42,099	1,10,33,65,297
जोड़े : आय-व्यय खाते से प्राप्त योग्य/स्थानांतरित सरकारी अनुदान	-	-
वर्ष की समाप्ति पर शेष	4,15,25,26,194	2,97,43,84,095

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला
मुख्य लेखा अधिकारी

समता शंकर
सदस्य

श्री मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक महानती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 2

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना

भंडार और अधिशेष

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. पूंजी कोष		
क) वर्ष के आरंभ में	-	-
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि/जोड़ना	-	-
ग) कमी : वर्ष के दौरान कटीती	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
क) वर्ष के आरंभ में	-	-
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि/जोड़ना	-	-
ग) कमी : वर्ष के दौरान कटीती	-	-
3. विशेष आरक्षित		
क) वर्ष के आरंभ में	-	-
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि/जोड़ना	-	-
ग) कमी : वर्ष के दौरान कटीती	-	-
4. सामान्य आरक्षित		
क) वर्ष के आरंभ में	-	-
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि/जोड़ना	-	-
ग) कमी : वर्ष के दौरान कटीती	-	-
कुल	-	-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर

सदस्य

डॉ. मनोज आनंद

सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 4

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना

सुरक्षित ऋण और उधारी

(इकाई-भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) आर्जित देय ब्याज	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
— आर्जित देय ब्याज	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
— आर्जित देय ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थाएं	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य	-	-
कुल	-	-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू मल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्यडॉ. मनोज आनंद
सदस्यडॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 5

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना

असुरक्षित ऋण तथा उधारी

(इकाई-भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
5. अन्य संस्थान	-	-
6. डिबेंचर और बॉंड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू मल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर

सदस्य

डॉ. मनोज आनंद

सदस्य

डॉ. दीपक महानती

अध्यक्ष

पेशन विधि विनियामक और विकास प्रवर्धन अनुसूची 6 31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना आवृत्ति के लिए वेनदासिया (इकाई-मासिक रूप में)		
विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. पूंजी उपकरणों और अन्य आस्तियों की उपप्राधान्य द्वारा सुरक्षित स्वीकृति	-	-
2. अन्य	-	-
कुल	-	-
स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024 ममता शर्मा सदस्य डॉ. मनोज आनंद सदस्य डॉ. दीपक महानती अध्यक्ष		

स्थान निधि विविधमंत्र और विकास प्राधिकरण अनुसूची 2 31 मार्च 2024 को तुल्य पत्र के पुराने और नया बिलों के अनुसार देयताएं और प्रत्यक्षता (इकाई-भारतीय रुपया)		
विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
प्रत्यक्ष देयताएं 1. स्वीकृति 2. कुटीर केवल और देयताएं 3. पुराने बिल 4. अतिरिक्त बिलों पर देयताएं 5. कुटीर बिल/अन्य 6. अनुसूची बिल/अन्य 7. आर्थिक देयताएं 8. अतिरिक्त 9. अन्य - जोत पर कर की बिलों (सिटीएस) 10. अन्य और सेवाएं (सीएसटी) से प्राप्त जीएसटी 11. अन्य और सेवाएं # 12. जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2022 तक बिलों और देयताओं की देयताएं 13. जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2022 तक अन्य और सेवाओं की देयताओं पर अतिरिक्त 14. अन्य बिलों के देयताएं 15. अन्य 1) सुविधा बिल 16. सुविधा बिल : ₹70,89,000 रुपये (विगत वर्ष: ₹63,10,263) 17. सुविधा बिलों से निवेदन : ₹65,00,000 रुपये (विगत वर्ष: ₹50,00,000 रुपये)	- 34,71,86,862 - - - - - - 63,66,863 3,91,997 18,56,74,855 23,18,59,606 41,78,78,420 - 57,74,257 5,89,800 1,18,68,01,969	- 13,41,78,585 23,200 - - - - - 14,81,673 14,254 39,023 - - 56,47,300 13,10,763 14,26,54,397
कुल	1,18,68,01,969	14,26,54,397
प्रत्यक्ष देयताएं 1. करों के लिए 2. एलिस बिल 3. अतिरिक्त बिलों/अन्य 4. अतिरिक्त कुटीर नकदीकरण 5. अतिरिक्त बिलों के लिए 6. कुटीर नकदीकरण देय 7. अतिरिक्त बिलों के लिए देय	- (32,83,709) - 3,20,40,814 - - 7,38,480 2,94,95,665 1,21,62,97,654	- (48,43,223) - 1,04,99,118 - - 7,38,480 63,94,375 14,90,48,773
कुल	2,94,95,665	63,94,375
कुल	1,21,62,97,654	14,90,48,773
* श्रृंखला 25 को दिखानी 3(1)(A) का अनुषंग में करें। # श्रृंखला 25 को दिखानी 6 (iii) का अनुषंग में करें।		
स्थान निधि विविधमंत्र और विकास प्राधिकरण 31 मार्च 2024 भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार		
भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार		
भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार		

पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 9

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उदात्ता हिस्सा बनना

निर्धारित/धर्मादा निधि में निवेश

(इकाई-भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
6. सावधि जमा	3,14,89,135	2,91,51,498
7. अन्य	-	-
कुल	3,14,89,135	2,91,51,498

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 04 जून 2024

मंजु भल्ला
मुख्य लेखा अधिकारी

समता शर्कर
सदस्य

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक महानती
अध्यक्ष

पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 10

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना

निवेश - अन्य

(इकाई--भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर (गैर-कथित)		
नेशनल सेंटर फॉर फ़ाईनेन्शियल एजुकेशन (एनसीएफई) के शेयर 10,00,00,000/-		
घटाएँ : सरकारी अनुदान से किया गया निवेश*		
<u>9,99,99,999/-</u>	1	1
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
6. सावधि जमा (अनुत्तयित वाणिज्यिक बैंकों में) (सूची 25 की टिप्पणी 9 देखें)	2,63,01,00,000	1,22,99,98,000
7. अन्य	-	-
कुल	2,63,01,00,001	1,22,99,98,001

*सूची 25 की टिप्पणी 7 देखें।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू मल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

समता शंकर

सदस्य

डॉ. मनोज आनंद

सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

[illegible]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 12

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसका भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

बिक्री / सेवाओं से आय

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) कबाड़ की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय		
क) भ्रम और प्रसारण शुल्क	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
घ) रक्षावर्धन सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ड.) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024	मजूमदार मुख्य लेखा अधिकारी	
ममता शंकर सदस्य	डॉ. मनोज आनंद सदस्य	डॉ. दीपक महानती अध्यक्ष

पेशन निधि विनिर्वाहक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 13

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आव और व्यव खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

अनुदान / सबसीडी

(प्रकाई-भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
स्थिर अनुदान / प्राप्त आमृतति		
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी कर्मिकरण	-	-
4. संस्थान / कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024		
मंजू मल्ला मुख्य लेखा अधिकारी		
ममता शंकर सदस्य	डॉ. मनोज आनंद सदस्य	डॉ. दीपक महानती अध्यक्ष

पैशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 14

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

शुल्क / सदस्यता

(इकाई-भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क	2,17,38,77,785	1,68,05,51,951
3. संगोष्ठी / कार्य शुल्क	-	-
4. सलाहकारी शुल्क	-	-
5. लाइसेंस शुल्क	-	-
6. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	39,55,638	67,49,002
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	2,17,78,33,623	1,68,73,00,953

नोट: सूची 25 का नोट 13 देखें।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजूर मल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्यडॉ. मनोज आमंद
सदस्यडॉ. दीपक महास्ती
अध्यक्ष

पैशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 15

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाते से जुड़ने और उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होने के लिए

निवेश से प्राप्त

(निर्दिष्ट और धर्मोदा निधियों के निधि में हस्तांतरण से निवेश आय)

(इकाई-भारतीय रुपया)

विवरण	निर्धारित धनराशि से निवेश		निवेश - अन्य	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बैंक/डिपॉजिट	-	-	-	-
ग) अन्य *	21,04,336	14,04,662	-	-
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड पर	-	-	-	-
ग) अन्य	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	21,04,336	14,04,662	-	-
घटाएं: उद्दिष्ट/धर्मोदा निधि को हस्तांतरित	21,04,336	14,04,662		
कुल राशि	-	-	-	-

* अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

संजु भट्टा
मुख्य लेखा अधिकारी

समस्त शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक ग्वालानी
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 16

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

प्रभुत्व शुल्क, प्रकाशन आदि से आय

(इकाई—भारतीय रुपये)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. प्रभुत्व शुल्क से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजु भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

समता शंकर

सदस्य

डॉ. मनोज आनंद

सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

वैशन निधि विनिर्वाहक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 17

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खातों से जुड़ने तथा उसके भंड के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

अर्जित ब्याज

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. राशियाँ जमा खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों में	17,59,39,899	6,24,22,290
ख) गैर- अनुसूचित बैंकों में	-	-
ग) संस्थाओं में	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत बैंक जमा खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में	36,33,265	59,20,252
ख) गैर- अनुसूचित बैंकों में	-	-
ग) डाकघर बचत खातों में	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋण पर		
क) कर्मचारी/स्टॉफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. देनदार तथा अन्य प्राप्तिशील पर ब्याज	-	-
कुल	17,95,73,164	6,83,42,542
स्रोत पर कर की कटौती	-	-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजु भट्टा

मुख्य लेखा अधिकारी

समता शर्मा

सदस्य

डॉ. मनोज आनंद

सदस्य

डॉ. दीपक महान्दी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 18.

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

अन्य आय

(इकाई-भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/ निपटान पर लाभ क) स्वामित्व वाली संपत्ति	34,736	-
ख) अनुदान से परे या निशुल्क प्राप्त संपत्ति	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन वसूल	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	3,58,497	47,00,630
कुल	3,93,233	47,00,630
स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024		
ममता शर्मा सदस्य डॉ. मनोज आनंद सदस्य मंजू भट्ना मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. दीपक महान्ती अध्यक्ष		

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्रबंधकरण

अनुसूची-19

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

वैसाख साल के स्टॉक में वृद्धि / (कमी) और प्रगतिशील कार्य

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
क) समापन स्टॉक		
1. वैसाख साल	-	-
2. कार्य प्रगति पर	-	-
ख) प्रदाण — प्रारंभिक स्टॉक		
1. वैसाख साल	-	-
2. कार्य प्रगति पर	-	-
कुल वृद्धि / (कमी) (क-ख)	-	-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजु भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

समता शंकर

सदस्य

डॉ. मनोज आनंद

सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 20

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

स्थायित्व व्यय

(इकाई-भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. वेतन और मजदूरी	39,46,18,163	33,32,71,125
2. माला और बीमर	-	-
3. मविध निधि अंशदान	-	-
4. नेशनल पेंशन योजना अंशदान	2,90,54,341	2,48,92,466
5. कर्मचारी कल्याण आरा	34,70,976	17,65,164
6. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और सेवान्त लाभ पर व्यय	-	-
7. अपकाय वेतन	3,57,37,930	1,33,28,660
8. द्यूक्तन शुल्क की प्रतिपूर्ति	-	-
9. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	73,38,441	57,44,737
10. ग्रेग्रुटी अंशदान	25,48,244	14,68,670
11. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	47,27,68,095	38,04,70,823
स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 04 जून 2024 ममता शंकर सचिव डॉ. मयोज आनंद सचिव मंजू मल्ल मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. दीपक महान्ती अध्यक्ष		

रेगल निधि विनिष्क्रमक और विमर्श प्रधिकरण अनुसूची 21 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आम और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके साथ जो रूप में प्रस्तुत करने हेतु अनुप प्रसारित किए गए (प्रकाश-राष्ट्रीय संपदा)		
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. नदी/नहरियाँ	-	-
2. आम और प्रसारण खर्च	-	-
3. दुर्घटना और अनियमित परिवहन	-	-
4. विपत्तियों और प्रसार	21,97,806	19,27,091
5. जल शुल्क	9,50,126	9,39,873
6. बीमा	40,27,252	48,75,244
7. सड़क और एयरपोर्ट	50,66,006	61,41,763
8. जलवायु शुल्क	-	-
9. विपत्तियों पर और जल	7,54,58,773	8,15,57,285
10. जलवायु और जलवायु संचालन	9,73,689	4,54,606
11. जल, टेलीफोन और संचार शुल्क	71,60,097	51,09,189
12. भूदान और जलवायु संचालन	24,18,311	24,17,035
13. जल और जलवायु खर्च	2,48,82,626	2,47,80,339
14. सेमिनार/कार्यशालाएं/ बैठकों और सम्मेलनों पर व्यय	2,98,78,874	2,22,71,031
15. सड़क और जल	4,43,072	43,09,104
16. जल और जल	-	-
17. जलवायु और जल	2,23,030	2,46,160
18. जलवायु खर्च	-	-
19. जलवायु शुल्क	3,16,66,229	3,56,59,125
20. पुस्तकें और संचालन	6,86,673	5,15,408
21. जल खर्च	81,084	2,08,20,403
22. जलवायु और जलवायु जल/जलवायु के लिए जलवायु	-	-
23. जलवायु और जलवायु के लिए जलवायु	-	-
24. जलवायु और जलवायु के लिए जलवायु	-	-
25. जलवायु खर्च	-	-
26. जल और जलवायु खर्च	-	-
27. जलवायु खर्च	-	-
28. जलवायु और जलवायु खर्च	9,08,31,417	3,03,81,284
29. जलवायु खर्च	13,19,989	9,02,328
30. जलवायु खर्च	41,22,310	62,16,099
31. जलवायु खर्च	-	66,50,122
32. जलवायु खर्च	135,54,414	2,54,61,295
33. जलवायु खर्च	27,88,32,145	27,09,43,283
34. जलवायु खर्च	-	-
35. जलवायु खर्च	-	-
36. जलवायु खर्च	-	-
37. जलवायु खर्च	-	-
38. जलवायु खर्च	-	-
39. जलवायु खर्च	-	-
40. जलवायु खर्च	-	-
41. जलवायु खर्च	-	-
42. जलवायु खर्च	-	-
43. जलवायु खर्च	-	-
44. जलवायु खर्च	-	-
45. जलवायु खर्च	-	-
46. जलवायु खर्च	-	-
47. जलवायु खर्च	-	-
48. जलवायु खर्च	-	-
49. जलवायु खर्च	-	-
50. जलवायु खर्च	-	-
51. जलवायु खर्च	-	-
52. जलवायु खर्च	-	-
53. जलवायु खर्च	-	-
54. जलवायु खर्च	-	-
55. जलवायु खर्च	-	-
56. जलवायु खर्च	-	-
57. जलवायु खर्च	-	-
58. जलवायु खर्च	-	-
59. जलवायु खर्च	-	-
60. जलवायु खर्च	-	-
61. जलवायु खर्च	-	-
62. जलवायु खर्च	-	-
63. जलवायु खर्च	-	-
64. जलवायु खर्च	-	-
65. जलवायु खर्च	-	-
66. जलवायु खर्च	-	-
67. जलवायु खर्च	-	-
68. जलवायु खर्च	-	-
69. जलवायु खर्च	-	-
70. जलवायु खर्च	-	-
71. जलवायु खर्च	-	-
72. जलवायु खर्च	-	-
73. जलवायु खर्च	-	-
74. जलवायु खर्च	-	-
75. जलवायु खर्च	-	-
76. जलवायु खर्च	-	-
77. जलवायु खर्च	-	-
78. जलवायु खर्च	-	-
79. जलवायु खर्च	-	-
80. जलवायु खर्च	-	-
81. जलवायु खर्च	-	-
82. जलवायु खर्च	-	-
83. जलवायु खर्च	-	-
84. जलवायु खर्च	-	-
85. जलवायु खर्च	-	-
86. जलवायु खर्च	-	-
87. जलवायु खर्च	-	-
88. जलवायु खर्च	-	-
89. जलवायु खर्च	-	-
90. जलवायु खर्च	-	-
91. जलवायु खर्च	-	-
92. जलवायु खर्च	-	-
93. जलवायु खर्च	-	-
94. जलवायु खर्च	-	-
95. जलवायु खर्च	-	-
96. जलवायु खर्च	-	-
97. जलवायु खर्च	-	-
98. जलवायु खर्च	-	-
99. जलवायु खर्च	-	-
100. जलवायु खर्च	-	-

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
अनुसूची 22

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और खर्च खातों से जुड़ने तथा उससे भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु
अनुदान / सखिस्टी पर धन आदि

(इकाई-भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. संस्थानों/संगठनों/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्थापन को दिया गया अनुदान	-	-
2. संस्थानों/संगठनों को दी गई सखिस्टी	-	-
3. अन्य :		
कुल	-	-
स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024 संजु बाला मुख्य लेखा अधिकारी समिता शंकर सदस्य डॉ. मनोज आनंद सदस्य डॉ. दीपक महान्ती अध्यक्ष		

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 23

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

ख्यात

(इकाई--भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. निर्वाचित कर्मी पर	-	-
2. अन्य कर्मी पर	-	-
3. बैंक के शुल्क	19,433	10,044
4. अन्य *	41,79,78,429	-
कुल	41,79,97,862	10,044

* सूची 25 का नोट 3 (ख) (ii) देखें।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मजूमदार

मुख्य लेखा अधिकारी

समता शंकर

सदस्य

डॉ. मनोज आनंद

सदस्य

डॉ. दीपक माहानवी

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 24

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों से जुड़ने और उनका हिस्सा बनने हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार और वित्तीय विवरण तैयार करना

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ('प्राधिकरण') भारत के निबंधक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करता है और प्रत्येक वर्ष खातों की लेखापरीक्षा सी एंड एजी द्वारा की जाती है।

प्राधिकरण के वित्तीय विवरण पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखा तथा अभिलेखों के वार्षिक विवरण का रूप) नियम, 2015 व पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखा तथा अभिलेखों के वार्षिक विवरण का रूप) संशोधन नियम, 2022 के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत भारत सरकार की अटल पेंशन योजना स्कीम, स्वावलंबन योजना और एपीआई के तहत गैप फंड अनुदान जैसी योजनाओं के खातों को छोड़कर संचयी आधार पर तैयार किए गए हैं, जिनका नकद आधार पर लेखा जोखा रखा जाता है। धर्मादा/निर्धारित निधि की शुभना वार्षिक खातों की अनुसूची 3 के अंतर्गत दी जाती है।

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए पीएफआरडीए को लेखांकन अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों में संपत्ति, देनदारियों (पूजी प्रतिबद्धता और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण सहित) आय और व्यय की सूचित राशि को प्रभावित करती है। यद्यपि यह माना जाता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं, किंतु वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों में अंतर को संबंधित खाता शीर्ष में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिस अधि में परिणाम ज्ञात/मूल किए जाते हैं।

2. राजस्व को मान्यता

- (i) एनपीएस संरचना में सभी मध्यवर्तियों से वार्षिक/तिमाही शुल्क को संबंधित विनियमों में निर्धारित तरीके से आय के रूप में संचयी आधार पर तब तक मान्यता दी जाती है, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।
- (ii) पंजीकरण या नवीकरण अधि की वैधता के बावजूद, पंजीकरण/नवीकरण के पहले वर्ष में मध्यवर्तियों के पंजीकरण अथवा नवीकरण शुल्क का लेखाजोखा रखा जाता है।
- (iii) केवल उन मामलों को छोड़कर, ब्याज आय को उपार्जित आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां प्राधिकरण को सरकारी अनुदान की प्राप्ति होती है; ऐसे अनुदानों पर ब्याज से प्राप्त आय नकद आधार पर होती है।
- (iv) अन्य आय, प्राधिकरणों की गतिविधियों के फलस्वरूप, आनुमानिक गतिविधियों से अर्जित आय दर्शाती है और आय प्राप्ति का अधिकार मिलने पर ही इसे मान्यता दी जाती है।
- (v) अमिताता शिक्षा और संरक्षण निधि (चिह्नित निधि) से किए गए निवेश पर ब्याज आय को संचयी आधार पर मान्यता दी जाती है और इसे अनुसूची 11 के तहत सूचित किया जाता है।
- (vi) प्राप्ति अधिकार मिलने और संबंधित सेवाओं के लिए मध्यवर्तियों को भालान जुटाने के लिए पीएफआरडीए की पात्रता पर पीएफआरडीए द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिलश्रित राजस्व को मान्यता दी जाती है।

3. सरकारी अनुदान

(i) अटल पेंशन योजना, स्वावलम्बन और एपीवाई के तहत जीएपी फंड अनुदान जैसी योजनाओं के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त होते हैं। इन अनुदानों और इनसे संबंधित खर्चों का हिसाब नकद अन्धार पर लगाया जाता है।

(ii) विशिष्ट परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान, परिसंपत्ति की लागत के समतुल्य अथवा वस्तुतः संपूर्ण के बराबर होता है, जिसे संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में उनके रिकार्ड मूल्य के रूप में दर्शाया गया है और संबंधित परिसंपत्तियों को तुलना पत्र में नाममात्र मूल्य पर दर्शाया गया है।

4. निवेश

निवेश बैंकों की सावधि जमाओं में होता है और अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

5. निश्चित परिसंपत्तियां और मूल्यहास

(i) अचल संपत्ति की किसी वस्तु की लागत को संपत्ति के रूप में केवल तभी मान्यता दी जाती है जब

(क) यह संभावना है कि वस्तु से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ प्राधिकरण को प्राप्त होंगे, और

(ख) वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अचल परिसंपत्तियों को उनकी मूल लागत पर कम समित मूल्यहास और हानि के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में अधिग्रहण और निर्माण/प्रतिष्ठानों तथा कर सहित अन्य संबंधित खर्च शामिल किए जाते हैं जिनके लिए लाभों का दावा नहीं किया जा सकता है तथा इसमें इच्छित उपयोग के लिए कार्य करने की स्थिति में लाने में के लिए अधिग्रहण से संबंधित अन्य आकस्मिक खर्च भी शामिल किए जाते हैं। बोर्ड द्वारा अनुमोदन के उपरान्त, प्राधिकरण ने दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से अवमूल्यन विधि को रिटन डाउन वैल्यू (डिब्ल्यूडीवी) से स्टेट लाइन मेथड (एसएलएम) में बदल दिया है।

लेखा मानक 10 (एएस 10) – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पैरा 63 के अनुसार किसी परिसंपत्ति पर लागू मूल्यहास विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जानी चाहिए और यदि परिसंपत्ति में तन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तित स्वरूप का दर्शाने के लिए विधि को बदला जाना चाहिए। इस तरह के परिवर्तन की गणना लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में की जानी चाहिए।

लेखा मानक 5 (एएस 5) – अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्वावधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के पैरा 24 के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन, केवल वर्तमान अवधि को अथवा मौजूदा अवधि और भविष्य की अवधि दोनों को प्रभावित कर सकता है।

तदनुसार, रिटन डाउन वैल्यू (डिब्ल्यूडीवी) से स्टेट लाइन मेथड (एसएलएम) में मूल्यहास की विधि में परिवर्तन को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। इस प्रकार, परिवर्तन के प्रभाव की वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2023-24 से 1 अप्रैल 2023 तक अचल संपत्तियों की बहन राशि पर संभावित रूप से मान्यता दी गई है।

परिसंपत्तियां	अनुमानित उपयोगी जीवनअवधि
भवन, कार्यालय परिसर और आवासीय फ्लैट	30 वर्ष
कंप्यूटर, सर्वर और नेटवर्क्स (अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण), दूरभाष/मोबाइल हैंडसेट तथा सहायक सामग्री	3 वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर, कार्यालय उपकरण, वाहन, अन्य विद्युत प्रतिष्ठान और अन्य सभी वस्तुएं जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं है।	5 वर्ष
लीजहोल्ड परिसरों का नवीकरण व्यय	5 वर्ष या लीज अवधि, जो भी कम हो।

(ii) वित्त वर्ष 2023-24 से पूँजीकृत करने के लिए परिसंपत्तियों की न्यूनतम लागत 10,000/- रुपये (पिछले वित्त वर्ष तक 5,000) होगी, तदनुसार अर्हता प्राप्त करने के लिए, 10,000/- रुपये से कम लागत की किसी भी वस्तु को राजस्व व्यय के रूप में मान्यता देकर इसे खरीद वर्ष में आय-व्यय खाते में दर्शाया जाता है।

(iii) वित्त वर्ष 2023-24 से पुस्तकालय की पुस्तकों को राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और खरीद वर्ष में आय-व्यय खाते में दर्शाया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, पुस्तकालय की पुस्तकों को पूँजीकृत किया जाता है।

(iv) अनुमोदित मूल्यहास नीति के अनुसार, अचल संपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है, तदनुसार अचल संपत्तियों को उनकी मूल लागत के 95 प्रतिशत तक मूल्यहास किया जाता है।

(v) वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई सभी परिसंपत्तियाँ, जो पूँजीगत प्रकृति की हैं और मीजूदा परिसंपत्तियों का अभिन्न अंग हैं, उनका परिसंपत्ति के उपयोग के दिनों की वास्तविक संख्या के लिए अनुपातिक आधार पर मूल्यहास किया जाता है।

(vi) अमृत संपत्ति की किसी वस्तु की लागत को संपत्ति के रूप में केवल तब तक मान्यता दी जाती है जब

(क) यह संभावना है कि वस्तु से संबंधित मध्यम के आर्थिक लाभ प्राधिकरण को प्राप्त होंगे और

(ख) वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण से संबंधित लागत को 'अमृत परिसंपत्तियों' के रूप में पूँजीकृत किया जाता है और पूँजीकरण की तिथि से स्ट्रेट लाइन मेथड से तीन वर्षों की अवधि के भीतर परिशिोधन किया जाता है।

(vii) प्रगतिशील पूँजीगत कार्य को कुल संचित हानि, यदि कोई है, की लागत पर मान्यता दी जाती है। इसमें ऐसी निश्चित परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो सुचित तिथि को इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं।

जब तक निर्माण और स्थापना पूरी नहीं हो जाती और प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक प्रगतिशील पूँजी कार्य पर अवमूल्यन दर्ज नहीं किया जाता है।

6. कर्मचारी लाभ प्राधिकरण में अपने कर्मचारियों के संबंध में उपदान और छुट्टी नकदीकरण संबंधी देनदारियों को भारत की एलआईसी की कर्मचारी समूह उपदान योजना तथा समूह छुट्टी नकदीकरण योजना में अंशदान देकर वित्त पोषित किया है जिसे एएस-15 के अनुसार संसाधित किया जाता है। वास्तविक लाभ/हानियों की आय-व्यय खाते में दर्शाया जाता है।

7. नकद और नकद समतुल्य

प्राप्ति और भुगतान खाते में नकद और नकद समतुल्य में बैंक में नकद, कैंश-इन-हैंड और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के अल्पकालिक निवेश शामिल हैं।

8. विदेशी मुद्रा लेनदेन

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्राओं में होने वाले लेनदेन, लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं।

9. प्राक्कान

प्राधिकरण एक प्राक्कान को मान्यता देता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देनदारो उत्पन्न होती है और यह संभव है कि दायित्व पूरा करने के लिए संसाधनों के बहिर्गोह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्राक्कान तुलनात्मक की तिथि को प्राक्कानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

10. आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण वह किया जाता है जहाँ

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित देयता जिसके अस्तित्व की भुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना से की जाएगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं है, अथवा

ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयताएँ जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि: (i) वह समय नहीं है कि दायित्व पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों को मूल रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्गम की आवश्यकता होगी, अथवा (ii) देयता राशि को पर्याप्त विश्वसनीयता से मापा नहीं जा सकता है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 04 जून 2024

मंजू भट्ना
मुख्य लेखा अधिकारी

समता कोशर
सदस्य

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक मलानी
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 25

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों से जुड़ने और उनका हिस्सा बनने हेतु आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं 31 मार्च 2024 को प्राधिकरण की ₹7.52 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयताएं हैं।

आकस्मिक देयताओं के विवरण निम्नानुसार हैं:

- एनबीसीसी से परिसरों के अभिग्रहण पर जीएसटी पर व्याज, वित्तीय विवरणों की तिथि तक, एनबीसीसी से नए कार्यालय परिसरों के अभिग्रहण से संबंधित वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के कुछ पहलुओं पर स्पर्दीकरण मांगने के लिए दिल्ली प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किया है जैसे जीएसटी वसूली की विधि अर्थात् रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, विचारार्थ आपूर्ति मूल्य जिस पर जीएसटी देय है आदि। विचाराधीन प्रमुख क्षेत्रों में से एक इन लेनदेनों पर जीएसटी देयता पर व्याज की प्रयोज्यता है। यह आवेदन अभी स्वीकृति हेतु लंबित है। इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2024 तक जीएसटी पर कुल व्याज देनदारी ₹7.48 करोड़ रुपये है।
- कर्मचारी लाभों का भुगतान—सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान, छुट्टी नकदीकरण आदि कानूनी मामलों से संबंधित विवादित दावों की कुल ₹0.035 करोड़ रुपये की आकस्मिक देनदारियों का प्रकटन किया गया है। वित्तीय विवरणों की तिथि तक मामला विचाराधीन होने के कारण ये दावे लंबित हैं।

2. वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम

वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिमों का वस्तुओं की राशि तुलनापत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर मूल्य होता है।

- अनुसूची 11 (ख) (2) (ब) - "अन्य" शीर्षक के तहत वसूली योग्य ₹4.81 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 : ₹2.51 करोड़ रुपये) के अग्रिम और अन्य राशि में मुख्यतः बीएवीपी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित (एनआईसीएसआई), पीबीसीआई केंद्रीय बिडी ब्रकराई ऑल इंडिया रेडियो, एनपीएस न्यास तथा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को भुगतान किए गए अग्रिम शामिल हैं।
- अनुसूची 11 (ख) (3) (घ) - "वार्षिक शुल्क" के खातों में अर्जित आय के रूप में दर्शायी गई ₹17.33 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 : ₹14.11 करोड़ रुपये) की राशि में वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए ₹13.79 करोड़ रुपये न्यासी बैंक से और ₹3.54 करोड़ रुपये केंद्रीय अनिलेखपालन अभिकरणों से प्राप्त की जागी है जिसका संचयों आधार पर लेखाजोखा रखा जाता है।

3. कराधान

क) प्रत्यक्ष कर

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 34 को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्त लाभ के संबंध में धन-कर, आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तदनुसार, लेखा पुस्तकों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ख) अग्रगत कर

i) वस्तु और सेवा कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटी आईटीसी) को उसी अवधि में पुस्तकों में मान्यता दी गई है जिसमें प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को मान्यता दी गई है।

ii) 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई, 2022 तक की अवधि में पीएफआरडीए द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी शुल्क।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सरकार द्वारा जुलाई 2017 में लागू किया गया था। चूंकि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी एक नया कानून है, इसलिए पीएफआरडीए द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के विपरीत पीएफआरडीए को कोई स्पष्ट छूट नहीं दी गई थी। परिणामस्वरूप, पीएफआरडीए ने जीएसटी परिषद से अनुरोध किया कि पीएफआरडीए को उचित छूट जारी कर इसी तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। तथापि, परिषद की ओर से स्पर्दीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

जबकि, जीएसटी अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई 2022 के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के समान जीएसटी प्राधिकरणों से छूट के लिए पीएफआरडीए अपने मुद्दा उठाया है और अन्य वित्तीय क्षेत्र के निगमों को दी गई छूट को वापस लेकर तदनुसार पीएफआरडीए ने जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करते हुए पीएफआरडीए लागू गतिविधियों/कार्यों पर जीएसटी के भुगतान और निर्धारित समय के भीतर जीएसटी विभाग को आवश्यक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने सहित सभी वैधानिक

आवश्यकताओं का पालन कर रहा है।

इस बीच, पीएफआरडीए को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय सेवा विभाग से पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें विभिन्न जीएसटी परिषद की बैठक के कार्यदृष्ट को शामिल कर उल्लेख किया गया कि जीएसटी परिषद ने पीएफआरडीए द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कराधान के संबंध में किसी भी बदलाव की संस्तुति नहीं की थी।

इसके अनुसरण में, पीएफआरडीए ने 01 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2022 की अवधि के लिए विनियामक सेवाओं पर 18 प्रतिशत की ब्याज दर से जीएसटी देयताओं का अनुमान लगाया गया है। पीएफआरडीए ने संबंधित मध्यवर्तियों से उक्त अवधि के लिए जीएसटी देयता की वसूली कर उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए रिटर्न दाखिल किया है।

ब्याज के संबंध में कानूनी राय मिलने के उपरान्त, परामर्श दिया गया था कि ब्याज का भुगतान करने का दायित्व पूरी तरह से सेवाओं के आपूर्तिकर्ता पर होगा और इस तरह के दायित्व को सेवा प्राप्तकर्ता पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

जीएसटी देयता का सारांश-वित्तीय वर्ष के अनुसार नीचे दर्शाया गया है:-

वित्त वर्ष	राशि करोड़ रु. में
2017-18 (01 जुलाई 2017 से)	3.57
2018-19	9.75
2019-20	10.52
2020-21	10.65
2021-22	24.04
2022-23 (31 जुलाई 2022 तक)	12.98
कुल	71.51

जीएसटी देयता और उस पर प्रदत्त ब्याज का सारांश नीचे दिया गया है:

भुगतान का सारांश					
क्र.सं.	विवरण	जीएसटी (करोड़ रु. में)			ब्याज (29 मई 2024 तक)
		वित्त वर्ष 23-24 में प्रदत्त	वित्त वर्ष 23-24 में प्रदत्त	कुल	वित्त वर्ष 24-25 में प्रदत्त
1	वार्षिक शुल्क पर जीएसटी - सभी माध्यवर्ती (अपजीकृत पेशन निधि को छोड़कर)	46.23	24.21	70.44	41.91
2	वार्षिक शुल्क अपजीकृत पेशन निधि	0.00	0.03	0.03	0.03
3	वार्षिक शुल्क	0.00	1.04	1.04	0.57
	कुल	46.23	25.28	71.51	42.51

क) ₹25.25 करोड़ रुपये (₹24.21 करोड़ रुपये + ₹1.04 करोड़ रुपये) की कुल राशि को 31 मार्च 2024 तक वार्षिक शुल्क और विविध शुल्क पर जीएसटी तुलन पत्र में प्राप्ति के रूप में जीएसटी अधिकारियों के अनुरूप देयता दर्शायी गई है।

ख) ₹0.03 करोड़ रुपये की अप्रयोजित पेशन निधि से प्राप्त शुल्क पर जीएसटी देयता का भुगतान प्राप्त शुल्क पर विचार करते हुए किया जाएगा जिसमें कर शामिल है क्योंकि इकाई अस्तित्व में नहीं है। इसलिए, इसे 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय खाते में पूर्णरूपेण दर्शाया गया है।

ग) जीएसटी देयता पर ₹42.51 करोड़ रुपये की कुल ब्याज राशि में से ₹41.79 करोड़ रुपये की राशि (31 मार्च 2024 तक संचित) को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूची 23 के अंतर्गत आय-व्यय खाता में दर्शाया गया है और अनुसूची 7 के तहत 31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र में संपूर्ण राशि का प्राक्कान किया गया है।

घ) इसके बाद, वित्त वर्ष 2024-25 में प्राधिकरण ने उपरोक्त तालिका में दिए गए विवरणानुसार भुगतान की तिथि तक उपाधित ब्याज सहित संपूर्ण बकाया जीएसटी देयता को माफ कर दिया है।

4. 31 मार्च 2024 तक अप्रयुक्त सरकारी अनुदान अनुसूची 3 धर्मादा/ चिन्हित निधियों के तहत सूचित किया गया है। धर्मादा/ चिन्हित निधि, अनुसूची 3 के तहत सूचित किए जाते हैं जिसमें अटल पेंशन योजना (एपीवाई) अभिदाता शिक्षा और संरक्षण कोष (एसईपीएफ) स्वावलम्बन, अभिदाता पेशन अंशदान संरक्षण खाता (एसपीसीपीए) और अटल पेंशन योजना के तहत अंतर निधि अनुदान शामिल है। व्यय अनुसूची 3 में 'निधि प्रयोजनों के लिए उपयोग/व्यय' के तहत सूचित किया गया है। चिन्हित निधि में निम्नलिखित शामिल हैं:

i) अटल पेंशन योजना - ₹212.57 करोड़ रुपये का भुगतान क) एपीवाई के लिए विज्ञापन व्यय, ख) एपीवाई सेवा प्रदाताओं (एपीवाई-एसपी) को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि, ग) भारत सरकार को ब्याज का रिफंड और घ) भारत सरकार (जीआरआई) को एपीवाई योजना से समय से पहले निकाली के कारण सरकारी सह-अंशदान का रिफंड।

ii) अभिदाता शिक्षा संरक्षण कोष - ₹0.50 करोड़ रुपये का भुगतान एसईपीएफ समिति की संस्तुतियों के अनुसार मीडिया के माध्यम से एनपीएस/एपीवाई अभिदाताओं में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता को बढ़ाया देने के लिए है।

iii) स्वावलम्बन - ₹5.93 करोड़ रुपये का भुगतान क) एपीआईसी को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि, ख) वित्तीय सेवा विभाग (जीएफएस) को लौटाई गई ब्याज की राशि, ग) भारत सरकार को एपीआई योजना से समय से पहले निकाली के कारण सरकारी सह-अंशदान का रिफंड और घ) मात्र अभिदाताओं के संबंधित फ़ोन में सरकारी सह-अंशदान के लिए न्यासी बैंक को 1,000.00 रुपये का भुगतान दर्शाता है।

iv) अटल पेंशन योजना के तहत अंतर निधि अनुदान - ₹271.04 करोड़ रुपये की राशि अंतर निधि और भारत सरकार को लौटाई गई ब्याज राशि के रूप में दर्शायी गई है।

5. पीएफआरडीए ने वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की शंकर पूजा के लिए 10 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है। इसलिए, इस विवरण को सरकारी अनुदानों के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार अनुसूची 10 के तहत 1 रुपये के कार्यात्मक मूल्य पर दर्शाया गया है।

8. अवल परिसंपत्तियाँ

i) वित्त वर्ष 2023-24 से परिसंपत्तियों के मूल्यहास की स्ट्रेट लाइन मेथड में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यहास ₹0.37 करोड़ रुपये बढ़ गया है।

ii) तुलन पत्र में अवल परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए सकल ब्लॉक की राशि (₹203.29 करोड़ रुपये) की गणना अनुसूची 8 के कॉलम 'वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन' के तहत 'वर्तमान वर्ष के लिए कुल' (₹4.47 करोड़ रुपये) तथा 'भूजीगत कार्य प्रगति पर' (₹198.81 करोड़ रुपये) की राशि को जोड़कर की गई है। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 को निपल ब्लॉक की राशि (₹200.15 करोड़ रुपये) की गणना वर्तमान वर्ष के अंत तक कुल मूल्यहास (₹3.14 करोड़ रुपये) को उपर्युक्त सकल ब्लॉक से घटाकर की गई है।

(iii) पूंजीगत कार्यशील प्रगति पर - पीएफआरडीए के बोर्ड ने अपनी 88वीं बैठक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौतंजी नगर नई दिल्ली में इसकी आगामी परियोजना में एनबीसीसी (इंडिया) लिमि. के लिए पीएफआरडीए के लिए अपना परिसर खरीदने को स्वीकृति प्रदान की। अधिकार पत्र के प्रस्ताव के अनुसार खरीदे गए परिसर की लागत 180.96 करोड़ रुपये (पूर्व प्रदत्त अनुसूचन शुल्क, सिंकिंग फंड और सुस्था जमा राशि सहित) है।

तदनुसार पीएफआरडीए ने उस परिसर की खरीद के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को ₹26.67 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 से संबंधित ₹8.00 करोड़ और पूर्व प्रदत्त अनुसूचन शुल्क तथा सिंकिंग फंड के लिए ₹2.60 करोड़ को भुगतान सहित) का भुगतान किया है। इसके साथ ही, पीएफआरडीए ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मैसर्स एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड को इंटीरियर वर्क्स अर्थात् फर्निशिंग / फिटिंग के लिए ₹8.65 करोड़ का भुगतान किया।

वर्ष के दौरान संपन्न कार्यों के लिए अनुसूची 7 (वर्तमान देयताओं) के तहत ₹8.97 करोड़ रुपये की राशि सुचित की गई है। अनुसूची 7 के नोट 5 (ख) के अंतर्गत सुचित ₹18.57 करोड़ रुपये की जीएसटी में 31 मार्च, 2024 तक मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को पूंजीगत कार्य के लिए ₹154.72 करोड़ रुपये के भुगतान पर लागू जीएसटी शामिल है। इसके साथ ही, ₹12.51 करोड़ रुपये की अनुमानित फीस/करण लागत और स्टाम्प शुल्क का भी प्रावधान किया गया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹62.76 करोड़ रुपये की राशि पूंजीगत की गई है।

31 मार्च, 2024 तक कुल ₹198.81 करोड़ रुपये की लागत आई है। प्राधिकरण को 27 मार्च 2024 को परिसर के कच्चे का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। यह परिसर अप्रैल 2024 के महीने से उपयोग के लिए उपलब्ध था और तदनुसार इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-10 संपत्ति, संग्रह और उपकरण की अर्हताओं के अनुरूप पूंजीगत कार्य प्रगति पर के रूप में बनाए रखा है। इस भवन को 01 अप्रैल 2024 से उपयोग के लिए रखा गया था। इसे अनुसूची-8 में पूंजीगत कार्य प्रगति पर के रूप में बताया गया है। इसके बाद, वित्त वर्ष 2024-25 में, प्राधिकरण ने मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को ₹4.68 करोड़ रुपये और मैसर्स एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड को ₹1.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

(iv) पूंजी प्रतिबद्धता

(क) पूंजीगत कार्य प्रगति पर में एनबीसीसी और एनएसएल को कार्यालय परिसर के अभियंत्रण तथा फर्नीशिंग / फिटिंग के लिए भुगतान की गई किस्तें शामिल हैं, और यह परिसर अभी तक सुचित तिथि को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है। 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' के संबंध में मैसर्स एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि का पूंजी खातों (अधिमों का निवल) पर व्यय किया जाना शेष है यह ₹4.42 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 : ₹43.22 करोड़ रुपये) है, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) 31 मार्च, 2024 तक, पीएफआरडीए ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विकास परियोजनाओं (ईआरपी मॉड्यूल जिसमें मानव संसाधन तथा वित्त एवं लेखा शामिल हैं) से संबंधित कुछ पूंजीगत व्यय की प्रतिबद्धता दर्शायी है। ये प्रतिबद्धताएं ₹14.93 करोड़ रुपये के समझौते के लिए भविष्य में नकदी निकासी दर्शाती हैं। आईटी विकास की ये परियोजनाएं पीएफआरडीए के डिजिटल परिवर्तन प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनसे दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा एवं विकास में योगदान की आशा है।

7. धर्मादा / चिह्नित निधियों से निवेश की राशि ₹3.15 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 : ₹2.91 करोड़ रुपये) को वार्षिक खातों की अनुसूची 9 में सुचित किया गया है जो अभिदाता शिक्षा और संरक्षण कोष (एसईपीएफ) खाते में प्राप्त धन से निष्पादित स्थायी जमा के संदर्भ है।

8. उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान की गई 29 अप्रैल 2024 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर दायित्वों के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए हैं:

तालिका 1. देयता का वर्तमान मूल्य (करोड़ रुपये में)

विवरण	उत्पदान		छुट्टी नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
वर्ष के आरंभ में देयताओं की वर्तमान राशि	3.99	3.64	8.71	7.62
ब्याज लागत	0.29	0.26	0.64	0.55
वर्तमान सेवा लागत	0.17	0.11	0.38	0.18
प्रदत्त लाभ	-	(0.02)	(0.68)	(0.49)
देयताओं पर वास्तविक (लाभ/हानि)	0.16	0.004	3.20	0.85
वर्ष के अंत में देयताओं की वर्तमान राशि	4.61	3.99	12.25	8.71

तालिका 2 - नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (करोड़ रुपये में)

विवरण	उत्पदान		छुट्टी नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
वर्ष के आरंभ में नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4.48	3.06	7.66	4.16
योजनागत परिसंपत्तियों से अपेक्षित आय	0.31	0.30	0.64	0.51
अवशदान	0.14	1.14	1.39	3.48
प्रदत्त लाभ	-	(0.02)	(0.64)	(0.49)
नियोजित परिसंपत्तियों से वास्तविक (लाभ/हानि)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4.93	4.48	9.05	7.66

मूल्यांकन के लिए उपयोगी की गई विधि 'प्रोजेक्टेड युनिट क्रेडिट मेथड' है।

	मान्यता	मूल वास्तविक मान्यताएं			
		उत्पदान		छुट्टी नकदीकरण	
		पॉलिसी 1	पॉलिसी 2	पॉलिसी 1	पॉलिसी 2
31 मार्च 2024 को	छूट दर	7.25%	7.25%	7.25%	7.25%
	वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
31 मार्च 2023 को	छूट दर	7.25%	7.25%	7.25%	7.25%
	वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

9. अनुसूची 10 (b) के तहत सूचित निवेश : निवेश – अन्य में शामिल अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	बैंक का नाम	सावधि जमा (राशि करोड़ रुपये में)	
		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	102.01	28.00
2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	91.00	51.00
3	केनरा बैंक	36.00	30.00
4	एक्सिस बैंक	34.00	14.00
	कुल	263.01	123.00

10. चिकित्सा सहायता निधि योजना

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राधिकरण ने पीएफआरबीए के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चिकित्सा सहायता कोष (एमएएफ) योजना लागू की थी। अनुसूची 7 के तहत चिकित्सा सहायता निधि के तहत दर्शायी गई शेष राशि, प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रारंभिक अंशदान, कर्मचारियों से प्राप्त उत्तरवर्ती अंशदान के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा किए गए समतुल्य अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज से मेल खाती है। चिकित्सा सहायता निधि के तहत प्राप्त किसी भी दावे का भुगतान इस निधि से किया जाता है। चिकित्सा सहायता निधि से किए गए निवेश को चिकित्सा सहायता निधि की शेष राशि से कटौती के रूप में सूचित किया गया है।

31 मार्च 2024 तक एमएएफ शेष राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
01 अप्रैल 2023 को एमएएफ खाते में प्रारंभिक शेष राशि	0.63
बढ़ोत्तरी : मासिक अंशदान और बचत खाते पर अर्जित ब्याज	0.16
कमी : एमएएफ निधियों से भुगतान	0.01
31 मार्च 2024 को एमएएफ खाते में अंत शेष	0.78
31 मार्च, 2024 तक सावधि जमा राशि	0.65
बचत बैंक में शेष	0.13
कुल (एफडी+बचत)	0.78

11. अटल पेंशन योजना के तहत जीएपी फंड अनुदान

एपीवाई के तहत अनुमानित पेंशन देनदारियों और पेंशन परिसंपत्तियों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 'अटल पेंशन योजना के तहत जीएपी फंड अनुदान' के अंतर्गत भारत सरकार से तीसरी किस्त के रूप में 271 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। इस मद के तहत प्राप्त राशि को मौजूदा एपीवाई निवेश दिशानिर्देशों और परिसंपत्ति आवंटन के अनुसार 'एनपीएस न्यास खाता एपीवाई निधि योजना' में निवेश किया गया था। संबंधित आकड़े वार्षिक खातों की अनुसूची 3 में निर्दिष्ट हैं।

भारत सरकार से एपीवाई के तहत गैप फंड अनुदान की चौथी और अंतिम किस्त वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त होने की आशा है।

12. प्राप्ति और भुगतान के तहत 'स्वावलंबन अनुदान' तथा 'एपीवाई अनुदान' के आकड़े (उपयोग किए गए अनुदान के तहत) से अभिदाताओं द्वारा खातों को पूर्व परिपक्व रूप से बंद करने के कारण पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में संबंधित सरकारी योजनाओं से संरक्षणी सह-योगदान के रिफंड के कारण नकारात्मक गैप राशि प्रकट कर रहे हैं।

13. मध्यवर्तियों से प्राप्त वार्षिक शुल्क - जैसा कि अनुसूची 14 में दिखाया गया है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त मध्यवर्तीवार वार्षिक शुल्क निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवरण	फीस / शुल्क (राशि करोड़ रुपये में)	
		वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
1	ट्रस्टी बैंक	50.65	35.57
2	केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण	13.07	11.46
3	संरक्षक	4.11	3.21
4	पेंशन निधि	149.56	117.82
5	सेवानिवृत्ति सलाहकार/पीओपी/एसपी/आवेदन/ पंजीकरण शुल्क आदि	0.40	0.67
कुल		217.78	168.73

14. अनुसूची 11 के तहत सूचित बचत बैंक शेष में निम्नलिखित शामिल हैं -

क्रम सं.	खाता का नाम	बैंक शेष (राशि करोड़ रुपये में)	
		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1	स्वावलंबन कोष *	0.51	1.67
2	अटल पेंशन योजना *	29.80	11.85
3	पीएफआरडीए का सामान्य प्रशासनिक खाता	10.93	3.60
4	एसईपीएफ	0.02	0.03
5	एसपीसीपीए	0.37	0.36
6	एपीवाई के तहत गैप फंड	-	0.04
7	स्वावलंबन कोष *	0.13	0.13
कुल		41.76	17.68

* संबंधित योजनाओं के तहत खातों को समय से पहले बंद करने पर भारत सरकार तथा सरकारी सह-योगदान से प्राप्त अनुदान तथा इन खातों से भुगतान।

15. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा कोड (एनसीएफई) के परिचालन व्यय के वित्त पोषण हेतु 1.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। यद्यपि, तदुपरांत वित्त वर्ष 2023-24 में पीएफआरडीए के योगदान की आवश्यकता नहीं पड़ी और उक्त प्रावधान को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जलट दिया गया। यह परिवर्तन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 21 के नोट 29 (घ) में सूचित किया गया है।

16. 31 मार्च, 2024 को मुलान पत्र तथा उस लिखि को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूची 1 से 26 आय-व्यय खाते के साथ संलग्न है और इसका अभिन्न अंग है।

17. जहाँ आवश्यक था, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः परीक्षित/पुनःसमूहीकृत किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04 जून 2024

मंजू भल्ला
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष



PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

**E-500, Tower E, 5th Floor, World Trade Center,
Nauroji Nagar, New Delhi-110029**